अष्टम माला, खंड 39, अंक 50

Thursday, 16th March, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

LIBRARY
No. 60
Date 17/11/88

(आठवीं लोक सभा)



(खंड 39 में अंक 41 से 53 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
71	नीचे से 7	"(ज)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
111	4	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" पढ़िये
133	नीचे से 3	एल० टी० संख्या "7540/89" के स्थान पर "7541/89" पढ़िये।
134	13	एल० टी० संख्या "8543/89" के स्थान पर "7543/89" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 47, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 17, गुरुवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों के निलम्बन के बारे में	1—6
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 309, 310, 317 और 320	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17—131
तारांकित प्रश्न संख्या : 306 से 308, 312 से 314, 316, 318, 321 322, 324 और 325	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2882 से 2892, 2894, 2896, 2897, 2899 से 2901, 2903 से 2909, 2911, 2912, 2914 से 2917, 2919, 2921 से 2925, 2927 से 2930, 2932 से 2937, 2939, 2940, 2942, 2944, 2946, 2947, 2949, 2950, 2952 से 2965, 2967 से 2973, 2975, 2976, 2978, 2983 से 2985, 2988 से 2995, 2999, 3003, 3004, 3006 से 3011, 3013, 3016 से 3025, 3027, 3030 से 3049 और 3051 से 3055।	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	131—137
राज्य सभा से सन्देश	138
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	138

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	138
34वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण ।	
वर्ष 1989-90 के मौसम के लिए कच्चे पटसन तथा कच्ची कपास की मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य	139
श्री भजन लाल	
समितियों के लिए निर्वाचन	140
(एक) प्राक्कलन समिति	
(दो) लोक लेखा समिति	
लोक लेखा समिति	141
राज्य सभा से सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश	
समिति के लिए निर्वाचन	141
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	142
राज्य सभा से सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश	
समिति के लिए निर्वाचन	142
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	143
राज्य सभा से सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश	
कार्य-मंत्रणा समिति	143
67वां प्रतिवेदन	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1988-89	143
विवरण	
नियम 377 के अधीन मामले	144
(एक) एक बड़े व्यापारिक घराने द्वारा केरल के दैनिक "मातृभूमि" के सारे शयर खरीदे जाने के हाल के प्रयासों को रोककर इस दैनिक समाचार पत्र के संकट में पड़े स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा किए जाने की मांग ।	
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन	144

विषय	पृष्ठ
(दो) बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग	
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	144
(तीन) वर्ष 1987 में नौकरी से निकाले गए दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को पुन: नौकरी पर लिए जाने की मांग	
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	145
(चार) केरल के मुकुन्दपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उद्योग स्थापित किए जाने की मांग	
श्री के० मोहनदास	145
(पांच) वन अधिनियम 1980 के उपबंधों का सरलीकरण किए जाने की मांग ताकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत-सी स्वीकृत विकास योजनाएं पूरी हो सकें	
श्री हरीश रावत	145—146
(छह) फैजाबाद दूरदर्शन रिले केन्द्र की सीमा-क्षमता का विस्तार किए जाने की मांग	
श्री निर्मल खत्री	146
(सात) कलकत्ता में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र लगाए जाने की मांग	
कुमारी ममता बनर्जी	146
बजट (सामान्य), 1989-90—सामान्य चर्चा	146—258
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	146—149
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी	149—152
श्री के० एन० प्रधान	153—156
श्री ए० चार्ल्स	156—160
श्री के० मोहनदास	160—162
श्री उमाकांत मिश्र	162—164
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	164—167
श्री कमला प्रसाद सिंह	167—169
चौधरी राम प्रकाश	169—172
श्री केयूर भूषण	172—174

श्री अब्दुल रशीद काबुली	174—177
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	177—181
श्री सोमनाथ रथ	181—183
श्री जैनुल बशर	183—188
श्री बी० के० गड़बी	188—194
श्री बिपिन पाल दास	194—198
श्री अजीज कुरेशी	198—201
श्री शरद दिघे	201—202
डा० गौरी शंकर राजहंस	202—205
कुमारी ममता बनर्जी	205—209
श्री चिन्तामणि जेना	209—211
श्री गंगा राम	211—213
श्री बी० कृष्ण राव	213—214
श्रीमती ऊषा चौधरी	214—217
श्री आई० रामा राय	217—219
श्री जगन्नाथ चौधरी	219—220
प्रो० एम० आर० हाल्दर	220—222
श्री भीष्म देव दुबे	222—225
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	225—228
श्री के० जे० अब्बासी	228—230
श्रीमती ऊषा ठक्कर	230—232
श्री भरत सिंह	232—234
श्री अरविन्द नेताम	234—236
श्री मदन पांडे	236—238
श्री लक्ष्मण मलिक	238—240
श्री आर० जीवरत्नम	240—242
श्री जी० एस० बासवराजू	242—243
श्री नन्दलाल चौधरी	243—245
श्री जगदीश अवस्थी	245—247
श्री एन० टोम्बी सिंह	247—248
श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनु)	248—250
चौधरी अख्तर हसन	250—251
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	251—253
चौधरी लच्छी राम	253—254
श्री बीरबल	254—255
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	255—258

लोक-सभा

गुरुवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.03 म० पू०

सदस्यों के निलम्बन के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, हम आपसे निलम्बन रद्द करने का अनुरोध करते हैं। यह अपूर्ववत था। संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह नितान्त आवश्यक है। यह ठीक नहीं लगता। निलम्बन रद्द किया जाना चाहिए। प्रश्न काल के दौरान, इतने सदस्य अनुपस्थित हैं··· (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में यह बुरी बात है · (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आप एक काम तो कर ही सकते हैं। आप विपक्षी नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर उनसे निलम्बन रद्द किए जाने के संबंध में बातचीत कीजिए। पूरी समस्या का समाधान तलाश किया जाना चाहिए। यह बजट सत्र है। बजट सभा के समक्ष प्रस्तुत है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री कुलनदईवेलू जी और बनातवाला जी, आप मेरे रवैये से परिचित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप क्यों उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : जब विपक्ष ने ऐसा व्यवहार किया था तब श्री बनातवाला को उन्हें सलाह देनी चाहिए थी···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपके साथ हूं···(व्यवधान)

श्री पी कुलनदईवेलू : हम आपके साथ है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री कुरियन जी के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। आप मुझे बोलने क्यों

नहीं देते ? मेरा यह कहना है कि मैं भावनाओं को समझता हूं । मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । मैं ऐसी स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : सभा में अनुशासन बनाये रखा जाना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने का सोचा भी नहीं था । पिछले नौ वर्षों से हम अच्छे मित्रों की भांति काम करते रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आपने बहुत धैर्य और सहयोग दिखाया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भरसक प्रयास किया है और इस सभा द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार, मुझे सदैव माननीय सदस्यों के लिए तत्पर रहना है ।

(व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : हम जानना चाहते हैं कि जब आपने कल उन्हें बैठक में बुलाया था तब क्या हुआ । क्या आपको इस गतिरोध का कोई रास्ता मिला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने इस विषय को स्पष्ट किया था, आप यहां नहीं थे । मैंने कहा था कि मैंने सभी माननीय सदस्यों को बुलाया था । वे भी आप सब की ही भांति मेरे मालिक हैं । परन्तु मैं कुछ नियमों से बंधा हुआ हूं । मैंने सर्वसम्मत राय बनाने की हर संभव कोशिश की । मैंने उन्हें बताया और कल आपने भी इस ओर के एक वक्तव्य को देखा होगा···

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उन्होंने आपका भी अनादर किया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता । यदि सरकार कभी भी चाहती है और यदि कोई मामला सदन के सामने आता है तो मैं चर्चा करने के लिए बाध्य हूं । मैंने कभी इस परम्परा का उल्लंघन नहीं किया और मैं कभी करूंगा भी नहीं । परन्तु मैं क्या कर सकता हूं ? मैं कुछ लोगों को, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के, खुश नहीं कर सकता । यदि मैं एक बार ऐसा करता हूं तो हमेशा यह स्थिति सामने आएगी और मैं सभा की कार्यवाही नहीं चला पाऊंगा । जिस प्रकार से यह सम्पूर्ण घटना घटी, मैंने और मेरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें मानने के लिए भरसक प्रयास किए परन्तु हम कुछ नहीं कर पाए । फिर और क्या किया जा सकता था ? मैंने उन्हें दो ही रास्तों का सुझाव दिया और बताया कि वे इनमें से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं — या तो सभा की कार्यवाही चलने दें या इसे बन्द कर दें । यह बहुत सरल बात थी । वास्तव में मुझे बहुत दुख हुआ है । मैं इससे कोई खुश नहीं हूं । मैं चाहता हूं । कि सभी सदस्य सभा में उपस्थित रहें । मैं चाहता हूं चर्चा हो । सौहादपूर्ण वातावरण में चर्चा होनी चाहिए । यद्यपि चर्चा के दौरान वातावरण गर्म हो सकता है परन्तु इस प्रकार नहीं । यह निन्दनीय है क्योंकि मुझे केवल आज की ही चिन्ता नहीं है । मुझे अपनी, आपकी और इस देश की इस संस्था की चिन्ता है क्योंकि इस देश में लोकतन्त्र इसी के माध्यम से सुरक्षित है । आप जनता की आवाज हैं । और इस आवाज को किसी भी प्रकार, बहुमत द्वारा या अल्पमत द्वारा, किसी को बाध्य करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए । आपको बोलने, बहस करने का अधिकार है, बल प्रयोग का नहीं । यदि जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हुई तो लोकतन्त्र खंडित हो जाएगा । उस समय मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा । तब एक दिन वे कहेंगे, "नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप कुछ नहीं हैं, आप

ऐसा कीजिए।" और अगले दिन वे उसे कर देंगे। इसलिए सभी वर्गों से मेरी यही अपील है। वास्तव में मुझे बहुत खेद है। मेरा मन अशांत है कि यह घटना घटी और सभी प्रयासों के बावजूद, मैं कुछ नहीं कर सका। इसलिए मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। सर्वश्री बनातवाला, कुलनदईवलू तथा मेरे अन्य मित्रगण, मैं किसी एक सदस्य को भी निलम्बित करके प्रसन्न नहीं हूं, उन सभी को तो बात ही छोड़िए। मुझे इससे खुशी नहीं हुई है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। यदि अब भी वे सभी आना चाहते हैं तो मेरे विचार में, वे सभी एकत्र होकर कोई समाधान तलाश कर सकते हैं। मैं आप सभी को अनुगृहीत करने को तैयार हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को सभा से बाहर नहीं होना चाहिए। वे 125 मिलियन से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं। यह जनता के साथ अनुचित व्यवहार है। साथ-साथ यदि आप उन्हें नहीं मना सकते तो आप और सरकार कुछ तरीका निकालें जिससे इस देश की जनता यह सोचना शुरू न कर दे कि संसदीय लोकतंत्र खतरे में है और चुनावों का कोई लाभ नहीं तथा जन प्रतिनिधि भेजना बेकार है। इतनी अधिक जनता के प्रतिनिधियों को अपनी आवाज उठाने से नहीं रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के पालन का प्रश्न है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यदि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए अखबारों में कुछ लिखते हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है। यह बात उन पर छोड़ दी जाती है। मैं इस विषय में क्या कह सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार सभा का संचालन करना मेरी जिम्मेदारी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : संसद से बाहर का कोई व्यक्ति संसद पर कोई बात थोप रहा है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान लीजिए। इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : महोदय, संसद की वर्तमान घटनाओं से आपको हो रहे दुख में हम भी शामिल हैं। कल पूरा दिन जो हुआ वह मैंने देखा। मैं यह नहीं सोचता कि सरकार का दोष था और मैं नहीं जानता कि सरकार इससे अधिक क्या कर सकती है। आपकी अनुपस्थिति में, बेचारे उपाध्यक्ष महोदय ने अधिकांश समय लड़ाई लड़ी और वे परेशान हुए। मैंने सोचा था कि वह सदन में अहिंसा का पालन करने की अपील करेंगे। हिंसा का भी सहारा लिया गया। मैंने भी अपने साथियों से अपील की थी। उनमें से कई बहुत उत्तेजित थे। उन्हें ऐसे लोगों का साथ न देने दिया गया जो हिंसा पर उतारू हो गए थे। विचित्र बात यह थी कि हमारे साथ धैर्य से रहे उस ओर के अनेक सदस्यों ने अन्त में जल्दबाजी में उपाध्यक्ष महोदय को कहा कि उन्हें निलम्बित कर दें। कोई गलती हो तो सुधार कर दें। मेरे विचार में, अनेक सदस्यों को निलम्बित नहीं किया जाना था। वे निलम्बित किए जा रहे सदस्यों का साथ देने को उत्सुक नहीं थे। फिर भी उन्होंने निलम्बित किए गए सदस्यों की सूची

में अपना नाम शामिल होने दिया और उन्होंने उन सदस्यों का साथ दिया। इसका क्या अर्थ है ? वे इस निलम्बन का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे। इसका अर्थ है कि वे ऐसे लोगों का साथ देना चाहते थे जिनका संसदीय प्रणाली और मामलों को अहिंसात्मक तरीकों से निबटाने में विश्वास नहीं है। इसलिए, यदि संसद को चलाना है, यदि संसद को समूचे राष्ट्र का प्रवक्ता बनना है और यदि इस देश में लोकतन्त्र कायम रखना है तो मैं आपके द्वारा आपके उपाध्यक्ष द्वारा और उन सभी सदस्यों द्वारा कल स्थापित किए गए उदाहरण की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अभद्र, अशिक्षित, असामाजिक लोगों के बाजारू प्रदर्शन पर असाधारण धैर्य दिखाया। परन्तु मुझे बेहद दुख है कि मेरे संसदीय जीवन के अन्तिम वर्ष में यह घटना हुई ? मेरा अनुमान है कि मेरा संसदीय कार्यकाल न केवल हमारी संसद में बल्कि विश्व भर की संसदों में एक रिकार्ड है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान घटनाक्रम अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, गोपनीय दस्तावेज प्रायः लीक हो रहे हैं। इस संसद को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, जो पुराना पड़ गया है, का अध्ययन करना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैंने आज आधे घण्टे की चर्चा के लिए एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। अब प्रश्न काल का समय है। यह इससे अलग मामला है। नहीं-नहीं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० पी० एन० सिंह आपका अब नम्बर नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं अनुमति नहीं दी जाती···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ और दे सकते, इस प्रकार नहीं। आप हमेशा ही प्रसंगहीन बात करते हैं···

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, ठीक है, बाद में बात करेंगे।

[अनुवाद]

इस प्रकार से नहीं होगा।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं, इस सदन में आज विभिन्न सदस्यों द्वारा मिलकर किए गए मतों से सहमत हूं। सामान्यतया मैं कुछ कहने के लिए नहीं उठता, किन्तु मैं सोचता हूं कि इस मामले में थोड़ा स्पष्टीकरण, जो मैं पहले भी दे चुका हूं, आवश्यक है अर्थात् जब इस सदन में, सदन के बाहर, आपके कक्ष में हर संभव उपाय असफल हो गए, तो हमें बड़े दुख के साथ कुछ सदस्यों को निलम्बित करने का कदम उठाना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। हमने एक दिन देखा, हमने सब की प्रतीक्षा की, हमने कुछ समय तक देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। यदि सदन के एक भी सदस्य को सदन से बाहर निकाला जाता है तो किसी को भी खुशी नहीं होगी। हमें कोई खुशी नहीं होगी और किसी को भी कोई खुशी नहीं होगी। किन्तु ऐसी स्थिति पैदा की गई। तो भी मैंने एक प्रस्ताव रखा। मैंने कल भी कहा और आज फिर स्पष्ट करता हूं कि आरम्भ में कुछ ही सदस्यों को निलम्बित करने का विचार था। मैंने उनके नाम भी लिए। उन्होंने उन सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिए हैं, जो सदन के बीचों बीच खड़े थे। अब यह देखना औरों का काम है कि वह इसमें शामिल थे या नहीं। इस बारे में फैसला करना उनका अपना काम है। किन्तु जब इस प्रकार का संकेत मिला कि यदि उनमें से कुछ लोगों को निलम्बित किया जाता है तो उनमें और बाकी लोगों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए, यदि उन्हें निलम्बित किया जाता है तो सभी को किया जाना चाहिए नहीं तो सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की जाती रहेगी। जब मेरी इच्छा के विपरीत इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, तो मुझे वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा। उनमें से कुछ ने प्रेस वक्तव्य में भी वही कुछ कहा जो मैंने कहा। उन्होंने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए था। इसलिए, हमने कहा कि इन सभी सदस्यों को निलम्बित किया जाए। इन परिस्थितियों में उन्हें निलम्बित करना पड़ा। इससे कोई खुश नहीं है। सरकार इससे खुश नहीं है। किन्तु हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम किन्हीं भी परिस्थितियों में कुछ लोगों को सदन को अपनी मर्जी से चलाने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय यह सब समाचार पत्रों में आया है। प्रेस में इस तरह की कोई बात उद्धृत नहीं की गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं। आपने भी यह महसूस नहीं किया कि स्थिति क्या थी—इस पीठ पर बैठा व्यक्ति चाहे वह उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष, या सभापति उसे इस कठिन काम का सामना करना पड़ता है। वह रक्षक है, वह आपका सेवक है जिसे आपने सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने का कार्य सौंपा है और उसके लिए आपने कुछ नियम बनाए हुए हैं। और यदि वह उन नियमों का पालन नहीं करते और इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। या यदि हम उनके विरुद्ध कुछ बिना किसी आशय से करते हैं तो हम उसके लिए खेद प्रकट कर सकते है। किन्तु जब आप यह कहते हैं कि कोई बात किसी खास तरीके से करनी होगी "नहीं, यह कोई कानून नहीं है किन्तु नैतिक रूप से ऐसा करना होगा," तो उस समय विभाजन रेखा की बात उठती है और तभी कुछ करना होता है। मैंने परसों ऐसा नहीं किया। हमने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया। मैंने दूसरी तरह से भी कोशिश की और यह एक ऐसी बात है जो मैं न तो यहां और न ही राज्य विधान सभाओं में पसन्द करता हूं। यह जो सब कुछ हो रहा है इससे बदनामी हो रही है, इससे संसद का अपमान हो रहा है। यह सब लोकतंत्र विरोधी है। हम इसे भीड़तंत्र नहीं बनाना चाहते, हम इसे लोकतंत्र के रूप में चाहते हैं और लोकतंत्र आपसी संवाद और बातचीत द्वारा चलता है न कि गुण्डागर्दी से, और मैं इसके खिलाफ हूं। मैं

किसी भी बातचीत के लिए अनुरोध कर सकता हूं, जब भी आप चाहे मैं बातचीत की अनुमति दे सकता हूं किन्तु यह सब कानून के अनुसार होना चाहिए। कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसके जरिए मैं यह कर सकूं और मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है। मुझे इतना महसूस हो रहा है। जब सदस्य संसद में नहीं होते तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। हमें सख्त कार्यवाही करनी पड़ती है और वह भी सदन के सदस्यों की सहमति से।

अब प्रश्न संख्या 307—श्री जीतेन्द्र प्रसाद, नहीं, प्रश्न संख्या 308—श्री नरसिंह सूर्यवंशी—नहीं। तब प्रो० के० वी० थामस।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में खेलकूद का विकास

309. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में खेलकूद के विकास के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) जी हां। रिपोर्ट में पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर प्रतिभाशाली बच्चों के चयन तथा उन्हें वैज्ञानिक आधार पर गहन प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ताकि ओलम्पिक्स और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के अन्ततः लक्ष्य को पूरा किया जा सके। परियोजना पर 10 वर्ष लगने की परिकल्पना है और इस पर 107.54 करोड़ रुपये की लागत लगने का अनुमान है। परियोजना रिपोर्ट पर भारतीय खेल प्राधिकरण और विभाग में अध्ययन किया जा रहा है।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, हालांकि केरल एक छोटा सा राज्य है, किन्तु हमने खेलकूद और खेलों के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। महोदय, हमने एक 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ताकि छोटी आयु के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके और वह ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के योग्य बन सके। मंत्री महोदय के उत्तर से मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण के विचाराधीन है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि केरल में कई खेलकूद स्कूल हैं जो देश को कई अच्छे खिलाड़ी दे सकते हैं। इनमें से बहुत से स्कूलों में आधुनिक उपकरण नहीं हैं। इसी प्रकार इन खेलकूद स्कूलों में धन की कमी के कारण छात्रों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जा सकता। इसलिए मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार आधुनिक खेल उपस्कर खरीदने तथा पौष्टिक खुराक देने के लिए खेलकूद स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि हमने

इन दोनों कामों के लिए योजनाएं तैयार की हैं। राज्यों को सस्ते उपस्कर उपलब्ध कराने की हमारी एक योजना है जिसके अन्तर्गत हम राज्यों को, आवश्यक उपस्कर खरीदने के लिए बराबर का अनुदान देते हैं। जहां तक पोषक आहार आदि का सम्बन्ध है हमारी जूनियर, सब जूनियर तथा वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है जिसका इस्तेमाल, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पोषक आहार देने हेतु किया जाता है।

महोदय, यह प्रश्न एक ऐसे प्रस्ताव से सम्बन्धित है जो केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और केवल केरल राज्य के लिए है। केवल केरल राज्य के लिए इस योजना हेतु 107.54 करोड़ रुपये की मांग की गई है। महोदय, पिछली योजना में मुझे पांच वर्ष के लिए सारे देश के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, और इसमें से केवल एक ही राज्य को 107 करोड़ रुपये दे पाना संभव है या नहीं इसका फैसला माननीय सदस्य ही करेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : यह राशि 10 वर्ष के लिए है और यद्यपि हमने 107.5 करोड़ रुपए की मांग की है किन्तु आप जो भी देंगे ठीक है। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने आउट डोर और इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देकर केरल राज्य की सहायता की है। किन्तु केरल में भूमि की कीमत बहुत अधिक है और मजदूरी भी बहुत अधिक है। इसलिए अन्य राज्यों के लिए निर्धारित मापदण्ड केरल के मामले में लागू नहीं हो सकते और अपने निर्वाचन क्षेत्र कोचीन में हमने भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से एकइन्डोर स्टेडियम का निर्माण आरम्भ किया है। हमें इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने हमारी काफी मदद की है। किन्तु, चूंकि भूमि की कीमत तथा मजदूरी में वृद्धि हो गई है, हम इस स्टेडियम को पूरा करने के लिए और अधिक सहायता चाहते हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि क्या वह हमें और सहायता दें ताकि हम इन्डोर और आउट डोर स्टेडियम का निर्माण पूरा कर सकें।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं स्थानीय समस्याओं को समझती हूं किन्तु मैं माननीय को बताना चाहती हूं कि हमें अखिल भारतीय स्तर पर सहायता देनी होती है। मैं प्रत्येक राज्य को पृथक-पृथक आधार पर सहायता नहीं दे सकती। महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जहां तक आधारभूत सुविधाओं के आंकड़ों का सम्बन्ध है 1986-87 के लिए देश-भर के लिए किए गए 13.75 करोड़ के आवंटन में से केरल को 1.32 करोड़ रुपये मिले। और 1987-88 में उन्हें सामान्य योजना के अन्तर्गत 1.17 करोड़ रुपये की राशि के अलावा राष्ट्रीय खेलों के लिए 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विशेष अनुदान दिया गया। वास्तव में हम आधारभूत सुविधाओं के लिए जो भी अनुदान दे रहे हैं, केरल को उसका काफी बड़ा हिस्सा मिलता रहा है और उन्होंने भी बहुत अच्छे परिणाम दर्शाए हैं और वह खेलों के विकास में बहुत रुचि लेते रहे हैं। किन्तु महोदय, जो भी हम देते हैं राज्यों को उसके बराबर 50 : 50 का अनुदान देना होता है। इसलिए जब भी किसी राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होता है हम उस पर विचार करते हैं और अपना हिस्सा देते हैं किन्तु राज्यों को भी बराबर की राशि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम तभी और सहायता देने की उम्मीद कर सकते हैं।

श्री अजय मुशरान : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि राज्य सरकारों के माध्यम से खेलों के विकास के लिए वित्तीय अनुदान या सहायता दी जाती है। दो वर्ष पूर्व माननीय मंत्री महोदया मेरे निर्वाचन क्षेत्र जबलपुर में गई थी, और उन्होंने जबलपुर के स्पोर्ट्स कम्प्लैक्स के निर्माण के लिए

एक निश्चित राशि देने की घोषणा की थी। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने बताया था कि वह राज्य सरकार से परियोजना प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कानून या अधिनियम या अध्यादेश या विनियम या नियम है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार, किसी राज्य सरकार को कोई परियोजना विशेष तेजी से आरम्भ करने के लिए नहीं कह सकती।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं सदस्य महोदय को याद दिलाना चाहती हूं कि खेलकूद अभी भी राज्य का विषय है। यह अभी समवर्ती सूची में नहीं आ ा है हालांकि हम राज्य सरकारों के सम्पर्क में हैं और हमने इसे समवर्ती सूची में लाने के लिए एक प्रारूप विधेयक तैयार किया है।

मूल रूप से मैं किसी जिले में या किसी स्थानीय निकाय को सीधे किसी परियोजना के लिए धन नहीं दे सकती। ऐसा राज्य सरकार के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम राज्य सरकारों को अनुदान देने वाली समिति के समक्ष बुलाते हैं। किन्तु अधिकांशत: राज्य सरकारें उत्तर नहीं देती। वह यह बात संसद सदस्यों से भी नहीं कहती। किन्तु जब हम उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं, [हिन्दी] हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से अपना शेयर दें। [अनुवाद] ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह अपना 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं दे सकते। वह अपना प्रस्ताव दिल्ली नहीं भेजते क्योंकि जब हम उन्हें अनुदान देते हैं तो उन्हें भी बराबर का अनुदान देना पड़ता है।

श्री अजय मुशरान : वह जबलपुर को नहीं देना चाहते। वे कहीं और दे देंगे।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : यह आपकी स्थानीय समस्या है। आप उनके पीछे पड़ो।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में स्पोर्टस की बहुत बड़ी स्किल मौजूद है। अभी जिस तरह से सियोल ओलम्पिक में कीनिया के खिलाड़ियों ने उच्चकोटि के खेल का प्रदर्शन करके नाम कमाया था, उसी तरह के लोग हमारे राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान मुख्यत: रेगिस्तानी इलाका है जहां लोग भेड़-बकरियां चराते हैं और काफी लम्बी दूरी तक पैदल चलने, भागदौड़ करने के आदी हो गए है। यदि वहां कोशिश की जाए तो अच्छे खिलाड़ी मिल जायेंगे। क्या माननीय मन्त्री जी राजस्थान में अवैलेबल स्किल का ख्याल रखते हुए, उन इलाकों में जिनमें अच्छे खिलाड़ी मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जैसे सीकर और झुन्झुनू के इलाकों में स्पोर्ट्स सेंटर खोलने पर विचार करेंगी।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : माननीय सदस्य जानते होंगे कि हमने सीकर में पहले ही एक स्टेडियम बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं अभी वहां गयी हूं और फाउण्डेशन स्टोन लेइंग सैरेमनी आदि बातें वहां हुई थीं परन्तु हमें पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

उन्होंने वास्तव में शिलान्यास करने में विलम्ब किया है। हम उनकी सिफारिश पर पहले ही इसकी स्वीकृति दे चुके हैं। यदि माननीय सदस्य खेलों के विकास के लिए झुनझुनु या अन्य किसी

रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो हम यह प्रस्ताव मिलने पर इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं भी इससे सहमत हूं कि किसी विशेष राज्य को 100 करोड़ रुपए से अधिक धन देना भारत सरकार के लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी राज्य सरकार काम करवाने के इरादे से नहीं अपितु अपने प्रचार के लिए ही प्रस्ताव भेज रही है। लेकिन एक पहलू को हमें ध्यान में रखना होगा और वह यह कि केरल एक ऐसा राज्य है जिसने देश को पी० टी० ऊषा, वालसम्मा, शिनी अब्राहिम आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। आपको इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि केरल में लड़कियों के माता-पिता और दूसरे लोग, अन्य राज्यों के विपरीत उदार हैं और खेलों के लिए अपनी बेटियों को भेजने के लिए तैयार हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आप केरल राज्य में विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बारे में विशेष ध्यान क्यों नहीं देते ?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : हम केवल परियोजनाओं के लिए धन देते हैं। यदि प्रशिक्षण के लिए मैं महिलाओं के लिए पृथक धन की स्वीकृति देती हूं तो मुझ पर उनके साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया जाएगा। (व्यवधान) मैं पक्षपात नहीं सकती। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हमने आल इंडिया वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स बनाया है। स्थानीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी जल-क्रीड़ाओं के लिए इसे प्रयोग में ला रहे हैं। जब कभी कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमें नजर आया है और जब कभी हमें न्यूनतम मूलधन सुविधाएं मिली हैं हमने उस राज्य को विकसित करने और वहां अखिल भारतीय आधारभूत सुविधाएं देने के लिए धन खर्च किया है। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगी अन्यथा मुझ पर अन्यों का पक्षपात करने का आरोप लगाया जाएगा।

प्रो० पी० जे० कूरियन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र का क्या हुआ ? मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी कुछ धनराशि स्वीकृत करें। (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : हमने उन्हें बहुत धनराशि दी है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा धनराशि चाहिए। (व्यवधान)

मछली पकड़ने वाली बहुप्रयोजनीय नौकाओं द्वारा झींगा मछली पकड़ना

*310. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी कम्पनियां झींगा मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाली बहुप्रयोजनीय नौकाओं का प्रयोग कर रही हैं;

(ख) विदेशों में निर्मित ऐसी कितनी नौकाओं द्वारा उड़ीसा में समुद्र तट से दूर मछली पकड़ी जा रही है;

(ग) क्या यह नियमों के विरुद्ध है और इससे सभी प्रकार के मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) झींगा मछली सहित मछलियां पकड़ने के प्रयोजन हेतु भारतीय तट से दूर बड़ी संख्या में बहुप्रयोजनीय

समुद्री मात्स्यिकी जलयानों को चलाया जा रहा है। इस प्रकार के जलयानों को भारतीय तट से दूर कहीं भी चलाया जा सकता है। अतः उड़ीसा तट से दूर मछली पकड़ने वाले ऐसे जलयानों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि ये जलयान यंत्रचालित तथा गैर-यंत्रचालित मात्स्यिकी जलयानों के कार्यचालन क्षेत्र से आगे के क्षेत्र में चलाए जाते हैं।

श्री सोमनाथ रथ : माननीय अध्यक्ष महोदय इस बहुप्रयोजनीय समुद्री माप्स्यिकी जलयानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एक कार्यकारी दल बनाया था और कार्यकारी दल ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें दी थीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार की चार्टर्ड नीति क्या है और क्या सरकार अवैध रूप से मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए तटीय गार्ड नियुक्त करेगी।

श्री जगदीश टाईटलर। महोदय यह सच है कि जब बहुतायत में मछलियां पकड़ी गईं तब एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। यह कार्यकारी दल बना और इसने कुछ सिफारिशें दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन सिफारिशों को दोहराऊं? वे सिफारिशें हैं—(1) भारत के पूर्वोत्तर तट पर झींगा मछली पकड़ने के लिए अधिक संख्या में समुद्री मात्स्यिकी जलयानों को अनुमति न दी जाए। (2) सरकार को विभिन्न प्रकार की मात्स्यिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। (3) तट के साथ-साथ वर्तमान 18 से 25 एम० एम० के स्थान पर 35 एम० एम० और अधिक दूरी तक "मेश रेग्यूलेशन आफ कोड एंड" लागू किया जाना चाहिए। (4) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले वाहनों पर "आउटरिगर" लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यहां तक कि बाद की अवस्था में भी "आउटरिगर" लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (5) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के निरीक्षण के लिए और इस प्रभाव के आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कि क्या जलयान, मात्स्यिकी उपकरण और गियर, जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, सम्बन्धित अनुमोदित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप हैं, इसके लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाई जानी चाहिए। (6) मरकेन्टाइल मेरीन डिपार्टमेंट को यह निदेश जानकारी दी जानी चाहिए कि सभी मात्स्यिकी जलयानों का पंजीकरण केवल तभी किया जाए जब वे विशेषज्ञ प्रौद्योगिक समिति द्वारा जारी किए गए प्रौद्योगिकी प्रमाण-पत्र पेश करें।

श्री सोमनाथ रथ : मंत्री महोदय ने मेरे सुझाव का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तटीय गार्डों को अवैध रूप से मछली पकड़े जाने से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे। अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न रखता हूं।

महोदय, उड़ीसा तटीय क्षेत्रों में मछुआरे बहुत गरीब हैं। वे देशी नाव से मछली पकड़ते हैं। वे मशीनीकृत जलयानों का मुकाबला नहीं कर सकते। वे आजीविका भी जुटा नहीं पाते क्योंकि उन क्षेत्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम जारी है। इन मछुआरों को बहुत तंग किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से कुछ बातें जानना चाहता हूं। उड़ीसा में मात्स्यिकी अधिनियम भी लागू है। मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसे निर्धन मछुआरों का समर्थन देने और उन्हें ऋण देने के लिए पहल की जाएगी। क्या मन्त्री महोदय उड़ीसा के इन निर्धन मछुआरों की सहायता करने पर विचार करेंगे? क्या वह देखेंगे कि उन्हें भी मशीनीकृत जलयान लेने के लिए पर्याप्त धन दिया जाए? क्या वह यह भी देखेंगे कि अन्य भागों के मछुआरों द्वारा उनका शोषण न किया जाए?

श्री जगदीश टाईटलर : सर्वप्रथम मैं प्रश्न के पहले भाग के बारे में कहूंगा। उड़ीसा मेरीन फिशिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1982 में लागू किया गया था।

बहुत निरपक्षता से और उचित रूप से यह सीमांकन किया गया था कि पारंपरिक गैर-मशीनी कृत नावें मछली पकड़ने के लिए तट से 5 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती हैं और यह पारंपरिक नावों के लिए आरक्षित रखा गया था। 15 मीटर लम्बी मशीनीकृत नावों को तट से 5 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति दी गई है। 25 टन और उससे अधिक वजन की अथवा 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले मशीनीकृत जलयानों को तट से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब समुद्र में 25 मील दूर कोई भी मछली पकड़ने वाला जलयान मछली पकड़ सकता है। सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी जलयान को अड्डा बदलने की अनुमति नहीं है। अब अन्य ट्रालरों पर, चाहें वह आंध्र के हों या केरल के, कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। हमारा देश सबके लिए है, हमारा जल, हमारी नदियां सबके लिए हैं। लेकिन स्थानीय राज्य सरकारें उन्हीं नियमों के अनुसार व्यवस्था करती हैं जिनका जिक्र मैंने अभी-अभी किया है। और जहां भी विदेशी जलयान हस्तक्षेप करते हैं, हमारे तटीय गार्ड उनसे निपटते हैं। हमने काफी संख्या में नावें पकड़ी हैं। इस तरह हम भारतीय मछुआरों की रक्षा करते हैं। मैं किसी एक राज्य विशेष के बारे में कहना नहीं चाहता। भारतीय मछुआरे किसी भी राज्य के निवासी हों, वे हमारी नदियों में मछली पकड़ सकते हैं।

श्री के० प्रधानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पुरी जिले में नवागढ़ में मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने का कोई प्रस्ताव है। इस दिशा में कहां तक प्रगति हुई है? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गोपालपुर में झींगा मछली के अंडे लेने का केन्द्र (शिप हैचिंग सेंटर) बनाने का कोई प्रस्ताव है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है।

श्री जगदीश टाईटलर : उड़ीसा में हमने मछली पकड़ने के दो बन्दरगाह बनाने की स्वीकृति दी थी। एक 'धामरा' में, जो 69 लाख रुपए की लागत से बनाया जाना था और दूसरा 'अस्वरंग' में जिसे 313.22 लाख रुपए लागत से बनाने की स्वीकृति दी गई थी। दोनों बंदरगाह शत-प्रतिशत तैयार हैं। इस समय हमारी पुरी में बंदरगाह बनाने की कोई योजना नहीं है।

जहां तक झींगा के अंडे तैयार करने का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री भजन लाल जी बताएंगे। यह मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बहु-प्रयोजनीय जलयानों को झींगा पकड़ने की भी अनुमति है। मैं समझता हूं कि जब नावें आयात करने की अनुमति दी गई थी तब यह शर्त रखी गई थी कि वे झींगा पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आप इन बहु-प्रयोजनीय जलयानों को झींगा पकड़ने की अनुमति देते हैं तो इससे दो समस्याएं पैदा होंगी। एक तरफ झींगा मछली अधिक पकड़ी जाएगी — और हमें इसी संकट का सामना करना पड़ रहा है — और दूसरी तरफ वे झींगों के अलावा कोई मछली पकड़ेंगे ही नहीं इसका परिणाम यह होगा कि मात्स्यिकी उद्योग रुग्ण हो जाएगा। पहले ही से झींगा मछली उद्योग रुग्ण हो गए हैं। झींगा एक मंहगी मछली है। हर कोई निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करके झींगा पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आप उन्हें शर्तों का उल्लंघन करने की अनुमति दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे होता है। दूसरे, आप इस उद्योग की रुग्णता के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम मछली पकड़ने की मात्रा नहीं बढ़ा रहे हैं। यद्यपि इसके निर्यात में वृद्धि हो रही है, किन्तु यह उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। इस

उद्योग की कुछ मांगें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उन मांगों पर विचार कर रहे हैं और रुग्ण उद्योग को पुनर्जीवित करने के कुछ उपाय कर रहे हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पैसे की दृष्टि से तो निर्यात बढ़ रहा है, अन्यथा इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि ट्रालर मंहगे होते जा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1968 और 1973 में झींगा मछली पकड़ने के ट्रालर खरीदने की अनुमति दी गई थी और 1977 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि हमने उन्हें अनुमति न देकर बहु-प्रयोजनीय मात्स्यिकी जलयानों की अनुमति दी थी। किन्तु हमने ऐसी शर्तें रखीं कि उन्हें झींगा पकड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब पूरे देश में केवल दो ही स्थान ऐसे हैं जहां झींगा मछली पकड़ी जा सकती है अर्थात् उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बालू-तट और यह काम अब भजनलाल जी के विभाग के अन्तर्गत हो रहा है। अब यह काम पश्च-जल में किया जा रहा है जहां अंडज उत्पत्तिशालाएं हैं। मेरे विचार से यह काम हम व्यापक रूप से कर रहे हैं। वहां हम बहु-प्रयोजनीय जलयानों को आउटरिगर लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जो कि जमीन से लग कर झींगा पकड़ते हैं। वहां उनके अंडे भी होते हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान यहां सूखा पड़ा था। कई बार यह बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि सूखा पड़ने से समुद्र भी कैसे प्रभावित होता है। लेकिन झींगा उस वनस्पति पर निर्भर है जो नदियों में बहकर समुद्र में पहुंचते हैं। यही कारण है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बालू तट हैं। इसका एक कारण यह भी है। हमने अभी तक झींगा पकड़ने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। हम यह देखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम इसकी व्यवस्था इस तरह से करें कि हम उनके बच्चे पकड़ने से भी वंचित न रहें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। मछली उद्योग रुग्ण है। (व्यवधान) आपके मन्त्रालय का क्या रवैया है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मेरा रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्वक है और मुझे आशा है कि वित्त मन्त्रालय भी सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाएगा।

डा० दिग्विजय सिंह—मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि विश्व मे पेरू जैसे भी कुछ देश हैं जहां अत्याधिक मछली पकड़े जाने के कारण उन क्षेत्रों के समूचे मात्स्यिकी संसाधन खतम हो गए हैं। हम उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक पर्यावरण विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे समुद्र तट पर केंकड़ा, झींगा और महाचिगट जैसे विशेष पपड़ीदार जानवरों को पकड़ने की अत्याधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या अनुसंधान किया जा रहा है। हम कितनी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं ? क्या इस क्षेत्र में कोई अंतमंत्रालीय अनुसंधान किया गया है ? यह पता लगाने के लिए क्या किया गया है कि हमारे देश में झींगा पालन का विकास एक उद्योग के रूप में क्यों नहीं हो पाया है ? कृषि मंत्रालय, मात्स्यिकी और पर्यावरण विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि यह देखा जाए कि वे सभी मैंग्रूव, जहां झींगों का प्रजनन किया जाता है, जो नष्ट किए गए हैं, उन्हें पुनः स्थापित किया जाए। भारत के सभी तटों पर प्रजनन स्थल और सभी मैंग्रूवों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है। अंततः आप यह देखने के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अत्याधिक संख्या में मछली न पकड़ी जाए और मछली पकड़ने के लिए कम लाइसेंस जारी किए जाएं ?

श्री जगदीश टाईटलर : माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका सम्बन्ध सीधे कृषि मंत्रालय से है। मैं विशेषकर अति महत्वपूर्ण मामले के बारे में जिसकी ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर विचार करूंगा और संभवत कुछ न कुछ कर पाने में सफल होंगे।

अनुसूचित जातियों/अनजातियों के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

*317. **डा० पी० वल्लल पेरुमल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को विभिन्न प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तियां दिए जाने के बावजूद अनुसूचित जातियों के पढ़ाई बीच मे छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का उन्हें अन्य वय. सुविधाएं तथा रियायतें देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० पी० वल्लल पेरुमल : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 28 दिसम्बर, 1988 को बताया था कि स्कूलों में अनुसूचित जातियों के छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर बढ़ रही है। यह एक गंभीर समस्या थी। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा की प्रगति दर चिंताजनक रूप से कम थी। यद्यपि सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए 1160 स्कूल खोले थे, उन स्कूलों में पढ़ने वाले 2.43 लाख छात्रों में से केवल 30% छात्र ही स्कूल के अन्तिम वर्ष तक पहुंच पाए। स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले करीब 70% छात्र और डिग्री पाठ्यक्रम पास करने वाले 80% छात्र सम्पन्न परिवारों के थे।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार करेगी जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुसंख्यक परिवार रहते हैं क्योंकि उनके उत्थान का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनके दरवाजों पर स्कूल ले जाए जाएं।

श्री एल० पी० शाही : यह सच है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर बहुत अधिक है। यद्यपि इनकी संख्या नहीं बढ़ रही है तथापि यह संतोषजनक नहीं है क्योंकि स्कूल से निकलने वाले छात्रों की दर अभी भी अधिक है। जहां तक इन लोगों के लिए नवोदय विद्यालय खोलने का सम्बन्ध है, हम संभवत: वर्तमान योजना अवधि में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मुझे खेद से बताना पड़ता है कि तमिलनाडु सरकार अभी तक राज्य में नए नवोदय विद्यालय खोलने में हमारी मदद करने लिए आगे नहीं आई है। जहां तक अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वे विभिन्न विभागों द्वारा दी जाती हैं। शिक्षा विभाग ने अपने सभी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित रखी हैं। इस विभाग ने स्कूल में प्रवेश के मामले में भी

उन्हें रियायतें देने सम्बन्धी निदेश दिए हुए हैं। उन्हें कुछ छात्रवृत्तियां भी दी गई हैं। अन्य सुविधाएं मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात्, होस्टल सम्बन्धी और विभिन्न अन्य सुविधाएं कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही हैं। कुछ राज्य सरकारें इससे भी आगे निकल गई हैं और वे न केवल इन लोगों को अपितु एक विशेष आयु-वर्ग के छात्रों को जिसमें अन्य जातियों के छात्र भी सम्मिलित है, मुफ्त भोजन अथवा वर्दी प्रदान कर रहे हैं।

डा० पी० वल्लल पेरुमल : महोदय, अनुसूचित जातियों के छात्रों को विभिन्न प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी वे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसे रोकने के लिए मैं सुझाव दूंगा कि सरकार दसवीं कक्षा के बाद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की अलग से परीक्षा लेनी प्रारम्भ कर दे। इन छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न पत्र अत्यन्त सरल होना चाहिए। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अलग परीक्षा लेने की कोई योजना है ?

श्री एस० पी० शाही : इस समय अलग परीक्षा की कोई योजना नहीं है किंतु मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मामले में मानक प्राप्तांकों में छूट दे रखी है। जहां तक नवोदय विद्यालयों का सम्बन्ध है, हमारे पास उससे अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के छात्र हैं जितनी संख्या बताई गई थी इससे मालूम होता है कि अनुसूचित जाति के छात्र भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और नवोदय प्रणाली में आ रहे हैं।

श्री पी० कुलनवेलू : जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, वहां पर बीच में शिक्षा छोड़ने वाली की दर बहुत कम है जिसका कारण हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा लाई गई पोषक भोजन योजना है। वहां पर अन्य राज्यों की तुलना में अनुसूचित जाति के तथा निर्धन छात्रों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की दर अत्यन्त कम है। जहां तक नवोदय विद्यालयों का सम्बन्ध है आपने बताया है कि आप ऐसे स्कूल प्रत्येक जिले में शुरू करने वाले हैं। वास्तव में जहां तक भाषा नीति का सम्बन्ध है, हमने केन्द्र सरकार को तथा मानव संसाधन विकास विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि द्विभाषा नीति होनी चाहिए। आप अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों पर भी हिन्दी लाद रहे हैं। इसीलिए हम इन नवोदय विद्यालयों के विरुद्ध है। जब तक आप हमारे संस्थापक नेता श्री अन्नादुराई की द्विभाषा नीति नहीं अपनाते हम नवोदय विद्यालयों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हमने यह स्पष्ट कर दिया है। क्या सरकार अहिन्दी-भाषी राज्यों की मदद करेगी जहां द्विभाषा सूत्र अपनाकर नवोदय विद्यालय शुरू किए जा सकते हैं ?

श्री एस० पी० शाही : नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों की अपनी एक पद्धति है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। उसमें एक राज्य विशेष के लिए छूट देना अत्यन्त कठिन है क्योंकि अन्य राज्यों से भी ऐसी मांग हो सकती है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनवेलू : क्यों नहीं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राष्ट्र भाषा है। मैं जानता हूं, वह ठीक है। देखिए, कुछ बातें राष्ट्रीय एकता के लिए होती हैं। इसमें जबर्दस्ती का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह ठीक पूछा है कि उनका ड्रॉप-आउट क्या है। आप इन्सैंटिव देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, उनको कपड़ा भी देते

हैं और किताबें आदि भी देते हैं तथा होस्टल में सब प्रकार की सुविधाएं भी करते हैं, लेकिन क्या उनकी कोई मोनिटरिंग है ? आपकी तरफ से जो पैसा-पैसा जाता है, क्या वह उन सब लड़कों को ठीक तरह से मिलता है, किताबें मिलती हैं, दूसरी चीजें मिलती हैं, स्कालरशिप मिलती है ? मैं कहता हूं कि नहीं मिलती है। लोग बीच में खा जाते हैं और इस वजह से भी ड्राप-आउट ज्यादा हो रहा है। आप इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था करें। आपके यहां से जो फण्ड जाता, वह अलग-अलग स्टेट्स को और स्टेट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है। उसके बाद फण्ड ठीक प्रकार से लड़कों को मिलता है या नहीं, होस्टल और पंचायत समिति तथा अन्य प्रकार के साधनों के जरिए से, ताकि ड्राप्ट-आउट न हो। क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री० एल० पी० शाही : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोनिटरिंग का सवाल है, हम मोनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय हमें राज्य सरकारों की मारफत ही खबरें मिलती हैं और उन्हीं की मारफत स्कीम को भी एक्जीक्यूट करते हैं। इसलिए जिस राज्य की जैसी अवस्था है, मोनिटरिंग का रिजल्ट उस तरीके का आता है। कुछ राज्य ऐसे है, जो शिक्षा के मामले में पिछड़े है और इस वजह से वहां ड्राप आउट रेट भी कुछ अधिक होता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो इकोनोमिकली अच्छे हैं और एजूकेशनली भी दूसरों की अपेक्षाकृत ठीक है, तो उनका ड्राप आउट रेट कम होगा। यह अलग-अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम मोनटरिंग करें, लेकिन हमारा साधन तो राज्य सरकार ही है, जिसकी मारफत हम करते हैं।

श्री पी० एम० सईद । अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला सवाल ईव-टीजिंग पर भी आ रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया। ड्राप-आउट का जोसवाल अभी उठाया गया, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने आंकड़े देकर बताया कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको मालूम है, आंकड़ों के बारे में एक कहावत है, वह है —"झूठ बिल्कुल झूठ और उसके बाद आंकड़े।" इस तरह से आंकड़े देकर आप सही मायनों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स वाले स्टूडेन्ट्स के ड्राप-आउट को मालूमात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्डट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं, उनमें खासकर महिलाओं के ड्राप-आउट का परसेंटेज ज्यादा है और जो आप उनको बैनिफिट्स, स्कालर-शिप्स आदि देते है, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या सरकार कोई ऐसी तरकीब सोचेगी कि ऐसी स्थिति पैदा न हो ?

श्री एल० पी० शाही : अध्यक्ष महोदय, कई तरकीबें कई राज्य सरकारें अलग-अलग अपनाकर आगे बढ़ रही हैं। उनके रिजल्ट्स को भी वाच करना होगा। जहां तक चौथा एजूकेशनल सर्वे और उसके बाद पांचवां एजूकेशन सर्वे जो हुआ है, उसके बीच गरीब तबके के लोगों को खासकर बच्चियों को, महिलाओं के एडमिशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसको देख कर ऐसा लगता है कि आगे कुछ इसका असर नजर आएगा।

नारियल के लिए साझा बाजार स्थापित करने हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रस्ताव

[अनुवाद]

*320. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नारियल के लिए साझा बाजार स्थापित करने हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्ताव की आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार प्रस्ताव के पक्ष में है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सरकार के विचारों से अवगत करा दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : केरल राज्य में नारियल की कीमतों में भारी कमी आई है और अब भी प्रतिदिन यह कम हो रही है। राज्य में स्थिति चिंताजनक है। केरल की पूरी अर्थव्यवस्था नारियल की कीमतों पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नारियल के न्यूनतम मूल्य घोषित करने के लिए कदम उठायेगी और इसकी खरीद के लिए 'नेफेड' से बातचीत करके प्रबन्ध करेगी।

श्री श्याम लाल यादव : निःसंदेह पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नारियल और खोपरे की कीमतों में कमी आई है। 1987 में एलेप्पी में कीमत 2992 प्रति हजार नारियल थी और खोपरे की कीमत 232 रुपए प्रति क्विंटल थी। खोपरे के लिए अब तक कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया। किंतु 1985-86 में जब कीमतें कम हो रही थीं तब "मार्केट इंटरवेशन स्कीम" चलाई गई थी। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह योजना कार्यान्वित की गई थी तथा उस समय बाजार भाव 1050 रुपए प्रति क्विंटल था। उस योजना के तहत नेफेड तथा केरल सहकारी कृषि विपणन संघ केरल में 30,000 टन खोपरा की खरीद अधिकृत है, लक्षद्वीप में लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ और 'नेफेड' सहमति से तयशुदा 1200 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर औसत किस्म के खोपरा की खरीद के लिए अधिकृत हैं। किंतु केरल में अप्रैल 1986 में हस्तक्षेप के फौरन बाद खोपरा की कीमतों में स्थिरता आई और मुश्किल से 11,000 टन की खरीद की गई। 10,000 टन 'नेफेड' द्वारा खरीदे गए तथा 11,010 टन केरल राज्य सरकारी विपणन संघ द्वारा खरीदे गए। इस वर्ष भी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम बाजार मूल्य पर निगरानी रखे हुए हैं और मार्किट में उतार-चढ़ाव की समीक्षा करते रहते है तथा यदि वांछनीय हुआ तो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेने में कोई हिचक नहीं होगी।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : निर्णय लेने का निर्णय करने के लिए आपका धन्यवाद। किंतु केरल में स्थिति अत्यन्त गंभीर है। पहली सरकार के समय केरल सरकार ने निर्णय लिया था कि विपणन संघ के माध्यम से निश्चित मूल्य पर नारियल की खरीद की जाएगी। किंतु इस सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा निवेदन है कि या तो केन्द्र सरकार केरल के लोगों की मदद करे अथवा आप केरल सरकार से चर्चा करें और राज्य स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए कुछ किया जाना चाहिए। अन्यथा पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को कृषकों को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

श्री श्याम लाल यादव : जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि 1985-86 में केरल राज्य सहकारी विपणन संघ ने 11000 टन खोपरा की खरीद की थी, केरल सरकार, केरल राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप कर सकती है और निःसंदेह 1985-86 में

तत्कालीन सरकार ने कृषकों की सहायता की थी। इसलिए हम तत्काल कदम उठाने के लिए केरल सरकार से कह सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तिलहनों के बारे में अनुसंधान

[अनुवाद]

*306. श्री एच० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तिलहनों के बारे में अनुसंधान और विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) देश में विभिन्न संस्थाओं में इस समय किए जा रहे अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या तिलहनों के बारे में अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में कोई दीर्घकालीन नीति है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के अनुसंधान तथा विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार ने 81.13 करोड़ रु० खर्च किया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(करोड़ में रु०)

क्र० सं०	कार्यक्रम	तीन वर्षों में किया गया खर्च			
		1985-86	1986-87	1987-88	कुल
1.	अनुसन्धान कार्यक्रम	1.96	2.58	4.38	8.92
2.	राष्ट्रीय तिलहन विकास प्रायोजना (एन० ओ० पी० डी०)	26.48	14.04	12.73	53.25
3.	तिलहन उत्पादन ग्रस्ट प्रायोजना (ओ०पी० टी० पी०)*	—	—	18.96	18.96
	कुल	28.44	16.62	36.07	81.13

* कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया।

(ख) अनुसन्धानों की प्रमुख विशेषताओं तथा उनके परिणाम का संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है :

चलाए जा रहे अनुसन्धान

1. वांछित विशेषताओं वाली किस्मों तथा संकर किस्मों का विकास ।
2. विभिन्न तिलहनी फसलों तथा स्थितियों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम फसल प्रणालियों की पहचान ।
3. प्रति यूनिट क्षेत्र, समय तथा निवेश से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने तथा उत्पादकता के स्तर के स्थिरीकरण के लिए उचित उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास ।
4. विभिन्न तिलहनी फसलों के लिए समाकलित कीट तथा रोग प्रबन्ध नीतियों/-प्रौद्योगिकियों का विकास ।
5. किस्मों के नाभिकीय तथा प्रजनन बीजों और संकर किस्मों की जनक सामग्री का उत्पादन ।
6. विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।
7. उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपयोग में लाई जा सकने वाली क्षमता के प्रदर्शन के लिए फार्म पर परीक्षण करना ।
8. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण मूल अनुसन्धानों को चलाना ।

अनुसन्धानों के परिणाम

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान 46 अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया गया । इन किस्मों की तुलना में 15-30 प्रतिशत अधिक उत्पादन देने की क्षमता है (औसत) जैसा अनुबंध-1 में दिया गया है ।
2. किसी खास समूह पर अमल करने लायक कई क्रमिक और अन्त: फसल प्रणालियों की पहचान की गई है ।
3. कई तिलहनी फसलों की खेती से सम्बन्धित वर्तमान तरीकों के बदले अधिक उपज देने वाले साधारण लागत वाली कृषि क्रियाओं का विकास किया गया है और प्रदर्शन किया गया है ।
4. कीट व्याधियों और रोगों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये विभिन्न फसलों और फसल उगाने की विभिन्न स्थितियों के लिए उचित पौध संरक्षण के उपाय विकसित किये गये ।
5. फसल की बढ़वार के समय जब नमी की सख्त जरूरत होती है, फसलों की रक्षा के लिए कम से कम सिंचाई के लाभ पर प्रकाश डाला गया ।
6. विभिन्न तिलहनी फसलों के मूल और प्रजनक बीजों का उत्पादन 1988-89 में बढ़कर 10,000 क्विंटल से अधिक हो गया है (योजना के अनुरूप) 1985-86 में इनका उत्पादन केवल 2762 क्विंटल ही हुआ था ।
7. किसानों में जागरूकता लाने के लिए सिफारिश की गई सुधरी किस्मों/संकरों और टैक्नालाजी का परीक्षण बड़े पैमाने पर खेतों में किया गया ।

8. सुधरी टैक्नालाजी के बारे में 586 मध्यम और उच्च स्तरीय विस्तार कार्यकर्ताओं (अधिकारियों) के लिए 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9. भारी संख्या में विभिन्न तिलहनी फसलों की देशी और विदेशी जर्मप्लाजमों को इकट्ठा किया गया ताकि उनका मूल्यांकन करके भारतीय स्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) जी हां, तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने मई, 1986 में तिलहन पर टैक्नालाजी मिशन शुरू किया। मिशन द्वारा इस सिलसिले में किए गए प्रयास के फलस्वरूप तिलहनों पर एक समेकित नीति तैयार की गई। इसमें फसल सम्बन्धी टैक्नालाजी, किसानों के लिए सहायता सेवाएं, संसाधन के सुधरे तरीकों और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी लाभकर मूल्य और बाजार सम्बन्धी सहायता का ध्यान रखा गया।

अनुबंध—1

अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित की गई किस्म तथा उत्पादन में हुई वृद्धि का विवरण

फसल	विकसित किस्मों की संख्या	किस्मों का नाम	किस्मों से पैदावार में कितनी वृद्धि हुई (प्रतिशत में)
मूंगफली	9	ए० एल० आर० 1, एम०-335, बी० आर० आई-1 (बी०जी०-18) एस०जी०-84, आई०सी०जी०एस०-11, आई०सी०जी० एस०-44, एम०ए०-16, टी०जी०-9, सी०जी०सी०-4018 (गिरनार-1)	10-20
तोरिया-सरसों सरसी	4	आर०एल०-1359, आर०डब्ल्यू०-351,20 (भागीरथी), आर०डब्ल्यू०-85-59 (सरमा), एन० डी० आर०-8501	
तोरिया	3	टी० एस०-15, टी० डब्ल्यू० सी०-3 (पंचाली) पी० टी०-30	10-20
तिल	5	आर० ए० यू० एस० एस०-17-4, टी० एन० ए० यू०-10, टी० सी०289 जे० एस० टी०-7, राजेश्वरी	
अलसी	5	डी० पी० एल०-21 (जीवन), एल० सी० के-152 (गौरव), आर० एल० सी०-6 (किरन), जानकी के० एल०-31 (नगरकोट)	11-18

1	2	3	4
सूरजमुखी	8	एम०एस०एफ०एच०-8, एम०एस०एफ०एच०-10, एम० एस० एफ० एच०-17, सी० ओ०-2, ए० पी० एस० एच०-11, एस० एस०-56, एल० डी० एम० आर० एस० एच०-1, एल० डी० एम० आर० एस० एच०-3	15-30
कुसुम	2	एच० यू० एस०-305, (मालवीय कुसुम 305) एन० आर० एस०-209 (नीरा)	10-20
अरण्डी	1	एस० एच० बी०-18 (जी० सी० एच०-4)	20-26
रामतिल	3	जी० ए०-10, जी० ए०-5, आर० सी० आर०-317	17-20
सोयाबीन	6	पी० के०-564, पी० के०-172, पी० के०-471 बी० एल० सोया-2, जे० एस० 80-21, एम० ए० सी० एस०-58 समान पाठ्यक्रम	15-20

*307. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में समान पाठ्यक्रम लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हुई है; और

(ग) इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलायें

*308. **श्री नर सिंह सूर्यवंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है जिससे कि कृषि कार्य करने वाली महिलाओं को कृषि सम्बन्धी नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त हो सके ताकि उन्हें भी इन क्षेत्रों में होने वाली वैज्ञानिक उन्नति का लाभ प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को कृषि सम्बन्धी नई टैक्नालाजी की जानकारी देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में बाहरी सहायता से "कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण" की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(2) कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और "स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण" की योजना के माध्यम से महिला कृषकों के लिए संस्थानों में और उनके कार्य-स्थलों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) विस्तार प्रशिक्षण तथा दौरा पद्धति के माध्यम से किसानों को, जिनमें कृषक महिलाएं भी शामिल हैं, नई टैक्नालाजी की जानकारी दी जा रही है।

केरल को सूखा राहत सहायता

*312. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पूर्वोत्तर मानसून के न आने के कारण संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) पूर्वोत्तर मानसून के न आने के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केरल सरकार से केन्द्रीय सहायता मांगने से सम्बन्धित कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"मुस्लिम बैल्ट" बनाने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच बातचीत

*313. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उत्तर-पश्चिम में एक "मुस्लिम बैल्ट" बनाने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो गयी है;

(ख) क्या इस प्रायोजन के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में "मुस्लिम बैल्ट" बनाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान और ईरान के बीच कोई बातचीत चल रही है।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि फरवरी, 1989 में ईरान के विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत के उत्तर-पश्चिम में "मुस्लिम बैल्ट" बनाने के सम्बन्ध में ईरान और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"मानव के लिए जल" विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

*314. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मानव के लिए जल" विषय पर फरवरी, 1989 में एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) इस विचार गोष्ठी में जल प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं तथा सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जिस समाधान पर विचार हुआ उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "मानव के लिए जल" विषय पर विचार गोष्ठी 6-7 फरवरी, 1989 को हुई थी।

विचार गोष्ठी में मुख्यत: संगठन, आंकड़ा आधार (डाटा बेस), संचार, स्वास्थ्य, सिंचाई, टैक्नालाजी और पर्यावरण से सम्बन्धित जल प्रबन्ध के व्यापक पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

विचार गोष्ठी में हुई आम सहमति संलग्न विवरण के रूप में दर्शायी गई है।

विवरण

6-7 फरवरी, 1989, नई दिल्ली

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

सेमिनार जल प्रबन्ध में फ्रांस के अनुभवों, प्रणालियों, विश्लेषणों की भारत के वर्तमान अनुभवों के साथ तुलना करने के लिए आयोजित की गई थी। सेमिनार में यह अनुभव किया गया कि हालांकि पानी पुन: उपयोग में लाये जाने वाला संसाधन है, यह आने वाले दशक में विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक संसाधन होगा और देश में, वास्तव में विश्व में, इसे कार्यक्रमों की आयोजना और गतिविधियों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उपलब्ध जल-संसाधन की बढ़ती हुई कमी को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

संगठन :

समूह ने इस बात को माना कि प्रत्येक देश में, जल नीति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए और यह महसूस किया कि आज जल सम्बन्धी संगठनात्मक मुद्दों पर एक राष्ट्रीय अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन में संगठनात्मक ढांचों और देश में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर उनके परस्पर सम्बन्धों पर प्रकाश डाला जायेगा। समूह ने सरकार को यह सुझाव दिया कि जल प्रबन्ध के लिए एक समन्वित नीति विकसित करने के उद्देश्य से ऐसा अध्ययन तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।

आंकड़ा आधार (डाटा बेस) :

यह महसूस किया गया कि हालांकि अलग-अलग संगठनों ने काफी आंकड़े एकत्र किए हैं, परन्तु आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली में समन्वय की आवश्यकता है और सूचनाएं सबको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस बात की सिफारिश की गई कि जल के बारे में एक केन्द्रीकृत आंकड़ा आधार होना चाहिए जो सरकारी और गैर-सरकारी सभी एजेंसियों और साथ-ही-साथ जनता के हरेक प्रतिनिधि को उपलब्ध होना चाहिए ताकि केन्द्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आंकड़ा आधार में पानी की मात्रा, उपलब्धता और साथ-ही-साथ गुणवत्ता और पानी से सम्बन्धित परियोजनाओं के ब्यौरे शामिल होने चाहिए। इसमें खपत के पैटर्न, मांग के अनुमानों को भी दर्शाया जाना चाहिए और यह स्वरूप में गतिशील होना चाहिए।

संचार :

सम्मेलन में जल संचार/प्रचार की तकनीकों, नई प्रौद्योगिकियों को प्रकाश में लाने की प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता को दृष्टिगोचर करने पर आम सहमति व्यक्त की गई। पेयजल के प्रबन्ध, कृषि और प्रदूषण प्रबन्ध में महिलाओं की भूमिका को अनिवार्य माना गया है। प्रणाली के वास्तविक रख-रखाव और साथ ही महिला लाभार्थियों के लिए योजनाएं बनाते समय जल समितियों में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। संचार नीति के लिए लक्षित वर्ग महिलायें होनी चाहिएं। विभिन्न मॉडल प्रयोग में लाये जाने चाहिए और विभिन्न सामाजिक-भू-भौगोलिक वातावरण के अनुरूप उन्हें और विकसित किया जाना चाहिए।

जल और स्वास्थ्य :

इसके लिए आम सहमति हुई कि एक ओर इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता का पता लगाने और दूसरी ओर, सभी जल प्रबन्धों और पानी के स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के विभिन्न पहलुओं पर ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी लोगों के प्रशिक्षण कार्यों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, जल सप्लाई और इंजीनियरिंग, शिक्षा क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए। सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संरक्षणात्मक नीति पर बल दिया जाना चाहिए और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को रोकने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोकना चाहिए।

पानी तथा सिंचाई :

यह सिफारिश करने के लिए सहमति हुई थी कि और अधिक कम लागत वाले सिंचाई साधनों के सृजन की सम्भावनाओं का एक अध्ययन किया जाए। जल की उत्पादकता और वितरण की क्वालिटी पर बल दिया जाना चाहिए। पानी की बचत करने और पानी को बेकार जाने से रोकने का कार्यक्रम बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य लोगों की पानी की अहमियत के प्रति जागरूक बनाने का होना चाहिए।

प्रौद्योगिकी :

विकास में एक प्रणालीबद्ध प्रबन्ध की परियोजना विकसित करने और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया गया है और भारतीय प्राथमिकताओं के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया है।

(क) प्रदूषण पर नियंत्रण और भूगत जल-स्रोतों को प्रदूषण रहित करना।

— भूगत जल-स्रोतों का प्रबन्ध और सम्भूति

(ख) पेयजल शुद्धिकरण हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियां, जैसे :

—ओजोनाइजेशन

—झिल्लियां

—पानी को फ्लोराइड रहित करने की प्रौद्योगिकियां

इसमें कम लागत वाली, गांव की पारिवारिक प्रौद्योगिकियां शामिल होनी चाहिएं।

(ग) कम लागत पर सफाई और स्थल पर ही निपटान तथा उपचार प्रणाली

(च) पानी के पुनः और बार-बार प्रयोग के लिए बेकार पानी को शुद्ध करने की उन्नत प्रौद्योगिकियां

(छ) जल वितरण, जल रिसाव रोकने, कम्प्यूटर से नक्शे बनाने के मैकेनिकल इंजीनियरी पहलुओं का विकास ।

(च) गैर-परम्परागत ऊर्जाओं (बायोमास, हवा, लहरों) और विशेष रूप से सोलर फोटो-वाल्टिक ऊर्जा का प्रयोग ।

जल तथा पर्यावरण :

प्रयोक्ता और प्रणाली के बीच मतभेद को कम करने और संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से संसाधनों के संरक्षण के बहु-उद्देशीय प्रयास विकसित करने के लिए एक अध्ययन किया जाना चाहिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए इस नीति के आधार पर पानी का वितरण किया जाना चाहिए । औद्योगिक और शहरी प्रदूषण की वर्तमान स्थिति का तत्काल एक अध्ययन किया जाना चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए । औद्योगिक स्पिंग स्पार और हाइड्रोथर्मल स्रोतों के संरक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए । संरक्षण की एक आम नीति होनी चाहिए ।

संक्षेप में, सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी लोगों ने इस क्षेत्र में उठने वाले तकनीकी, पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से आपसी सम्बन्धों पर बल दिया और सम्मेलन के शीर्षक को न्यायोचित ठहराया । फ्रांस के प्रतिनिधियों को भारतीय जल क्षेत्र के विस्तृत आकार और कार्यवाही के लिए पर्याप्त सम्भाव्यता के बारे में जानकारी दी गई । अपनी ओर से वे उन पता लगाये गए क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे जिनमें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में मानार्थ सहकारी अनुसंधान तथा विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर दे सकेंगे । यह वांछनीय समझा गया कि यह बातचीत यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए और यह सुझाव दिया गया कि फ्रांसीसी पक्ष की ओर से मिलने वाले समर्थन और विज्ञान, अनुसंधान तथा विकास, अपेक्षित मानवशक्ति के संयुक्त प्रशिक्षण और अन्य विषयों पर संयुक्त कार्यवाही, भारतीय पक्ष के लिए प्राथमिकताओं और व्यवहार्य कदमों की समीक्षा करने के लिए तीन महीने के भीतर एक अनौपचारिक बैठक होनी चाहिए ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पायोनियर श्रेणी के जलपोतों हेतु इन्जनों की खरीद

*316. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने उनके द्वारा निर्मित पायोनियर श्रेणी के जलपोतों हेतु मुख्य एवम् सहायक इंजनों के लिए पश्चिम जर्मनी की एक फर्म को आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने मुख्य और सहायक इंजिन खरीदे गए और उन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुलभ मुद्रा वाले देशों से इस प्रकार की मशीनें खरीदने की संभावना पर विचार किया था; और

(घ) यदि सुलभ मुद्रा वाले देशों से खरीददारी की जाती तो कितनी धनराशि की बचत होती ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 1971-76 की अवधि के दौरान 1154 लाख रुपये की कुल लागत पर पश्चिमी जर्मनी की फर्म मेसर्स ब्लोहम एण्ड बोस ए० जी से 10 मुख्य इंजिन खरीदे गये। इस फर्म से कोई सहायक इंजिन नहीं खरीदा गया था।

(ग) और (घ) मुख्य इंजिनों की खरीद के लिए 1971 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की पहली विश्व व्यापी पूछताछ के उत्तर में साफ्ट करेंसी क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि; 1975 में सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन पायनियर क्लास जहाजों की शृंखला में पोलैंड में निर्मित सुलजर इंजिनों को लगाने की संभावना पर विचार किया था। चूंकि डिजाइन में काफी परिवर्तन निहित थे, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त खर्च और अधिक समय लगने के कारण इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया था।

अत: इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं है कि यदि साफ्ट करेंसी क्षेत्रों से मुख्य इंजिन खरीदे जाते तो कुछ बचत होती।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय मछुआरे

*318. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय मछुआरे बहुत समय से पाकिस्तानी जेलों में बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय उनकी संख्या कितनी है और वे कब से जेल में बन्द हैं;

(ग) क्या उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान की जेलों में कुल मिलाकर 46 भारतीय मछेरे और नौकर्मी हैं (33 मछेरे जो 26-10-88 से हैं और 13 नौकर्मी 8-2-89 से)।

(ग) और (घ) सरकार उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सरकार से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

*321. कुमारी ममता बनर्जी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण में प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह परियोजना अनुमानत: कब तक पूरी होगी; और

(ग) परियोजना के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कलकत्ता में निर्माणाधीन दूसरा हुगली पुल राज्य की सड़क पर पड़ता है और इसलिए यह पश्चिम बंगाल सरकार

की जिम्मेदारी है। 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार खण्डवार प्रगति निम्न प्रकार है :—

खण्ड I (कलकत्ता की ओर एप्रोच)	:	96.44%
खण्ड II (हावड़ा की ओर एप्रोच)	:	85.43%
खण्ड III (मुख्य पुल)	:	76.00%

पुल को दिसम्बर, 1990 तक बनकर तैयार हो जाना था, अब पायलनों को खड़ा करने के लिए लगाए गए एक क्रेन का जनवरी, 1989 में ब्रेक डाउन हो जाने के कारण इसमें और विलम्ब हो जाने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के साथ छेड़खानी

*322. श्री पी० एम० सईद : जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम और निगम के अधीन चल रही निजी बसों के कुछ ड्राइवरों और कंडक्टरों को विद्यालयों की छात्राओं से छेड़खानी करने के अपराध में गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) पुलिस ने दोषी ड्राइवरों और कंडक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के परमिट पर चल रही एक प्राइवेट बस के कर्मचारियों द्वारा 13-2-89 को छेड़छाड़ के बारे में दो स्कूली छात्राओं से शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

दिल्ली में पासपोर्ट कार्यालय

*324. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पासपोर्ट कार्यालय में पर्याप्त स्थान तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण जनता को कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में एक नये पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं। पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में जगह की कमी तो है लेकिन पासपोर्ट आवेदनपत्रों को स्वीकार करने के लिए एक खिड़की प्रणाली और आवेदकों की सहायता के लिए सुविधा काऊंटर का इस्तेमाल करके जनता की सुविधा का सुनिश्चय किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

कोचीन-मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए आवंटन

*325. श्री आर्थ जोसफ मुंडाकल : क्या जल-भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में घोषित कोचीन मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) विकास कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इसको फरवरी, 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार को खामियों के अभिनिर्धारण और अपेक्षित विकास करने के लिए सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है। इस सड़क के लिए अलग से कोई धनराशि नहीं रखी गई है क्योंकि इस संबंध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन

2·82. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) खनिज भंडारों के वैज्ञानिक विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) सोवियत संघ में विकसित प्रौद्योगिकी "स्मेल्टिंग इन मेल्ट" में "कापर कानसेन्ट्रेट" के परीक्षण में क्या प्रगति हुई है;

(घ) मलंजखंड में निम्न श्रेणी के अयस्क से तांबे के विशालन (स्मेल्टिंग) और "इलेक्ट्रो विनिंग" की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) तांबा-शोधन के लिए "पी० आर० सी०" प्रौद्योगिकी के बारे में क्या प्रगति हुई; और

(च) सोवियत संघ से एल्यूमिनियम सिलिकान एलाय के उत्पादन के लिए यह प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) नागपुर में स्थापित हो रहा जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास एवं डिजाइन केन्द्र स्वायत्त समिति के रूप में पंजीकृत है। इसके लिए, महाराष्ट्र सरकार से जमीन मिल गई है तथा मेकन (इंडिया) को परामर्शक नियुक्त किया गया है। परियोजना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनीडो) से मदद मिल रही है।

(ख) खनिज निक्षेपों का विकास मूलतः खनन, खनिज स्रोत सूची, खनिज अर्थवत्ता एवं गवेषण क्षेत्रों में भारतीय खान ब्यूरो; भारतीय भूसर्वेक्षण एवं खनिज गवेषण निगम के कार्मिकों की प्रौद्योगिक क्षमताओं के उन्नयन हेतु मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के रूप में करने की प्रकल्पना थी, जो संबंधित क्षेत्रों में विख्यात विशेषज्ञता वाले संगठनों/प्रोजेक्टों में प्रशिक्षण द्वारा किया जाएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास तकनीकी सहयोग विभाग की सहायता से शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षित किये जाने वाले कार्मिकों का चयन किया जा रहा है।

(ग) ये स्कीम यूनीडो मदद से चलाई जा रही है। तांबा सान्द्रों का सोवियत रूस में स्मेल्टिंग इन मेल्ट (द्रवधातु में प्रगालन) तकनीलोजी के अन्तर्गत प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण किया गया और

सांद्रों को प्रारम्भिक तौर पर प्रोसेस द्वारा शोधन के उपयुक्त पाया गया। बाद में, तांबा प्रद्रावक में निर्मित गांठों एवं गुल्मों (स्विटर्म एण्ड पाइ-राइटस) के नमूने भी उक्त तकनीलोजी के अन्तर्गत परीक्षण हेतु सोवियत रूस भेजे गये।

(घ) यूनीडो मदद से ये स्कीम मलांजखण्ड में निम्न ग्रेड अयस्क से तांबा निकालने की तकनीलोजी विकसित करने के लिए चलाई जा रही है। तीन विदेशी विशेषज्ञों ने हिन्दुस्तान कापर लि० के मलांजखण्ड प्रोजेक्ट में लीचिंग प्रोसेस के मूल्यांकन हेतु दौरा किया था। उन्होंने पहले से जारी आक्साइड अयस्कों की रसायन लीचिंग परियोजना तथा निम्न ग्रेड सल्फाइड अयस्कों की बायो-लीचिंग के प्रौटोटाइप निर्माण परियोजना पर तकनीकी सलाह एवं सहायता दी। उनकी अंतरिम सिफारिशों पर, मलांजखण्ड प्रोजेक्ट में एक सूक्ष्म जैविक प्रयोगशाला लगाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है, जो बायो-लीचिंग कार्यों हेतु व्यावहारिक परीक्षणों में आवश्यक मदद देगी।

(ङ) ये कार्यक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० में तांबा शोधन हेतु पीरियोडिक रिवर्स करेंट (पी० आर० सी०) प्रौद्योगिकी अपनाने के फायदों की जांच हेतु यूनीडो की मदद से चलाने का प्रस्ताव था। यूनीडो को कम्पनी के इंडियन कापर कम्प्लेक्स में प्रायोगिक संयंत्र परीक्षणों में तकनीकी सहायता हेतु एक विशेषज्ञ तैनात करना था। यूनीडो ऐसा विशेषज्ञ अभी तक नहीं दे पाया है।

(च) योजना यूनीडो की मदद से चालू है। एल्यूमिनियम—सिलिकान एलाय के निर्माण हेतु कच्चे माल के नमूने प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा सोवियत रूस भेजे गये हैं। परीक्षणों पर हाल ही में प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट पर इस समय नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी और सोवियत विशेषज्ञ दल के बीच बातचीत चल रही है और अगर प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन अनुकूल रहा तो, प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण किये जाएंगे।

महाराष्ट्र में महिलाओं को वित्तीय सहायता

2883. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने जिससे कि वे कुटीर उत्पादों का उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में इस समय ऐसी कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं और वे किस प्रकार की हैं; और

(ग) इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकान

2884. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1988-89 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने मकान बनाये गये ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बनाए गए सूचित मकानों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में बनाए गए सूचित मकानों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बनाए गए सूचित मकानों की संख्या	सूचित करने की अवधि
1.	आंध्र प्रदेश	5446	दिसम्बर 88
2.	अरुणाचल प्रदेश	असूचित	जून
3.	असम	247	सितम्बर
4.	बिहार	9939	दिसम्बर
5.	गोवा	असूचित	जून
6.	गुजरात	2937	दिसम्बर
7.	हरियाणा	255	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	83	जून
9.	जम्मू और कश्मीर	असूचित	सितम्बर
10.	कर्नाटक	286	सितम्बर
11.	केरल	5943	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	2237	सितम्बर
13.	महाराष्ट्र	740	जून
14.	मणिपुर	2	जून
15.	मेघालय	98	दिसम्बर
16.	मिजोरम	65	दिसम्बर
17.	नागालैंड	122	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	3004	दिसम्बर
19.	पंजाब	असूचित	दिसम्बर
20.	राजस्थान	2206	सितम्बर

1	2	3	4
21.	सिक्किम	असूचित	सितम्बर
22.	तमिलनाडु	18512	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	225	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	14691	दिसम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	2899	सितम्बर
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	असूचित	सितम्बर
27.	चण्डीगढ़*	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	असूचित	दिसम्बर
29.	दमन व दीव	असूचित	—
30.	दिल्ली	असूचित	दिसम्बर
31.	लक्षद्वीप	असूचित	दिसम्बर
32.	पांडिचेरी	95	सितम्बर
	अखिल भारत	70032	

* ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसकी इंदिरा आवास योजना एक उप-योजना है जिसका 1987-88 से संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।

पंचायती राज प्रणाली संबंधी समिति

2885. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उपाय और युक्तियों का सुझाव देने हेतु गठित समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या यह समिति सार्वजनिक सुनवायी भी करेगी; और

(घ) इस समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की लक्ष्य तारीख क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस विभाग द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल

[हिन्दी]

2886. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान कितने नये प्राइमरी स्कूल खोले गए और वर्ष 1989-90 में कितने स्कूल खोले जायेंगे;

(ख) क्या राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े जिले हैं और इन जिलों में और इन जिलों में और अधिक प्राइमरी स्कूल खोलने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर नए प्राइमरी स्कूल कब तक खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम के अन्तर्गत, अब तक गुजरात में 6 नये प्राइमरी स्कूलों, जम्मू एवं काश्मीर में 67 और राजस्थान में 396 स्कूल खोलने के लिए प्रशासनिक संस्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में साक्षरता की दर बहुत कम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना के अनुसार 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों (जनजातीय, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामले में 200) में सातवीं योजना के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल प्रदान किया जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 300 से अधिक जनसंख्या वाले चार सीमावर्ती जिलों अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर के 13 पंचायत समितियों में 294 गांव बिना प्राइमरी स्कूलों के हैं और 250-300 की जनसंख्या वाले 102 गांव बिना प्राइमरी स्कूलों के हैं। इन बस्तियों में 396 प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। राज्य सरकार यथासम्भव शीघ्र इन स्कूलों को आरम्भ करने का प्रयास कर रही है।

अलफैंसो आमों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

2887. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग और रत्नगिरि जिलों में पैदा होने वाले अलफैंसो आम बहुत अच्छी किस्मों में से है और इनकी बहुत अधिक मांग है;

(ख) क्या राज्य द्वारा आमों पर लगाये गये नये कर से आमों की बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन करों का असर समाप्त करने हेतु कुछ केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ताकि आमों के निर्यात एवं देश में इसकी खपत में वृद्धि की जा सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कोई नए कर नहीं लगाए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गेहूं के बीजों का उपचार

2888. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हाल ही में गेहूं की अधिक उपज वाले बीजों को बोने से पहले उनके उपचार की नई तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में विदेशी सहायता प्राप्त नारियल की खेती का कार्यक्रम

2889 **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार का राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त नारियल की खेती के कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन देशों ने सहायता दी है; और

(ग) कर्नाटक में अब तक आरम्भ किये गये अन्य नारियल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) इस समय कर्नाटक में कोई विदेशी सहायता प्राप्त नारियल की खेती का कार्यक्रम कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना के दौरान अब तक नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कर्नाटक में शुरू किए नारियल विकास कार्यक्रमों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा कर्नाटक में शुरू किए गए नारियल विकास कार्यक्रम

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	वास्तविक		वित्तीय		टिप्पणी
	सातवीं योजना लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना परिव्यय	उपलब्धि	
1. टी० × डी० नारियल पौधों का उत्पादन और वितरण (संख्या)	1,25,000	80,229	10.966	6.599	जारी है
2. सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना (पम्पसैटों की संख्या)	1,700	850	10.000	11.000	,,
3. मच्छरया फार्म से संलग्न नारियल नर्सरी (पौधों की संख्या)	71,000	59,806	12.340	6.212	,,
4. पत्ती खाने वाले केटरपिलरों पर गहन नियंत्रण (मिलियन में)	3.00	3.9	3.4215	2.139	,,
5. क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)	2,050	3968.18	38.50	61.752	,,
6. नहर किनारों पर नारियल पौधरोपण (लगाई गई पौधों की संख्या)	13,000	6,5000	6.100	1.818	,,

1	2	3	4	5	6
7. डी० × टी० संकर पौधों के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यानों की स्थापना (है०)	200	200	1.50	1.50	,,
8. मण्डया में नारियल के लिए प्रदर्शन व बीज उत्पादन फार्म की स्थापना (हैक्टेयर में)	20 हैक्टेयर	20 हैक्टेयर	13.89	16.30	जारी
9. नारियल के लिए पैकेज योजना।					
कवर किया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	10,000 हैक्टेयर	10,000 हैक्टेयर)	7.7	7.832	योजना पूरी
प्रदर्शन खंड (संख्या)	400	400)			हो गई है
10, क्षेत्रीय नारियल पौधशालाओं की स्थापना (पौधशाला एकक)	1	1	2.00	0.711	पौधशाला स्थापित
11. टी० × टी० संकर पौधों के उत्पादन के लिए 40 उत्कृष्ट बीज बागों की स्थापना	200, हैक्टेयर	200 हैक्टेयर	1.5	1.5	की गई है कायम है
12. सूखे द्वारा प्रभावित नारियल जोतों की पुर्नस्थापना					
पम्पसैटों का वितरण	500	}	16.55		योजना
ड्रिप सिंचाई एकक	950				कार्यान्वित की
नारियल पिक अप	80				जा रही है।

इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि

2890. श्री मोहन भाई पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात-उत्पादों और लौह अयस्क के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे अन्य उत्पादों के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) दिनांक 21-2-85 से लोहे तथा इस्पात की विभिन्न मदों की संयुक्त संयंत्र समिति के आधार मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) लोहे तथा इस्पात के उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि करना; उन्नत उत्पादकता के द्वारा उत्पादन लागत को नियन्त्रित करना।

विवरण

आलक्ष/आंध्र लिए गए लोहे तथा इस्पात (रेल पर्यन्त निष्प्रभार मूल्य) के जे० पी० सी० के आधार मूल्य

(रुपए/टन)

	21-2-85	24-12-87	1-3-88	1-4-88	8-1-89	1-3-89
श्रेणी						
1. प्लेटें						
(i) 5 मि० मी०	6360	7690	7710	7750	8525	8735
(ii) 5 मि० मी० से ऊपर 10 मि० मी० तक	6369	7690	7710	7750	8400	8630
(iii) 10 मि० मी० से ऊपर	6780	8260	8280	8320	9070	9300
2. संरचनात्मक						
(i) कड़ी	6140	7050	7070	7110	7410	7555
(ii) चैनल	6030	6850	6870	6910	7210	7355
(iii) असमान कोण तथा बीम सेक्शन (बीम पाइलिंग शामिल है)	6909	7750	7770	7810	8110	8255

1	2	3	4	5	6	7
(ii) अन्य	6030	6550	6570	6610	6910	7055
3. अर्द्ध तैयार इस्पात						
(i) ब्लूम	3840	4650	4670	4710	5010	5155
(ii) स्लैब	4040	4850	4870	4910	5210	5355
(iii) बिलेटों, आर० सी० स्क्वेयर, सतत ढलाई बिलेटें	4200	5050	5070	5110	5410	5555
4. क्वायलों/सीधी लम्बाई में छड़ें तथा गोल छड़ें						
(i) 5.5 मि० मी० से 12 मि० मी०	5150	6000	6020	6060	6360	6505
(ii) 12 मि० मी० से ऊपर और 36 मि० मी० तक	4900	5750	5770	5810	6110	6255
(iii) 36 मि० मी० से ऊपर	5100	5800	5820	5860	6160	6305
5. चपटे						
(i) 5 मि० मी० और उससे कम मुटाई	5210	6060	6085	6125	6425	6635
(ii) 5 मि० मी० से अधिक मोटाई	5220	6060	5085	6125	6450	6595
6. जी० पी० शीट्स/क्वायलें						
(i) 16-20 जी० (1.6 से 1.0 मि० मी०) मोटा	7890	9060	9110	9150	9850	10130
(ii) 20 जी० 24 जी० पतला (1.0 मि० मी० से 0.6 मि० मी०, 6 मि० मी०)	8900	9480	9530	9570	10270	10550
(iii) 26 जी० (0.5 मि० मी०) से 28 जी० 30 जी०	10550	9560	9610	9650	10330	10630

1	2	3	4	5	6	7
(iv) (0.4/0.3 मि० मी०)	11390	9720	9770	9810	10510	10790
7. जी० सी० शीट्स/क्वायलें						
(i) 16-20 (जी०) (1.6 से 1.0 मि० मी०) मोटा	7940	9110	9160	9200	9900	10180
(ii) 20 जी० (1.0 मि० मी०) से 24 जी० (.6 मि० मी०) से पतला	8950	9530	9580	9620	10320	10600
(iii) 26 जी० (0.5 मि० मी०)	10600	9610	9660	9700	10400	10780
(iv) 28 मि० मी०/30 जी० (0.4/0.3 मि० मी०)	11440	9770	9820	9860	10560	10840
8. गर्म वेल्लित क्वायलें/ स्केल्प/चादरें						
(क) स्केल्प						
(i) 3.15 मि० मी० और उससे कम मुटाई	6090	7340	7365	7405	8325	8535
(ii) 3.15 मि० मी० से ऊपर	5930	7180	7205	7245	8165	8375
(ख) गर्म वेल्लित क्वायलें						
(i) 3.15 मि० मी० और इससे कम	6190	7600	7625	7665	8785	8995
(ii) 3.15 मि० मी० से ऊपर तथा 5 मि० मी० से कम की मुटाई	6030	7470	7495	7535	8655	8865
(iii) 5 मि० मी० मोटा	6230	7640	7660	7700	8765	8975
(iv) 5 मि० मी० से ऊपर तथा 10 मि० मी० तक की मोटाई	6230	7640	7660	7700	8620	8765
(ग) गर्म वेल्लित चादरें						
(i) 14 (जी०) (2 मि० मी०) और इससे मोटा	6520	7900	7925	7965	9085	9295

1	2	3	4	5	6	7
(ii) 16 जी०-20 जी० (1.6 से 1.0 मि० मी०) मोटा	6790	8000	8025	8065	9185	9395
(iii) 20 जी० (1.00 मि० मी०) से पतला	7290	8500	8525	8565	9685	9895
9. ठण्डे बेल्लित क्वायलें						
(i) 14 जी० (2 मि० मी०) और इससे मोटा	7790	8780	8820	8860	9830	10025
(ii) 20 जी० (1.0 मि० मी०) से नीचे 14 जी० (2 मि० मी०) मोटा	8100	8990	9030	9070	10040	10245
(iii) 20 जी० से नीचे (1.00 मि० मी०) मोटा	8330	9320	9360	9400	10370	10565
10. ठण्डे बेल्लित चादरें						
(i) 14 जी० (2 मि० मी०) और इससे मोटा	7860	8850	8890	8930	9990	10285
(ii) 20 जी० (1.0 मि० मी०) से नीचे 14 जी०) (2 मि० मी०) मोटा	8070	9060	9100	9140	10200	10395
(iii) 20 जी० से नीचे (1.0 मि० मी०) मोटा	8400	9390	9430	9470	10530	10725
11. कच्चे लोहे						
एल० एम० ग्रेड-4	2690	3170	3175	3200	3600	3730

टिप्पणी : दिनांक 1-4-88 और 8-1-89 के बीच कुछेक श्रेणियों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(i) दिनांक 13-10-88 से गर्म बेल्लित क्वायलों/चादरों तथा स्केल्पों पर प्रति टन 270/- रुपये तथा दिनांक 22-12-88 से कच्चे लोहे पर प्रति टन 200/- रुपये शेष निर्यात पूल निधि (बी० आई० पी० एफ०) उगाही ।

(ii) दिनांक 2-11-1988 से मदों के सामने उत्पाद शुल्क की उगाही नीचे दिखाए गए हैं :

	(रुपये/टन)
(क) चपटे (5 मि० मी० से ऊपर)	25
(ख) प्लेटें (5 मि० मी० मोटा)	125
(ग) गर्म बेल्लित क्वायलें (5 मि० मी० मोटा)	145

उड़ीसा में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना

2891. श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्य तेजी से करने और उसे निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) परियोजना की विभिन्न यूनिटों के चालू होने की अनुमोदित संचालन तारीख और वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

यूनिट	अनुमोदित संचालन तारीख	वर्तमान स्थिति
1. बाक्साइट खान	नवम्बर, 1985	समय पर चालू होकर जनवरी, 1987 से उत्पादनरत ।
2. एल्यूमिना संयंत्र	सितम्बर, 1986	बाक्साइट पिसाई खंड समय पर चालू हुआ और यहां अगस्त, 1987 से फूंके हुए एल्यूमिना (फेल-1) का नियमित उत्पादन हो रहा है। फेज-2 भी पूरा होने के बाद जून,1988 से उत्पादनरत है ।
3. पत्तन सुविधाएं	दिसम्बर, 1985	समय पर तैयार होकर इस्तेमाल में है ।
4. ग्रहीत बिजलीघर	2 यूनिटें, दिसम्बर, 1986	प्रथम दो यूनिटें मार्च, 1987 में बनकर चालू हुई । अब सभी पांच यूनिटें अब चालू हो गई है ।
5. एल्यूमिनियम प्रद्रावक	दिसम्बर, 1986	इसका संचालन 28 मार्च, 1987 को प्रथम पौट को ऊर्जा सज्जित किये जाने के साथ हुआ। आरंभिक कठिनाइयों के निवारण के बाद, प्रद्रावक को उत्तरोत्तर चालू किया जा रहा है। 1988 89 में लगभग 80,000 टन एल्यूमिनियम उत्पादन की आशा है। प्रथम पोट लाइन मार्च, 1989 के अंत तक पूरी तरह चालू होने की आशा है। द्वितीय पौट लाइन परिचालन हेतु तैयार है, परन्तु इसे प्रौसेस लाइसेंसधारी एल्यूमिनियम पेचीने ऑफ फ्रांस की सलाह के अनुसार, प्रथम पौट लाइन के स्थायित्व में आने के बाद, चालू किया जायेगा ।

राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा में खनिजों का पता लगाया जाना

2892. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में किन-किन क्षेत्रों में खनिजों का पता लगाया जायेगा;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य के कुछ क्षेत्रों की भी खनिजों का पता लगाने संबंधी कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) खनिज गवेषण सतत कार्य चलने वाला कार्य है और यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष के अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में किया जा रहा है।

चालू फील्ड सत्र (अक्तूबर, 1988 से सितम्बर, 1989) में उड़ीसा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बोलंगीर, सम्बलपुर, कालाहान्डी, कोरापुट तथा फूलबनी के कुछ भागों में ग्रेफाइट के लिए; पूर्वी घाट ग्रुप और आयरन और सुपर ग्रुप राक को पृथक करने वाले प्रमुख भू-संधि क्षेत्र में आधार धातु के लिए मयूरभंज जिले में स्वर्ण तथा भारी धातुओं के लिए बोनाई-क्योंझर पट्टी, जिला कोरापुट में मैंगनीज के लिए, कटक जिले की सुकिन्दा पट्टी में क्रोमाइट के लिए तथा तलचर भू-भागों और ईब नदी कोलफील्ड में कोयले के लिए खोज शामिल है। फील्ड सत्र 1989-90 के लिए भारतीय भूवैज्ञानिम सर्वेक्षण का अपेक्षित गवेषण कार्यक्रम सितम्बर, 1989 तक तैयार होगा।

खनिज गवेषण निगम लि० (केन्द्र सरकार का उपक्रम), अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार, देश में खनिजों के लिए विस्तृत गवेषण करता है, जिसके लिए कुछ धन प्रोन्नति परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान के तहत भारत सरकार से तथा कोयला एवं अन्य खनिजों के लिए कुछ धन, ग्राहकों और निगम के बीच परस्पर करार के अनुसार, ठेका-आधार पर प्राप्त होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) उड़ीसा राज्य में सतत खनिज खोज प्रयासों से, 1985-87 के दौरान 7.60 मिलियन टन मैंगनीज और 14.75 मिलियन टन क्रोमाइट अयस्क भंडारों की अतिरिक्त खोज हुई। खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में प्रमाणित विभिन्न खनिजों की 31-12-1988 की स्थिति इस प्रकार है :—

खनिज	जिला	भंडार (मि० टन)
(1) बाक्साइट	कोरापुट सम्बलपुर बोलंगीर	726.730
(2) कोयला	धेंकनाल	2529.523
(3) तांबा	मयूरभंज	0.329
(4) निकिल	कटक	64.590

कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए विश्व बैंक की सहायता

[हिन्दी]

2894. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की सहायता से लगाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, विश्व-बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से 238.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से सहकारी क्षेत्र में कृषि परिसंस्करण और तेल-बीज आधारित तथा सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना के लिए एन० सी० डी० सी०-3 कृषि-औद्योगिक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

दसवीं कक्षा के लिए "ग्रेडिंग" प्रणाली

[अनुवाद]

2896. **श्रीमती मनेम्वा अंजैया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) ने विद्यालयों में दसवीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए ग्रेडिंग-प्रणाली आरम्भ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विषयों में अंक प्रदान किए जाने की प्रणाली की तुलना में ग्रेडिंग प्रणाली के क्या लाभ हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बोर्डों/विद्यालयों में इस प्रणाली को लागू करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में, जिसमें अंकों के स्थान पर ग्रेडों के प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा X तथा कक्षा XII के अन्त में माध्यम तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं के बारे में ग्रेडिंग तथा स्केलिंग आरम्भ करने का सुझाव दिया है।

(ख) अंकों के रूप में छात्र के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में एक त्रुटि यह है कि अक्सर अंकों को छात्र की योग्यता का नितान्त और अचूक उपाय समझा जाता है जो सच नहीं है। आम तौर पर दो अथवा दो से अधिक छात्रों द्वारा एक विषय में अर्जित अंकों के बीच अन्तर की अपेक्षा मापन की चूक अधिक व्यापक होती है। अतः शून्य से 100 प्वाइंट वाले मान पर नितान्त अंक दो छात्रों के बीच

उचित अन्तर नहीं कर सकते, जिनके अंकों में बहुत ही अत्यन्त आंशिक अन्तर है। छात्र को दिए गए अंकों से प्रायः न केवल उसकी योग्यता झलकती है, अपितु जांचकर्ता के अंक देने का स्तर भी झलकता है, अर्थात जांचकर्ता चाहे उदार हो अथवा कठोर हो। अतः परीक्षा के अंकों का मात्र सापेक्ष मूल्य है और ये नितान्त मूल्य नहीं हो सकता। यह भी देखा गया है कि जांचकर्ता उत्तर लिपियों में दर्जा प्रदान करने में काफी हद तक सहमत होता है, परन्तु छात्रों को दिए गए नितान्त अंकों के सम्बन्ध में उनमें व्यापक अन्तर होता है। छात्रों के रैंक के आधार पर कम संख्या के ग्रेडों में छात्रों का वर्गीकरण करते हुए, अंकों के रूप में छात्रों का मूल्यांकन करने में व्याप्त कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है। ग्रेडों में जांचकर्ताओं के एक ग्रुप में छात्र की सापेक्ष स्थिति दिखाई देती है। अतः इन ग्रेडों पर परीक्षा के कठिन स्तर और भिन्न-भिन्न विषयों में अंकों की प्रणाली की विविधता का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी विषय में अंकों का स्तर कोई भी क्यों न हो, परन्तु वे उपलब्धता के समूचे स्तर को शामिल करते हैं। अतः अंकों की अपेक्षा दर्जा प्रदान करने के रूप में किए गए मूल्यांकन से अधिक विश्वसनीयता की आशा की जाती है। किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा अंकों की अविश्वसनीयता के कारण ग्रेडों को आरम्भ करने से छात्रों के कुदर्गीकरण करने के अवसर कम हो जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 1988 की परीक्षाओं ने ही अपनी परीक्षाओं में 9-सूत्री ग्रेड पहले से ही आरम्भ कर दिया है।

पंजाब में किनू संतरे के पेड़ लगाना

2897. **श्री कमल चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में किनू संतरे के पेड़ लगाने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या पंजाब में किनू संतरे के पेड़ लगाने के लिए पंजाब के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने किनू संतरे के पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता प्राप्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, उन्नत कृषि-तकनीकों को लोकप्रिय बनाने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अलावा, भारतीय राज्य फार्म निगम के नियन्त्रण में लाढ़ोवाल में एक सर्वोत्कृष्ट संतति फलोद्यान योजना चल रही है ताकि विभिन्न फलों के पौधों की सप्लाई की जा सके, इनमें किनू भी शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उष्णकटिबन्धी फलों के लिए, जिनमें किनू शामिल है, भटिण्डा/लुधियाना स्थित अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत सहायता मुहैया कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के माध्यम से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की क्षेत्रीय अनुसंधान

की क्षमता को भी सुदृढ़ कर रहा है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, भटिंडा में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई राशि 40, 46 और 49 लाख रुपये है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत 6, 18, 5, 15 और 6.03 लाख रुपए मुहैया किए हैं।

जम्मू और कश्मीर में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का परिरक्षण

2899. श्री मोहम्मद अयूब खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के नाम और संख्या क्या है; और

(ख) सरकार ने सावलकोट पन बिजली परियोजना के निर्माण से पहले, जम्मू और कश्मीर में इन स्मारकों के परिरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों/स्थलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। सम्बलकोट जल-विद्युत परियोजना के निर्माण की अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों की सूची

जम्मू और कश्मीर

क्रम सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
	जिला अनन्तनाग	
1.	अवन्तीपुर	अवन्तीश्वर मंदिर
2.	अवन्तीपुर	अवन्तीस्वामी मंदिर
3.	चक्रधर	प्राचीन स्थल
4.	काकापुर	प्राचीन मंदिर
5.	खरेऊ (शिकारगढ़)	लघु एकाश्म मंदिर
6.	—वही—	प्राचीन मंदिर के अवशेष
7.	लाचब	प्राचीन मंदिर
8.	मार्तंगपुर	मार्तंगपुरी के ऊपर के स्तूप के अवशेष
9.	मट्टन	बुमशुमा गुफा और मंदिर

10.	पायार	प्राचीन मंदिर
11.	रामपुर	प्राचीन मंदिरों के अवशेष
12.	रणधीर सिंघपुर	मार्तण्ड मंदिर
13.	शोपियान	अस्बद सराय
14.	शोपियान	बुरापुरा सराय
15.	शोपियान	खानपुरा सराय
16.	वेरीनाग	झरने के चारों ओर की मुगल इमारत
		जिला बारामुला
17.	बान्दी	देथा मंदिर
18.	बुनियार	प्राचीन मंदिर
19.	फतेहपुर	प्राचीन मंदिर
20.	पारसपुर	स्तूप के अवशेष
21.	पारसपुर	मठ के अवशेष
22.	पारसपुर	दैत्य के अवशेष
23.	पाट्टन	सुगन्देश मंदिर
24.	पाट्टन	शंकर गौरीश्वर मंदिर
25.	सुम्बल	प्राचीन स्थल
26.	सापर	प्रलापस्वामी मंदिर
27.	उशकुरा	उत्खनित अवशेष और प्राचीन स्थल
28.	वुलरलेक	टापू की मस्जिद और दूसरे प्राचीन अवशेष
		जिला जम्मू
29.	अखनूर	अम्बारान के अवशेष
		जिला कठवा
30.	बासोहिल	शेर पर सवार देवी की चट्टान पर की गई नक्काशी
31.	—वही—	शीतला, नारद, भामा एवं राधा कृष्ण की चट्टान पर की गई नक्काशी
32.	—वही—	विश्वेवरा गुफा मंदिर और अन्य गुफा मंदिर
33.	बिलासपुर	प्राचीन मंदिर समूह
34.	महाधोरा	त्रिलोचननाथ मंदिर

जिला श्रीनगर

35.	बुजहोम	महापाषाणों वाला प्राचीन स्थल
36.	दुर्गनाग	शंकराचार्य मंदिर
37.	हरी पर्वत	प्राचीन मंदिर
38.	—वही—	किले के परकोटे के द्वार
39.	हरी पर्वत	अखून मल्ला शाह की मस्जिद
40.	श्रीनगर	पान्द्रेनाथ स्थित प्राचीन स्थल
41.	—वही—	बोहरी कदल स्थित प्राचीन मंदिर
42.	हरवान	बोहरी कदल स्थित प्राचीन मंदिर
43.	श्रीनगर	पान्द्रेनाथ के उत्खनित अवशेष
44.	—वही—	शाह हम्दान का खान-मढ़
45.	—वही—	परी महल के नाम से प्रसिद्ध स्मारक
46.	—वही—	पान्द्रेनाथ मंदिर
47.	—वही—	पत्थर मस्जिद
48.	—वही—	जैन-उल-अबीदीन की मां का मकबरा
49.	वेगथ	छः प्राचीन मंदिर

जिला ऊधमपुर

50.	बावोर	प्राचीन स्थल
51.	—वही—	प्राचीन मंदिर समूह
52.	किरमची	चार मंदिरों का समूह
53.	रामनगर	राजा सुचेत सिंह को समर्पित किला
54.	रामनगर	राजा सुचेत सिंह को समर्पित महल
55.	रामनगर	राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि

लेह जिला लद्दाख

56.	लदाख	हेमीरा गुफा
57.	—वही—	थिक्से की प्राचीन गुफा
58.	—वही—	सेई की प्राचीन महल
59.	—वही—	बौद्ध गुफा पयांग
60.	—वही—	पुराना किला लेह
61.	—वही—	लेह में प्राचीन महल
62.	—वही—	बौद्ध मठ अलची
63.	—वही—	तिसेरू का स्तूप

विदेशी कम्पनियों की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2900. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ विदेशी कम्पनियों/फर्मों को भारतीय सहयोगी कम्पनियों के साथ अथवा इनके बिना दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के ठेके दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कार्यों के लिए दिये गये प्रत्येक ठेके का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय सहयोगी कम्पनियों को दिये गये कार्यों के व्यय सहित इन कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) सारी परियोजना के लिए प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितने मूल्य के सामान का आयात किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए, भारतीय सहयोगियों सहित विदेशी फर्मों को विश्व-व्यापी आधार पर 5 एकमुश्त-सौदों के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं। ठेकों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) विदेशी फर्मों द्वारा अपने भारतीय सहयोगियों के साथ, कार्यान्वित किए जाने वाले सम्भावित एकमुश्त सौदों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	एक-मुश्त सौदे का नाम	जिस फर्म को ठेका दिया गया	ठेके का मूल्य (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	रॉ मेटेरियल हैंडलिंग काम्प्लैक्स पैकेज	मैसर्स मानसमैन विभाग (पश्चिमी जर्मनी) के नेतृत्व में उनका संघ।	397.77
2.	सिन्टर प्लांट पैकेज	मैसर्स मानसमैन विभाग (पश्चिमी जर्मनी) के नेतृत्व में उनका संघ।	121.32
3.	ब्लास्ट फर्नेस कम्प्लैक्स पैकेज	—वही—	338.52
4.	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस पैकेज	—वही—	574.69
5.	कन्टिन्यूस कास्टिंग प्लांट पैकेज	मैसर्स कंकास्ट, ए० जी० स्वीटजरलैण्ड	178.49

(ग) संभाय आयात निम्नानुसार है :

क्रम सं०	पैकेज	आयात का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1.	रॉ मेटेरियल हैंडलिंग कम्प्लैक्स पैकेज	52.75
2.	सिन्टर प्लांट पैकेज	51.71

1	2	3
3.	ब्लास्ट फर्नेस कम्प्लैक्स पैकेज	145.63
4.	बेसिक आक्सीजन फर्नेस पैकेज	257.28
5.	कन्टिन्यूस कॉस्टिंग प्लांट पैकेज	38.47

इसके अतिरिक्त, शेष कार्य को कार्यान्वित करने के लिए 66.14 करोड़ रुपये मूल्य का आयात करना आवश्यक है ।

हिमाचल प्रदेश में पुरातत्व विभाग द्वारा विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण

2901. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा तहसील में मसरूर स्थित राजकीय मिडिल विद्यालय की भूमि पर पुरातत्व विभाग द्वारा अतिक्रमण करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन शिकायतों पर और विद्यालय के सुचारू रूप से कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, नहीं । यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मसरूर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) अथवा ऐसे किसी संगठन की भूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मूल्य समर्थन नीति

2903. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1988 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पंजाब हरियाणा और दिल्ली के चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज ने अपनी रिपोर्ट में कृषि मूल्य समर्थन नीति के प्रभावी न होने और उत्पाद संरचना के संबंध में और आदानों के प्रयोग में असंतुलित विकास का जिक्र किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली (पी० एच० डी०) के चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्ययन की प्रमुख बातों से कृषि में संरचनात्मक कट्टरता का पता चलता है, जोकि सर्वविदित है। कृषि विकास कार्यक्रमों में इन कमजोरियों को दूर करने का विचार किया गया है।

आदानों की राज सहायता प्राप्त आपूर्ति किसानों को खेती की उन्नत पद्धतियों को अपनाने में सहायक बनी रही।

सरकार द्वारा अपनायी गई मूल्य नीति किसानों को उनके उत्पाद हेतु लाभकारी मूल्य देकर विकास कार्यक्रमों को उपयुक्त समर्थन देती है। इससे किसान कृषि में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे और उत्पादकता बढ़ेगी। पी० एच० डी० का अध्ययन इस दृष्टिकोण की संगतता की पुष्टि करता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा कार का जलाया जाना

[हिन्दी]

2904. **श्री मदन पांडे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में कार जलने की कुछ दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच पड़ताल करने और उनकी आवृत्ति रोकने के लिये कठोर कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एच० पी० शाही) : (क) से (घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय परिसर में कार जलाने की दो घटनायें क्रमशः 28-4-87 तथा 31-1-89 को हुई है। दोनों मामलों की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई थी। तथापि विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांच में घटना में शामिल व्यक्तियों का पता नहीं चल सका। विश्वविद्यालय ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को दुबारा होने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। इसमें रात 11.00 बजे के पश्चात् परिसर में आने वाले सभी वाहनों तथा साथ ही साथ परिसर में अनधिकृत स्थान पर खड़े वाहनों की जांच तथा परिसर की चारदीवारी को और बढ़ाना आदि शामिल हैं। परिसर में रात को पुलिस द्वारा गश्त भी बढ़ा दी गई है।

खेती योग्य भूमि

[अनुवाद]

2905. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त की तुलना में इस समय राज्य-वार कुल कितना भू-क्षेत्र खेती योग्य है;

(ख) राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में खेती होती है;

(ग) राज्य-वार कुल कितनी भूमि बंजर पड़ी है; और

(घ) राज्य-वार कुल कितना-कितना नदी सिंचित और नलकूप सिंचित क्षेत्र है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इयाम लाल यादव) : (क) से (घ) 1984-85 (छठी योजना का अन्तिम वर्ष) की तुलना में वर्ष 1985-86 (नवीनतम उपलब्ध) में राज्य-वार कृषि योग्य क्षेत्र, वर्ष 1985-86 में काश्त किया गया क्षेत्र, बंजर तथा अकृष्य भूमि और सिंचाई (नहरों/नलकूपों से) के अन्तर्गत क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य-वार कृषि योग्य क्षेत्र, काश्त किया गया क्षेत्र, बंजर तथा अकृष्य भूमि और सिंचित क्षेत्र (नहरों/नलकूपों से)

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

राज्य	कृषि योग्य		काश्त किया गया क्षेत्र	बंजर तथा अकृष्य भूमि	सिंचित क्षेत्र 1985-86	
	1885-86	1984-85	1985-86	1985-86	नहरों से	नलकूपों से
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	16206	16176	13585	2269	1783	183
अरुणाचल प्रदेश	281	281	141	55	—	—
असम	3229	3229	2794	1541	362	—
बिहार	11265	11321	9617	1014	973	933
गुजरात	12376	12376	10337	2628	489	305
हरियाणा	3806	3830	3781	156	1181	1038
हिमाचल प्रदेश	809	818	627	160	7	4
जम्मू तथा कश्मीर	1061	1051	818	259	289	2
कर्नाटक	12867	12846	11590	804	735	42
केरल	2438	2434	2234	83	100	38
मध्य प्रदेश	22817	22799	20133	2294	1296	84
महाराष्ट्र	21087	21087	19034	1710	410	—
मणिपुर	164	164	140	1419	—	—
मेघालय	1104	1104	244	231	—	—
मिजोरम	584	584	248	201	—	—
नागालैंड	788	806	279	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	7912	7912	6541	367	853	261
पंजाब	4291	4289	4248	69	1412	2229
राजस्थान	25831	25827	17581	2817	1154	1 0
सिक्किम	114	97	99	173	—	—
तमिलनाडु	8422	8437	7168	570	774	88
त्रिपुरा	312	311	258	—	—	—
उत्तर प्रदेश	20885	20885	18386	1112	3330	5467
पश्चिम बंगाल	6117	6117	5798	187	717	689
अखिल भारत	185212	185221	155990	20148	15879	11544

भू-जल के उपयोग को नियन्त्रित करने के लिए कानून बनाना

2906. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरापा :**

श्री जी० एस० वासवराजू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पेय जल मिशन ने औद्योगिक एककों द्वारा किए जा रहे भू-जल संसाधनों के आवश्यकता से अधिक उपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त कानून बनाये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) अधिकांश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने भू-जल के अत्याधिक उपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया है। आंध्र-प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने कानून बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। बिहार में, "डार्क एण्ड ग्रे" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई है। अन्य राज्यों ने कानून बनाने के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

केरल काजू उद्योग में संकट

2907. **श्री टी० बशीर** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के उद्योग और काजू उत्पादकों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव

2908. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चुनाव-कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) चुनाव शीघ्र कराए जाने की संभावना है।

पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डे

[हिन्दी]

2909. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित

श्री कमला प्रसाद रावत : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान में सैनिक अड्डे स्थापित करने का अमरीकी कार्यक्रम पाकिस्तान के वर्तमान शासन में भी ज्यों का त्यों बना हुआ है तथा इसे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को संबंधित सरकारों के साथ राजनयिक स्तर पर उठाने पर विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) इस आशय की खबरें तो रही हैं किन्तु अमरीकी सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि वह पाकिस्तान में कोई सैनिक ठिकाने बना रही है।

परमाणु संयंत्रों पर आक्रमण न करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता

[अनुवाद]

2911. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे देश में स्थित परमाणु संयंत्रों पर आक्रमण न करने के लिये हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार का पाठ सभा पटल पर विवरण के रूप में रख दिया गया है।

विवरण

नाभिकीय संस्थापनों और सुविधाओं पर आक्रमण निषेध के संबंध में
भारत गणराज्य और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच करार

भारत गणराज्य सरकार और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार जिन्हें इस करार में इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया है;

स्थायी शांति और मैत्रीपूर्ण सामरस्तापूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करने के लिए अपनी वचन बद्धता की पुष्टि करते हुए;

पारस्परिक विश्वास और सद्भाव पर आधारित ऐसे द्विपक्षीय संबंध विकसित करने में विश्वास पैदा करने के उपायों की भूमिका की ओर से सजग रहते हुए;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद-एक

दोनों में से कोई भी पक्ष प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उसके लिए प्रोत्साहन नहीं देगा अथवा उसमें शामिल नहीं होगा जिसका लक्ष्य दूसरे देश के किसी नाभिकीय संस्थापन अथवा सुविधा का विनाश करना या उसे क्षति पहुंचाना हो

2. "नाभिकीय संस्थापन अथवा सुविधा" शब्दावली में शामिल है—नाभिकीक शक्ति एवं अनुसंधान भट्टियां, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवृद्धि आइसोटोपों को अलग करने और पुनर्संसाधन सुविधाएं तथा ऐसा कोई भी अन्य संस्थापन, जिसमें ताजा अथवा किरणीयित नाभिकीय ईंधन और सामग्री किसी भी रूप में रहती हो, तथा ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें रेडियो धर्मी सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाती हो।

अनुच्छेद-दो

दोनों संविदाकारी पक्ष प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की पहली जनवरी को और जब कभी कोई परिवर्तन होगा तब एक दूसरे को अपने-अपने नाभिकीय संस्थापनों और सुविधाओं अक्षांश और रेखांश के बारे में सूचित करेंगे।

अनुच्छेद-तीन

यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा और अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से यह लागू हो जाएगा।

इस्लामाबाद में आज, ईसवी सन् एक हजार, नौ सौ अट्ठासी के दिसम्बर मास के इक्तीसवें

दिन, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, व्याख्या सम्बन्धी किसी मतभेद अथवा विवाद की सूरत में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

ह०/-	ह०/-
(के० पी० एस० मेनन)	(हुमायूं खान)
विदेश सचिव	विदेश सचिव
भारत गणराज्य की सरकार	पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की
की ओर से	सरकार की ओर से

कीटनाशकों का विषाक्त होना

2912, **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों के विषाक्त होने के कारण आंध्र प्रदेश में "लम्सट" के छिड़काव के बाद सोलह किसान बीमार हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में कीटनाशकों के विषैले होने की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास कीटनाशकों के विषैले होने के ऐसे मामलों का अन्य राज्यों में कोई रिकार्ड है; और

(ङ) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 के दौरान गुन्टूर जिले में कपास की फसल पर मिथोमाइल (लैनेट) का छिड़काव करते समय 16 व्यक्तियों को उबकाई, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई थी।

(ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 26 में राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वे विषाक्तता (किसी कीटनाशी के उपयोग अथवा अनुरक्षण के माध्यम से) की सभी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की सूचना पदनामित प्राधिकारियों को दें।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में कीटनाशियों के कारण विषाक्तता होने की निम्नलिखित घटनाएं आई हैं।

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष	विषाक्तता के कुल मामले	मौतें
1.	गुजरात	1986	6	6
2.	तमिलनाडु	1986	5	5
3.	पंजाब	1986-87	126	126
4.	केरल	1987	40	—
5.	आंध्र प्रदेश	1988	16	—

फास्ट फूड उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव

2914. **श्री पी० कुलनवेलू** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फास्ट फूड" के लिये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या मद्रास और बम्बई में ऐसे उद्योग लगाने के लिए कोई लाइसेंस दिये गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 'फास्ट फूड' को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जिस उद्योग विशेष के बारे में सूचना मांगी गई है उसके विशेष रूप से उल्लेख के अभाव में अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है।

कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान सम्बन्धी उपलब्धियां

2915. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या किसी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कोई स्वयं की एक मात्र अनुसंधान उपलब्धि प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है और उसकी अनुसंधान उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, भारत में 26 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं।

(ख) और (ग) सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिससे उन राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों को एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

जहाजों को बम्बई गोवा मार्ग से हटाकर बम्बई-कांडला मार्ग पर लगाना

2916. **डा० दत्ता सामंत** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने "कोंकण जेवक और कोंकण शक्ति" नामक दो जहाजों को बम्बई गोवा मार्ग से बम्बई-कांडला मार्ग पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य उद्योग परियोजनाओं का विस्तार

[हिन्दी]

2917. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी सहयोग से मत्स्य उद्योग परियोजनाओं के संवर्धन और विस्तार की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो कब और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में शारीरिक शिक्षा के लिए पृथक कक्ष खोलना

[अनुवाद]

2919. **श्री विजय एन० पाटिल** । क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में शारीरिक शिक्षा के लिए पृथक कक्ष खोलने के कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कक्षों को क्या कार्य सौंपा गया है; और

(ग) इन कक्षों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा के विकास में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (एल० पी० शाही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में कार्यकलापों की देखभाल करने के लिए एक पृथक कक्ष स्थापित किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में कोई पृथक कक्ष नहीं हैं।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कक्ष राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच करता है, और अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों की देख-भाल करता है। शारीरिक शिक्षा के विकास में कक्ष द्वारा किए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं :

(1) किसी विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा अपेक्षित न्यूनतम खेल अवस्थापना के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की गई हैं और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को परिचालित की गई हैं। अनेक विश्वविद्यालयों/कालेजों से पहले ही से प्रस्ताव प्राप्त किए जा चुके हैं।

(2) आयोग द्वारा बहु-संकाय कालेजों/विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलों में एक तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

(3) खेल-कूदों में प्रथम डिग्री स्तर पर छात्रों की अनिवार्य सहभागिता की पद्धतियां तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(4) स्नातकोत्तर स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एक आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए भी एक समिति गठित की गई है।

(5) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निष्पादन का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा संबंधी एक पेनल बनाया गया है। यद्यपि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का शारीरिक शिक्षा के लिए कोई पृथक कक्ष नहीं है, तथापि, इसने स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा के लिए मार्ग-दर्शी रूपरेखाएं तथा पाठ्यक्रम तैयार किए हैं।

भारत में बच्चों की स्थिति

2921. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व के बच्चों की स्थिति संबंधी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष रिपोर्ट, 1989 की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में बच्चों के शोषण और इनके साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा का कार्य और खेल तथा और महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "दि स्टेट आफ वर्ल्ड्ज चिल्ड्रन 1989" रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि इस समय लाखों बच्चे ऐसी परिस्थितियों में पल रहे हैं जिनमें वे अपनी ऐसी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास कभी नहीं कर सकेंगे जिसे के साथ वे पैदा होते हैं। इसमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की सुरक्षा की विशेष आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। यह बातें भारत के संदर्भ में नहीं कहीं गई है।

भारत सरकार देश के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति भली-भांति जागरूक है और सरकार ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

1974 में अपनाई गई राष्ट्रीय बाल-नीति में यह घोषणा की गई है कि बच्चे सर्वोत्तम निधि हैं। अतः सरकार की यह नीति होगी कि बच्चों को जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात और विकास अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका पूर्णरूपेण शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक विकास हो सके। नीति में यह भी प्रावधान है कि बच्चों को किसी प्रकार की उपेक्षा, उत्पीड़न तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाए और 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे की किसी जोखिम भरे काम में न लगाया जाए और न ही कोई कार्य जबरदस्ती करवाया जाए।

बाल श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित कई उपाय किए गए हैं :

(एक) बाल श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम, दिसम्बर, 1986 में पारित किया गया था ताकि कुछ विशेष व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना निषिद्ध हो तथा अन्य अनुज्ञेय व्यवसायों में बच्चों के रोजगार को विनियमित किया जाए।

(दो) 1987 में राष्ट्रीय बाल नीति तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों के लिए, जो काम करने से हटा दिए गए हों, और जो अनुज्ञेय व्यवसायों में काम करते हों, कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ये सुविधाएं—अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं, गरीबी निवारण कार्यक्रमों द्वारा बाल कामगरों के परिवारों की आय बढ़ाना आदि।

(तीन) बाल कामगरों के लाभ के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने हेतु देश के विभिन्न भागों में स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

भारत सरकार ने 1986 में किशोर अपराध अधिनियम बनाया है ताकि अन्य किस्म के बाल दुर्व्यवहार रोके जा सकें। इस अधिनियम के अन्तर्गत किशोरों से भीख मांगवाने, उन्हें नशीले पेय देना अथवा नशे की दवाएं देना अथवा नशीले पदार्थ (साइक्रोट्राफिक सबस्टांस) देना या किशोरों के प्रति अत्याचार अथवा शोषण करने जैसे अपराधों के लिए दण्ड का विधान है।

देश के शिपयार्डों के बारे में अन्तर मंत्रालयीय दल की सिफारिशें

2922. **श्री मती वसवराजेश्वरी :**

श्री विजय एम० पाटिल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कम आर्डर मिलने और क्षमता के कम उपयोग की समस्याओं, जिसके कारण देश के शिपयार्डों के कार्यकरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, की जांच के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय दल की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उक्त दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) किन सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दोनों सार्वजनिक क्षेत्रीय शिपयार्डों, अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम और कोचीन शिपयार्ड लि० कोचीन को पर्याप्त आर्डर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करने और दीर्घावधि उपायों का सुझाव देने हेतु सितम्बर, 1988 में सचिव (जल-भूतल परिवहन) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है।

स्थायी समिति ने जनवरी, 1989 में स्थिति की समीक्षा की और दोनों शिपयार्डों को मिले आर्डरों को नोट करते हुए 6 महीने बाद स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की हल्दिया एकक को नया रूप प्रदान करना

2923. **चौधरी खर्शीद अहमद :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो विदेशी सलाहकारों हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को हल्दिया एकक को नया रूप प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सलाहकारों द्वारा सरकार को अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस एकक के बन्द होने से सरकार को औसतन मासिक कितना घाटा हो रहा है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) परामर्शदाताओं से प्राप्त रिपोर्ट एच० एफ० सी० द्वारा जुलाई, 1988 में सरकार को प्रस्तुत की गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इसमें निहित पर्याप्त निवेशों के सम्पूर्ण प्रभाव की जांच करना शामिल है। हानि का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि हल्दिया एक चालू एकक नहीं है बल्कि अभी एक परियोजना है। तथापि, वेतन और मजदूरी सहित स्थायी प्रभारों के रूप में प्रति माह 1.52 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है।

आई० आई० टी० परीक्षायें हिन्दी माध्यम से

[हिन्दी]

2924. **श्री सरफराज अहमद :**

श्री विलास मुत्तेमवार : : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०), दिल्ली के छात्रों ने मांग की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी आयोजित की जानी चाहिए;

(ख) क्या सरकार हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो आई० आई० टी० की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में आयोजित किए जाने में क्या मुश्किल है और छात्रों की यह मांग कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है और आई० आई० टी० की सभी परीक्षायें हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कब तक आयोजित की जायेंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० शाही) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कुछ छात्रों ने यह मांग की है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 1990 अंग्रेजी के साथ VIII अनुसूची में शामिल आधुनिक भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाये।

हज तीर्थ यात्रियों के लिए पूर्व नियोजित आवास योजनाएं

[अनुवाद]

2925. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों के लिए पूर्व नियोजित आवास अनिवार्य करने के सम्बन्ध में कोई शर्तें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्राधिकारी ने ये शर्तें लगाई;

(ग) क्या सरकार को अनिवार्य पूर्व नियोजित योजना के विरुद्ध व्याप्त असंतोष और आम विरोध की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार ने सऊदी अरब की सरकार के साथ इस मामले पर विचार किया;

(ङ) यदि हां, तो किस स्तर पर और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस संबंध में हज तीर्थ यात्रियों को अपेक्षित राहत देने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सऊदी अरब के हज और औकाफ मंत्रालय ने हज-1989 के दौरान केन्द्रीय हज समिति के प्रायोजन से हज यात्रा करने वाले उन सभी 2400 भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के लिए यह शर्त रखी है कि वे मक्का और मदीना में पूर्व नियोजित आवास में प्रवास करेंगे जैसा कि ईरान/इंडोनेशिया/मलयेशिया/पाकिस्तान/तुर्की आदि से आने वाले यात्री कर रहे हैं। इस योजना में यह अपेक्षित है कि भारतीय हज समिति का एक प्रतिनिधि मण्डल सऊदी अरब आएगा और भारतीय हज यात्रियों के लिए किराए पर लिए जाने वाले भवनों की दरों के बारे में दक्षिण एशियाई देशों के सऊदी "मोआसा" के साथ बातचीत करके एक सामान्य समझौता करेगा जो भारतीय हज यात्रियों के कार्यकलापों की देखभाल करता है। उसके बाद केन्द्रीय और राज्य हज समितियों भारतीय हज यात्रियों के रहने के लिए मक्का-मदीना में भवनों का निरीक्षण और चयन कर सकती हैं।

(ग) से (च) सरकार को सऊदी अरब में हज यात्रियों के लिए पूर्व नियोजित आवास की योजना के कार्यान्वयन के विरुद्ध केन्द्रीय हज समिति और समूचे देश से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर सऊदी हज प्राधिकारियों के साथ राजनयिक सूत्रों के माध्यम से और एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भेजकर बातचीत की गई है। इस प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्री के० के० तिवारी ने किया था और इसमें सर्वश्री इब्राहिम सलेमान सैत और मौलाना असद मदनी, सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सईदुल हसन भी शामिल थे। इस प्रतिनिधिमण्डल ने शनिवार, 4 मार्च, 1989 को रियाद में सऊदी हज मंत्री से मुलाकात की और उस समय सऊदी मंत्री ने यह दोहराया कि (1) सऊदी विनियमों में यह अपेक्षित है कि विदेशों से आने वाले सभी हज यात्री मक्का और मदीना में अनुमोदित और पूर्व नियोजित आवास में ही ठहरेंगे; (2) बहुत से अन्य देश पिछले कई वर्षों से इस योजना का अनुसरण कर रहे हैं और भारतीय हज प्राधिकारियों को चाहिए कि वे भारतीय हज समितियों के प्रायोजन से हज यात्रा करने वाले उन सभी 24000 तीर्थ यात्रियों के सम्बन्ध में हज, 1989 के दौरान इस योजना को लागू करें; (3) सऊदी सरकार भारतीय हज यात्रियों

को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है । यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है कि क्या पूर्व नियोजित आवास योजना का हज-1986 के लिए भारतीय हज यात्रियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन किया जा सकता है ।

"अफ्रीका फण्ड"

[हिन्दी]

2927. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अफ्रीका फण्ड" में अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई है और इसमें योगदान कर रहे देशों के नाम क्या हैं;

(ख) इसमें से अफ्रीका में राहत हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई और अब तक किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस निधि में वृद्धि करने के लिए निकट भविष्य में क्या-क्या कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) अब तक 52 देशों से कुल लगभग 42.2 करोड़ अमरीकी डालर के बराबर नकद, वस्तुगत तथा परियोजनागत सहायता के रूप में अफ्रीका कोष को अंशदान देने सम्बन्धी वचन प्राप्त हुए हैं, इन वचन बद्धताओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है । कोष खाते में नकद जमा (तथा उस पर ब्याज) के रूप में कुल 920, 380/- अमरीकी डालर है ।

(ख) चूंकि अफ्रीका कोष को प्राप्त अधिकांश अंशदान वस्तुगत, सेवा और परियोजनागत, सहायता के रूप में हैं, इसलिए दाता प्राप्तकर्ताओं देशों के साथ ऐसी परियोजनाओं का पता लगाकर इन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं जिससे इस कोष के उद्देश्यों की पूर्ति होती है । कुछ दानदाताओं ने कोष समिति को यह सूचित किया कि उन्होंने अंग्रेजी राज्यों तथा मुक्ति आन्दोलनों को आवश्यक मदों और उपस्करों की सप्लाई, परियोजनागत सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और छात्र-वृत्तियां प्रदान की हैं । अन्य कई परियोजनाए क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । ऐसा अनुमान है कि अंशदान के लिए लगभग आधी वचनबद्धताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं अथवा पूरी किए जाने की प्रक्रिया में हैं ।

920,380 अमरीकी डालर के नकद अंशदान में से कोष समिति ने निम्नलिखित आवंटन किया है :—

1. दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन (स्वापो)	400,000 अमरीकी डालर
2. अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ए० एन० सी०)	200,000 अमरीकी डालर
3. पैन अफ्रीकानिट कांग्रेस (पी० ए०सी०)	50,000 अमरीकी डालर
4. यूनिफेस और दक्षिण अफ्रीका के लिए बाल कोष (चीसा)	120,000 अमरीकी डालर

5. दक्षिण अफ्रीका में शरणार्थियों, वापस लौटने वालों और विस्थापितों की दशा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रत्युत्तर में यू० एन० एच० सी० आर०	
6. अफ्रीका कोष पर टी० वी० फिल्म	50,000 अमरीकी डालर
7. मुक्ति आन्दोलनों के प्रतिनिधियों की यात्राओं पर खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय	50,000 अमरीकी डालर
योग	920,000 अमरीकी डालर

(ग) पहले की गयी वचनबद्धताओं को शीघ्रता से पूरा करने के निरन्तर प्रयासों के अलावा कोष द्वारा जनमत तैयार करने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं हाथ में ली जा रही हैं;

I. अफ्रीका कोष पर विभिन्न भाषाओं में विश्वभर वितरण के लिए एक पुस्तिका निकालना।

II. अफ्रीका कोष पर एक लघु टी० वी० फिल्म का निर्माण जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जाएगा।

III. कई देशों में पृथग्वामन विरोधी आन्दोलन के साथ सहयोग।

विवरण

अफ्रीका कोष को दी गयी अंशदान संबंधी वचनबद्धताएं
(16 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार)

1. भारत	रुपये	500 मिलियन	(वस्तुगत)
2. नाइजीरिया	अमरीकी डालर	15 मिलियन	(वस्तुगत)
3. पेरु	अमरीकी डालर	10 मिलियन	(वस्तुगत)
4. अल्जिरिया	अमरीकी डालर	10 मिलियन	(वस्तुगत)
5. यूगोस्लाविया	अमरीकी डालर	12 मिलियन	(वस्तुगत)
6. अर्जेन्टीना	अमरीकी डालर	3 मिलियन	(वस्तुगत)
7. कोंगो	सी० एफ० ए०	100 मिलियन	(वस्तुगत)
8. फ्रांस	एफ० एफ०	20 मिलियन	(वस्तुगत)
9. बारबादोस	बी० डी० एस०	100,000	(नकद में)
10. जिबूती	अमरीकी डालर	10,000	(वस्तुगत)
11. इटली	लीरा	7 मिलियन	(वस्तुगत)

1 2	3	4	5
12. लिबीया	अमरीकी डालर	10 मिलियन	(50% नकद में) (50% वस्तुगत)
13. गुयाना	अमरीकी डालर	5,000	(नकद में)
14. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	रूबल	65 मिलियन	(वस्तुगत)
15. अफगानिस्तान	अमरीकी डालर	5,000	(नकद में)
16. निकारागुआ	अमरीकी डालर	50,000	(नकद में)
17. नारू	आस्ट्रेलिया डालर	10,000	(नकद में)
18. बंगलादेश	अमरीकी डालर	10 000	(नकद में)
19. मारिशस	रु० (एम)	500,000	(नकद में)
20. मालद्वीव	अमरीकी डालर	1,000	(नकद में)
21. नार्वे	एन० क्रोनर	10, मिलियन	(नकद में)
22. उगान्डा	अमरीकी डालर	100,000	(नकद में)
23. फिलिपिन्स	अमरीकी डालर	500	(नकद मे)
24. पाकिस्तान	पाक रुपये	50 मिलियन	(वस्तुगत)
25. स्वीडन	एस० क्रोनर	140 मिलियन	(वस्तुगत)
26. साइप्रस	अमरीकी डालर	100,000	(नकद में)
27. ब्रुनी	अमरीकी डालर	100,000	(नकद में)
28. मिस्र	अमरीकी डालर	6 मिलियन	(वस्तुगत)
29. नेपाल	अमरीकी डालर	25,000	(नकद में)
30. मलेशिया	अमरीकी डालर	2 मिलियन	(वस्तुगत)
31. लोकतंत्रि यमनक	अमरीकी डालर	150,000	(नकद में)
32. लाओस	अमरीकी डालर	7,000	(नकद में)
33. वियतनाम	अमरीकी डालर	10,000	(वस्तुगत)
34. जोर्डन	अमरीकी डालर	5,000	(नकद में)
35. चेकोस्लोवाकिया	के० एस० सी०	5 मिलियन	(नकद में)
36. रुआण्डा	अमरीकी डालर	5,000	(नकद में)
37. कैमरून	सी० एफ० ए०	15 मिलियन	(नकद में)
38. बुल्गारिया	लीवा	1.1 मिलियन	(वस्तुगत)

1	2	3	4	5
39	कोरिया गणराज्य	अमरीकी डालर	1 मिलियन	(नकद में)
40.	गिनी बिसाऊ	अमरीकी डालर	5,000	(नकद में)
41.	पोलैंड	जलोटी	700 मिलियन	(वस्तुगत)
42.	थाईलैंड	अमरीकी डालर	20,000	(नकद और वस्तुगत रूप में)
43.	हंगरी	फोरिन्ट्स	61 मिलियन	(वस्तुगत)
44.	घाना	अमरीकी डालर	5 मिलियन	(नकद और वस्तुगत रूप में)
45.	केन्या	अमरीकी डालर	150,000	(नकद में)
46.	सेशल्स	अमरीकी डालर	2,000	(नकद)
47.	जर्मन जनवादी गणराज्य	जी० डी० आर० (मार्क्स)	21 मिलियन	(वस्तुगत)
48.	टर्की	अमरीकी डालर	500,000	(वस्तुगत)
49.	नीदरलैंड	डी० एफ० एल०	23 मिलियन	(वस्तुगत)
50.	इण्डोनेशिया	अमरीकी डालर	2.25 मिलियन	(नकद में)
51.	लोकतांत्रिक जन गणराज्य कोरिया	अमरीकी डालर	1.55 मिलियन	(वस्तुगत)
52.	युगांडा	पौंड	101,060,400	(वस्तुगत)

* उपर्युक्त अंशदान संबंधी वचनबद्धताएं कुल लगभग 47.2 करोड़ अमरीकी डालर के बराबर हैं। इनकी संगणना सितम्बर, 1988 में प्रचालित विनिमय दरों के आधार पर की गयी है।

उड़ीसा के टिटिलागढ़ में हाई-एलाय का अधिक उत्पादन करने वाले इस्पात संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

2928. डा० कृपासिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के टिटिलागढ़ में एक आधुनिक हाई-एलाए हाई स्पीड स्टील प्लांट स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या यह एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी, इसकी क्षमता कितनी होगी और इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा; और

(घ) इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) उड़ीसा के किसी "क" श्रेणी के पिछड़े क्षेत्र में हाई स्पीड का इस्पात तैयार करने के लिए एक परियोजना स्थापित करने के संबंध में मैसर्स पावमेन्स स्टील लि० को आशय-पत्र दिया गया है। उन्होंने बोलनगिर जिले में तितिलागढ़ के समीप तुरला गांव की परियोजना स्थल के रूप में चुना है। इस परियोजना के संबंध में कम्पनी और प्रमोटर ने इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० के साथ एक संयुक्त उद्यम करार किया है।

(ग) कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 70.72 करोड़ रुपए हैं। उनकी लाइसेंस क्षमता 30,000 लाख टन तथा संस्थापित क्षमता 3750 टन वार्षिक है तथा इसकी रोजगार सृजन की क्षमता 550 है।

(घ) आशय-पत्र 31 मई, 1989 तक वैध है। आवेदन पत्र में यह उल्लेख है कि आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तारीख से वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए 24 महीने का समय आवश्यक होगा। इस हिसाब से जनवरी, 1991 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है।

दूध देने वाले जानवरों के बछड़ों की मृत्यु दर

[हिन्दी]

2929. श्री जगदीश अवस्थी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गाय और भैंस के बछड़ों की मृत्यु दर अन्य विकासशील देशों की तुलना में कितनी है;

(ख) उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं;

(ग) क्या भैंसों के बारे में हुए दूसरे विश्व सम्मेलन में इस संबंध में कोई सिफारिशें की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में जाजपुर रोड पर "फैरो क्रोम" संयंत्र

[अनुवाद]

2930. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जाजपुर रोड पर "फैरो क्रोम" संयंत्र की वर्तमान संस्थापित क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह संयंत्र अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ग) क्या उन कठिनाइयों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए क्या सहायता दी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) उच्च कार्बन/निम्न कार्बन फैरो क्रोम की संस्थापित क्षमता 10,000 टन वार्षिक है।

(ख) से (घ) औद्योगिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० ने इस यूनिट की निम्नलिखित समस्याओं का पता लगाया है :—

(1) संयंत्र और मशीनें पुरानी हो गई हैं।

(2) क्षमता कम होने के कारण यह यूनिट स्वदेशी और अन्तराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।

(3) पूर्ण उत्पादन करने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। आई० डी० सी० ओ० एल० ने सूचित किया है कि 9.5 मेगावाट का एक निजी बिजली संयंत्र संस्थापित किया जा रहा है तथा उन्होंने अपनी लाइसेंस क्षमता 10,000 से बढ़ाकर 25,000 टन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के संबंध में आवेदन किया है। इस आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

भारत द्वारा श्री लंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सहायता

2932. **श्री जी० एस० वासवराजू :**

श्री डी० बी० चन्द्रगेखरप्पा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को फरवरी, 1989 में सहायता सामग्री की सप्लाई की थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता सामग्री भेजी गई थी; और

(ग) क्या श्री लंका को और सहायता सामग्री भेजी जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रांत की सरकार ने जिन वस्तुओं के लिए अनुरोध किया था, उनकी आपूर्ति फरवरी, 1989 में कर दी गई थी।

(ख) जिन वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी, उनकी लागत 3, 17, 54, 729, 98, थी।

(ग) जी, हां।

दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में योग अध्यापकों और सुपरवाइजरों के रिक्त पद

[हिन्दी]

2933. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योग अध्यापकों और सुपरवाइजरों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) रिक्त पदों को भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार उनके अधीन सीनियर माध्यमिक स्कूलों मे योग अध्यापकों के लगभग 50 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तथापि, सीनियर माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्यवेक्षक का कोई पद मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) योग योजना प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ की गयी है और एक विशेषय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री खाद्य उद्योग का विकास

[अनुवाद]

2934. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) समुद्री खाद्य के उत्पादन में वृद्धि करने और उसके व्यापार का विस्तार करने के जरिये समुद्री खाद्य उद्योग का विकास करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। इन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातों में संसाधन विशिष्ट अभयारों के इस्तेमाल को शुरू कर गहरे समुद्र में मात्स्यिकी संसाधनों का पूरा उपयोग करना, झींगा मछली की फार्मिंग को बढ़ावा देना, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना, समुद्री खाद्य की विविध वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना देना और मूल्य सम्मिलित मछली के उत्पादों का विपणन करना आदि शामिल है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन निगम द्वारा तैयार दीर्घकालिक योजना

[हिन्दी]

2935. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या जल-भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवहन की दृष्टि से नदियों के भरपूर उपयोग हेतु केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को कितने जहाजों की आवश्यकता पड़ेगी,

(ख) इस समय इस निगम के पास कितने जहाज हैं,

(ग) क्या निगम का जहाजों की कमी को किसी विदेशी कम्पनी के माध्यम से पूरा करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो क्या निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल-परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के पास 112 जहाजों का एक प्रभावी बेड़ा है। निगम मुख्यत: गंगा-भगीरथी-हुगली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रचालनों में लगा है। बेड़े में अनवरत आधार पर बदलाव और संवर्धन का कार्य जरूरत के अनुसार किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 63 जहाज अधिग्रस्त किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 43 नए जहाज अधिग्रहीत करने की योजना बनाई है।

इस समय जहाज आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सी आई डब्ल्यू टी सी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता और हल्दिया के बीच यात्री ट्रैफिक के लिए 2 होवर क्राफ्ट आयात करने का प्रस्ताव किया है।

केरल में भू-संरक्षण योजना

[अनुवाद]

2936. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिए कोई केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना और इस सम्बन्ध में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। तीसरी पंचवर्षीय योजना से कुण्डा के स्रवण-क्षेत्र को नदी घाटी परियोजनाओं में भू-संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कवर किया गया है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य बहु-उद्देश्य जलाशयों में गाद की अधिक मात्रा को कम करना है। यह उपयुक्त मृदा और जल-संरक्षण उपायों से स्रवण-क्षेत्रों का उपचार करके स्रवण क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार करने में मदद करती है। 1987-88 के अन्त तक 5.89 करोड़ रुपए के खर्च करके कुल 12 070 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है 1988-89 में 80 लाख रुपए के परिव्यय से 1234 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का कार्यक्रम है।

दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री केन्द्रों का कार्यक्रम

2937. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री केन्द्र (बूथ) बन्द

होने के निर्धारित समय से पहले ही बन्द कर दिए जाते हैं तथा इनके वाहन पूरा दूध बेचे जाने से पहले ही "क्रेट" उठाकर ले जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि वाहन निर्धारित समय से पहले क्रेट उठाकर न ले जायें ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) खाली क्रेटों के समय से पहले ही एकत्र करने के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक की तीन महीनों की अवधि के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) भारी वाहन के सम्बन्धित ड्राइवरों को चेतावनी दी गई है। भारी वाहनों के ड्राइवरों को भी सामान्य हिदायतें जारी की गई हैं कि वे डिपो के बन्द होने के निर्धारित समय से पहले यदि डिपो पर दूध उपलब्ध हो तो खाली क्रेट एकत्र न करें ।

कृषि क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग

2939. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) फ्रांस के शिष्ट मंडल के जनवरी, 198[illegible] के दौरे के दौरान कृषि और खाद्य उद्योगों, पशु-पालन और फल तथा सब्जी के प्राथमिकता क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया गया।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्य में सुधार लाना

2940. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री एच० एल० नन्दे गोड़ा :

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या अन्त-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम के घटिया कार्य-निष्पादन को देखते हुए इसके कार्य में सुधार लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में दैनिक यात्रियों को अच्छी परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किये जाने वाले सम्भावित नये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के विद्यमान बेड़े में और कितनी बसें शामिल की जायेंगी ?

अन्त-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने बेड़े के उपयोग, वाहन उपयोग, ईंधन संरक्षण, वस्तु सूची नियंत्रण आदि जैसे

भौतिक पैरामीटरों में सुधार दर्शाया है। दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनों में उत्तरोत्तर सुधार लाने के क्रम में अनवरत आधार पर जो विभिन्न उपाय किये जाते हैं, उनमें प्रशासनिक, वित्तीय और प्रचालनात्मक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, कम्प्यूटरों के माध्यम से प्रबन्ध सूचना प्रणाली में सुधार, राजस्व की बर्बादी रोकना, सुधरी और व्यापक चेकिंग तथा रूटों को युक्ति संगत बनाना शामिल है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने वर्ष 1987-88 के लिए यात्री सड़क परिवहन नगर सेवा में सर्वोत्तम उत्पादकता कार्य निष्पादन पारितोषिक के लिए दिल्ली परिवहन निगम को चुना है।

(ग) बदलने और सम्बर्धन के लिए 1988-89 में 300 और 1989-90 में 506 बसें खरीदने का कार्यक्रम है।

सरकारी उपक्रमों में खिलाड़ियों की नियुक्ति

2942. **श्री एम० डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन उपक्रमों में नियुक्तियों में खिलाड़ियों को कोई वरीयता दी जाती है;

(ख) क्या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों में भी नियुक्ति के मामले में खिलाड़ियों को इस प्रकार की कोई वरीयता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने, उन खिलाड़ियों, जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है, के लिए पद आरक्षित करने के लिये अपने भरती नियमों में प्रावधान किया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्य सरकारों अर्थात् उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु ने राज्य द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों में नियुक्ति के मामले में खिलाड़ियों को वरीयता दी है। ऐसी वरीयता में उड़ीसा और पंजाब के मामले में खिलाड़ियों के लिए कुछ पदों के आरक्षण और तमिलनाडु के मामले में निर्धारित प्रक्रिया में छूट शामिल है।

आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के साथ हिन्द महासागर के सम्बन्ध में हुई बातचीत का निष्कर्ष

2944. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री ने अपने हाल ही के दिल्ली दौरे के दौरान हिन्द महासागर में विदेशी नौ-सैनिक शक्तियों की उपस्थिति में वृद्धि तथा महासागर को इस प्रकार की विदेशी नौ-सैनिक शक्तियों की उपस्थिति और इस क्षेत्र को विदेशी अड्डों से मुक्त रखने की सम्भावनाओं के बारे में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हिन्द महासागर सम्बन्धी मसलों पर विचार-विमर्श हुआ।

भारत और आस्ट्रेलिया दोनों ही संयुक्त राष्ट्र की हिन्द महासागर सम्बन्धी तदर्थ समिति के सक्रिय सदस्य हैं। इस समिति ने हिन्द महासागर के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए कहा था ताकि संयुक्त राष्ट्र की 1971 की वह घोषणा अमल में लाई जा सके जिसमें हिन्द महासागर को बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता से मुक्त शांति का क्षेत्र बनाने के लिए कहा गया है। अभी तक इस सम्मेलन के लिए कोई तारीख तय नहीं हो पायी है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 43वें अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें इसे 1990 तक बुलाने की बात कही गई है।

सिक्किम में वाणिज्यिक फसलों को नुकसान

2946. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम में इलायची तथा आलू जैसी वाणिज्यिक फसलों को पाले से काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को सिक्किम सरकार से सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिक्किम राज्य सरकार को वास्तव में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) पाले से इलायची और आलू की फसलों को क्षति पहुंचने की न तो कोई रिपोर्ट मिली है और न ही सिक्किम सरकार से केन्द्रीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड को हुई हानि

[हिन्दी]

2947. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को अभी तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस यूनिट में घाटे को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) की कुल संचित हानि 20.72 करोड़ रुपए थी।

(ख) हानियां निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) गैस पर आधारित नई उर्वरक परियोजनाओं को आरम्भ करने में विलम्ब के कारण पूंजी नियरिंग प्रभाग में कार्य की कमी।

(2) पुराने केटालिस्ट पाइलट संयन्त्र का वाणिज्यिक उपयोग तथा मानव-सम्बद्ध भारी निश्चित लागत।

(3) अनुसंधान और विकास उत्पादों तथा सेवाओं से प्राप्त आय और अनुदान के बीच अन्तर तथा अनुसंधान और विकास पर व्यय।

(ग) नयी उर्वरक परियोजनाओं पर काम आरम्भ होने के पश्चात् इंजीनियरिंग प्रभाग की लाभ प्रदत्ता में सुधार होने की सम्भावना है। सिन्दरी में केटालिस्ट आधुनिकीकरण परियोजना के आरम्भण, जिसे सरकार ने 16 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया है, केटालिस्ट प्रभाग के आर्थिक रूप से लाभप्रद होने की संभावना है। अनुसंधान और विकास प्रभाग अपने घाटे को कम करने के लिए और अधिक ग्राहकोन्मुख कार्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नए कार्यक्रम शुरू करना

[अनुवाद]

2949. **डा० फूलरेणु गुहा** :

डा० वना सामन्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं अथवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश पुजारी) : (क) जी, हां, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नया सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1989 से शुरू किया जा रहा है।

(ख) जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना देश के 120 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी जिन्हें पिछड़ेपन तथा बेरोजगारी की स्थिति के आधार पर चुना गया है। योजना के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए है। योजना के अन्तर्गत दी गई निधियां वर्तमान मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के अतिरिक्त होंगी। यह हिसाब लगाया गया है कि नए तथा पुराने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित किया जाने वाला कुल मजदूरी रोजगार इतना होगा जिससे चयन किए गए जिलों में ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य की मजदूरी रोजगार की लगभग सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

कलिंगा आयरन वर्क्स का विस्तार

2950. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बारबिल स्थित कलिंगा आयरन वर्क्स के विस्तार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तार के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) उस संयंत्र के विस्तार के लिए यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है वह कितनी है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) कलिंगा आयरन वर्क्स इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० की इकाई है जो उड़ीसा सरकार का उपक्रम है। इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें कलिंगा आयरन वर्क्स की फाऊन्ड्री ग्रेड के कच्चे अयस्क की विद्यमान क्षमता 1,00,000 टन में और 40,000 टन बढ़ाने के संबंध में पंजीयन प्राप्त हुआ है। परियोजना की अनुमानित लागत 18.14 करोड़ रुपए है।

तुर्की के राष्ट्रपति की यात्रा

2952. **श्री चन्द्र पाल सिंह मलिक** :

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की के राष्ट्रपति फरवरी, 1989 में भारत आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रपति इवरेन की यात्रा भारत में तुर्की के किसी भी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की। बातचीत में द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की गई और अन्तर्राष्ट्रीय हित के विभिन्न मसलों पर एक-दूसरे को अपने-अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराया गया। इस यात्रा से दोनों पक्षों को आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों सहित परस्पर सम्बन्धों के बढ़ाने और उन्हें गहरा बनाने के प्रति अपनी राजनैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति का भी अवसर मिला।

गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित करना

2953. **श्री हेत राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उस मौसम के बाजार भावों को ध्यान में रखता है जबकि भाव बहुत ही कम होते हैं;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1989 को 173 रुपये, प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित करने का औचित्य क्या था जबकि बाजार भाव 295 रुपए से लेकर 450 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था;

(ग) क्या सरकार का किसानों को प्रचलित बाजार भाव का लाभ देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1988-89 के विपणन मौसम के लिए गेहूं का खरीद का मूल्य 173/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। यह निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यह आयोग मूल्यों के स्तर के बारे में सिफारिशें करते समय अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखता है जिनमें वस्तुओं के पूरे वर्ष के दौरान विद्यमान रहे मंडी मूल्यों का रुख, मंदी की अवधि सहित, उत्पादन की लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन जीवन यापन के स्तर पर प्रभाव चुकता मूल्यों और प्राप्त मूल्यों के बीच समतुल्यता, आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) किसान अपने उत्पादन को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर खुली मंडी में बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं।

खानों से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार

2954. प्रो० मधु दंडवते : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति है कि परियोजनाओं के लिये भूमि-अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए परिवारों के सदस्यों को तथा स्थानीय लोगों को उन परियोजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित माधवराम डोलोमाइट खानों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से रोजगार के लिये प्राप्त आवेदन बहुत समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या उक्त सरकारी क्षेत्र की परियोजना उत्पादन करने की स्थिति में आ चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानीय जन-जातीय व्यक्तियों तथा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) सरकार की आम नीति के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है बशर्ते वे उपयुक्त हों और सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रम में रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ख) से (घ) माधाराम डोलोमाइट खान के विस्थापितों और स्थानीय लोगों द्वारा रोजगार मांगने के सम्बन्ध में कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। माधाराम डोलोमाईट खान में रोजगार देने के लिए रोजगार कार्यालय से प्राप्त कुछ व्यक्तियों के नामों पर परियोजना के अधिकारी विचार कर रहे हैं। माधाराम डोलोमाईट खान पहले से ही परीक्षण के दौर में चल रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत "ट्राईबल एरिया आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट"

2955. श्री एच० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने एककों के माध्यम से "ट्राईबल एरिया आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट" का संचालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से राज्यों को सम्मिलित किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हैं तथा इनकी अब तक की राज्यवार उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह परियोजना दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के अन्तर्गत 26 केन्द्रों में संचालित है।

(ग) इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) परियोजना के अन्तर्गत जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का एक सर्वेक्षण करना;

(2) उत्पादन तथा आय बढ़ाने के लिए उनके खेतों पर उपयुक्त कम लागत की कृषि प्रौद्योगिकियां प्रचालित करना; और

(3) आधुनिक कृषि तथा प्रबन्ध की पद्धतियों में प्रशिक्षण देना।

परियोजना के प्रारम्भ से, परियोजना के अधीन 26 केन्द्रों के माध्यम से 16,000 जनजातीय परिवारों ने लाभ उठाया है। नई कृषि पद्धतियां अपनाने के कारण उनकी आय में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब तक प्राप्त हुई राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में देखी जा सकती हैं।

विवरण

जनजातीय क्षेत्र परिचालन अनुसंधान परियोजना के अधीन राज्यवार संक्षिप्त उपलब्धियां

1. **आंध्र प्रदेश**—जनजातियों पर परिचालन अनुसंधान परियोजना विजयनगरम में रस्ता-कुण्टवाई सीरीकुंकलम में सीथाम्पेटा और विजयनगरम में भद्रगिरी में स्वीकृत की गयी थी धान अर्थात् आर० जी० एल० 1210, 1231 और रागी के 1746, बाजरा के०बी०आर०-550 हरी घास के आई० सी० एम० एस०-7703, मूंगफली के टी० एस०-16 और कदीरी-1-3 की उन्नत किस्मों पर प्रदर्शन चलाये गये थे। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप उपज में 50% से 200% वृद्धि दिखाई गयी थी। प्रदर्शन स्थलों पर पड़ोसियों के साथ-साथ भाग लेने वाले किसानों को खेत दिवस के आयोजन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। सब्जियों तथा अनानास के साथ रेखों के अन्त: फसल पर भी प्रदर्शन किये गए थे। किसानों ने 15,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति एकड़ हैक्टर शुद्ध लाभ कमाया।

2. **बिहार**—बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित रांची में एक केन्द्र प्रचालित है, इस केन्द्र में अब तक 300 परिवारों को लाभ हुआ है। इस क्षेत्र के सामान्य फसलों के अधिक उपज किस्मों

के अन्तर्गत लगभग 150 हैक्टर क्षेत्र लाया गया था। प्रचलित अन्त: फसलों पर प्रदर्शन किये गये थे, जहां स्थानीय जगहों पर 20 क्विंटल/हैक्टर से अधिक उपज प्राप्त की गयी थी। उपयुक्त प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनों के बाद जनजातीय परिवारों ने सब्जियों तथा फल की कृषि अपनायी है। जनजातीय समुदायों के बीच गार्डन पी की अरर्रेन्ज किस्म और तम्बाकू अधिक प्रचलित हुए पाये गये थे, और वे 3,000 रुपये प्रति हैक्टर से अधिक कमा सकते हैं।

3. **गुजरात** – गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित पांच केन्द्र अर्थात डेंग में बाघाई, सबरकण्ठा में खेडूब्रह्मा, बनासकण्ठा में दीसा, पंचमहल में दहोद और खेरा जिले में बल्लभ विद्यानगर कार्य कर रहे हैं, और पांचवां चारोतार विद्यामण्डल, बच्चों तथा महिला विकास द्वारा निष्पादित है। जनजातीय परिवारों ने धान की (रतना) ज्वार की (जीजे-35, 36, सी० एस० एच०-5 और आई०) की अधिक उपज किस्में और स्थानीय किस्मों के स्थान पर मूंगफली की (जे० एस०-24) किस्में अपनायी हैं। काला कपास-काला चना (2139 रुपये/हैक्टर), कपास-लोबिया (2050 रुपये/हैक्टर), मक्का-काला चना (1553 रुपये/हैक्टर) से उच्चतम कुल लाभ हुए।

4. **हिमाचल प्रदेश** – केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला जनजातीय क्षेत्रों अर्थात लाहोल स्पीति, बघाई -(डंग) और अहमदनगर में आलू के विकास पर 3 केन्द्र प्रचालित किये थे। आलू पर लगभग 200 प्रदर्शन किये गये थे, जहां 160 क्विंटल/हैक्टर से 437-50 क्विंटल/हैक्टर के दायरे में उपज प्राप्त हुई थी।

5. **केरल** – अंबूरी में एक केन्द्र काम कर रहा है जो केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों के लिए अधिक सफल होमस्टीड व्यवसायों की एक रबड़ की बागवानी पर नियमित आम के लिए प्रदर्शन चलाए गए थे। लोबिया और शकरकन्दी के साथ अन्त: फसल टेपिको प्रचलित पाई गई थी। होमस्टीड पर चीकू, आम तथा पपीते की बागवानी की गई थी। प्रत्येक परिवार औसतन 400 रुपये/प्रति वर्ष कमा सकता है।

6. **महाराष्ट्र** – इस राज्य में चार केन्द्र अर्थात् धारनिम, अमरावती जिले में चौंसलधारा, नन्दद जिले में किन्वत, गदचिरोली जिले में अहेरी चलाए जाते हैं। जनजातीय खेत में संकर ज्वार (सी० एस० एच०-5 और) प्रदर्शन किया गया था जिसकी उपज स्थानीत किस्मों से (13.0 क्विंटल/-हैक्टर) से 40% अधिक थी। खेत दिवसों पर जनजातीय किसानों को विभिन्न फसल पद्धतियां तथा अन्त: फसल पर प्रदर्शन किये गये थे। ज्वार-गेहूं-मूंग पर 7005 रुपये/हैक्टर प्राप्त हुए; सोयाबीन-गेहूं-मूंग, धान-गेहूं-मूंग, धान अथवा मूंगफली-गेहूं-धान-सब्जी से औसतन 5000 रुपये/हैक्टर प्राप्त हो सका।

जनजातीय क्षेत्रों में नीबू, पपीता, अमरूद और नारंगी के 100 किचन गार्डन और 70 बगीचे लगाये गये थे। इससे जनजातीय लोगों को प्रति परिवार 50 रु० और प्रति गार्डन 1500 रु० की अतिरिक्त आय हुई है।

7. **मध्य प्रदेश** – मन्डला जिले में डिन्डोरी और सिद्धि शहर में सिद्धि नामक केन्द्रों को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा चलाया जा रहा है। धान की 6 उन्नत किस्मों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया और उनसे 30 क्विंटल प्रति हैक्टर से भी अधिक पैदावार प्राप्त की गई। कोदो, कुटकी, रामतिल, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चना, सरसों की उन्नत किस्मों का भी प्रदर्शन किया गया था। कुल मिलाकर इन फसलों की पैदावार स्थानीय किस्मों की तुलना में

2½ गुना अधिक थी। गेहूं के मामले में, पैदावार 30 क्विंटल प्रति हैक्टर से भी अधिक थी। गर्मी के मौसम में भिण्डी और लोबिया की खेती की गई थी जिन्होंने स्थानीय किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार दी। इससे 3000 प्रति हैक्टर की पैदावार प्राप्त हुई।

8. उड़ीसा—इस राज्य में तीन केन्द्र जैसे—फुलबनी, क्योझर और कोरापुट कार्य कर रहे हैं जो उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे हैं। बारानी स्थितियों के अन्तर्गत मेस्टा के साथ माइनर (छोटे अनाज) मिलेट या रागी या सब्जी, सब्जियों और खाद अरहर आदि के साथ अरहर रागी, मक्के की अन्त: कृषि की गई। इनका जनजातीय क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया और इनके संयोजन से 6000 रु० प्रति हैक्टर से भी अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त की गई। जबकि अधिकांश मामलों में यह आय 1500 से 4000 रुपये प्रति हैक्टर के बीच थी। पूरक आय के लिए जनजातियों में मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, रेशम उत्पादन, टोकरी बनाने आदि का काम शुरू किया गया है। जिसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसका प्रदर्शन किया गया है। औसतन ऐसे व्यवसायों से प्रति वर्ष प्रति परिवार औसतन 1000 रु० कमाया जा सकता है।

9. राजस्थान—राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के नियंत्रण के तहत बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में दो केन्द्र चलाए जा रहे हैं। खरीफ-रबी और गर्मी के दौरान फसल उत्पादन पर जनजातीय किसानों के लिए 1200 से भी अधिक प्रशिक्षणों का प्रदर्शन किया गया था। इनमें मुख्य फसलें मक्का, कपास, गेहूं, सरसों और मूंग थी। मिलवा खेती में ज्वार-मूंग या उड़द-मक्का उगायी गयी। सबसे अधिक पैदावार 36 क्विंटल प्रति हैक्टर मक्के की थी जबकि इसका औसत उत्पादन 18 क्विंटल प्रति हैक्टर था। आम, चीकू, केला और नीबू वर्गीय फलों की बड़े पैमाने पर रोपाई की गई। 120 सब्जी के फार्म लगाए गए जिनसे जनजातीय लोग 4500 रु०/हैक्टेयर से भी अधिक की आय प्राप्त कर रहे हैं। अतिरिक्त आमदनी के लिए रस्सी बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है जिससे जनजातीय परिवार 30 रु० प्रतिदिन की अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं।

10. तमिलनाडु—तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में नीलगिरि जिले में संस्यमंगला नामक एक केन्द्र कार्य कर रहा है। चाय, कॉफी, आलू और कोल फसलों पर जनजातीय किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किए गए। इन फसलों को उगाने के लिए वैज्ञानिक प्रबन्ध पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये फसलें स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 2 गुनी अधिक पैदावार दे रही हैं।

लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन

2956. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल इस्पात उत्पादन का एक तिहाई उत्पादन लघु इस्पात एककों द्वारा किया जाता है;

(ख) लाइसेंस प्राप्त कितने संयंत्र चल रहे हैं और कितने संयंत्र बन्द हो गए हैं;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान कितनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया गया तथा क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि सरकार को ऐसे प्रोत्साहन देने चाहिए जिससे उनकी उपयोग क्षमता में वृद्धि हो जाये और आपने में दिए गए सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) कुल इस्पात उत्पादन का एक-चौथाई से कुछ अधिक भाग लघु इस्पात संयंत्रों में किया जाता है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 142 लाइसेंस शुदा इकाइयां कार्यरत हैं और अन्य 23 लाइसेंस शुदा इकाइयों के विभिन्न कारणों से बन्द हो जाने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) कार्यरत इकाइयों की 1988 के दौरान क्षमता उपयोग सामान्य तौर पर 70% से 90% तक थी। क्षमता उपयोग के ये स्तर निम्नलिखित कारणों से हैं :—

(1) आन्तरिक वित्तीय कठिनाइयां

(2) अपर्याप्त विद्युत सप्लाई, तथा

(3) स्क्रैप की कमी।

(घ) इस उद्योग से आदानों की कमी के संबंध में सरकार को समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस उद्योग की मांग को यथासंभव पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्टील स्क्रैप/स्पंज स्टील आयात करने के संबंध में कदम उठाए है।

कर्नाटक को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

2957. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-89 के दौरान कर्नाटक को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इन क्षेत्रों में कृषि में विविधता लाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1988-89 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए कुल 1249.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है जैसे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 312.25 लाख रुपए रिलीज किए जा चुके हैं।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसलिए एक समन्वित वाटर शेड परियोजना के ढांचे में भूमि विकास, जल संरक्षण, वन रोपण और चरागाह विकास आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में क्षेत्र विकास कार्य करने के लिए निधियों का आवंटन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त किसानों जैसे अलग-अलग लाभार्थियों के लिए निवेश सहायता उपलब्ध करने के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किए जाते हैं। यह निर्धारित किया गया हैं कि अलग-अलग लाभार्थियों को ऐसी सहायता परियोजना क्षेत्र में ही उपयुक्त रूप में लाभार्थियों के लाभ के लिए केन्द्रीय/राज्य योजनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस्पात का मूल्य और आयात नीति

2958. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात का मूल्य निर्धारित करने और इसकी आयात संबंधी नीतियों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1988 89 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एककों का उत्पादन

2959. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन चल रहे इस्पात संयंत्रों ने वर्ष 1988-89 के दौरान अपने उत्पादन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तत्संबंधी तिमाहियों में हुए उत्पादन की तुलना में इस वर्ष की तिमाहियों में हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1988-89 के दौरान "सेल" द्वारा अपरिष्कृत इस्पात का तिमाही-वार उत्पादन और पिछले वर्ष की इसी तिमाही (अप्रैल, 87-फरवरी, 88) की तुलना में अप्रैल, 88-फरवरी, 89 के दौरान संचित उत्पादन निम्नानुसार है :—

(मिलियन टनों में)

	वर्ष		वर्ष 1987-88 के संदर्भ में वृद्धि
	1988-89	87-88	प्रतिशत
पहली तिमाही	1.952	1.680	16
दूसरी तिमाही	1.952	1.692	15
तीसरी तिमाही	2.213	1.937	14
चौथी तिमाही (जनवरी-फरवरी) अप्रैल-1988 फरवरी-1989	1.502	1.439	4
	7.619	6.748	13

(ग) उन्नत अनुरक्षण सहित बेहतर उपस्करों की उपलब्धता तथा प्रौद्योगिकी का कड़ाई से पालन करने से वर्धित क्षमता सहित घमन भट्टी उत्पादकता में वृद्धि हुई है जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में पानी की कमी

2960. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में पानी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) पानी की कमी किस हद तक दूर कर दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समस्या से निपटने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अपनाए गए उपाय निम्नानुसार है :

(1) उपलब्ध भंडार को सुरक्षित रखने के लिए लागू जल पुनर्चक्र योजनाएं ।

(2) बस्ती में नलकूपों को लगाकर पीने के पानी की सप्लाई को संरक्षित करना तथा पूरा करना ।

(ग) इन उपायों से लगभग पचास प्रतिशत तक औद्योगिक जल की खपत में कमी आई है । ग्रीष्म के महीनों में भारी कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से संबंधित स्तर पर पानी की सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है ।

तिलहन निगम

2961. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहन की खरीद, तिलहन का समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये खाद्य निगम की तरह एक तिलहन निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में तिलहनों संबंधी समाकलित नीति की घोषणा की है। किसानों और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक मूल्य पर तिलहनों और खाद्य तेलों की खरीद को सुनिश्चित करना इस नीति की प्रमुख विशेषता है । इसमें खाद्य तेलों और तिलहनों का पर्याप्त भण्डार बनाने का काम शामिल है, ताकि उनकी बिक्री और खरीद के जरिए बाजार पर नियंत्रण बनाये रखना सम्भव हो सके । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, राज्य स्तर के सात फेडरेशनों और 3300 सहकारी समितियों के अपने विशाल ढांचे के माध्यम से एक 700 करोड़ रुपये की प्रयोजना चला रहा है, जो इस भूमिका का बखूबी निभा सकता है । अतः उसे भारत सरकार की बाजार नियंत्रण एजेंसी (मार्केट इन्टर्वेशन एजेंसी) के रूप में नामजद किया गया है ।

इन परिस्थितियों में यह खाद्य तेलों तथा तिलहनों के मामले में वैसी ही प्रभावशाली भूमि अदा करेगा, जैसी भारतीय खाद्य निगम गेहूं तथा धान के मामले में करता रहा है । इस दृष्टि से सरकार ने तिलहन निगम की स्थापना का प्रस्ताव किया है ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा का प्रस्ताव

2962. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महासभा द्वारा पिछले सत्र में पारित प्रस्तावों के शीर्षक क्या हैं;

(ख) भारत द्वारा सहप्रायोजित, समर्थित, निषेधित अथवा प्रतिरोधित प्रस्तावों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बन्धित मामलों में निषेध अथवा प्रतिरोध करने का औचित्य क्या है; और

(घ) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाओं पर राष्ट्रीय नीति

[हिन्दी]

2963. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकम्पों और बाढ़ों से हुए विनाश को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदाओं पर राष्ट्रीय नीति बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) प्राकृतिक आपदा राहत व्यय के लिये वित्तीय सहायता देने की राष्ट्रीय नीति समय-समय पर नियुक्त वित्त आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों पर आधारित है। वर्तमान नीति प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली स्थिति को आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है।

परमाणु नीति की पुनरीक्षा

2964. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा ट्रिशियम प्राप्त करने और परमाणु बम बनाने में उसकी प्रगति को देखते हुए सरकार का विचार अपनी परमाणु नीति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो देश की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार उन सभी घटनाओं जिनमें पाकिस्तान का चोरी छिपे नाभिकीय हथियार कार्यक्रम भी शामिल हैं पर बराबर निगरानी रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है; और सरकार देश की सुरक्षा का सुनिश्चिय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

उड़ीसा के समाज-कल्याण बोर्ड द्वारा मुद्रणालय की स्थापना

[अनुवाद]

2965. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जिला गंजम स्थित सर्वोदय सामाजिक केन्द्र बेल्लागुथा द्वारा बेल्लागुथा में एक मुद्रणालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मुद्रणालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है क्योंकि इसमें मशीनरी और उपकरणों पर अधिक पूंजी निवेश के अनुरूप महिलाओं को रोजगार प्रदान किये जाने की गुंजाइश नहीं है।

बाल कल्याण योजनाएं

2967. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी बाल कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित महिलाओं की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस प्रकार के बाल सेविका केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ महत्वपूर्ण बाल कल्याण योजनाओं के नाम जो उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं, निम्न प्रकार हैं :—

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०)
2. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम
3. कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह
4. प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम
5. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
6. सुरक्षा और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए योजना
7. किशोरों के समाजिक कुसमंजन की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए योजना
8. विश्वव्यापी रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम
9. मौखिक पुनर्जलयोजन चिकित्सा

10. पोषाहारीय रक्तक्षीणता के विरुद्ध रोग-निरोधन और

11. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम ।

(ख) इस तरह की किसी रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर/टेलीविजन

2968. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर और टेलीविजन ज्ञान और शिक्षा के सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम के रूप में स्वीकार किये जाने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम हाई स्कूल स्तर पर सभी विद्यालयों में एक कंप्यूटर और एक टेलीविजन सेट प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) अनुसंधान अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि टेलीविजन तथा संगणकों सहित प्रौद्योगिकी सक्षमता, यदि नियमितता के साथ और उचित स्कूल-स्थापना में प्रशिक्षित अध्यापकों के मार्गदर्शन में उपयोग में लाई जाए, तो ये ज्ञान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए प्रभावी माध्यम हो सकते हैं ।

(ख) और (ग) वर्ष 1987-88 में शिक्षा प्रौद्योगिकी की शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना में यह परिकल्पना की गई है कि प्रारम्भिक स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से टी० वी० सैटों तथा रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स मुहैया किये जाएंगे । टी० वी० सैटों की 75% और रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स की शत-प्रतिशत लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है । वर्ष 1987-88 के दौरान 13 राज्य/संघ शासित प्रदेशों को 10,041 टी० वी० सैट तथा 37,562 रेडियो एवं कैसेट प्लेयर मंजूर किए गए थे । वर्ष 1988-89 के दौरान अभी तक 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 11,029 टी० वी० सैट और 49,430 रेडियो एवं कैसेट प्लेयर मंजूर किए गए हैं ।

स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) सम्बन्धी एक प्रायोगिक परियोजना वर्ष 1984-85 में 248 स्कूलों में आरंभ की गई थी और 1701 और अधिक स्कूल को जोड़ते हुए जिन्हें वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में शामिल किया गया था । इसका वर्ष 1987-88 तक वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार किया गया था । क्लास कार्यक्रम में प्रत्येक चुने गये स्कूलों में पांच सूक्ष्म-संगणक सप्लाई करने की परिकल्पना है । स्कूलों का चयन राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों की सिफारिश पर किया जाता है । निधियां उपलब्ध होने पर सरकार और अधिक स्कूलों को संगणक देना पसन्द करेगी ।

तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा जारी किए गए निर्देश

2969. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा तिलहनों तथा खाद्य तेलों के उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी विभिन्न निकायों को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : तिलहनों पर टैक्नालाजी मिशन अनेक सरकारी एजेन्सियों का एक संघ है। यह मिशन तिलहनों का उत्पादन बढ़ाकर और तिलहनों के संसाधन के तरीके को और अधिक कारगर बनाकर खाद्य तेलों के मामले में तेजी से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के काम में जुटा हुआ है। कारगर समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए इस मिशन ने 4 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 4 छोटे मिशन बनाए है।

—भा० कृ० अ० परिषद के नेतृत्व में फसल उत्पादन टैक्नालाजी संबंधी एक छोटा मिशन किसानों को प्रेरित करने के लिए लाभकारी टैक्नालाजी का और आगे विकास करेगी।

—सी० एस० आई० आर० के नेतृत्व में कटाई के बाद की टैक्नालाजी संबंधी मिशन कटाई के बाद की कारगर टेक्नालाजी के विकास के लिए काम करेगा, जिसमें खासकर भण्डारण, संसाधन, रखरखाव और विपणन आदि का काम शामिल होगा, ताकि तिलहन की एक निश्चित मात्रा से और अधिक तेल और दूसरे उत्पाद प्राप्त किए जा सकें।

—कृषि और सहकारिता विभाग के नेतृत्व में विस्तार और किसानों को जरूरी साज-सामान पहुंचाने से संबंधित सेवाओं वाला मिनी मिशन किसानों को और अधिक उत्पादक और फायदेमंद टैक्नालाजी पहुंचाने के लिए और बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, कीटनाशी, रसायन उपकरण, कर्ज आदि जैसे खेती के जरूरी निवेशों की व्यवस्था करेगा, ताकि किसानों को तिलहन के उत्पादन की बेहतर टैक्नालाजी का इस्तेमाल करने में मदद मिले।

—किसानों को अधिक मूल्य दिलाने और कटाई के बाद उपज के संसाधन की प्रक्रिया को बेहतर और अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से व्यापार और उद्योग को और ज्यादा सहायता देने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग की सह-अध्यक्षता में फसल की कटाई के बाद सहायता देने पर एक मिनी मिशन बनाया गया है।

2. हरेक मिनी मिशन द्वारा अलग-अलग व्यावहारिक (आपरेशनल) योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनके अपने उद्देश्य, नीतियां और समयबद्ध कार्यकलाप हैं।

हर महीने प्रत्येक मिनी मिशन द्वारा इन कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है और इसके बाद मिशन समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है, जिसमें सभी हिस्सेदार एजेन्सियां शामिल हैं। इस तरह मिनी मिशन की व्यावहारिक (आपरेशनल) योजनाओं में तिलहनों और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित नीतियां और कार्यकलाप शामिल हैं।

3. तिलहन उगाने वाले प्रमुख राज्यों ने अपने स्तर पर ऐसे मिशन बनाए हैं और मिशन के कार्यकर्ताओं में इसी तरह के निर्देश दिये हैं। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के तहत उन्हें सहायता मिलती है। इन योजनाओं के तहत वित्तीय और भौतिक प्रगति पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखी जाती है तथा केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों को उपयुक्त दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, ताकि उनका कारगर ढंग से कार्यान्वयन हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रगति की समीक्षा करते एवं समस्याओं को हल करने के लिए टी० एम० ओ० के अधिकारी राज्य का बार-बार दौरा करते हैं।

शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

2970. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जाएगा और इस संयंत्र के लिए किसी अनिवासी भारतीय को संस्थापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या पहले भी इस संयंत्र की स्थापना का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया था परन्तु उसने अनेक बार इसे बीच में ही छोड़ दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र की स्थापना का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को देने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) एक प्रवासी भारतीय के आवेदनपत्र पर विचार किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

(ख) गत समय में मैं० ए० पी० जे० फर्टिलाइजर लि० द्वारा परियोजना का धीमी गति से कार्यान्वयन किये जाने के कारण आशयपत्र की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई गयी ।

(ग) हमारी तरह की मिली-जुली अर्थव्यवस्था में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए गुंजाइश है जो संसाधनों की उपलब्धता, उद्यमियों की क्षमता आदि पर निर्भर करती है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का तेजी से विकास करने हेतु राज्यों द्वारा किए गए उपाय

2971. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का तेजी से विकास करने हेतु राज्य सरकारों को प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों पर बिक्री कर तथा चुंगी दरों में कमी करने तथा विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने सहित कोई उपाय करने का परामर्श दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से सम्बन्धित गतिविधियों का समन्वय करने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिए नोडल एजेंसियां नियुक्त करने की सलाह दी गई है । विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं का पता लगाने तथा उन पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करने के उद्देश्य से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य जोनों की नोडल एजेंसियों की बैठकें आयोजित की गई ।

कोचीन पत्तन का विकास

2972. **प्रो० के० वी० थामस** :

श्री अक्कम पुरुषोत्तमन : क्या अन्त-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केरल में कोचीन पत्तन के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) कौन-कौन से विकास कार्य आरम्भ किए गए और आबंटित धनराशि की तुलना में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) कोचीन पत्तन न्यास की योजनागत स्कीमों के लिए वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए आबंटित परिव्यय और इन आबंटनों में से किया गया खर्च निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	योजनागत परिव्यय (अन्तिम)	खर्च
1987-88	3.54	1.38
1988-89	14.00	8.19 (फरवरी 89 तक)

इन वर्षों के दौरान क्रियान्वित की गई/क्रियान्वित की जा रही मुख्य विकास योजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) एकीकृत विकास परियोजना

(2) कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं

(3) "लेडी विलिंगडन" ड्रेजर के बदल में ड्रेजर

(4) क्रेनों की खरीद

(5) कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं—द्वितीय चरण

(6) स्टोर्स कम्प्लेक्स और बार्ज बर्थ का निर्माण।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा जियोविनोला बिन्नी को अपने नियन्त्रण में लेना

2973. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड ने जियोविनोला बिन्नी को अपने नियन्त्रण में ले लिया है तथा उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या जियोविनोला बिन्नी के भूतपूर्व कर्मचारियों ने फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड से उन्हें रोजगार देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लि० (फैक्ट) ने पालूरुथी में परिसमापक से नीलामी में जियोविनोला बिन्नी से अचल परिसम्पत्तियां प्राप्त की हैं। अर्जित परिसम्पत्तियों को पुन: चमकाया गया है और फैक्ट इंजीनियरिंग वर्कस (एयू) की गतिविधियां 10 फरवरी, 1989 से पालूरुथी में स्थानांतरित कर दी गई हैं। पालूरुथी में प्रचालन पहले ही आरम्भ हो चुका है।

(ख) और (ग) परिसमाप्त कम्पनी के कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों ने पुन: रोजगार के लिए अनुरोध किया है। उनके अनुरोध पर अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्ध क्षमता और फैक्ट के भर्ती नियमों के विषयानुसार विचार किया जाएगा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कालीकट में पासपोर्ट के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

2975. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 31 जनवरी, 1989 तक पासपोर्ट के लिए कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे; और

(ख) सरकार इन आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) 43,632

(ख) पासपोर्ट जारी करने में देरी का मुख्य कारण वर्ष 1988 के दौरान आवेदन पत्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना है। समयोपरि भत्ते की अदायगी और आकस्मिक आधार पर अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में बढ़े हुए कार्य भार के अनुपात में स्टाफ बढ़ाने के संबंध में स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा एक नया अध्ययन आरम्भ किया गया है। पुलिस/अन्य प्राधिकारियों के पास 13545 मामले बकाया पड़े हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए पुन: कहा गया है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की अवहेलना किए बिना पुलिस जांच को शीघ्र करवाने का सुनिश्चय करने के संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं।

नारियल का उत्पादन

2976. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान नारियल उत्पादन के लक्ष्य की कितनी प्राप्ति होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : 1988-89 के दौरान नारियल का उत्पादन 7360 मिलियन दानें होने की संभावना है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति

2978. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी की सभी श्रेणियों में अब तक श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा पहले से सहमत 5000 से 6000 व्यक्तियों में से कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) संयंत्र के प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अलग-अलग रूप से पूरा होने तक कितने अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० कोतेवार) : (क) 1413 कार्यपालक तथा 7426 गैर-कार्यपालक (जिसमें प्रशिक्षार्थी शामिल हैं)।

(ख) 3199

(ग) उपयुक्तता के अनुसार, चरण-I तथा चरण-II की समाप्ति तक क्रमश: 800 और 1000 व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है।

विदेशों में भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों द्वारा भारतीय निवासियों को नियुक्त करना

2983. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भारतीय निवासियों को नियुक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी करना

2984. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान पासपोर्टों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और पटना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) क्या बिहार में प्रवासियों को सरकार से प्रवासन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वर्ष 1986 से 1988 के दौरान पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों और जारी किये गये पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :—

	1986	1987	1988
पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र	11893	10000	12768
जारी किये गये पासपोर्ट	15344	8394	8543

(ख) से (घ) चूंकि श्रम मंत्रालय भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय है इसलिए यह मंत्रालय इस संबंध में वैयक्तिकों की कठिनाइयों और शिकायतों की जांच करता है। तथापि, वह मंत्रालय उत्प्रवासन निकासी अथवा व्यक्तिगत शिकायतों के संबंध में कोई राज्यवार आंकड़े नहीं रखता।

"टिसू कल्चर योजना" के अन्तर्गत नारियल की पौध

2985. श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को सप्लाई करने हेतु "टिसू कल्चर योजना" के अन्तर्गत नारियल की पौध बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस टैक्नालाजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब तकनीक में सुधार लाया जाएगा तथा अग्र स्तर पर किया जाने वाला अध्ययन सफल हो जाएगा ।

(ग) तिलहन टैक्नालाजी मिशन के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य में तेजी लाई गई है और जैव टैक्नालाजी विभाग केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान सहित चार प्रयोगशालाओं में इस कार्यक्रम को धन दे रहा है तथा उसकी निगरानी कर रहा है ।

"मिल्क सोलिड्स" का आयात

2988. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपहार के रूप में और वाणिज्यिक रूप में "मिल्क सोलिड्स" की बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, "मिल्क सोलिड्स" का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इन्हें किस प्रकार वितरित किया गया;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित दिल्ली और कलकत्ता स्थित मदर डेयरी और अन्य डेयरियों को काफी मात्रा में "मिल्क सोलिड्स" जारी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो वर्षवार और डेयरीवार, किए गए वास्तविक आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त जिसें धन अर्जित करने तथा आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत बफर स्टाक तैयार करने के लिए होती हैं । देश की कुल पैदावार में (कुल ठोस दूध पदार्थों के रूप में) आयात वाले अंश में मोटे तौर पर 1970-71 के 15.4 प्रतिशत की तुलना में 1987-88 में 5 प्रतिशत की कमी हुई है ।

(ख) 1986-87 से 1988-89 तक (दिसम्बर, 1988 तक) गत तीन वर्षों के दौरान ठोस दूध पदार्थों का आयात और डेयरी संयंत्रों को जारी किए गए दूध के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं ।

(ग) तथा (घ) कलकत्ता और दिल्ली में पुन: मिश्रण उद्देश्यों के लिए डेयरियों को जारी किए गए डेयरी जिंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं ।

विवरण-1

1986-87, 1987-88 और 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान उपहार और वाणिज्यिक आधार पर सप्रेटा दुग्ध चूर्ण, सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और सफेद मक्खन का आयात और पुन: मिश्रण के लिए डेयरी संयंत्रों को जारी की गई दुग्ध सामग्री का ब्यौरा

(मात्रा मी० टन में)

वर्ष	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण	संपूर्ण दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	सफेद मक्खन
आयात (अनन्तिम)				
1986-87	5879	10	344	800
1987-88	38005	—	18336	6059
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	28172	—	शून्य	5162
जारी की गई सामग्री (पुन: मिश्रण उद्देश्यों के लिए)				
1986-87	35782	2870	3499	4112
1987-88	38106	—	7351	3401
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	28609	—	4362	4189

विवरण-2

1986-87, 1987-88 और 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान पुनःभरण उद्देश्यों के लिए कलकत्ता और दिल्ली में डेयरियों को जारी किए गए स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और सफेद मक्खन के ब्यौरे

(मात्रा मीटरी टन में)

(दिसम्बर, 1988 तक)

	1986-87				1987-88			1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)		
	स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	संपूर्ण दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	सफेद मक्खन	स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	सफेद मक्खन	स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	सफेद मक्खन
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली										
दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली	5382	—	330	604	7176	867	571	5094	656	38
मदर डेयरी	9063	—	894	1558	11239	2310	1500	10850	2069	1241
कलकत्ता										
ग्रेटर कलकत्ता दुग्ध योजना	4640	—	795	—	4333	1625	49	2760	151	494
कलकत्ता मदर डेयरी	8594	2710	573	823	11262	2141	1281	7383	868	874

खाद्यान्न उत्पादन

2989. **श्री हुकुम चन्दकछवाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हुए खाद्यान्न उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन की दर मिलियन टन में सर्वाधिक रही है;

(ग) क्या सरकार का संबंधित राज्यों को सर्वाधिक उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन क्रमश: 150.44, 143.42 और 138.41 मिलियन टन था।

(ख) पंजाब राज्य को खाद्यान्नों के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन दर थी, जो 1967-68 से 1986-87 की अवधि के लिए प्रति वर्ष 6.57 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) इस समय संबंधित राज्यों को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा योग्य व्यक्तियों को मान्यता देना

2990. **श्री के० राममूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो ने खनन पट्टा देने हेतु खनिज रियायत नियमों के नियम 22 सी के अन्तर्गत अब तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों को पात्र माना है; और

(ख) संशोधित खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जिन खनन पट्टों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज रियायत नियमावली के नियम 22 सी के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को मान्यता प्रदान की गई उनका राज्य-वार ब्यौरा 8-3-89 को यथास्थिति इस प्रकार है :—

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	54
2.	असाम	6
3.	बिहार	42
4.	चण्डीगढ़	2
5.	दिल्ली	16

1	2	3
6.	गोवा	72
7.	गुजरात	24
8.	हरियाणा	5
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	कर्नाटक	47
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	59
13.	महाराष्ट्र	49
14.	मेघालय	1
15.	नागालैंड	1
16.	उड़ीसा	38
17.	राजस्थान	94
18.	तमिलनाडु	67
19.	उत्तर प्रदेश	10
20.	पश्चिम बंगाल	51
	जोड़	644

(ख) प्राप्त विवरणों के अनुसार, संशोधित किए जाने वाले खनन पट्टों की 25-2-1989 तक यथास्थिति संख्या इस प्रकार है :—

	राज्य	खनन पट्टों की संख्या
1.	बिहार	17
2.	जम्मू और कश्मीर	2
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	उड़ीसा	1
5.	उत्तर प्रदेश	1
6.	पश्चिम बंगाल	18
	जोड़	40

विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन

2991. **श्री के० राममूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की इंटिग्रेटिड नाइन-स्मैल्टर कम्प्लेक्स से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गुजरात और राजस्थान में अम्बामाता और डेरी जिंक और लेड खानों के विकास की वर्तमान क्या स्थिति है; और

(ग) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदि में लेड और जिंक भंडारों की खोज के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का वृहत सीसा-जस्ता खनन तथा प्रद्रावण कम्प्लेक्स 17-11-1988 को स्वीकृत किया गया था और इसे स्वीकृति की तारीख से 28 महीने के अन्दर पूरा किया जाना है। प्रोजेक्ट पर काम पूरे जोरों पर है तथा प्रमुख कार्यों के लिए आदेश दे दिए गए हैं और कम्पनी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में गांवों में पेयजल की कमी

[हिन्दी]

2992. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन गांवों की संख्या कितनी है जहां पिछले सूखे के दौरान पेयजल की कमी हो गई थी;

(ख) इनमें से ऐसे कितने गांवों को अब तक पेयजल उपलब्ध कर दिया गया है और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश पुजारी) : (क) 1987-88 के पिछले सूखे की अवधि के शुरू में उत्तर प्रदेश में 4500 गांवों में पेयजल की कमी थी।

(ख) उपर्युक्त सभी गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। तथापि, 1 फरवरी, 1989 को पता लगाए गए 6516 समस्या ग्रस्त गांव हैं जिनमें स्वच्छ पेयजल सुविधाएं नहीं हैं, जिन्हें कवर करने के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा रहा है। 1987-88 के दौरान अभाव राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में 9.23 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 37.5 करोड़ रुपए की राशि मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 0.3 करोड़ रुपये

की राशि उपलब्ध कराई गई थी। 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 37.01 करोड़ रुपए मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों के लिए 6.5 करोड़ रुपए और पेयजल में फ्लोराइड के नियन्त्रण और अधिक लौह को दूर करने संबंधी उप-मिशनों के अन्तर्गत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने रिलीज प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों में छूट देकर त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 18.45 करोड़ रुपए रिलीज करने का अनुरोध किया था जिसमें से 7 करोड़ रुपए पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मूर्तिकला संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव

2993. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर और बैजनाथ मंदिरों के निकट एक मूर्तिकला संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है,

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित कर ली गई है, और

(घ) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० सी० शाही) : (क) से (घ) बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति-शेड है जिसका मूर्ति-शेड एवं दीर्घा के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसकी अनुमानित लागत एक लाख रुपये है। जागेश्वर जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति शेड स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ भूमि अधिग्रहण कार्रवाई की शर्त है, जो की जा रही है और इसलिए इस स्तर पर निर्माण कार्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों की स्थापना

2994. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत कितने विकास खण्डों को लाया गया है और उन पर वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकार का इस योजना के अन्तर्गत और अधिक विकास खण्डों को लाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : क) उत्तर प्रदेश के लिए अब तक 220 समेकित

बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 222 केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैं और 8 राज्य सरकार की है। इन परियोजनाओं में 209 ब्लाक आते हैं तथा इनके अलावा शहरों की गन्दी बस्तियों/निर्धन क्षेत्रों के लिए 21 शहरी परियोजनाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय अनुदान का आवंटन वर्ष-वार नहीं किया जाता। राज्यों की आवश्यकता तथा केन्द्रीय बजट में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए ही राज्यों को अनुदान दिया जाता है।

(ख) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा योजना को चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने का प्रस्ताव है। एक वर्ष में उपलब्ध, केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में वितरित कर दी जाती है तथा उन परियोजनाओं के लिए स्थान निर्धारण का निर्णय राज्य सरकारों से परामर्श करके किया जाता है। इस प्रक्रिया को निरन्तर अपनाया जाता रहेगा।

हापुड़ और मुरादाबाद नगरों के आसपास बाह्य पथों (बाइपासों) का निर्माण

2995. श्री हरीश रावत : क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हापुड़ और मुरादाबाद शहरों के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 के समानान्तर बाह्य पथों (बाइपासों) का निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 के दौरान आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनके लिए क्या वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन दोनों बाइपासों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। तथापि, भूमि के अधिग्रहण के बाद ही बाईपासों का निर्माण शुरू किया जाएगा।

"ओपन एज" के लिए विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

2999. श्री० मल्लयन चन्द पटवारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की तरह देश में ऐसे "ओपन एज" विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जहां तक वृद्ध और सेवा निवृत्त व्यक्तियों की शिक्षा-सुविधाओं का सम्बन्ध है, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सभी शिक्षुओं को उनकी आयु एवं स्तर को देखे बिना ही अपने कार्यक्रमों में प्रवेश देता है।

नये विश्वविद्यालयों को सहायता के लिए अनुरोध

3003. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे नए विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है, जिन्होंने विशेष सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान योजना के तहत सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए एक समान मानदण्ड अपनाती है;

(ग) क्या सरकार का नये विश्वविद्यालयों को स्थापित विश्वविद्यालयों के बराबर स्तर बनाने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12-ख के अनुसार, केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संस्था, जो केन्द्रीय सरकार से कोई भी निधि प्राप्त कर रही है, 17 जून, 1972 के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं देंगे जब तक कि आयोग इस प्रकार के निर्धारित मामलों से संतुष्ट नहीं हो जाता और ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं करता। उन विश्वविद्यालयों को जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत उपयुक्त घोषित कर दिया गया है उनके सामान्य विकास वित्तीय सहायता तथा साथ ही साथ विशिष्ट योजनाओं के लिए विशेष सहायता दी जाती है। सामान्य विकास के अन्तर्गत भवनों, उपकरण पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं और शिक्षण व शोध की कोटि उन्नत करने तथा परिसर में सामूहिक जीवन विकसित करने के लिए तैयार की गई अन्य सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। आयोग सामान्यत: प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, इसके द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों की प्रकृति और गुण छात्रों व संकाय के आकार तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों के आधार पर प्रारम्भिक आबंटन करता है। सातवें योजना काल में विश्वविद्यालयों को चार श्रेणियों मुख्यत: 125 लाख रु०, 100 लाख रु०, 75 लाख रु० और 50 लाख रु० में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय आयोग द्वारा प्रदत्त प्रारम्भिक आबंटन में से अपनी योजना तैयार करता है। विशेष योजनाओं के लिए अनुदान की शर्तें योजना का एक अंश है। इस प्रकार के योजनाओं के कार्यान्वयन तथा विशेष कार्यक्रमों के लिए संस्थानों के चुनाव हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए प्रस्तावों की जांच आयोग की स्थायी समिति करती है। कुल 142 राज्य विश्वविद्यालयों में से वि० अ० आ० द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक केवल सात विश्वविद्यालय उपयुक्त घोषित किए गए हैं।

निर्यात एकक के रूप में नौवहन उद्योग

3004. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सिफारिश की है कि नौवहन उद्योग को निर्यात एकक माना जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात एकक के रूप में नौवहन क्षेत्र को क्या रियायत दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने नौवहन उद्योग को इस आधार पर निर्यात यूनिट का स्टेटस देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से सिफारिश की है कि यह विदेशी मुद्रा का निवल अर्जक है। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि नौवहन उद्योग को निर्यात यूनिटों की तरह किसी प्रकार की रियायत देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नई शिक्षा नीति के लिए धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

3006. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** :

चौधरी अख्तर हसन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के लिए इस समय आबंटित की गई धनराशि नई शिक्षा नीति की योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का शिक्षा के लिए निर्धारित आबंटन में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) कुल मिलाकर सभी वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के सभी प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में निधियों का प्रावधान किया गया है।

उड़ीसा में झींगा मछली पालन केन्द्र सम्बन्धी संयुक्त उद्यम योजना

[अनुवाद]

3007. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर आधुनिक झींगा मछली पालन केन्द्रों की स्थापना के लिए संयुक्त उपक्रम परियोजना शुरू करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले जल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए जापान से क्या सहायता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव : (क) संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न भागों में आधुनिक झींगा हैचरियों को लगाने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

3008. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सातवीं योजना के दौरान कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे;

(ख) उड़ीसा में सातवीं योजना के दौरान अब तक कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं; और

(ग) उड़ीसा में विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) सातवीं योजना की अवधि के दौरान अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की तरह उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष दर वर्ष चलाया जाता है। इन प्रस्तावों में विभिन्न तत्वों जैसे संसाधन स्थिति और विशिष्ट कार्यक्रम के संरचनात्मक ढांचे के विकास को ध्यान में रखा जाता है। इन केन्द्रों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का काम दिया गया है जिसमें उन्नति और विकास की पर्यावरणात्मक समस्याओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के साथ-साथ साक्षरता और सांख्यिकी पढ़ाना शामिल है। सातवीं योजना के दौरान विभिन्न वर्षों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है :—

1985-86	—7310
1986-87	—7920
1987-88	—8490
1988-89	—8960

"लो सिलिकॉन लाइमस्टोन" की मांग और उपलब्धता

3009. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "लो सिलिकॉन लाइमस्टोन" की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या देश में "लो सिलिकॉन लाइमस्टोन" सीमित मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 से "लो सिलिकॉन लाइमस्टोन" का आयात करने का है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस्पात कारखानों की कुल मांग को पूरा करने के लिए देश में लाइमस्टोन की वर्तमान उपलब्धता अपर्याप्त है। तथापि, देश में निम्न सिलिका के उच्च ग्रेड के लाइमस्टोन की सप्लाई के स्रोतों का पता लगाने/पहचान करने तथा उनका विकास करने के लिए प्रयास जारी हैं। वर्ष 1989-90 में इस्पात संयंत्रों की मांग तथा देशी स्रोतों से उपलब्धता के अन्तराल को आयात द्वारा पाटने की योजना है।

डेनमार्क की सहायता से समन्वित पशु विकास परियोजना लागू करना

3010. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डेनमार्क की सहायता से कोई समन्वित पशु विकास परियोजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उड़ीसा में परियोजना को लागू करने के लिए डेनमार्क द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) कोरापुट जिले में एक समेकित पशु-पालन परियोजना चलाने के लिए उड़ीसा सरकार के एक प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उर्वरकों पर राज सहायता कम करना

3011. **श्री जी० एस० बालवराजू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के लिए दी जा रही राज सहायता को कम करने और उर्वरक संयंत्रों को मूल्य ह्रास छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां । आर्थिक सहायता के भार को कम करने और एककों को सफलतापूर्वक चलाने की दृष्टि से सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेशी उर्वरकों के प्रतिधारण मूल्यों की गणना करने के लिए मूल्य ह्रास की अवधि को बदलने का भी निर्णय लिया है ।

खुम्बी की खेती

3013. **श्री वीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुम्बी की खेती को विविधकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) इस समय किन-किन राज्यों में खुम्बी की खेती की जाती है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान खुम्बी की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कर्नाटक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) खुम्बी की खेती मुख्यत: हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ में शुरू कर दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य में नीदरलैंड की सहायता से एक भारत डच खुम्बी परियोजना कार्यान्वित की है, जिसके द्वारा खुम्बी रोपण सामग्री उत्पादन प्रयोगशाला लगाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

केरल में भूमि का कटाव

3016. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में कटाव की समस्या है;

(ख) भूमि का कटाव किन रूपों में होता है;

(ग) क्या राज्य में भू-कटाव को रोकने के लिए कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) केरल, शीट कटाव, गली, वन कटाई, अधिक चराई, जल निकास, तटीय कटाव और लवणीयता आदि जैसी मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण की विभिन्न समस्याओं से प्रभावित है। लगभग 15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न प्रकार के मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण की समस्याओं से प्रभावित है।

(ग) और (घ) मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण की समस्याओं का सामना करने की दृष्टि से केरल में कार्यरत महत्वपूर्ण केन्द्रीय मृदा संरक्षण विकास कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—(1) कुंदाह नदी घाटी परियोजना के श्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (2) पालघाट जिले में वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना :—

अधिक उपज देने वाले नारियल के पौधों की किस्मों का विकास

3017. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाले रोग प्रतिरोधी नारियल के पौधों की किस्मों का विकास करने पर कोई अनुसंधान कार्य इस समय प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर 9 अधिक पैदावार देने वाली किस्में रिलीज की गई हैं।

इनमें से सात संकर किस्में और दो चयन हैं। ये किस्में 0.51 टन आयल/हैक्टेयर के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1.59 से 2.99 टन आयल/है० का उत्पादन देती हैं।

अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में रोग प्रतिरोधिता/सहिष्णुता के गुण को शामिल करने के लिए किए जाने वाले गहन अनुसंधान कार्य में प्रगति जारी है।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटन

3018. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-वार, उनके विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) फरवरी, 1989 में राजमार्गों के पांच खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है।

(ख) नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विशेष रूप से कोई धनराशि नहीं रखी गई है। राज्य सरकारों से खामियों का अभिनिर्धारण करने और अपेक्षित सुधार करने के लिए वस्तु सूची सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

किसानों को ऋण सुविधाएं

3019. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों की कुल संख्या की तुलना में बड़े मझोले और छोटे किसानों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ग द्वारा उपयोग किए जा रहे ऋण की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे और मझोले किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऋण की प्रतिशतता में कोई प्रशंसनीय वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपरेशन ब्लैक-बोर्ड के लिए लक्ष्य

3020. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 88, 1988-89 के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्य क्या हैं और 31 दिसम्बर, 1988 तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों के वास्तविक आंकड़े क्या हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 तक प्रत्येक राज्य के लिए कितना-कितना वित्तीय आवंटन किया गया;

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) 31 दिसम्बर, 1988 तक राज्यवार वस्तुतः कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ङ) 31 दिसम्बर, 1988 तक प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिशत विकास खंडों को लाभान्वित किया गया; और

(च) क्या वर्ष 1989-90 के लिए उक्त लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है अथवा विचाराधीन हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (च) आपरेशन ब्लैक-बोर्ड की योजना वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गई थी जिसका उद्देश्य चरणबद्ध रूप में समस्त देश में, 1987-88 में 20% खण्डों तथा नगर क्षेत्रों में आरम्भ करके वर्ष 1988-89 में 30 प्रतिशत तथा वर्ष 1989-90 में 50 प्रतिशत, प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाना था। पहले चरण के लिए, 100 करोड़ रु० की बजट-व्यवस्था की गई थी तथा दूसरे और तीसरे वर्षों के लिए इसमें प्रत्येक चरण के लिए 130 करोड़ रु० तक वृद्धि कर दी गई है। शामिल किए गए सी० डी० ब्लाकों, मुक्त की गई राशि तथा राज्यों द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 तक खर्च की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। योजना के अन्तर्गत संस्वीकृति अलग-अलग राज्यों द्वारा किए गए प्रस्तावों और समग्र लक्ष्यों के मुकाबले में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती हैं। अतः राज्यों के अलग-अलग लक्ष्य अग्रिम रूप में निर्धारित नहीं किए जा सके।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	31-12-88 तक शामिल किए गए खण्डों की संख्या	शामिल किए गए खंडों की प्रतिशतता	31-12-88 तक मुक्त की गई कुल राशि	राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई राशि (अद्यतन निर्दिष्ट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	221	20	621.62	304.34 (31 दिसम्बर '88)
2.	असम	33	24	826.69	142.50 (31 दिसम्बर '88)
3.	बिहार	120 (+39*)	20	2696.59	956.22 (30 सितम्बर '88)
4.	गुजरात	61 (+7*)	33	466.43	496.95 (30 सितम्बर '88)
5.	हरियाणा	20 (+16*)	20	62.93	23.52 (30 सितम्बर '88)
6.	हिमाचल प्रदेश	18	26	148.75	147.79 (31 दिसम्बर '88)
7.	जम्मू और कश्मीर	37	31	156.90	64.98 (30 सितम्बर '88)
8.	कर्नाटक	19	10	295.54	79.15 (31 दिसम्बर '88)
9.	केरल	30 (+11*)	20	151.11	50.00 (31 दिसम्बर '88)
10.	मध्य प्रदेश	92 (+65*)	20	1194.10	46.58 (30 सितम्बर '88)

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	52 (+50*)	17	545.03	78.84 (31 दिसम्बर '88)
12.	मणिपुर	8	31	38.03	
13.	मेघालय	6	20	78.37	
14.	नागालैंड	7	28	25.66	24.21 (31 दिसम्बर '88)
15.	उड़ीसा	65	21	753.00	443.29 (30 सितम्बर '88)
16.	पंजाब	37	31	402.62	(333.88 (31 सितम्बर '88)
17.	राजस्थान	93 (+137*)	39	1175.55	944.36 (30 सितम्बर '88)
18.	सिक्किम	405	100	41.57	12.00 (31 दिसम्बर '88)
19.	तमिलनाडु	157 (+7*)	41	740.63	267.12 (31 दिसम्बर '88)
20.	त्रिपुरा	4	24	42.12	
21.	उत्तर प्रदेश	277	31	1759.43	361.24 (31 दिसम्बर '88)
22.	अरुणाचल प्रदेश	11	23	63.17	56.92 (31 दिसम्बर '88)
23.	दादरा और नागर हवेली	2	100	1.99	
24.	दिल्ली	— (+22*)	—	32.39	
25.	गोवा	2 (+1*)	20	12.03	3.80 (31 दिसम्बर '88)
26.	लक्षद्वीप	1	100	0.48	0.22 (31 दिसम्बर '88)
27.	मिजोरम	5	25	11.80	10.33 (31 दिसम्बर '88)
28.	पश्चिम बंगाल	73 (+20*)	21	384.34	

* खण्ड में मण्डल, शैक्षिक खण्ड अथवा जो कोई भी क्षेत्रीय यूनिट इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया गया था । कोष्ठकों में संख्या खण्डों के अतिरिक्त कवरेज के लिए, लिए गए नगर क्षेत्रों को दर्शाती है ।

** आंकड़ों में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्वीकृति शामिल नहीं है जिसके लिए 31-12-83 के बाद वास्तविक मुक्त हुआ ।

भारत महोत्सवों पर व्यय

3021. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, फ्रांस, सोवियत संघ तथा अन्य देशों में आयोजित भारत महोत्सवों पर अनुमानत: अथवा वस्तुत: कितना व्यय हुआ;

(ख) दूसरे देशों द्वारा भारत में इसी प्रकार के आयोजित महोत्सवों पर अनुमानत: अथवा वस्तुत: कितना खर्च किया गया है;

(ग) क्या इस व्यय में केवल सरकार द्वारा किया गया व्यय सम्मिलित है अथवा इसमें अन्य अर्द्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठनों अथवा महोत्सवों से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय भी सम्मिलित है; और

(घ) प्रत्येक मामले में प्रायोजक कम्पनियों तथा कार्यक्रम सम्पन्न करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, सोवियत संघ और अन्य देशों में भारत महोत्सव पर किया गया अनुमानित अंतिम व्यय इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1. ब्रिटेन	1.77 रु०
2. फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका	10. 5 रु०
3. सोवियत संघ	14.48 रु०
4. जापान (31-12-88 तक)	3.00 रु०
5. स्वीडन	0 66 रु०

(ख) भारत में पारस्परिक आधार पर आयोजित महोत्सवों पर किया गया देश-वार अनुमानित अन्तिम व्यय इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. जापान	0.55 रु०
2. सोवियत संघ	20.98 रु०
3. फ्रांस	1.57 रु०

(ग) व्यय के आंकड़ों में केवल सरकार द्वारा वहन किया गया व्यय ही शामिल है ।

(घ) प्रायोजक और कार्यान्वयन एजेन्सियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

महोत्सव का नाम	भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन
1. ब्रिटेन में भारत महोत्सव	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड; भा० सां० सं० प०, संगीत नाटक अकादमी ।
2. सं० रा० अमरीका और फ्रांस में भारत महोत्सव	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, भा० सां सं० प०, संगीत नाटक अकादमी, वाणिज्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया ।
3. सोवियत संघ में भारत महोत्सव	भा० सां० सं० प०, भारतीय आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, संगीत नाटक अकादमी, वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा विभाग, भारतीय हस्तलिप और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय डिजायन संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।
4. स्वीडन में भारत प्रदर्शन	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, भारत-भवन, भोपाल, प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई, उड़ीसा ललित कला अकादमी ।
5. जापान में भारत महोत्सव	संगीत नाटक अकादमी, भारत भवन, भोपाल, प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई, भारतीय हस्त-शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर न्यास, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, होटलों का स्वागत दल ।
6. भारत में जापान-माह	फिल्मोत्सव निदेशालय, भारत अंतरराष्ट्रीय केन्द्र भारतीय पर्यटन विकास निगम, ललित कला अकादमी ।

1	2
7. भारत में सोवियत संघ महोत्सव	भा० सां० सं० प०, मै० नेशनल सर्कस कम्पनी, मै० अनामिका कला संगम, कलकत्ता, मै० रोटरी क्लब, कलकत्ता, संस्कृत सागर, कलकत्ता, नंदीकर, कलकत्ता, इन्टैक, कलकत्ता, मैं० दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सभी राज्य सरकारें और संघ-शासित क्षेत्र, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला परिषद, आवास और शहरी विकास निगम (हुडको), वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग, महिला और बाल विकास विभाग शिक्षा विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।
8. भारत में फ्रांस महोत्सव (प्रथम चरण)	संगीत अकादमी, मद्रास, पांडिचेरी संघ क्षेत्र की सरकार, कला अकादमी, गोआ, जाज इंडिया, बम्बई, जाज इंडिया, दिल्ली, चैप्टर, दिल्ली, भा० सां० सं० म०, संस्कृति विभाग ।

गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

[हिन्दी]

3022. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1500 और इससे अधिक आबादी वाले अनेक गांव और गांव पंचायतों के मुख्यालयों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान और अधिक धनराशि देकर इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1500 से अधिक की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की गई धनराशि के बारे में इस मंत्रालय में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, विभिन्न राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई धन-राशि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सड़कों के निर्माण और गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष धनराशि निर्धारित की जाती है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	व्यय (व्यय करोड़ रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.85
3.	असम	25.80
4.	बिहार	115.67
5.	गोवा	0.51
6.	गुजरात	17.49
7.	हरियाणा	0.15
8.	हिमाचल प्रदेश	32.15
9.	जम्मू व कश्मीर	25.43
10.	कर्नाटक	31.39
11.	केरल	39.73
12.	मध्य प्रदेश	47.90
13.	महाराष्ट्र	25.58
14.	मणिपुर	7.91
15.	मेघालय	14.56
16.	मिजोरम	12.31
17.	नागालैंड	11.40
18.	उड़ीसा	24.50
19.	पंजाब	0.41
20.	राजस्थान	27.85
21.	सिक्किम	7.94
22.	तमिलनाडु	22.52
23.	त्रिपुरा	15.14
24.	उत्तर प्रदेश	359.83
25.	पश्चिम बंगाल	20.80
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.98
27.	चंडीगढ़	—

1	2	3
28.	दादरा और नगर हवेली	0.39
29.	दिल्ली	—
30.	दमन और द्वीप	×
31.	लक्षद्वीप	0.30
32.	पांडिचेरी	1.11
	योग :	904.60

× गोवा में शामिल

पीतल और तांबे की कमी

[अनुवाद]

3023. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में तांबे और पीतल के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिसका लघु औद्योगिक एककों पर विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पीतल और तांबे की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में तांबे और पीतल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का अपने देश में इनकी मांग को पूरा करने के लिए तांबे और पीतल का आयात करने का विचार है ताकि लघु औद्योगिक एककों को नुकसान न उठाना पड़े ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) कैथोड व तार छड़ों के रूप में तांबे की अथवा पीतल की भारी कमी नहीं है। परन्तु तांबा सरियों की मामूली कमी है।

(ग) पीतल (तांबे तथा जस्ते की एक मिश्र-धातु) का उत्पादन आमतौर पर तांबा तथा तांबा मिश्र-धातु उत्पादों के निर्माताओं द्वारा किया जाता है। पीतल निर्माण में प्रयुक्त धातुओं, तांबे और जस्ते के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(क) इष्टतम क्षमता उपयोग के लिए हिन्दुस्तान कापर लि० के प्रद्रावकों और शोधनशालाओं को बाधारहित बनाना और आधुनिकीकरण करना।

(ख) हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा 80,000 टन वार्षिक क्षमता के अनवरत तांबा तार छड़ ढलाई संयंत्र की स्थापना।

(ग) हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा राजस्थान में बृहत खनन तथा प्रद्रावण कंप्लैक्स की स्थापना, जिसमें 70,000 टन वार्षिक जस्ता तैयार किया जायेगा।

(घ) चूंकि ताँबे और जस्ते के देशी उत्पादन से देश की केवल आंशिक मांग ही पूरी होती है, इसीलिए इन धातु की बाकी आवश्यकता आयातों से पूरी की जाती है। इसके अलावा, तांबा स्क्रैप, पीतल स्क्रैप और जस्ता स्क्रैप का ओ० जी० एल० के तहत आयात करने की अनुमति है।

दक्षिण अफ्रीका के बारे में विदेश मंत्रियों की राष्ट्रमंडल समिति की बैठक

3024. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष फरवरी में हरारे में हुई दक्षिण अफ्रीका के बारे में विदेश मंत्रियों की राष्ट्रमंडल समिति की बैठक में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री के० नटवर सिंह : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुआ :

दक्षिण अफ्रीका की अस्थिर बनाने की नीति और अग्रेखी राज्यों की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं, मोजाम्बिक के लिए विशेष कोष, अग्रेखी और पड़ोसी राज्यों में व्यापार और पूंजी निवेश को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रमण्डल की नीति, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबंध और शस्त्रों पर रोक, और दक्षिण अफ्रीका के प्रचार और सेंसरशिप के प्रतिकार के उपाय।

इस बात पर आम सहमति थी कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका दक्षिण अफ्रीका की अर्थ-व्यवस्था पर असर नजर आने लगा है। यह तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संक्रांति सहायया दल का प्रेषक घटक तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से कार्यक्रमों का जो अनुरोध आएगा उस पर राष्ट्रमण्डल के सदस्य अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इस बात पर सहमति हुई कि अस्थिरीकरण पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। राष्ट्रमण्डल विदेश मंत्री समिति ने भी शस्त्रास्त्र प्रतिबंध के विषय में अलग से एक वक्तव्य जारी किया।

सोवियत संघ के उप-विदेश मन्त्री के साथ हुई बातचीत के निष्कर्ष

3025. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के उप-विदेश मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आए थे; और

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ के नेता के साथ जिन विषयों पर बातचीत हुई उनके क्या निष्कर्ष हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान करने के लिए सोवियत उप विदेश मन्त्री और अफगानिस्तान में सोवियत राजदूत श्री वाई० एम० वोरोंतसोव 16 से 18 फरवरी, 1989 तक दिल्ली आए थे।

चन्देरिया (राजस्थान) में "जिंक स्मेल्टर प्लांट" को चालू करना

[हिन्दी]

3027. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक द्वारा चन्देरिया, चित्तोड़गढ़, राजस्थान में स्थापित जिंक स्मेल्टर प्लांट चालू हो गया है; और

(ख) इस संयंत्र के लिए पानी कहां से प्राप्त किये जाने की सभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : बृहत रामपुरा-अगूचा प्रोजेक्ट, जिसमें चन्देरिया में प्रस्तावित जस्ता-सीसा प्रद्रावक शामिल है, को नवम्बर, 1988 में स्वीकृत दी गई है और इसे 28 महीने में बनाकर पूरा किया जाना है । प्रमुख कार्यों के लिए आदेश दे दिए गए हैं और कंपनी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के प्रयास कर रही है । इस प्रद्रावक के लिए पानी की पूर्ति समीप के बेराच नदी पर निर्माणाधीन गोसुन्दा बांध से की जायेगी ।

एल्यूमिनियम का मूल्य और वितरण

3030. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर संघ (फिक्की) ने सरकार से एल्यूमिनियम के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और इसके वितरण को सुचारू बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी है और इन संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और अन्य आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई को भी सुनिश्चित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) इन चार कम्पनियों की प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन की वर्तमान लायसेंस क्षमता इस प्रकार है : –

कम्पनी का नाम	लायसेंस क्षमता (टन वार्षिक)
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को)	218,000
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को)	100,000
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लि० (हिंडाल्को)	150,000
इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० (इंडाल)	117,000

जहां नाल्को, बाल्को और हिन्डाल्को ने ग्रहीत बिजलीघर लगा कर अपने आपको बिजली की कमी से मुक्त कर लिया है, वहां, इंडाल अपनी बिजली पूर्ति के लिए अभी भी राज्य विद्युत बोर्डों पर निर्भर है । किन्तु उनका भी अपने हीराकुण्ड (उड़ीसा) तथा बेलगाम (कर्नाटक) स्थित प्रद्रावकों के लिए ग्रहीत बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव है । जहां तक अन्य आवश्यक कच्चे माल जैसे बाक्साइट, फूंका हुआ पेट्रोलियम कोक, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आदि का सवाल है, कोई गंभीर समस्या नहीं बताई गई है ।

आलू के लिए शीत भंडार गृहों की कमी

3031. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में आलू के भंडार की कोई समुचित सुविधाएं नहीं हैं जिसके फलस्वरूप आलू उत्पादकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में आलू के भंडारण की कुल कितनी क्षमता उपलब्ध है; और

(ग) इस वर्ष शीत भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आलू भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण आलू उत्पादकों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं हुई है।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 1-1-88 को क्रमश: 26.3 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 789 शीत भडार और 3.66 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 210 शीत भंडार थे। देश के शेष भागों में 26.09 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 1661 शीत भंडार थे।

(ग) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में शीत भंडारों का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों के हाथ में है। बिहार तथा देश के अन्य भागों में शीत भंडारों का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार शीत भंडारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उदार लाइसेंस पद्धति अपना रही है। राज्य सरकार शीत भण्डारण क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रभारों की सीमा छूट देकर नए शीत भण्डारों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दे रही है जिसे लाइसेंसधारी शीत भण्डार में कृषि उपज के भण्डारण के लिए ले सकता है। छूट 10 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है।

शीत भण्डारों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में किया जाता है। तथापि, सहकारी क्षेत्र में शीत भण्डारों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास करने के लिए आमतौर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) द्वारा उपलब्ध की गई पूरक सहायता के साथ राज्य सरकारों द्वारा तकनीक तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शीत भण्डार के निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत भाग वहन करता है।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्य-निष्पादन की जांच करने के लिए समिति

3032. **श्री काली प्रसाद पांडेय** :

श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को आंशिक रूप से गैर-सरकारीकरण योजना के आरंभ किये जाने के कारण भारी घाटा हो रहा है और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कार्य-निष्पादन में गिरावट की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) दिल्ली परिवहन निगम को बसों का कोई गैर-सरकारीकरण नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम के घाटों का मुख्य कारण-अलाभकर भाड़ा ढांचा, श्रमिक और अन्य निवेशों की बढ़ती लागत है। कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अनवरत आधार पर जो कदम उठाए जाते हैं, उनमें प्रशासनिक, वित्तीय और प्रचालनात्मक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कंप्यूटरों के माध्यम से प्रबंध सूचना प्रणाली, वस्तुसूची नियंत्रण राजस्व की बर्बादी रोकना, व्यापक चेकिंग और रूटों को मुक्तिसंगत बनाना शामिल है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने वर्ष 1987-88 के लिए यात्री सड़क परिवहन नगर सेवा में सर्वोत्तम उत्पादकता कार्य निष्पादन पारितोषिक के लिए दिल्ली परिवहन निगम को चुना है। कार्य-निष्पादन की जांच करने के लिए समिति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपचारी उपायों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं।

शीत लहर से निर्धन लोगों को संरक्षण

[अनुवाद]

3033- **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीब लोगों को शीत लहरों से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ईश्वर लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट जारी करना

3034. **श्री कमल चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1988 को कितने पासपोर्ट कार्यालय थे;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा कार्यालय-वार कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) वर्ष 1987 और 1988 में पासपोर्ट जारी करने में विशेषकर पंजाब में, औसतन कितना समय लगा;

(घ) वर्ष 1988 में कितने पासपोर्ट रद्द अथवा जब्त किये गये और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1986 की तुलना में 31 दिसम्बर, 1988 को कार्यालय-वार कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार देश में 21 पासपोर्ट कार्यालय और 2 पासपोर्ट संपर्क कार्यालय थे।

(ख) पासपोर्ट कार्यालय	1988 में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
अहमदाबाद	88,928
बंगलौर	48,488
बरेली	53,678
भोपाल	19,929
भुवनेश्वर	4,965
बम्बई	2,16,526
कलकत्ता	51,688
कोचीन	1,64,767
चण्डीगढ़	67,331
दिल्ली	92,476
गोहाटी	3,628
हैदराबाद	88,358
जयपुर	40,997
जलन्धर	70,492
कोझीकोड	80,238
लखनऊ	43,794
मद्रास	84,158
पटना	11,527
श्रीनगर	8,269
त्रिचरापल्ली	89,185
पणजी	12,162
कुल योग	1,341,584

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण से दी गई है।

विवरण

	1986					1988					
	क	ख	ग	घ	योग	क	ख	ग	घ	योग	वृद्धि/कमी
1. अहमदाबाद	4	3	61	10	78	4	3	64	10	71	—7
2. बंगलौर	4	3	60	7	74	3	2	50	7	52	—22
3. बरेली	3	2	49	6	60	3	2	42	7	54	—6
4. भोपाल	1	1	19	5	26	1	1	16	5	23	—3
5. भुवनेश्वर	1	2	8	5	15	1	1	8	5	15	—
6. बम्बई	13	7	219	23	262	13	6	209	222	50	+12
7. कलकत्ता	2	2	36	14	54	3	2	41	13	59	+5
8. चंडीगढ़	3	3	53	11	70	4	3	64	11	82	+12
9. कोचीन	5	3	85	12	105	5	3	87	13	108	+3
10. दिल्ली	6	4	103	13	126	6	5	110	13	134	+8
11. गोहाटी	1	1	7	5	14	1	1	8	5	15	+1
12. हैदराबाद	4	3	58	8	73	4	3	57	8	72	+1
13. जयपुर	2	2	37	7	48	2	2	34	7	45	—3

	क	ख	ग	घ	योग	क	ख	ग	घ	योग	वृद्धि/कमी
14. जलन्धर	4	3	54	10	71	4	3	64	10	81	+10
15. कोजी कोड	3	3	56	7	69	4	3	69	7	83	+14
16. लखनऊ	2	2	36	5	45	2	2	37	5	46	+1
17. मद्रास	4	3	67	10	84	5	3	73	10	91	+7
18. पटना	1	1	16	5	23	1	1	15	5	22	—1
19. श्रीनगर	1	—	10	4	15	1	1	9	4	15	—1
20. त्रिवेन्द्रम	3	3	55	7	68	3	2	50	7	62	—6
21. एच० क्यू० आर० सेस	7	—	50	—	57	3	—	26	—	29	—28
22. गोवा	—	—	—	—	—	1	1	11	—	13	+13
कोड	74	59	1139	174	1437	74	50	1144+3	174	1445	+8

देवगढ़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक नई "बाई-पास" का निर्माण

3035. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में देवगढ़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक बाई-पास के निर्माण का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इसके निर्माण की संभावना है, और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब में कृषि कालेजों को सहायता

3036. **श्री कमला चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान पंजाब में किन-किन कृषि-विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान तथा अन्य सहायता दी गई है; और

(ख) दी गई सहायता का विश्वविद्यालय-वार तथा कालेजवार ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और खालसा कालेज, अमृतसर को केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

(ख)	कालेज	योजना	1988-89 के दौरान दी गई सहायता (रु० लाख में)
एक.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना	(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए विकास सहायता और केन्द्रीय योगदान	113.353
		(2) विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनों के लिए सहायता	116.74
		(3) तदर्थ योजनाएं	9.76
			239.853
दो.	खालसा कालेज, अमृतसर	आम विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कृषि कालेज का विकास	9.76

गवार बीज का क्रय एवं विक्रय मूल्य

3037. **श्री हेत राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसान को बहुत अधिक दरों पर गवार के बीज खरीदने पड़ते हैं तथा फसल को कम दर पर बेचना पड़ता है जिससे उन्हें काफी घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो बुवाई के समय बीज तथा फसल की कटाई के समय गवार बीज के मूल्यों में भारी अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को होने वाले घाटा से बचने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सामान्यतया, फसल उत्पादन दरें मांग और पूर्ति के सिद्धांतों पर विनियमित होती है। बीज का उत्पादन करने के संबंध में इसका वर्गीकरण करने, प्रमाणीकरण, रखारखाव, भंडारण, पैकिंग, ढुलाई आदि करने में अतिरिक्त व्यय हो जाता है, जिससे बीज के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक फसल मौसम में अनाज के मूल्य हमेशा हीं कम होते हैं और गवार को फसल इसका कोई अपवाद नहीं है गवार की फसल सामान्यतया वर्षा सिंचित परिस्थितियों में बोई जाती है। वर्ष 1987 के दौरान गवार की फसल देश में व्याप्त सूखे की गंभीर परिस्थितियों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। खरीफ, 1988 के दौरान मानसून काफी अनुकूल था और गवार के बीजों की मांग में काफी वृद्धि हुई। अत: इस स्थिति के कारण बुवाई के समय गवार बीज के मूल्यों में वृद्धि हुई। 1988 के दौरान मानसून की अच्छी परिस्थितियों के बने रहने के परिणामस्वरूप गवार की फसल का अच्छा उत्पादन हुआ और इसलिए फसल की बुवाई और फसल की कटाई के समय गवार के मूल्यों में भारी अन्तर था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में लौह-अयस्क खानों का विकास

3038. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अनेक लौह अयस्क की खानों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उन खानों की संख्या क्रमश: क्या-क्या है,

(ग) इन खानों की रुग्णता क्या कारण हैं,

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों का विकास और पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं,

(ङ) क्या उड़ीसा में लौह अयस्क की चालू खानों में कोई प्रदूषण रोधी उपाय किये गये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री ए म० एल० फोतेदार) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रमुख पत्तनों के लिए प्रदूषण-रोधी पोत

3039. **श्री बीरेन्द्र पाण्डेय :**

श्री हरिहर सोरन : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों पर प्रदूषण रोधी पोत तैनात करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के पोत आयात किये जा रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इन पर कितनी लागत आयेगी और किस देश से इनका आयात किया जा रहा है, और

(घ) इन पोतों को किन पत्तनों पर तैनात किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) 1989-90 की वार्षिक योजना में मद्रास, बम्बई कोचीन, मुरगांव न्यू मंगलूर, टूटीकोरिन और कलकत्ता (हल्दिया सहित) महापत्तनों के लिए 10 प्रदूषण निरोधी जहाज खरीदने का प्रावधान है। इस समय जिस देश से आयात किया जाना है और संभावित लागत की जानकारी नहीं है ।

दक्षेस देशों के अध्यापकों का सम्मेलन

3040. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री दक्षेस देशों के अध्यापकों के सम्मेलन के बारे में 17 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 984 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सिक्किम अध्यापकों को भी उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री ए ल० पी० शाही) : (क) से (ङ) अक्तूबर, 1988 के दौरान ऐसा कोई सरकारी दक्षेस सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। तथापि, भारतीय शिक्षक संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति, भुवनेश्वर के संयोजक ने सूचित किया है कि दक्षेस देशों के शिक्षकों का एक सम्मेलन, जैसा कि उस समिति द्वारा प्रायोजित किया गया 29, 30 तथा 31 अक्तूबर, 1988 को भुवनेश्वर में हुआ था ।

अपेक्षित ब्यौरों को प्राप्त करने से संबंधित हमारे अनुरोध के प्रत्युत्तर, में उक्त सम्मेलन के संयोजक से प्राप्त दिनांक 1-2-1988 के पत्र संख्या 70/89 की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

यह चूंकि कोई सरकारी सम्मेलन नहीं था, अत: ऐसे सम्मेलन के लिए शिक्षकों के चयन हेतु कोई मानदण्ड अपनाने अथवा ऐसे मानदण्ड में छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दक्षेस देशों के अध्यापकों का सम्मेलन, भुवनेश्वर, 29, 30 तथा 31 अक्तूबर, 1988

: वर्ल्ड फैडरेशन आफ टीचर्स यूनियन (एफ० आई० एस० ई०)

: नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इंडियन टीचर्स आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रायोजित

कार्यालय 43, भौम नगर
भुवनेश्वर-751001

फोन नं० 51597
ग्राम: महा संघ (बी० बी० एस० आर०)
सं० 70/80/दिनांक 1-2-1989

सेवा में,

श्री डी० पी० भटनागर, डेस्क अधिकारी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

संदर्भ सं० एफ 13-25/88 डेस्क (टी० ई०)
प्रिय महोदय,

मुझे, आपके दिनांक 21 दिसम्बर, 88 तथा 20 जनवरी, 89 के पत्र के संदर्भ में यह कहना है कि दक्षेस देशों के अध्यापकों के संगठनों का सम्मेलन भुवनेश्वर में 29 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 88 तक हुआ था। उड़ीसा के मुख्यमन्त्री श्री जे० बी० पटनायक, ने 28 की संध्या में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस कन्वेन्शन का मूल विषय शिक्षा के विकास तथा इस क्षेत्र में अध्यापक समुदाय की भौतिक दशाओं की बेहतरी हेतु दक्षेस देशों के अध्यापकों के संगठनों के बीच में पारस्परिक सहयोग और समन्वय करना था।

इस सम्मेलन को संयुक्त रूप से वर्ल्ड फैडरेशन आफ टीचर्स यूनियन (एफ० आई० एस० ई०) तथा नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इण्डियन टीचर्स संगठनों द्वारा प्रायोजित किया गया था।

वर्ल्ड फैडरेशन आफ टीचर्स यूनियन (एफ० आई० एस० ई०) के प्रतिनिधि के साथ-साथ बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तथा भारत से अध्यापक संगठन इस कन्वेन्शन में सहयोग कर रहे थे। पाकिस्तान से अध्यापक प्रतिनिधि इस तथ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सके कि पाकिस्तानी सरकार ने इस कन्वेन्शन में उपस्थित होने के लिए उनको अनुमति नहीं दी थी।

तीन दिवसीय विचार-विमर्श के बाद इस कन्वेन्शन ने सर्वसम्मति से इस क्षेत्र के सभी अध्यापक संगठनों से यह कहने की घोषणा स्वीकार की कि वे दक्षेस सचिवालय तथा एफ० आई० एस० ई० की मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अधीन एक दूसरे के साथ सहयोग करें। इसने दृष्टिकोणों तथा विचारों के और विनिमय के लिए ऐसे कन्वेन्शनों तथा बैठकों को करने के लिए और दक्षेस सचिवालय तथा एफ० आई० एस० ई० के कार्य ढांचे के भीतर एक तन्त्र शामिल करने के लिए भी घोषणा की ताकि शिक्षक

संगठनों के बीच में सतत निकट सहयोग को तथा दक्षेस क्षेत्र के चारों ओर शिक्षा तथा शिक्षाविदों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के न्याय संगत हल प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों को समन्वित करने को सुनिश्चित किया जा सके ।

मैं इस कन्वेन्शन के बाद प्रकाशित सोवेनियर की कुछेक प्रतियां भी भेज रहा हूं जिसमें आपके संदर्भ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कन्वेंशन के सभी प्रलेख तथा घोषणाएं शामिल हैं ।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद,

सादर,

नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा योजना को सभी राज्यों द्वारा लागू करना

3041. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रत्येक बालक को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी संवैधानिक आश्वासन को सभी राज्यों ने पूरा किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह योजना किन-किन राज्यों ने पूरी तरह लागू नहीं की है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० वी० शाही) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए शिक्षा नि:शुल्क है ।

निर्यात सामान को ले जाने में भारतीय पोतों की भागीदारी

3042. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात सामान को ले जाने में भारतीय पोतों की भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है,

(ख) निर्यात सामान ढुलाई में विदेशी पोतों की भागीदारी में इसी दौरान यदि कोई वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है,

(ग) इसी अवधि के दौरान इस संबंध में बम्बई पोर्ट से निर्यात में कितनी भागीदारी रही, और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में दौरान निर्यात के माल की ढुलाई में भारतीय और विदेशी जहाजों की भागीदारी और बम्बई

पत्तन के माध्यम से हैंडल किए गए निर्यात के माल की भी भागीदारी नीचे दी गई है :—

(मिलियन टन में)

	1985-86	1986-87	1987-88
भारतीय लाइनों	7·28	8.21	7.21
की भागीदारी	(18.5%)	(19.7%)	(18.4%)
विदेशी लाइनों	22.16	33.33	32.05
की भागीदारी	(81.5%)	(80.3%)	(81.6%)
बम्बई पत्तन की भागीदारी	2.95	3.03	3.31

(घ) समुद्री व्यापार में भारतीय नौवहन की वृद्धि करने के लिए सरकार और नौवहन लाइनों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) भारत से ऐसे कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय नौवहन करार किए हैं जो कार्गो उठाने और माल भाड़े से होने वाली आय में समता की व्यवस्था करते हैं।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों को इस बात के स्थायी निर्देश दिए गए हैं कि वे यथा सम्भव सी० एण्ड एफ० निर्यात और एफ० ओ० बी० आयात के लिए बातचीत करें।

(3) एम० एम० टी० सी० द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क की ढुलाई में भारतीय लाइनों की भागीदारी में सफल वाणिज्यिक बातचीत द्वारा वृद्धि की गई है।

(4) भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए उपयुक्त टैंकरों को खरीदने की व्यवस्था करके तेल व्यापार में विदेशी फ्लैग जहाजों के उपयोग में कमी की गई है।

(4) उपर्युक्त के अलावा, निर्यात के लिए भारतीय जहाजों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु शिपर्स को प्रोत्साहन दिए जाते हैं, इस प्रकार भारतीय पत्तनों से भारतीय जहाजों में ढोए जाने वाले निर्यात शिपमेंट के मामले में निर्यातकों को संदर्भाधीन निर्यात शिपमेंट के मामले में निर्यातकों को संदर्भाधीन निर्यात पर उनकी सामान्य पूरक दर की अपेक्षा 10% अधिक की दर पर आर० ई० पी० लाइसेंस दिए जाते हैं।

महाराष्ट्र में साक्षरता

3043. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में साक्षर लोगों की संख्या में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग वर्षवार आंकड़े क्या हैं तथा वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय सहायता राशि प्रदान की गई; और

(घ) क्या प्रत्येक वर्ष उक्त धनराशि का पूरा उपयोग किया गया था ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में साक्षरता के विकास का पता 1991 की जनगणना के बाद ही चल पायेगा ।

(ग) और (घ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को साक्षरता की प्रोन्नति के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है । इन दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले वर्षों के दौरान राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता और उसके द्वारा उपयोग में लाई गई राशि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	वर्ष	दी गई अनुदान राशि	उपयोग में लाई गई अनुदत्त राशि
1.	**प्रौढ़ शिक्षा**			
(क)	ग्रामीण क्षयात्मक साक्षरता कार्यक्रम	1985-86	356.60	221.62
		1986-87	355.40	269.35
		1987-88	311.34	311.34
(ख)	प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना	1985-86	26.71	25.10
		1986-87	27.95	28.61
		1987-88	332.19	39.70
(ग)	उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा (जन शिक्षण निलायमों की स्थापना)	1987-88	53.87	—
2.	**आपरेशन ब्लैक बोर्ड**	1987-88	543.03	78.84

नारियल को तिलहन के तौर पर घोषित करना

3044. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नारियल को तिलहन के तौर पर घोषित करने संबंधी कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री शरद लाल खन्ना) : (क) और (ख) नारियल को तिलहन के रूप में घोषित करने के लिए समय-समय पर मांग की गई है । नारियल एक बागानी फसल तथा अन्य तिलहनों की वार्षिक फसलों से भिन्न होने के कारण इसे

तिलहन के रूप में घोषित करना आवश्यक नहीं समझा गया है नारियल के लिए विशेष संभाल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस फसल के केवल एक छोटे से भाग का खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है।

बसवाकल्याण (तिपरांत) जिला बिदर, कर्नाटक में नवोदय विद्यालय के लिए भूमि

3045. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बिदर जिले के बसवाकल्याण (तिपरांत) में नवोदय विद्यालय के लिए अभी तक राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि प्रदान नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विद्यालय के लिए भूमि की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०-वी० झाझी) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने बसवाकल्याण कस्बे के आसपास नारायणापुर गांव में 30 एकड़ भू-खंड प्रदान किया था, जहां वर्ष 1987-88 में नवोदय विद्यालय खोला गया था। तथापि, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा स्थान का निरीक्षण करने पर, जिसे नवोदय विद्यालय भवन के निर्माण का काम सौंपा गया था, ऐसा पता चला है कि आवंटित भूमि उपयुक्त नहीं है क्योंकि एक आम मार्ग उस भूमि से गुजर रहा है। अतः कर्नाटक सरकार से विद्यालय के लिए कोई अन्य वैकल्पिक भू-खंड आवंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

"जस्ता प्रद्रावण स्थल" का संरक्षण

[हिन्दी]

3046. **श्री शान्ति चारीवाल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1989 को कोटा संस्करण "दैनिक नव ज्योति" में "जस्ता प्रद्रावण स्थल को अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में विभिन्न स्वदेशी और विदेशी धातुविज्ञान समितियों के विचार और टिप्पणियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थान की सुरक्षा और विकास के लिए कोई लम्बी अवधि की योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जावर के प्राचीन जस्ता प्रद्रावण शहर को अमेरिकन सोसायटी ऑफ मेटल्स ने अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता देते हुए एक फलक (प्लाक) स्थापित किया है। भारत में अग्रणी धातु संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेटल्स ने स्थल को दी गयी मान्यता का स्वागत किया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा फलक स्थापना स्थल और उसके चारों ओर कंटीले तार लगाये जा रहे हैं और वह इस क्षेत्र को संतानियों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने के उपाय भी करेगा।

बस्तर (मध्य प्रदेश) में खनिजों की खोज

3047, **श्री भानुराम सोढी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खनिजों के नाम क्या है, जिनको ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में प्राकृतिक खनिज सम्पदा का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करा रही है;

(ख) उन खनिजों के नाम क्या हैं, जिनके लिए अब तक सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और वहां इन खनिज सम्पदाओं की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(ग) क्या सर्वेक्षण से बस्तर में सोना मिलने की संभावना है और यदि हां, तो कुल खनिज सम्पदा में कितना प्रतिशत सोना मिलने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) चालू खोज सत्र 1988-89 (1 अक्टूबर, 88 सितम्बर 89) में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जिला बस्तर (म० प्र०) के कोंडारस, डोंगरी और बांगालुर क्षेत्रों में प्रायमरी टिन के लिए गवेषण किया जा रहा है। टोंगपाल-पुष्पाल और कटकल्याण क्षेत्र में कल्लूवियल टिन के लिए गवेषण पूरा हो गया है तथा कल्लूवियम से 82 ग्राम/टन से 917 ग्राम टन ग्रेड के 5628 टन टिन धातु के खनन योग्य भंडार प्राप्त होने का अनुमान है। फ्रांस की फर्म मैसर्स बी० आर० जी० एम० के साथ भागीदारी करार के अन्तर्गत खनिज गवेषण निगम द्वारा बस्तर जिले में टिन प्राप्ति स्थलों की क्षमताओं का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) बस्तर जिले में हाल ही के सर्वेक्षणों के दौरान, स्वर्ण प्राप्ति का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के विदेशों में स्मारक बनाना

[अनुवाद]

3048. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों के उपयुक्त स्मारक बनाने तथा विदेशों में स्वतंत्रता संघर्ष हेतु किए गए महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मरणोत्सव के रूप में मनाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है और इस उद्देश्य हेतु चुने गए स्वतन्त्रता सेनानियों/घटनाओं के नामों का ब्योरा क्या है तथा इनके स्मारकों को बनाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो ऐसा निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों में इस प्रकार के अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं, विदेश स्थित भारतीय मिशन इस

प्रकार के अनुरोधों को मंत्रालय को भेजने से पहले उनकी उपयुक्तता की जांच करते हैं। अत. उनसे पूरा ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

राधाकृष्णन की स्मृति में छात्रवृत्ति

3049. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने "राधाकृष्णन की स्मृति में छात्रवृत्तियां" देना प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्ति की राशि इसकी अवधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) "राधाकृष्णन छात्रवृत्तियां" भारत सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन रोड्स छात्रवृत्ति समिति द्वारा किया जाता है, जो कि सरकारी संगठन नहीं है। छात्रवृत्तियों की राशि और अवधि अध्ययन पाठ्यक्रमों और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी। 26 वर्ष से कम आयु के भारतीय राष्ट्रिकों के लिए स्वीकार्य छात्रवृत्तियां प्रथम बार 2 वर्ष के लिए होंगी और किसी भी विशिष्ट वर्ष में उनकी संख्या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के संयंत्र से उत्पन्न प्रदूषण

3051. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के दामनजोड़ी में स्थापित संयंत्र से उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से हानि पहुंच रही है;

(ख) तो क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने अपने संयंत्र में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु कोई उपाय नहीं किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा पर्याप्त प्रदूषण उपाय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण

3052. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों में अब तक कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टलों का निर्माण किया गया; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने होस्टलों का निर्माण किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक विभिन्न स्थानों में श्रमजीवी महिला होस्टलों के निर्माण के लिए 157 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(ख) राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग 60 अतिरिक्त श्रमजीवी महिला होस्टल स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

शराब बनाने के कारखानों द्वारा निर्धारित लाइसेंस की क्षमता से अधिक उत्पादन

[हिन्दी]

3053. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शराब बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं जो निर्धारित लाइसेंस क्षमता से अधिक शराब का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) इन शराब बनाने वाले कारखानों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। उद्योग (विकास और विनियमन (अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन कर अधिक उत्पादन करने पर अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ

[अनुवाद]

3054. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** :

श्री आर० एम० भोये : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैदानी और पर्वती क्षेत्रों में कृषि और बागवानी क्षेत्र में उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों को विज्ञान और आधुनिकी प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) इस सम्बन्ध में उठाए गए कदम इस प्रकार है :—

(1) विस्तार को प्रशिक्षण और दौरा पद्धति के स्वरूप के अनुसार 17 राज्यों में कृषि विस्तार सेवा का पुनर्गठन किया गया। ये राज्य हैं :—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रणाली में अनुसंधान कर्त्ताओं और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल, क्षेत्रीय विस्तार कार्यकर्ताओं के पद्धतिबद्ध प्रशिक्षण और मैदानी तथा पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में नवीनतम टैक्नोलोजी की जानकारी किसानों को देने के लिए उनके निर्धारित दौनों की व्यवस्था शामिल है। किसानों को जानकारी देने के लिए प्रदर्शन और कुशलता सम्बन्धी शिक्षण/प्रशिक्षण का प्रयोग भी किया जाता है।

(2) विस्तार निदेशालय द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान-संस्थानों के साथ मिलकर कृषि और बागवानी में प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें मध्यस्थ स्तर के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) फार्म मेलों और क्षेत्रीय दिवसों, फिल्मों के प्रदर्शन, प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों के आयोजन तथा समाचार पत्रों/प्रचार माध्यमों के जरिये खेती को बेहतर तकनीकों के प्रचार के लिए सूचना संचार सहायता भी सुलभ की जाती है।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राष्ट्रीय प्रदर्शनों, संचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाओं, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम तथा किसानों, खेतिहर युवकों, फार्म-महिलाओं के लिए प्रशिक्षण जैसी प्रौद्योगिकी अन्तरण परियोजनायें चलाता रहा है ताकि वे नई कृषि तकनीकें अपना सकें।

(5) तिलहनों, चावल, गेहूं, कदन्न और मक्का जैसी कई विशिष्ट फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलोन्मुख कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(ख) विस्तार प्रणाली में, जो प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली के नाम से लोकप्रिय है, नियमित आधार पर विषय-विशेषज्ञों के लिए मासिक कार्यशालाओं तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए पाक्षिक प्रशिक्षणों के आयोजन की व्यवस्था है। 1989-90 में मध्यस्थ स्तर के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी पर 67 तथा बागवानी प्रौद्योगिकी पर 17 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है। 19 प्रशिक्षण कार्यशालायें राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध केन्द्र, हैदराबाद में आयोजित की जानी हैं। नीलोखेड़ी (हरियाणा), राजेन्द्र नगर (हैदराबाद), आनन्द (गुजरात) तथा जोरहाट (असम) स्थित निस्तार शिक्षा संस्थान निचले स्तर के विस्तार कर्मचारियों के लिए 86 विस्तार/संचार कार्यशालाएं आयोजित करेंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 91 कृषि विज्ञान केन्द्रों, 48 जिलों में 100-100 राष्ट्रीय प्रदर्शनों, 152 संचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाओं और 20,000 खेतिहर परिवारों के लिए प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अन्तरण का कार्य करेगी।

आटोमोबाइल उद्योग में कोल्ड रोल्ड क्वायल तथा शीट की कमी

3055. **श्री अनूपचन्द शाह :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल उद्योग को कोल्ड रोल्ड क्वायल तथा शीट की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या आटोमोबाइल उद्योग अधिकांश : आयातित कोल्ड रोल्ड क्वाइल तथा शीट पर आश्रित है;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मांग को पूरा करने के लिए कोल्ड रोल्ड क्वाइल तथा शीट का आयात करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा का प्रावधान किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां। आटोमोबाइल उद्योग को ठण्डी बेल्लित सामग्री की कुछ कमियों का सामना करना पड़ा है।

(ख) जी, हां, विशेषकर डीप ड्राईंग और अतिरिक्त डीप ड्राइंग क्वालिटी के लिए आश्रित हैं।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय, आयात के लिए माध्यम अभिकरण अर्थात खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) को आवश्यक विदेशी मुद्रा आवंटित करती है। देशी उपलब्धता से सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का भरसक प्रयास रहता है। दूसरी कमी को यथा संभव आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

12.00 मध्याह्न

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैंने नियम 184 के अधीन एक सूचना दी है। क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय, मैं एक संसद सदस्य के रूप में आपसे सुरक्षा की मांग करता हूं। मुझे अपने ही चुनाव-क्षेत्र में संसद सदस्य के रूप में अपना काम करने से रोका जा रहा है। मेरी कार राज्य सरकार द्वारा छीन ली गई है। संसद सदस्य के रूप में मेरे अधिकारों को नियन्त्रित किया गया है। यह आपकी जिम्मेदारी है; अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वे मेरी रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यदि कुछ किया भी जा सकता है तो कानून के अन्तर्गत ही किया जाएगा; राज्य स्वयं कुछ कर सकता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह मेरे अपने चुनाव-क्षेत्र में मेरी बैध गतिविधियों का प्रश्न है। अध्यक्ष के नाते आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा करें और सरकार को निर्देश दें कि मुझे अपने कर्तव्य निभाने में बाधा न डालें।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको सदस्य के रूप में कार्य करने में किसी प्रकार की रुकावट डाली जाती है, तो आप मुझे लिखिए और मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नाईक (पणजी) : मैंने श्री अशोक सेन के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। मैंने कार्यवाही के पूरे पैरा का उद्धृण दिया है। उन्होंने कहा है कि सदन ने विषय जाने बिना विधेयक के पक्ष में मतदान किया है···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। मैं यहां इस पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। मैं कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहती हूं; यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा संगत प्रश्न है। नियमों के अनुसार, हम यहां पर किसी राज्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम ऐसा नहीं करते।

कुमारी ममता बनर्जी : नियमों के अनुसार वे, राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में केन्द्रीय सरकार के संबंध में चर्चा नहीं कर सकते हैं किन्तु कल पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है कि ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विषय नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या वे इस पर चर्चा कर सकते हैं ? आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप मुझे कुछ दीजिए; मैं देख लूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले दो दिनों तक सदन में जो ड्रामा होता रहा है और देश के सर्वोच्च सदन का अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए उपयोग किया गया और जिस तरह से विपक्ष ने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया···वह सब इसलिए कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट छाप दी···

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया···

श्री प्रताप भानु शर्मा : एक व्यक्ति ने अपनी स्टोरी दे दी, उस पर पूरे सदन में हंगामा मच गया···

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया। बहुत हो गया।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

बहुत हो गया; इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जबर्दस्ती आप भी कर रहे हैं। वैसे ही आप भी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने भी नहीं मानी, आप भी मेरी बात को नहीं मान रहे हैं।

[अनुवाद]

आप भी ऐसा ही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, जमना-पार की बस्तियों में फिर से मलेरिया और आंत्र शोथ फैल रहा है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिये।

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैंने पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री शंकर लाल (पाली) : राजस्थान में पाली के अन्दर महाराजा उम्मेद टैक्सटाईल मिल्स में 5 जनवरी से हजारों मजदूर हड़ताल पर हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दो 377 में, मैं देखूंगा।

———

12.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7533/89]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7534/89]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7535/89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7534 तथा 7535/89]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता तथा खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7536/89]

(3) (एक) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7537/89]

(5) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7538/89]

(6) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7539/89]

(7) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7540/89]

(8) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7540/89]

(9) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7542/89]

(11) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत रामपुर रजा लाइब्रेरी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8543/89]

राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7544/89]

कोस्ट शीट कोर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 और 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण तथा आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) गोवा मीट कोम्प्लैक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) गोवा मीट कोम्प्लैक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7545/89]

(ख) (एक) गोवा मीट कोम्प्लैक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) गोवा मीट कोम्प्लैक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7546/89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7545 तथा 7546/89]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7547/89]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7548/89]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7547 तथा 7548/89]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, कलकत्ता पत्तन न्यास का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7549/89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7550/89]

(5) (एक) बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7551/89]

(7) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7552/89]

(9) महा पत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई के वर्ष 1987-88 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7553/89]

(ख) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा :

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7554/89]

(ग) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7555/89]

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7556/89]

(11) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ मासों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7557/89]

———

12.04 म०प०

राज्य सभा से संदेश

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 14 मार्च, 1989 को हुई बैठक में पारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 1989 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 14 मार्च, 1989 को हुई अपनी बैठक में पारित बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की पूर्ति) संशोधन विधेयक, 1989 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 1989

(2) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1989

———

12.4½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

34वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : मैं हिमाचल प्रदेश राज्य में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में चौतीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय एक, दो और तीन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

वर्ष 1989-90 के मौसम के लिए कच्चे पटसन तथा कच्ची कपास की मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : महोदय,

सरकार ने 1989-90 मौसम के कच्चे पटसन और कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया है।

पटसन

कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने के लिए आसाम में मूलभूत किस्म डब्ल्यू-5 से परिवर्तित करके टी० डी०-5 कर दी गई है जो कि ओलिटोरियस पटसन को शीघ्र व्यापक रूप से अपनाए जाने के कारण हुआ है।

1989-90 मौसम के लिए आसाम में कच्चे पटसन की मूलभूत किस्म यानि टी० डी०-5 ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 280 रु० प्रति क्विंटल तय किया गया है जो कि पिछले मौसम के समर्थन मूल्य से 17.50 रु० प्रति क्विंटल अधिक है।

कच्चे पटसन की टी० डी०-5 और डब्ल्यू-5 किस्मों का परस्पर मूल्य अन्तर, जो कि पिछले वर्ष 12.50 रु० प्रति क्विंटल था, बढ़ाकर 15 रु० प्रति क्विंटल करने का भी निर्णय लिया गया है।

अन्य श्रेणी के कैप्सूलरोज और ओलिटोरियस पटसन के संगत मूल्य पटसन आयुक्त द्वारा सामान्य बाजार भाव अन्तर को देखते हुए नियत किए जाएंगे। परिणामस्वरूप 1989-90 मौसम के लिए आसाम में डब्ल्यू-5 ग्रेड का यह न्यूनतम समर्थन मूल्य 265 रु० प्रति क्विंटल बनेगा जो कि 1988-89 मौसम में 250 रु० प्रति क्विंटल था।

यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरती हैं तो भारतीय पटसन निगम समर्थन कार्य यथापूर्व अपने हाथ में लेगा। यह भी तय किया गया है कि कच्चे पटसन के अपने स्टाक निकालने के बारे में भारतीय पटसन निगम सावधानी पूर्वक विचार करेगा ताकि संभावित मूल्य वृद्धि को सामान्य लाकस्मिक स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

कपास

अच्छी औसत किस्म एच-4 किस्म को लम्बे और बढ़िया लम्बे रेशे वाली 1989-90 मौसम की कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रु० प्रति क्विंटल होगा जो कि 1988-89 के मौसम के लिए नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। एफ-414/एच-777 किस्म वाली बढ़िया औसत किस्म की कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 540 रु० प्रति क्विंटल होगा। यह मूल्य गत मौसम की इस अवधि के मूल्य से 40 रु० प्रति क्विंटल अधिक है। एच-4 तथा एफ-444/एच-777 को छोड़कर अन्य किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य मूल्य अन्तर के आधार पर कपड़ा आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

यदि कच्चे कपास के बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के स्तर से नीचे गिरने शुरू हो जाएं तो भारतीय कपास निगम मूल्य समर्थन कार्यों को अपने हाथ में लेगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में यह वृद्धि देने से किसानों को पटसन और कपास का उत्पादन और उपज और अधिक बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

12.07 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.08 म० प०

(दो) लोक लेखा समिति

श्री आई० एस० महाजन (अलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.09 म० प०

लोक लेखा समिति

राज्य सभा से सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा वह राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा वह राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ।

12.10 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312क के उप-नियम ( ) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312क के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.11 म०प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

राज्य सभा से सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा वह राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा वह राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

12.12 म०प०

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरंभ होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1989 से आरंभ होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

12.13 म०प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

राज्य सभा से सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा वह राज्य सभा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से इस सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा वह राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

———

12.1 ½ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

67 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 15 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 67वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 15 मार्च, 1989 की सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 67वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1988-89

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी के० गढ़वी) : मैं वर्ष 1988-89 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) एक बड़े व्यापारिक घराने द्वारा केरल के दैनिक "मातृभूमि" के सारे शेयर खरीदे जाने के हाल के प्रयासों को रोक कर इस दैनिक समाचार पत्र के संकट में पड़े स्वतन्त्र स्वरूप की रक्षा किए जाने की मांग

श्री अब्दुल खादर वोलोम्मल (अलप्पी) : 'मातृभूमि' केरल का सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावी समाचार पत्र है। इसका प्रभाव न केवल उसी राज्य में है बल्कि सारे देश में है। यह पत्र उन स्वतंत्रता सेनानियों ने निकालना शुरू किया था जिन्होंने महान नेताओं का संदेश आम जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत कष्ट सहे। ऐसे भी अवसर आए हैं जब स्वतन्त्रता सेनानियों ने जनता में आजादी का संदेश पहुंचाने के लिए स्वयं यह पत्र बांटा। इस पत्र ने हमारे देश के स्वतन्त्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस समाचार-पत्र के संस्थापकों द्वारा दिखाए गए मार्ग का सुसंगत ढंग से और मनोयोग से अनुसरण किया गया और इस प्रकार यह महान दैनिक इन वर्षों में अपना स्वतंत्र स्वरूप बनाए रखने में सफल रहा है।

अब, इस देश में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की श्रृंखला पर नियंत्रण करने वाले एक बड़े व्यावसायिक घराने द्वारा इस दैनिक के शेयरों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जो इसके स्वतंत्र स्वरूप को निस्सन्देह समाप्त कर देगें।

हम सभी प्रेस के एकाधिकार को समाप्त करने के पक्ष में हैं क्योंकि यह इस देश में प्रेस के स्वस्थ विकास के विरुद्ध है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस विकास की ओर ध्यान देगी और इस पत्र के स्वतन्त्र स्वरूप को बनाए रखने में सहायता करेगी।

(दो) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : बिहार प्रदेश में छोटा नागपुर, जिसमें पलामू, हजारीबाग तथा गया जिले के पठारी इलाके शामिल हैं, में सूखे की स्थिति व्याप्त है। धान की फसल नष्ट हो चुकी है, अब रबी की फसल बर्बाद हो चुकी है। इस इलाके के निवासी दरिद्रता की स्थिति में आकर घर छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। विकट सूखे के कारण अब पेय जल तथा सिंचाई की गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई है। यहां के निवासियों के पास अपनी जान तथा पशुधन को बचाये रखने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। उपर्युक्त समस्याओं को लोकतंत्र और समाजवादी व्यवस्था के अन्दर गम्भीरता से लेना चाहिए।

ऐसे भयंकर संकट और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए विशेषज्ञ समिति से निरीक्षण करायें और छोटा नागपुर के पठारी इलाके को जिनमें गया, पलामू और हजारीबाग जिले हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जायें।

(तीन) वर्ष 1987 में नौकरी से निकाले गए दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लिए जाने की मांग

[अनुवाद]

धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों ने वर्ष 1987 में लगभग 3000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। तब से ही दिल्ली परिवहन निगम के निकाले गए कर्मचारी रोजी-रोटी के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि के इन कठिन दिनों में आप के साधन के बिना जीवित रहना बहुत कठिन कार्य है। हम दिल्ली परिवहन निगम के निकाले गये कर्मचारियों की दयनीय दशा का भली भांति अन्दाजा लगा सकते है। मैं जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री से दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों की शीघ्र बहाली का अनुरोध करता हूं।

(चार) केरल के मुकुन्दपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : केरल राज्य का मुकुन्दपुरम निर्वाचन क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। यद्यपि यह केरल के औद्योगिक क्षेत्र एलवाई के बहुत नजदीक है किन्तु अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और इस प्रकार यहां कोई विकास नहीं हुआ है। यह प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र है। शिक्षा के प्रसार से बेरोजगारी की भावना उत्पन्न हो गई है जैसाकि शेष भारत में भी हुआ है। यद्यपि एलवाई औद्योगिक क्षेत्र है तथापि वहां रोजगार के अवसर प्रायः समाप्त हो चुके हैं। इससे इस क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति और खराब हो गई है।

केवल औद्योगिकीकरण ही इसका समाधान है। इसलिए मैं सरकार से मुकुन्दपुरम निर्वाचन क्षेत्र में कुछ अध्ययन उद्योगों की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस क्षेत्र के युवा शिक्षित बेरोजगार रोजगार पा सकें।

(पांच) वन अधिनियम 1980 के उपबंधों का सरलीकरण किए जाने की मांग ताकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत सी स्वीकृत विकास योजनाएं पूरी हो सकें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों के कारण लगभग दो हजार स्वीकृत विकास योजनायें आवश्यक अनुमोदन के अभाव में वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। इनमें से कुछ योजनाओं पर इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व 95 प्रतिशत कार्य हो चुका तथा शेष 5 प्रतिशत कार्य के लिए स्वीकृति न मिलने के कारण तथा पूर्व निर्मित निर्माण कार्यों की देखरेख न होने से भूमि कटाव बढ़ रहा है। कुछ नियमित पेयजल योजनाओं में इनटैक टैंक के सूखने के कारण तथा नया इनटैक टैंक बनाने की अनुमति न मिलने के कारण लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। जंगल के मध्य चाय की दूकान चलाने वाले से या अपने मकान की मरम्मत के लिए दो-चार पत्थर निकालने वाले व्यक्ति से भी अपेक्षा की जा रही है कि वह भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करे।

लोगों का असंतोष चरम सीमा पर है। लोगों द्वारा पेड़ काटने का आन्दोलन चलाया जा रहा

है । यदि अधिनियम का सरलीकरण नहीं किया गया तो अगले पांच वर्षों में स्थानीय लोग क्रोध के वशीभूत होकर लगभग तीस प्रतिशत जंगलों को इस क्षेत्र में स्वयं ही नष्ट कर देंगे साथ ही इस सीमांत क्षेत्र का असंतोष राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है ।

(छः) फैजाबाद दूरदर्शन रिले केन्द्र की सीमा-क्षमता का विस्तार किए जाने की मांग

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : मेरे लोक सभा क्षेत्र शहर फैजाबाद में दूरदर्शन का प्रक्षेपण केन्द्र जो कार्यरत है उसमें सिर्फ शहर के निवासी ही लाभान्वित हो पा रहे हैं । आवश्यकता है कि जनपद के अन्य क्षेत्र व जनपद बाराबंकी के रूदौली कस्बे के नागरिक जो कि मेरे लोक-सभा क्षेत्र में ही आते हैं, को भी दूरदर्शन फैजाबाद रिले केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम देखने को मिल सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रक्षेपण केन्द्र को क्षमता को बढ़ाकर चार गुना किया जाये ।

मेरा निवेदन है कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय फैजाबाद दूरदर्शन प्रक्षेपण केन्द्र की क्षमता को बढ़ाने की व्यवस्था करे ताकि जनपद फैजाबाद व रूदौली (जनपद बाराबंकी) के निवासी इसका लाभ प्राप्त कर सकें ।

(सात) कलकत्ता में इलैक्ट्रोनिक टेलिफोन केन्द्र लगाए जाने की मांग

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जाटवपुर) : टेलिफोन हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है किन्तु हस्तचालित टेलीफोन केन्द्रों के अकुशल ढंग से कार्य करने के कारण कलकत्ता में यह केवल शृंगार उपकरण मात्र ही बनकर रह गया है । कलकत्ता में जाटवपुर, टोलीगंज भवानीपुर, किदरपुर और बेहाला सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में टेलीफोन मुश्किल से कार्य करते हैं और लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मैं सरकार से इन सभी क्षेत्रों में टेलीफोनों के सहज और त्रुटिरहित कार्य के लिए इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र लगाए जाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करती हूं ।

12.21 म० प०

बजट (सामान्य), 1989-90—सामान्य चर्चा

—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वर्ष 1989-90 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा करेगी । श्री धर्मपाल सिंह मलिक ।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सामान्य बजट 1989-90 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के बेरोजगार नवयुवकों और बेघर लोगों की तरफ तवज्जह देकर सही मायनों में सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । बेरोजगारी दूर करने के लिए वर्तमान बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं । देश भर में 120 ऐसे जिलों को चुना जायेगा, जिनमें बेरोजगार लोगों की संख्या अधिक है, जो जिले विकास की दृष्टि से पिछड़े हैं या जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है । उन लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए ध्यान दिया जायेगा । जहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बेरोजगारों की तरफ जाने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं वहीं मैं चाहूंगा कि आरम्भ में जिन 120 जिलों

को चुना जाना है, उसके स्थान पर यदि तमाम हिन्दुस्तान में इस स्कीम को स्टार्ट किया जाए तो हम अपने उद्देश्य में अधिक सफल हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप में सामने आ रही है, लेकिन कोई भी हिन्दुस्तान में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग न बसते हों। मैं आपके सामने हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और जींद जिलों का जिक्र करना चाहूंगा जहां लोगों के पास बहुत कम होल्डिंग रह गई है, जहां बहुत छोटे-छोटे किसान हैं और वे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन-निर्वाह कर पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप 120 जिलों का चयन करते समय हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और जींद जिलों को भी शामिल करें, इन जिलों में भी बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए स्कीमें लागू कराई जाएं।

मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जिस नेशनल हाउसिंग पौलिसी की चर्चा की, हाउसिंग लोन पौलिसी को लिबरेलाइज किए जाने का जिक्र किया, कम इंटरैस्ट पर लोन देने का प्रावधान किया, बीमा निवास योजना आरम्भ किये जाने का संकेत किया, इसके साथ मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि चूंकि इस देश के शहरों में आवास की समस्या बहुत ही जटिल है, आज यह होता है कि जो लोग शहरों में अपना मकान बनाते हैं, उनके पीछे इन्कम टैक्स के लोग और कुछ दूसरे लोग टूट पड़ते हैं, तरह-तरह की इंक्वायरी करते हैं कि पैसा कहां से आया, लेकिन उसका परिणाम कुछ निकलता नहीं, वे करप्शन, बेईमानी और रिश्वत को जरूर बढ़ाते हैं क्योंकि जिस पर रेड किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, वह कुछ रुपया देकर उन अधिकारियों का मुंह बन्द कर देता है और सारा मामला रफादफा हो जाता है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि शहरों में मकान बनाने के लिए आप बिल्कुल छूट दे दें, कोई आदमी चाहे कितना बड़ा मकान बनाये, कहीं से पैसा लाये, पैसे के मामले में उसकी कोई इंक्वायरी न हो। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि हमें तीन लाभ हो सकते हैं: पहले तो लोगों के पास जो दो नम्बर का पैसा, ब्लैकमनी है, वह बाहर आयेगा, उसका इस्तेमाल देश की आवास समस्या को दूर करने के लिए होगा, दूसरे, जितने अधिक संख्या में मकानात या दुकानें आदि बनेंगी उनसे स्थानीय नगर पालिका या मैट्रोपोलिटन कौंसिल को अथवा राज्य सरकारों को राजस्व की आय होगी, हाउस टैक्स प्रौपर्टी टैक्स मिलेगा और केन्द्रीय सरकार को भी लाभ होगा। इसलिए इस बात की बिल्कुल छूट दे दी जाए। मैं कहता हूं कि यदि ऐसा किया जाएगा तो जो हमारी आवास समस्या है, वह हल हो जाएगी और इससे ब्लैक मनी बाहर आएगी और सरकुलेशन बढ़ेगा जिससे देश का विकास होगा तथा बेकारी दूर होगी क्योंकि मकानात बहुत संख्या में बनेंगे उनमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाउसिंग पौलिसी में इस प्रकार का प्रयोजन करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यदि आप भारत के बजट को देखें, वर्तमान बजट को ही नहीं, बल्कि पिछले दो सालों के और उससे भी पिछले बजटों को देखें, जो कुछ धनराशि हम इन बजटों के माध्यम से यहां से पास करते हैं उसको देखकर आम आदमी यह अन्दाजा लगा सकता है, किताबों के आंकड़ों के आधार पर कि हिन्दुस्तान तो सोने की चिड़िया हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि हम यहां से जो पैसा पास करके विकास कार्यों में लगाने के लिए भेजते हैं वह पैसा उन विकास कार्यों पर खर्च नहीं होता है। वह पैसा करप्शन करके खा लिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई भी पौलिसी आप बनाएं, उससे पहले ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह करप्शन खत्म हो। यदि यह करप्शन खत्म हो जाता है, तो आप किसी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा भी पैसा दे देंगे, तो भी ज्यादा काम हो सकता है, लेकिन देखा यह जाता है कि जितना ज्यादा पैसा बजट में हम यहां से पास करके भेजते हैं उतना ही ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है और जहां जितना पैसा खर्च होना चाहिए वहां उस परसेंटेज

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

में उस पैसे को खर्च नहीं किया जाता है। जितना पैसा पहले खर्च हुआ उतना ही खर्च हो पाता है। जो परसेंटेज यहां से बढ़ाकर पैसे का दिया गया है, उस बढ़े हुए परसेंटेज में पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए देश में करप्शन, भ्रष्टाचार, बेईमानी बहुत ज्यादा है। पहले इसको समाप्त करने की व्यवस्था की जाए।

अभी पिछले वक्त में हमने हरियाणा में देखा कि इस करप्शन को खत्म करने का नारा देकर ही लोग सत्ता में आ गए। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश में करप्शन कितना ज्यादा है। हरियाणा में तो पिछले वक्त यह नारा दिया गया कि "भ्रष्टाचार को बन्द करेंगे, पानी और बिजली का प्रबन्ध करेंगे" इसी नारे से वहां सरकार बन गई। हालांकि वहां उलटा है। वहां भ्रष्टाचार करने का अच्छा प्रबन्ध कर दिया गया है। वहां यदि आज कोई भ्रष्टाचार करना चाहे, तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है और बिजली पानी का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह करप्शन समाप्त हो। यहां पर वैसे तो चुनाव सुधार की बड़ी चर्चा की गई है। लेकिन इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चुनाव सुधार तभी हो सकते हैं जब हम मल्टी परपज आइडेंटिटी कार्ड लागू कर दें। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इसका प्रयोग इस देश से करप्शन को मिटाने के लिए भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान के तमाम परिवारों को हम मल्टी परपज आईडेंटिटी कार्ड दे दें और उसके अन्दर हर परिवार की इंडीविजुअल प्रापर्टी का जिक्र हो। मैं कहता हूं कि आज शायद मवेशियों और सब्जियों के नाम पर भी लोगों ने प्रापर्टी ले रखी है। किसी को पता नहीं है कि वह प्रापर्टी किसकी है। आज देश में एग्जैक्टली ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है जो यह बता सके कि किसके पास कितनी प्रापर्टी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हर परिवार को एक कार्ड इश्यू कर दिया जाए जिसमें यह लिखा हो कि उस परिवार के हैड के पास कितनी प्रापर्टी है और यदि वह उस प्रापर्टी को बेचता है तो उस कार्ड में दर्ज कर दीजिए कि वह प्रापर्टी बेच दी है या वह भूमि अर्जन करता है, तो उसमें उसका रिकार्ड हो। यदि ऐसा हो जाएगा तो जो करप्शन है वह मिटेगा। क्योंकि बेईमानी का भ्रष्टाचार का जो रुपया है उसे लोग बेनामी जमीनों में लगाकर उन जमीनों के कई गुने भाव बढ़कर मुनाफा कमाते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं। यदि इस पर रोक लग जाए, तो इसका फायदा एक तो यह होगा कि जो कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, [ये इतनी तेजी से इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगी। यदि इस बेईमानी और भ्रष्टाचार को आप कम कर दें, तो कीमतें डाउन होंगी, वरना कीमतों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।

हम हर साल बजट पेश करते रहते हैं, कानून बनाते रहते है लेकिन हमें देखना चाहिए हम करप्शन क्यों करते हैं, इसका बेसिक कारण क्या है, कोई आदमी भ्रष्टाचार क्यों करता है, बेइमानी क्यों करता है और रिश्वत क्यों लेता है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका कारण यह है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने नहीं ले रखी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी रुपये ने ले रखी है। एक आदमी जो मेरे से ज्यादा धनी है, वह समझता है कि मैं धर्मपाल सिंह मलिक से ज्यादा सुरक्षित हूं क्योंकि मैं उससे ज्यादा धनवान हूं। और उससे ज्यादा जिसके पास पैसा है, वह उससे भी ज्यादा अपने को सुरक्षित समझता है और कहता है कि मैं इन दोनों से ज्यादा सुरक्षित हूं। बचपन से ही हमें शिक्षा दी जाती है कि बुरे समय पर सिर्फ पैसा ही काम आएगा और कोई किसी के काम नहीं आता। बुरे समय और सामान्य समय के लिए अगर हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पैसे की बजाए गवर्नमेंट ले तो मैं समझता हूं कि करप्शन इससे दूर होगी और सही मायनों में हम जिस समाजवाद को देश में लाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कर सकेंगे।

इनकम टैक्स के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने दिखावे के तौर पर 18 हजार से 25 हजार पर जितना टैक्स बनता है, उसमें खाली 5 परसैंट की छूट दी है, उससे कोई बात नहीं बनती है। आप अन्दाजा लगाएं कि इससे आप आम लोगों को चोरी करना सिखाएं कि तुम झूठ बोलो, गलत रिटर्न भरो तो उससे क्या फायदा ? आज कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी सालाना आमदनी 25 हजार हो और वह ठीक से जी सकता हो। या तो यही होना चाहिए कि जो गरीबी की रेखा से नीचे है, उसी का टैक्स एग्जम्प्ट हो, बाकी आप सब को टैक्स लगा दें, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी पुरजोर अपील है कि इस टैक्स की एग्जम्पशन को कम्पलीटली 25 हजार तक देनी चाहिए कि 25 हजार तक की आमदनी वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

मैं उन सैनिकों के बारे में कहना चाहता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बड़ी भारी कुर्बानी दी। वे अपनी जवानी के दिनों में देश की रक्षा करते रहे और आज वह रिटायर्ड एक्स-मिलेट्री मैन की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने यहां पर भूख-हड़ताल भी की और एजीटेशन भी किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने एक्स मिलेट्री-मैन हैं उनको ईक्वल रैंक ईक्वल पेंशन के हिसाब से पेंशन दी जाए। एक आदमी जो आज से 15 साल पहले हवलदार रिटायर हुआ है, आज रिटायर हुआ हवलदार पुराने सूबेदार से ज्यादा पेंशन पाता है। मेरी गुजारिश है कि ईक्वल रैंक और ईक्वल पेंशन सबको दी जाए ताकि लोगों में हार्टबर्निंग न हो। सब लोग आज के मंहगाई के जमाने में अपनी रिटायर्ड लाइफ ठीक से जी सकें।

किसानों के बारे में इस सदन के सभी सदस्य हर बार यह कहते हैं कि देश के 80 परसैंट लोग खेती पर निर्भर करते हैं। या तो लोग खुद खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं और उनकी आजीविका का साधन खेती-बाड़ी है। इसके बारे में लैक्चर भी दिये जाते हैं। लैक्चर से लम्बी चौड़ी किताब तो बन जाती है लेकिन वह लोग अपने ऊपर निर्भर नहीं हो पाते हैं। मैं चाहूंगा कि खेती के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज की दरें कम की जाएं। ये दरें बहुत ज्यादा हैं, किसान लोग कर्जदार बने रहते हैं और उनका कर्जा बढ़ता रहता है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमतें उनके खर्च के मुताबिक ठीक ढंग से निर्धारित की जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो नया बजट पेश किया गया है, उसे देखने से ऐसा मालूम होता है कि वह इलैक्शन बजट बन गया है। टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन जहां बजट बनाने का ताल्लुक है या तो हम कोई एक चीज कबूल करके चलें, या तो हम इस्तराकियत कम्यूनिज्म को कबूल कर लें या फिर खुली मईसत को कबूल कर लें लेकिन हम दोनों के दरम्यान फंसे हुए इस तरीके से मुल्क को ले जा रहे हैं और इस तरीके का बजट बनाते हैं जिसके नतीजे में गरीब और गरीब होता जा रहा है। आप जानते हैं कि कौमों का किरदार सदियों में बनता है लेकिन हमने जिस तरीके से मुल्क की मईसत का मोड़ा और बजट बनाया उसकी वजह यह है कि आज पूरे मुल्क के किरदार को आपने खराब कर दिया। आज कितनी ही दयानतदारी की बात कीजिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई आदमी इन्कम टैक्स के हिसाबात सही दाखिल करता है, क्या कोई सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह में अपने बीवी-बच्चों का पेट पाल सकता है, नहीं पालता इसलिए उसको रिश्वत खानी पड़ती है, इस हकीकत को हम कबूल करते हुए चलें। आज नतीजा यह है कि पूरा मुल्क करप्शन के अन्दर घिरा हुआ है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि सरमायादारों और ब्लैक मनी को खत्म करना है तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस को अगले 10 बरस तक कोई नहीं हटा सकेगा अगर कांग्रेस 500 रुपये, 1000 रुपये और 50 रुपये की करेंसी को मंसूख कर देगी, आप करेंसी को मंसूख कर देंगे तो जाहिर है कि जितनी ब्लैक मनी है वह सब की सब खत्म हो

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

जायेगी और गरीबों को फायदा पहुंचेगा लेकिन आप गरीबों का नाम तो लेंगे लेकिन बड़े नोटों को आप खत्म नहीं करेंगे : इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तमाम शरमायादारों के यहां से आपको चन्दा लेना है और आप उसको खत्म नहीं कर सकते । नाम आप गरीबों का लेंगे लेकिन शरमायादारों के मुफाद की हिफाजत करेंगे । आप बताइये कि अगर आप शरमायादारों की हिफाजत नहीं करते तो आप शहरी जायदाद के ऊपर हद मुकर्रर कीजिए, शहर के अन्दर जितने लोगों की जायदादें हैं, उनकी हद आप मुकर्रर कीजिए कि एक से ज्यादा मकान शहर में नहीं बनाया जा सकता । ऐसे तमाम लोगों के मकानात हुकूमत हासिल करे और जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उन लोगों को मकान दे लेकिन आप यह काम नहीं कर सकते, मल्टी नेशनल इदारों को तो आप सहूलियत देंगे, आप हिन्दुस्तान में कोकाकोला को तो सहूलियत दे सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तानी आवाम को पीने का साफ पानी नहीं दे सकते । आज हिन्दुस्तान के आवाम को पीने का साफ पानी चाहिए, कोकाकोला नहीं चाहिए । यहां आप वोट की सियासत से चलते हैं । बजट के अन्दर आपने देही बेरोजगारी और उनके लिए बाज चीजें रखी हैं लेकिन इसी तरीके से आपने शहर के बेरोजगारों और शहर के गरीबों के लिए क्या रखा, आपने कुछ भी नहीं रखा ।

आपने सीमेन्ट और एल्यूमीनियम के लिए छूट दी ताकि इजारेदारों और इन्तजामिया को फायदा पहुंचे और आपको चन्दा भी मिलता जाए । मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे मुल्क को आप इस सिम्त पर ले जा रहे हैं, आप पूरे मुल्क के किरदार को खराब कर रहे हैं और उनसे जुबान से नहीं लेकिन अमल से यह कह रहे हैं कि तुमको जिन्दा रहने के लिए रिश्वत और चोरी करना जरूरी है । आज आपके इन टैक्सों की वजह से पूरे हिन्दुस्तान के आवाम के किरदार को आप खराब करते हैं और उसका नतीजा यह है कि आप देखते जा रहे हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सूरतेहाल क्या होती जा रही है और किस तरीके से आवाम परेशान हाल है । गरीबों के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है कि किस तरीके से उनको उठाया जाये । अब इनकम टैक्स की हद 18 हजार और उसमें 5 फीसद की छूट क्या मायने रखती है । 25 हजार की हद रखनी चाहिए थी । 25 हजार तक माफ करना चाहिए था । इस तरीके से अगर आप सोशलिज्म की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स की बात भी आती है । तो बातें होती हैं लेकिन उस सिम्त में कोई चीज आगे बढ़ती हुई हमें नजर नहीं आती । तो इसके लिए आप एक कमेटी बनाइये इसी हाउस की जिसे इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या हम कर सकते है । लेकिन अफसोस है कि इस सिम्त के अन्दर कोई बड़े जरूरत मन्दाना एक दाम आप करना नहीं चाहते । आप सिर्फ यह चाहते हैं कि एक दिलखुशकुन बात कर दी जाये और आवाम को यह बता दिया जाये कि इस बजट के अन्दर कोई इजाफा नहीं किया गया । हालांकि बारबरदारी के सिलसिले में रेलवे में 11 फीसद का इजाफा होने के बाद आप खुद देख रहे है कि उसका नतीजा यह है कि कीमतें बढ़ीं और बहुत सी चीजें बाजार से गायब हुई । और इसी तरीके से आप देखते हैं कि इफराते जर बढ़ने की वजह से गरीब मुतवस्सित तबका और उससे ऊपर का तबका काफी से ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से वह अपनी जिन्दगी गुजार सके । उनके लिए अपनी जिन्दगी अजीबोगरीब हालात से दो-चार है । इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप इन चीजों पर गौर करें और मुल्क में वह वक्त मत आने दें कि तमाम आवाम उठ खड़े हो जाएं । मैं चाहूंगा आप जरा सोच समझकर काम करें । अब भी वक्त है, बुनियादी तौर पर अपनी इस्लाह कर लें ।

मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे वक्त दिया ।

श्री सुलतान सलाह الدین اویسی (حیدرآباد): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب! جو نیا بجٹ پیش کیا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن بجٹ بن گیا ہے ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے لیکن جہاں تک بجٹ بنانے کا تعلق ہے یا تو ہم کوئی ایک چیز قبول کر کے چلیں یا ہم اشتراکیت (کمیونزم) کو قبول کرلیں یا پھر کھلی معیشت کو قبول کرلیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اس طریقے سے ملک کو لے جا رہے ہیں اور اس طریقے کا بجٹ بناتے ہیں جس کے نتیجے میں غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قوموں کا کردار آپ نے خراب کر دیا ہے، آج کتنی دیانت داری کی بات کی جاتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی آدمی انکم ٹیکس کے حسابات صحیح داخل کرتا ہے، کیا کوئی سرکاری ملازم اپنی تنخواہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، نہیں پال سکتا ہے اس لئے اس کو رشوت کھانی پڑتی ہے اس حقیقت کو ہم قبول کرتے ہوئے چلیں آج حقیقت یہ ہے کہ پورا ملک کرپشن کے اندر گھرا ہوا ہے اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ سرمایہ داروں اور بلیک منی کو ختم کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ کانگریس کو اگلے دس برس تک کوئی نہیں ہٹا سکے گا، اگر کانگریس پانچ سو روپے، ہزار روپے اور پچاس روپے کی کرنسی کو منسوخ کردے گی، اگر آپ کرنسی کو منسوخ کردیں گے تو ظاہر ہے کہ جتنی بلیک منی ہے وہ سب کی سب ختم ہوجائے گی اور غریبوں کو فائدہ پہنچے گا، لیکن آپ غریبوں کا نام تو لیں گے لیکن بڑے نوٹوں کو آپ ختم نہیں کریں گے، اس لئے یہ نہیں کرسکتے کیوں کہ تمام سرمایہ داروں کے یہاں سے آپ کو چندہ لینا ہے اور آپ اس کو ختم نہیں کرسکتے، نام آپ غریبوں کا لیں گے لیکن سرمایہ داروں کے مفاد کی حفاظت کریں گے آپ بتائیے کہ اگر آپ سرمایہ داروں کی حفاظت نہیں کرتے تو آپ شہری جائداد کے اوپر حد مقرر کیجئے، شہر کے اندر جتنے لوگوں کی جائدادیں ہیں ان کی حد آپ مقرر کیجئے کہ ایک سے زیادہ مکان شہر میں نہیں بنایا جاسکے، ایسے تمام لوگوں کے مکانات حکومت حاصل کرلے اور جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہیں ان لوگوں کو مکان دے لیکن آپ یہ کام نہیں کرسکتے، ملٹی نیشنل اداروں کو یا تو آپ سہولیت دیں گے، آپ ہندوستان میں کوکا کولا کو تو سہولیت دے سکتے ہیں لیکن ہندوستانی عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتے، آج ہندوستان کے عوام کو پینے کا صاف پانی چاہیئے کوکا کولا نہیں چاہیئے، یہاں آپ ووٹ کی سیاست سے چلتے ہیں، بجٹ کے اندر آپ نے دیہی بیروزگاری اور ان کے لئے بعض چیزیں رکھی ہیں لیکن اس طریقے سے آپ نے شہر کے بے روزگاروں اور شہر کے غریبوں کے لئے آپ نے کیا رکھا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔

आपने सीमेंट और एलुमिनियम के लिये छूट दी ताकि उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा और आप को चन्दा भी मिलता जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे मुल्क को आप किस तरफ ले जा रहे हैं, आप पूरे मुल्क के किरदार को खराब कर रहे हैं। और उन से जबान से नहीं तो अमल से यह कह सकते हैं कि तुम जिन्दा रहने के लिये रिश्वत और चोरी करनी जरूरी है, आज आप के इन टैक्सों की वजह से पूरे हिन्दुस्तान के अवाम के किरदार को आप खराब करते हैं और उस का नतीजा यह है कि आप देखते जा रहे हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सूरत हाल क्या होती जा रही है और किस तरीके से अवाम परेशान हाल हैं, गरीबों के लिये आप के पास कोई स्कीम नहीं है कि किस तरीके से उन को उठाया जाए। आप इनकम टैक्स की हद अठारह हजार और उस में पांच फी सदी की छूट क्या मानी रखती है, पच्चीस हजार की हद रखनी चाहिये थी, पच्चीस हजार माफ करना चाहिये था, उस तरीके से अगर आप सोशलिज्म की बात करते हैं तो इंकमटैक्स के ऊपर भी इनकम टैक्स की बात आती है दो बातें होती हैं लेकिन उन में से कोई चीज आगे बढ़ती हुई हमें नजर नहीं आई तो इस के लिये आप एक कमीशन बनाइये, इस हाउस की जो इस के ऊपर गौर करना चाहिये कि क्या हम कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि इस हद के अन्दर कोई बड़े जरूरत मन्दाना अन्दाम आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ यह चाहते हैं कि एक दिल खुश बात कर दी जाए और अवाम को यह बता दिया जाए कि इस बजट के अन्दर कोई इजाफा नहीं किया गया है, हालांकि बार बरदारी के सिलसिले में रेलवे में ग्यारह फी सदी का इजाफा होने के बाद आप खुद देख रहे हैं कि इस का नतीजा यह है कि कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत सी चीजें बाजार से गायब हो गई हैं और इस तरीके से आप खुद देख रहे हैं कि इफ्राते जर बढ़ने की वजह से गरीब मुतवस्सित तबका और इस से नीचे का तबका काफी परेशान है कि किस तरीके से वह अपनी जिन्दगी गुजार सके, उन के लिये अपनी जिन्दगी अजीब व गरीब हालात से दोचार है इस लिये मैं यही कहूंगा कि आप इन चीजों पर गौर करें, और मुल्क में वह वक्त मत आने दें कि तमाम अवाम उठ खड़े हो जाएं, मैं चाहूंगा आप जरा संजीदगी से सोच समझ कर काम करें, अब भी वक्त है बुनियादी तौर पर अपनी इस्लाह कर लें।

मैं मशकूर हूं कि आप ने मुझे वक्त दिया।

श्री० के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष जी, जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं इसलिए कि वह निश्चित रूप से बड़ा जनहितकारी है जिसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया है कि गरीबों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ न पड़े। जो कुछ भी हमें साधन जुटाने हैं वह साधन हम उसी क्लास से जुटायें जो कि सक्षम है। बराबर इस बजट को इस प्रकार से सजाया गया है कि चाहे आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात हो, चाहे बेरोजगारी मिटाने की बात हो, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात हो—इन सभी चीजों के लिए एक बजट में निश्चित रूप से प्राविजन किया गया है।

मैं कुछ बातों की ओर खासतौर से वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम बहुत अच्छा बजट बनाते हैं, कराधान भी बड़े बैलेंस्ड ढंग से रखते हैं लेकिन वर्षों से हम यह बात देखते आए हैं कि जब बजट सेशन का समय आता है चाहे पार्लमेन्ट का बजट हो या राज्यों के बजट हों—उस समय छोटे गरीब और खास तौर से मिडिल क्लास आदमियों के दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं और वह इसलिए बढ़ जाती हैं कि किसी प्रकार का भी आप बजट पेश करिए नतीजा उसका यही होता है कि बाजार में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। थोक वाले अपने भाव बढ़ाते हैं और जो फुटकर भाव होते हैं उन पर तो हमारा कहीं से कोई नियन्त्रण ही नहीं रहता है। अगर आप गौर करके देखें तो जो कराधान होता है और जो मंहगाई बढ़ती है उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस तरफ हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ये भाव जो बढ़ते हैं उन पर किस प्रकार से नियन्त्रण रखा जाये।

इसी प्रकार से हमारी विदेशी-मुद्रा की जो स्थिति है वह भी बड़ी गम्भीर है। जो हमारा खर्चा है उसमें सबसे ज्यादा एक मद में जो हम खर्च कर रहे हैं वह सैन्ट्रल प्लान है जिसमें 1 रुपये में से 18 पैसे खर्च कर रहे हैं और उसी के बराबर हमें ब्याज देना है। यह ब्याज अदायगी जो है वह अगले वर्षों में कितनी बढ़ सकती है इसका आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिए हमें निश्चित रूप से अपनी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। हम बात बहुत अच्छी करते हैं कि हम अपनी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी को प्रैक्टिकल बनायेंगे लेकिन उस पर ऑल नहीं होता है।

इसी प्रकार से जहां तक वैस्टफुल एक्सपेन्डीचर की बात है, इस पर बराबर गवर्नमेंट जोर देती है, हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी हर विभाग को लिखा है कि वे अपने यहां कटौती करें लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो मानसिकता बन गई है उसमें निश्चित रूप से जो वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कोई उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ एक आइटम की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप गौर करके देखें तो इस देश के अन्दर संस्कृति के नाम पर, इस देश में कला के नाम पर इस देश में आर्ट के नाम पर किस प्रकार से वेस्ट हो रहा है। उसका एक नमूना हमारे ही मध्य प्रदेश में भारत-भवन है। वहां पर लाखों रुपया हर साल खर्च होता है। कहां कैसे खर्च होता है, यह मैं आपको बताता हूं। वहां एक कवि-सम्मेलन में सौ कवि इकट्ठे हुए और वहां सुनने वाले दस होते हैं। 100-100, 200-200, 400-400 रुपये का एक-एक कार्ड छापा जाता है। आज भोपाल में एक-एक नागरिक कहता है कि यह केवल बड़े-बड़े लोगों की जहनी-ऐयाशी के लिए भारत भवन है और जहां कला-प्रेम और संस्कृति की आड़ ली जाती है। श्रीमन्, अभी एक विश्व कवि सम्मेलन हुआ था। उस विश्व कवि सम्मेलन में वे कविताएं कही गई हैं, जिनको हम यहां पर नहीं कह सकते हैं। इससे आप अन्दाजा लगाइए कि हमारी कविता का स्तर कितना गिरता जा रहा है और हम वेस्टफुल खर्चों की तरफ जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम पंच-सितारा संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, यह गलत नहीं है, लेकिन पंच-सितारा

[श्री के० एन० प्रधान]

संस्कृति जिसमें कि हर्षमैन को यहां लाकर बोफोर्स का नाटक खड़ा किया, जिससे सारे देश में सडान्ध मची हुई है। यह सब खत्म होना चाहिए। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यह वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं और उस पर लगाम लगानी चाहिए। यदि हम यह लगाम नहीं लगा पाए तो निश्चित रूप से इस देश का जो गरीब है, वह कब तक देखता रहेगा और कब तक सब्र करेगा, वह एक न एक दिन बाहर आएगा। कुछ लोगों की सम्पन्नता बढ़ती जा रही है और कुछ लोग बराबर परेशान होते जा रहे हैं।

हमारी सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० दो कार्यक्रम चलाए थे, जिनको अब एक कर दिया गया है। हमारे जो गरीब प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनकी स्थिति को आप देखें तो आप पायेंगे कि पिछले वर्षों में चाहे पूरे देश में उन्नति हुई हो, लेकिन जो गरीब प्रदेश हैं और जो उन्नत प्रदेश हैं उनके मुकाबले में उनकी गरीबी बराबर बनी हुई है, उनका यह अन्तर बराबर बना हुआ है। आर० एल० ई० जी० पी० का जो कार्यक्रम है, जिसमें सौ परसेंट हम लोगों को केन्द्र से पैसा मिलता था, उसमें भी अब आपने बंटवारा कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस आर० एल० ई० जी० पी० के कार्यक्रम को रहने दीजिए और जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनके लिए ज्यादा स्कीम मन्जूर होनी चाहिए, ताकि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में वे आ सकें।

कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यदि आप गौर से देखें तो पाएंगे कि अकेले कृषि ही नहीं, बल्कि कृषि के साथ जो पशुपालन है, उस पर भी हमें पूरा वजन देना होगा। जब इन दोनों को हम साथ-साथ लेकर चलेंगे तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होगी। हमने पशुपालन पर ध्यान तो जरूर दिया है, लेकिन जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया है। जितना नस्ल सुधार होना चाहिए था, जितनी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए था, जितना उनके लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, वह हमारे देश में नहीं हुआ है। इसलिए हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे देहातों में कम-रोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। वहां पर कुपोषण हैं, बीमारियां हैं, पशुपालन की कमी के कारण अगर दूध का उत्पादन वहां ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से इससे फायदा पहुंचेगा। उद्योगों की स्थापना की बात हो, चाहे अच्छे खाद की बात हो, हम जो आर्टिफिशियल खाद दे रहे हैं, उससे कुछ दिनों के बाद वह खेती बेकार होने वाली है। उस जमीन को बचाने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति को कायम करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस खाद के साथ पशुओं से मिलने वाली खाद का भी उपयोग करें, यह तभी हो सकता है जब तक पशुपालन की ओर ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोवीजन करेंगे। इस देश को हम तभी खुशहाल बना सकते हैं। श्रीमन्, पशु तो मरने के बाद भी आपको लाभ देता है। ईंधन देता है, ऊर्जा देता है लेकिन इस तरफ हमने आवश्यक ध्यान नहीं दिया है।

इसी प्रकार से मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहां पर जो हमारा विरोध पक्ष है, वह सबसे गैर जिम्मेदार है। उन्होंने पूरे देश के अन्दर केवल एक ही रास्ता अपनाया है और वह यह है कि हम किस तरह से प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की इमेज को गिरा सकते हैं और किस तरह से बदनाम कर सकते हैं। झूठ का सहारा लेकर हर विरोधी पार्टी का सिर्फ यही एक कार्यक्रम मिलेगा। उनकी कोई नीति आपको नहीं

मिलेगी। जब प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के खिलाफ ऐसी बात करते हैं, तो हमें भी पब्लिक में इस का मुकाबला करना चाहिए।

इन्दिरा जी ने गरीबों के लिए बहुत आवाज उठाई। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजा-महाराजाओं की प्रिवी पार्सेज को बन्द किया और गरीब उनके साथ खड़े रहे लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम गौर करके देखें। हमने कोशिश की है कि अपने कार्यक्रमों से हम गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ऊपर उठाएं और उसमें हम कुछ सफल भी हुए हैं। पहले ऐसे लोग 50 प्रतिशत से अधिक थे जो अब 38 प्रतिशत रह गये हैं लेकिन उनकी स्थिति क्या है। आपके ओवरहाल डेवलपमेंट का उनको क्या लाभ पहुंचा है। वे कब तक खड़े रहेंगे बैंकों से आस लगाए हुए और आपकी स्कीमों से आस लगाए हुए। उनकी हालत बहुत खराब है। हम कह सकते हैं कि हमने इस देश में किसी को भूखे नहीं मरने दिया लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वे जो 38 प्रतिशत लोग हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इतने लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वे किस तरह की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनके बच्चों को दो वक्त भर-पेट भोजन भी नहीं मिलता है। पूरे देश के अन्दर हमने कलस्टर बना रखे हैं और जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, उनमें से कुछ को पिछले 5, 10 वर्षों में हम कह सकते हैं, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। इन्दिरा जी ने हमको मार्गदर्शन दिया था कि आदिवासियों के लिए सब्सीडाइज्ड फूड का प्रोविजन किया जाए और उन्होंने कहा था कि डेढ़ रुपये किलो के हिसाब से उनको गेहूं दिया जाए। आप पूरे देश के अन्दर जितने भी गरीब लोग हैं, उनको आप सब्सीडाइज्ड फूड दीजिए उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। पिछले दो, चार सालों में हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे-धीरे उनको कन्ट्रोल का फूड देना भी कम कर दिया है। पहले 10, 10 किलो अनाज एक व्यक्ति को देते थे लेकिन आज आप उसको 1, 2 किलो ही दे रहे हैं। इससे जितने गरीब लोग हैं, वे सरकार से नाराज हैं और कांग्रेस से नाराज हैं और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा राशन तो सभी लोगों को, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, सब्सीडाइज्ड फूड उनको मिलना चाहिए। इससे वातावरण बहुत अच्छा बन पाएगा।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब एक बत्ती का कनैक्शन हरिजन, आदिवासी को दे सकते हैं, तो जितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको क्यों नहीं दे सकते। वे आपकी आवास योजना में बसे हुए हैं या पीढ़ी से उनको एक काटेज मिली हुई है, तो उनको भी यह सुविधा दी जाए, जिससे झोंपड़ी तो रोशन होगी उनके बच्चे भी रात में पढ़ सकें। अगर आप यह करेंगे, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा काम आप करेंगे। अच्छा वातावरण बनेगा।

मैं दो, तीन बातें और कहना चाहता हूं। आज पूरे देश के अन्दर हर जगह कर्मचारियों का कोई न कोई अन्दोलन चलता रहता है चाहे वह महंगाई भत्ता के लिए हो या वेतन-मान बढ़ाने के लिए हो। कहीं न कहीं हड़ताल होती रहती है या धरने पर लोग बैठते हैं। अब समय आ गया है कि आप को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि एक राष्ट्रीय वेतन-मान हो। एक राष्ट्रीय वेतन मान आपको पूरे देश के अन्दर स्थापित करने के लिए विचार करना होगा। आप आई० ए० एस० के लोगों के लिए ही ऐसा क्यों करते है? उस तरह की चीज हर क्लास के कर्मचारियों के लिए बनाएं। राज्यों के जितने कर्मचारी हैं, उनको केन्द्रीय वेतन-मान मिलें। अब तो थोड़ा सा अन्तर रह गया है। इसमें थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर हम अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसको देने की गारन्टी दें। मैं समझता हूं कि आन्दोलनों से इस देश को जो

[श्री के० एन० प्रधान]

नुकसान होता है, वह इनको जो देना पड़ेगा उससे अधिक है अगर कर्मचारी आपके सन्तुष्ट होंगे, काम भी आपका अच्छा होगा।

टैक्सों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा। मैं सिर्फ एक, दो बातें ही कहना चाहता हूं। आज दो-पहिया वाहन हमारी नेसेसिटी बन चुका है और मिडिल क्लास का जो आदमी है, उसकी जिन्दगी की मोबीलिटी का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए।

इसी तरीके से पिछले दो, तीन बजटों से सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि 18,000 रुपये की जो इन्कम टैक्स की लिमिट है, उसको 25,000 रुपये कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं, उन सभी ने इस बात के लिए कहा है और मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री जी जरूर इस पर विचार करेंगे।

अन्त में मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर केस चल रहा है, हमने भोपाल गैस एक्ट बनाया है, उसको कुछ लोगों द्वारा चैलेंज किया गया है, जिससे बड़े कांसीक्वेंसेस पैदा होने वाले हैं। अगर एक्ट को इनवेलिड करार दे दिया गया तो क्या स्थिति हो सकती है, जितना पैसा यूनियन कारबाइड से लिया गया है, वह वापिस करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, जिनके अन्दर इतनी हमदर्दी पैदा हुई है, जो इस बात की गारन्टी नहीं दे सकते कि पैसा कब दिलवाएंगे, लेकिन बराबर दिलचस्पी ले रहे हैं और गैस पीड़ितों की मदद के नाम पर यूनियन कारबाइड की मदद कर रहे हैं। यह सारा काम इसलिए हो रहा है, अमरीका से सैकड़ों वकील यहां आए थे, जिन्होंने कोशिश की कि अमरीका में इस केस को चलाया जाए, उससे उनको फायदा मिलेगा। वे चाहते हैं कि यहां केस खत्म हो जाए, एक्ट इनवेलिड हो जाए और पैसा यूनियन कारबाइड को वापिस पहुंच जाए, फिर अमरीका में केस को चलाया जाए, इस तरह से वे लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक इंटरनेशनल अखाड़ा बना दिया गया है।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन मैं एक बार फिर चाहूंगा कि सरकार इस बात की जांच करे कि कौन से अर्गनाइजेशंस हैं, जिनके हैडक्वार्टर इंग्लैंड, फ्रांस आदि में हैं, जो यहां के आर्गनाइजेशंस की मदद कर रहे हैं, उनके जासूसों का जाल बना हुआ है, इस सब की जांच की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के बजट का समर्थन करता हूं।

प्रारम्भ में मैं वित्तीय मंत्री के बावजूद एक गरीबों के पक्ष वाला, विकास उन्मुख तथा मुद्रा स्फीति विरोधी बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री के अत्यधिक प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, एक आदर्श बजट में प्राप्तियों और खर्च के लेखे सन्तुलित रखे जाते हैं, लोक ऋण कम होता है, लोगों पर वर्जनीय करों का बोझ नहीं डाला जाता है, लोग सरकारी राज सहायता और अनुदानों पर अधिक निर्भर रहे बगैर ही स्वयं के लिए उत्पादक श्रम पाने के पर्याप्त अवसर पाते हैं।

श्री चव्हाण जी के पक्ष में यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस बजट में पूरे प्रयास किए हैं और कोई भी इस तथ्य से इन्कार नहीं करेगा कि वह अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल रहे हैं हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ असन्तुष्ट प्रवृत्तियों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया गया है ।

इस बजट को उस गम्भीर स्थिति के परिपेक्ष्य में देखा जाए जिसमें से सरकार की वित्त व्यवस्था पिछले दो वर्षों से गुजर रही थी। 1987-88 के दौरान अत्यधिक सूखे के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में इस वर्ष के दौरान 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1987-88 में खाद्यान्न का उत्पादन भी 138 मिलियन टन था इससे पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा ही कम है और पिछले वर्ष का खाद्यान्न तथा तिलहन उत्पादन अब तक का रिकार्ड उत्पादन था। चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 9 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है और योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की औसत वृद्धि दर 5 प्रतिशत से अधिक रहेगी जो कि लक्ष्य था। महोदय, यह सब कम उपलब्धियां नहीं है ।

देश के सम्मुख बुनियादी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। इसे महसूस करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए इस बजट में काफी गम्भीर प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिला कर एक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत इसके कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और केन्द्र सरकार कुल व्यय का 75 प्रतिशत वहन करेगी। इसके अतिरिक्त चयनित 120 जिलों में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने वाला एक नया सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है और इस नई परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। चुने हुए क्षेत्रों में 61 औद्योगिक विकास केन्द्र प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव भी है। ये उपाय वास्तव में प्रशंसनीय हैं और जिस भावना से इन्हें पेश किया गया है यदि उसी भावना से इन्हें कार्यान्वित किया गया तो गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को काफी हद तक तक सुलझाने में इसका अत्यधिक योगदान होगा।

1.00 म० घ०

बजट में दूसरा स्वागत योग्य कदम रक्षा खर्च में थोड़ी कटौती करना है। साधारण परिस्थितियों में भी रक्षा व्यय कम से कम 5% बढ़ाना चाहिए था। रक्षा व्यय में न सिर्फ इस सामान्य वृद्धि को रोका गया है बल्कि इस वर्ष के रक्षा व्यय के लिए बजट प्रावधान में 200 करोड़ रुपये कम किए गए है। यह वास्तव में प्रशंसनीय है और निःसन्देह इसका श्रेय माननीय प्रधानमन्त्री को जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्धों को सुधारने के लिए निजी प्रयास किए और योग्य नेतृत्व प्रदान किया। फिर भी मैं सावधान करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमें रक्षा पर व्यय में कमी करके रक्षा के आधुनिकीकरण और हमारी थल सेना तथा अन्य सेनाओं को उपकरणों से लैस करने महत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और हमारी रक्षा सेनाओं को किसी भी अनिवार्य आवश्यकता का सामना करने हेतु सदा सतर्क रखा जाए।

इस वर्ष के बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें घाटे को सख्ती से कम करने का प्रयास किया गया है। कुल बजट घाटा 7337 करोड़ रुपये हैं जो कि 1988-89 के लिए संशोधित आकड़ों से 5% कम है। राजस्व घाटे को भी एक तिहाई से अधिक कम करने का प्रयास किया गया है अर्थात् 1988-89 में 11030 करोड़ से 7012 करोड़ रुपये किया जाएगा। जब इसे प्राप्त कर लिया

[श्री ए० चार्ल्स]

जाएगा तो निःसन्देह इससे हरारी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने में अत्यधिक मदद मिलेगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए खेद है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मछली पालन की किसी प्रकार से उपेक्षा हो गई है। आप इससे सहमत होंगे कि परम्परागत मछुवारे कमजोर वर्गों में सबसे अधिक उपेक्षित तथा गरीब हैं और मैं नहीं समझता कि उनकी दशा सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। आज के प्रश्न काल में मछली पकड़ने के बारे में एक विशेष प्रश्न किया गया था और इसका खाद्य प्रसंस्करण मन्त्री ने उत्तर दिया था। उन्होंने उत्तर में कहा था कि इससे कुछ पहलुओं पर वित्त मंत्रालय को विचार करना है और कुछ पर कृषि के प्रभारी मन्त्री श्री भजन लाल को विचार करना है। मछली पालन कृषि मन्त्रालय की देखरेख में आना चाहिए। लेकिन रियायतों तथा अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में कुछ पर वित्त मंत्रालय अन्य कुछ पर वाणिज्य मंत्रालय और कुछ मुद्दों पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जानी है। इनमें कोई तालमेल नहीं है। मछली पालन के कोई समर्थक नहीं हैं हालांकि काफी, चाय, रबड़, नारियल इत्यादि के शक्तिशाली समर्थक हैं। मैं पुरजोर से आग्रह करता हूं कि तटीय रेखा के साथ-साथ रहने वाले परम्परागत मछुआरों की देखरेख हेतु एक बोर्ड गठित किया जाए। वे कमजोर वर्गों में सबसे गरीब हैं। उन्हें मौसम की कठोरता का सामना करना पड़ता है और वे अत्यधिक कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इस पहलू पर विचार किया जाए और मछली पालन के लिए एक बोर्ड गठित किया जाए।

दूसरा मुद्दा कराधान के सबसे निचले स्तर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों से संबन्धित है। मुझे यह जानकर खुशी है कि 50,000 से अधिक कर योग्य आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी ही 18,000 से 25000 कर योग्य आय के अन्तर्गत आते है और यही वास्तव में प्रभावित होते हैं। व्यावसयिक लोग इसकी परवाह नहीं करते है। सरकारी कर्मचारी कर से नहीं बच सकते क्योंकि वे झूठे लेखे नहीं दे सकते है। यदि सरकारी को आयकर में कुछ रियायत दे दी जाए तो यह अच्छा कार्य होगा।

इस संबंध में मैं कुछ ऐसे चिंताजनक तथ्य बताऊंगा जो हमारी अर्थव्यवस्था को गम्भीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने 1987 के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है :

> "व्यर्थ के खर्चे को सख्ती से रोकने की आवश्यकता है..... सार्वजनिक उद्यमों में निवेश को और अधिक उत्पादन बनाने के लिए उपाय करने की भी आवश्यकता है।"

नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बातों के अतिरिक्त यह भी कहा है कि केन्द्र का 16,000 करोड़ से 17,000 करोड़ का ब्याज का बोझ अत्यधिक है। घाटा कम करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद जब तक खर्चे कम करने के लिए दृढ़ प्रयास नहीं होते और हमारे सरकारी उद्यमों को अधिक उत्पादक नहीं बनाया जाता है तो हम भविष्य में अधिक कठिन स्थिति का सामना कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में कुल निवेश 75:00 करोड़ रुपये बताया गया है। लेकिन इससे खजाने में वास्तव में कितना योगदान होता है। 75000 करोड़ के निवेश में केन्द्र को 25000 रुपये के बराबर हिस्से का 10 प्रतिशत यानि 2500 करोड़ रुपये का लाभांस मिलना चाहिए था। सिर्फ इससे वर्तमान घाटा एक तिहाई रह जाता। तीन वर्ष पूर्व सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर एक श्वेत पत्र जारी करने का वादा किया था। लेकिन इसके बाद इस विषय पर बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं पुरजोर से आग्रह करता हूं कि इसे

उचित गम्भीरता से लिया जाए और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हो रहे विशाल घाटे के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती कार्यवाही की जाए। पहले किए गए वादे के अनुसार श्वेत पत्र प्रकाशित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जाए।

सरकारी ऋण में वार्षिक वृद्धि भी एक मुद्दा है। बजट की एक झलक 1989 दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2-3 पर दिए गए चार्ट से पता लगता है कि प्राप्तियों की तरफ से 8 प्रतिशत का घाटा है जबकि व्यय की तरफ से ब्याज की अदायगी ही 18 प्रतिशत बनती है। इस प्रकार, यदि ब्याज की अदायगी ही 8 प्रतिशत कम कर दी जाए तो कोई घाटा ही नहीं रहेगा और इसका हमारी अर्थ व्यवस्था को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऋण का बड़ा भाग गैर योजना, गैर विकास क्षेत्रों पर व्यय के लिए है तो देश की अर्थ व्यवस्था के हित में हमारे प्रशासन पर व्यर्थ व्यय समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।

राज सहायता के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से उर्वरकों पर राजसहायता के लिए भारी मात्रा में धनराशि खर्च की जाती है। मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे सहायता अदा करने की इस नीति के बारे में विचार करें। हम बड़ी कम्पनियों को यह लाभ दे रहे हैं। इसमें सन्देह है कि क्या इस राजसहायता का अधिकांश भाग वास्तव में गरीब किसानों तक पहुंचता है। अतः इस नीति पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए अथवा बड़े उद्योगों को राजसहायता देने के बजाय उसे सीधे ही किसानों को देने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस सन्दर्भ में मैं एक और क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भारी मात्रा में अपव्यय किया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री ने भी यह कहा है कि एक अध्ययन से यह जाहिर हुआ है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कुल खर्च की गई राशि का केवल छठा हिस्सा ही वास्तव में लाभ योगियों तक पहुंचता है। यह वास्तव में बहुत खराब स्थिति है। धनराशि का प्रमुख भाग प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया जाता है। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि एन० ई० एस० ब्लाक राजस्व विभाग पंचायतों, स्वास्थ्य सेवा विभाग आदि उन विभागों में अधिक सामन्जस्य होना चाहिए जो कि उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं।

अब मैं अपने राज्य केरल के सम्बन्ध में बताता हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री के ध्यान में अपने राज्य की प्रमुख समस्यायें लाने के लिए विवश हूं। जैसा कि आप जानते हैं केरल की सबसे प्रमुख समस्या शिक्षित बेरोजगारी की है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक हैं.....(व्यवधान) केरल में नाम मात्र के लिए भी उद्योग नहीं हैं। वहां स्थापित सभी उद्योग पहले रुग्ण हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि विकास केन्द्र आरम्भ करते समय और 120 जिलों में प्रत्येक परिवार को एक रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय रुग्ण उद्योगों को पुनः स्थापित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन रुग्ण इकाइयों में हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है। रुग्ण उद्योग होने के कारण धन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैंने माननीय वित्त राज्य मन्त्री से एक बार पहले भी यह अनुरोध किया था और उन्होंने बैंकों को इस पर विचार करने का निर्देश दिया था। अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारे राज्य में इन रुग्ण उद्योगों के पुनःस्थापन के लिए भरसक प्रयास किये जाये.....(व्यवधान) पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को वापस लाने के लिए रेलवे माल भाड़े में कुछ रियायत दी जाती है। यदि इस रियायत को केरल राज्य में भी लागू किया जाये तो मैं समझता

है कि वहां के औद्योगिक वातावरण में सुधार किया जा सकता है। इससे रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन और नये उद्योगों को आरम्भ करने में सहायता मिलेगी।

इन राज्यों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : क्या आप मुझे अनुमति देंगे? माननीय सदस्य की सूचना के लिए जब मैं एक महीना पहले केरल में था तो मैंने बैंकों से यह आग्रह किया था और वे उन एस० एल० आई० इकाइयों की पुर्नस्थापना के बारे में समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार हो गये थे जिनके लिए उन्होंने वित्त व्यवस्था की है।

श्री के० मोहन दास (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं। यद्यपि वित्त मंत्री महोदय नये करों के द्वारा 902 करोड़ रुपया एकत्रित करेंगे परन्तु उन्होंने बहुत सी आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, चाय, पैट्रोलियम उत्पाद, सूती धागा आदि को छोड़ दिया है। इससे निश्चित रूप से उन्हें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी। बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलु यह है कि घाटे को 7940 करोड़ रुपये के बजाय 7337 करोड़ रुपये रखा गया है। यदि घाटे को इस स्तर पर रखा जाता है तो मैं यह कहूंगा कि यह एक प्रमुख उपलब्धि होगी। परन्तु सरकार को मूल्य स्थिति के बारे में बहुत सतर्क रहना होगा। मूल्यों के बारे में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। यद्यपि सरकार ने यह दावा किया है मुद्रा स्फीति में 50 प्रतिशत से भी अधिक कमी आई है परन्तु फिर भी मूल्यों में वृद्धि हुई है जिससे सामान्य व्यक्ति को सभी प्रकार की कठिनाई हुई है। मूल्य वृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर ही अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर मूल्यों में लगातार वृद्धि से बजट अन्तर में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में और वृद्धि होगी। यह कुचक्र जारी रहेगा और लोग अधिक गरीब होते जाएंगे। अतः कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार को बहुत अधिक प्रयास करने होंगे।

बजट की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस वर्ष योजना परिव्यय में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुझे पता लगा लगा है कि विद्युत संचार और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिक आवंटन किया गया है। इससे निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस वर्ष का बजट एक अन्य विशेषता के लिए महत्वपूर्ण है। संभवतः सरकार ने कई वर्षों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का समाधान करने की आवश्यकता अनुभव की है। इस समस्या का समाधान बुद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। स्वतन्त्रता के 40 वर्षों और सात पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम अपने लड़के-लड़कियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हुए हैं। इस स्थिति के कारण देश से नवयुवक कुंठित हो रहे हैं। यदि आप आतंकवाद और उग्रवाद के मूल कारण को देखें तो आपको यह पता लगेगा कि बेरोजगारी और उसके परिणामस्वरूप कुंठा ने देश में आतंकवाद को बढ़ाने में भारी योगदान मिला है। नवयुवक राजनैतिक प्रक्रिया से अपना विश्वास खो रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का का बोध नहीं होता। इसका परिणाम विनाशपूर्ण होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि राजनैतिक नेताओं ने स्थिति की गम्भीरता को समझा है और इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। मैं नहीं जानता कि इस बजट में व्यवस्था की गई 1711 करोड़ रुपये की राशि से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। परन्तु निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम है।

बजट की अच्छी विशेषताओं का समर्थन करने के बाद मुझे कुछ उन क्षेत्रों का उल्लेख करना

चाहिए जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि मध्यम वर्ग और वेतन भोगी वर्ग अच्छी परिस्थितियों में है और उन पर कर लगाने की आवश्यकता है। यह कोई यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में मध्यम वर्ग, निश्चित आय वर्ग के लोग काफी उठा रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय अथवा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वास्तव में इस वर्ग की समस्याओं से अवगत नहीं हैं। उनका रवैया इस वर्ग के प्रति बहुत कठोर है। आपने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। गत तीन वर्षों से मूल आयकर छूट सीमा बढ़ाकर नहीं बढ़ाया गया है। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं आजकल भारत में 4,000 रुपये अथवा 5 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाला व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है? कर तथा अन्य कटौतियों के बाद उसके पास किसी प्रकार गुजर हो जाती है। आपने निर्यात से होने वाली आय में आयकर से पूर्ण छूट दे दी है। निश्चित रूप से मुझे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। सम्भवतः निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह कदम आवश्यक भी था। यह तर्क दिया गया था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके भावों में वृद्धि आवश्यक बन जायेगी। मैं इस तर्क से सहमत हूं। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि आप इस तर्क को ऐसे अन्य वेतन भोगी वर्गों के बारे में लागू क्यों नहीं करते जिन्हें वास्तव में राहत की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्व जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि केरल में नारियल के मूल्य में बहुत ही गिरावट आई है। प्रति वारियल मूल्य 3·75 रुपये से घटकर 2.40 रुपये हो गया है। इससे लाखों छोटे नारियल उत्पादकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में नारियल केरल की अर्थ-व्यवस्था का आधार है। नारियल का मूल्य गिरने से केरल की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जायेगी। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अविलम्ब 3.50 रुपये प्रति नारियल समर्थन मूल्य निर्धारित कर दे और नारियल खरीदने के लिए प्रबन्ध करे।

अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे मेरे राज्य के बारे में अधिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाये। नये रोजगार निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय मेरे राज्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई औद्योगीकरण योजना को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में मसाला उत्पादकों की सहायता के लिए स्थाई प्रबन्ध किया जाना चाहिए। लम्बित पड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी जानी चाहिए और उनके लिए वित्त व्यवस्था की जानी चाहिए। कयांकुलम में प्रस्तावित ताप संयंत्र को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। आपके देशों में रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्तियों के लिए आप्रवासन नियमों में हाल ही में एक संशोधन से लाखों आने वाले प्रभावित होने जा रहे हैं, इसे तुरन्त हटा लेना चाहिए।

बजट पर सामान्य चर्चा से हमें अपने राज्यों की कुछ समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। अतः मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान अपने राज्य की कुछ ज्वलन्त समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी ओर केन्द्र ने उचित ध्यान नहीं दिया है। अतः वह राज्य अविकसित रह गया है। पिछले कुछ समय से केरल में केन्द्रीय निवेश में कमी आई है जबकि अन्य राज्यों में इसमें वृद्धि हुई है। केरल के रोजगार कार्यालय में 30 लाख बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं। मेरा राज्य खनिजवासी भारतीय श्रमिकों और मसालों के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मेरा राज्य बड़े पैमाने पर रेलवे में अपना योगदान देता है क्योंकि यहां बिना टिकट यात्रा नहीं की जाती।

[श्री के० मोहनदास]

केरल के लोग देशभक्त हैं और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने में किसी से पीछे नहीं है। आतंकवाद के संदर्भ में अक्सर यह कहा जाता है कि इसका मूल कारण बेरोजगारी है। मेरे राज्य में बेरोजगारी की समस्या सबसे खराब है। परन्तु उन्होंने आतंकवाद अथवा हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है। जब हम उन राज्यों के लिए कोच फैक्ट्रियों और अन्य उद्योगों को स्वीकृति दे रहे हैं जोकि आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं और केरल राज्य को इन उद्योगों से वंचित कर रहे हैं तो इससे हम क्या संदेश दे रहे हैं ?

मैं चाहता हूं कि सरकार केरल की समस्याओं के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करे। केरल ने वर्तमान इकाइयों के विस्तार और नये उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्र को विस्तृत प्रस्ताव भेजे हैं। परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। केरल में इलायची, काली मिर्च, जायफल, लौंग आदि मसालों का उत्पादन किया जाता है परन्तु उनका मूल्य बम्बई के व्यापारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनका सरकार पर भारी प्रभाव है। अत: केरल के उत्पादकों को सैंकड़ों करोड़ रुपये की हानि होती है और बम्बई के व्यापारी सैंकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं।

जब आयात-निर्यात नीति में संशोधन किया जाता है तो उत्पादकों की शिकायतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों द्वारा सूचियों में हेर-फेर की जाती है। अन्तत: उत्पादकों को होती है। सरकार का रवैया व्यापारी वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है परन्तु केरल के गरीब उत्पादकों के प्रति उतना सहानुभूतिपूर्ण नहीं है।

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय इन मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और केरल राज्य की सहायता करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, महाकवि कालिदास ने आदर्श राज्य का वर्णन करते हुए रघुवंश में लिखा है :

प्रजानामेवभूत्यर्थम् सताभ्योबलिमग्रहीत्।
सहस्त्रगुणमुत्सष्टुं आदत्तेहीर सम् रवि:॥

जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से थोड़ा सा जल लेकर उससे हजार गुना पृथ्वी पर वापस उड़ेल देता है, वैसे ही जनता की भलाई के लिए शासन जनता से कुछ टैक्स लेकर उसका कई गुना जनता की भलाई के लिए खर्च कर देता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट बनाते समय उसी भावना का परिचय दिया है, अनुसरण किया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने धनवानों पर कर लगाकर विलास की वस्तुओं को महंगा करके निर्धनों के हित में व्यय बढ़ाया है, जो स्वागत के योग्य है। कल्याणकारी राज्य का यही लक्षण है कि जो देने लायक हो, उसको दिया जावे और जो लेने लायक हो, उससे लिया जावे। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कार्य करके समाजवाद की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को निर्धन-परायण अर्थ-नीति की ओर अपना झुकाव बढ़ाया है। यह अत्यन्त प्रशंसनीय कदम है। गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है।

पं० जवाहर लाल नेहरू की जन्मशती के अवसर पर उनके नाम पर नई रोजगार योजना चला कर उक्त कदम उठाया गया है। जो 150 जिलों में लागू की जाएगी। मिर्जापुर और वाराणसी को तथा पूर्वान्चल के पिछड़े जिलों को इस कार्यक्रम में लिया जाए। यह मेरी प्रार्थना है।

बजट समाजवादी प्रकृति का है। साथ ही वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से बजट के संभावित घाटे को घटाकर अर्थव्यवस्था को सन्तुलित और अनुशासित किया है। बहुत वर्षों के बाद घाटे की दर घटाई गई है और घाटे की पूर्ति समृद्ध समुदाय पर कर लगाकर की गई है। गरीबी निवारण के लिए भी समृद्ध लोगों से सहयोग लिया गया है। अर्थव्यवस्था का समाजवादी दृष्टिकोण है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने इन्दिरा जी के गरीबी निवारण के कार्यक्रमों को चालू रखते हुए उन्हें और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रमों का लाभ भी मिल रहा है। निर्धनता का जो स्तर गांवों में पहले था, वह बदल रहा है। गांवों के गरीबों में आशा और विश्वास का संचार हो रहा है। किन्तु गरीबी निवारण के कार्यक्रमों की कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। जिससे धन का दुरुपयोग न हो और गरीबों तक धनराशि पहुंच सके। तथा उनको कार्यक्रम का लाभ मिले।

सबसे गम्भीर समस्या शिक्षित बेरोजगारों की है। बड़ी भारी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्लोमा होलडर, वैज्ञानिक, आई० टी० आई०, बी० एड०, बी० टी० सी०, हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०, पी० एच० डी० बेरोजगार हैं और होते जा रहे हैं। इनके लिए तत्काल नियोजन और व्यवस्था की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण रोजगार योजनाओं के संचालन और अमल के काम में शिक्षित और प्रशिक्षित टैक्नीकल बेरोजगारों को लगाया जाए। आठवीं योजना में शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों को उत्पादक कार्यों में लगाने की व्यवस्था की जाए।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम में जमीन खरीदार भूमिहीनों को उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था हो। इन्दिरा आवास योजना तथा निर्बल वर्ग आवास योजना में एक मकान बनाने में छः हजार के स्थान पर दस हजार की राशि निर्धारित की जाए। भले ही कम मकान बनें, किन्तु ठोस और मजबूत बनें।

विकास खण्ड की प्रत्येक न्याय पंचायत में एक किसान सेवा केन्द्र खोला जाए। जहां खाद, बीज, कीटनाशक के अलावा किराए पर ट्रैक्टर थ्रेशर, पम्प सेट आदि उपलब्ध कराए जाएं। देश का औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुआ है। किन्तु विकास में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। आठवीं योजना में औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पिछड़े जिलों का पूर्वी उ० प्र०, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड आदि का औद्योगीकरण किया जाए जिससे विकास में संतुलन कायम हो।

मेरे संसदीय क्षेत्र की मिर्जापुर जिला और शहर तथा ज्ञानपुर-भदोही का क्षेत्र औद्योगिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। मिर्जापुर में शहर के आसपास एक बड़े उद्योग की स्थापना की जाए।

श्रीमन्, अन्त में, मैं दो शब्द इस सदन के विपक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दो दिनों में विपक्ष ने इस सदन का जितना दुरुपयोग किया है, इस सदन की मर्यादा को भंग किया है, वह लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। श्रीमन्, बड़े-बड़े नेता—इन्द्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी, माधव रेड्डी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोगों की मौजूदगी में, यह सदन जो लोकतंत्र का प्रतीक है, यह सदन जो संसद है, वही लोकतंत्र है। उसकी मर्यादा का हनन विपक्ष ने पिछले दो दिनों में किया है। उसके लिए मैं उनकी घोर निन्दा करता हूं। श्रीमन्, यह तो ऐसा ही हो गया जैसे बड़े-बड़े विपक्षी

[श्री उमाकांत मिश्र]

नेता इस देश में लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र को उखाड़ने में लगे हुए हैं' लोकतंत्र को विनष्ट करने में लगे हुए हैं। उनकी निष्ठा लोकतंत्र से हट गई है। वे निराश हैं। फ्रस्टेटेड हैं, माबूस हैं। इसलिए मैं उनके इन कृत्यों के लिए उनकी घोर निन्दा करता हूं। उन्होंने आपका अपमान किया, उन्होंने अध्यक्ष का अपमान किया, सदन का अपमान किया। उनकी जितनी भी निन्दा की जाए उतनी ही कम है। इसलिए मैं उनकी घोर निन्दा करता हूं और आशा करता हूं कि जनता ऐसे लोगों को ठुकरा देगी और कभी भी इस सदन में नहीं आने देगी।

अन्त में, श्रीमान्, ऋषि के शब्दों में कहना चाहता हूं :—

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागभवेत्"

सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब प्रसन्न हों। कोई दुखी न हो, कोई रोगी न हो। यही हमारे नेताओं की कामना रही है। यही महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री जी की कामना है। यही आपकी कामना है। आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वर्ष 1989-90 के बजट प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। पहली दृष्टि से ही यह पता लग जाता है कि यह बजट बड़ी निर्भीक और जिम्मेदार सरकार के द्वारा बनाया गया है जिसमें समाजवादी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता दी गई है।

निर्धन और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को इस बजट में जो राहत दी गई है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है परन्तु साथ ही जो कर लगाये गये हैं वह भी केवल उच्च आय वर्ग के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगाये गये हैं जिससे बजट बड़ा विवेकपूर्ण दृष्टि वाला दिखाई देता है। इससे वित्त मंत्री का बौद्धिक कौशल स्पष्ट झलकता है। सबसे पहली उपलब्धि इस बजट की यह है कि अनुमानित घाटा 60,012 करोड़ कम किया गया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4,018 करोड़ कम है, इसलिए यह संतुलित बजट है।

हमारी अर्थव्यवस्था की 3 बुनियादी समस्याएं हैं। पहली है अधिक बजट घाटा, दूसरा कर्जे का बढ़ता हुआ बोझ और तीसरी योजना व्यय। वित्त मंत्री इन तीनों को एकदम तो खत्म नहीं कर पाये हैं, फिर भी उन्होंने इस ओर संकेत दिया है और राहत प्रदान की है।

गरीबी और बेरोजगारी जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर वित्त मंत्री ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने 3 ऐसे कार्यक्रम दिये हैं जिससे उनका इरादा स्पष्ट झलकता है। जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना 120 जिलों के लिए लागू होगी और 500 करोड़ रुपये इस पर व्यय होंगे। इसी तरह एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के जो कार्यक्रम बनाये गये हैं उसमें 75 परसेंट अनुदान केन्द्रीय सरकार देगी, इस प्रकार से 1711 करोड़ रुपये गरीबों के हित के लिए व्यय होंगे। इसमें मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो 120 जिले लिए जाएंगे, उसमें राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त, जहां आये दिन अकाल की छाया रहती है, वहां के सारे जिलों को ले लिया जाना

चाहिए, खासतौर से जो आदिवासी पिछड़े हुए इलाके हैं, उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़, वहां पर जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना निश्चित तौर पर लागू होनी चाहिए।

इसी प्रकार निर्धन स्त्रियों को एक धोती साल में देने का निश्चय किया गया है, इस पर 12 करोड़ रुपये व्यय होंगे, यह स्वागत योग्य है परन्तु मेरा निवेदन है कि आय के साधन बढ़ाए जाने चाहिएं। हमारी महिलाएं बड़ी स्वाभिमानी होती हैं, वह एक धोती-जोड़ा लेकर खुश नहीं होती हैं, उनको प्रसन्नता तब होगी जब उनके बच्चे रोजगार पा सकेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके खेतों में सिंचाई और बिजली की व्यवस्था हो सकेगी। इसलिए इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय में वह महिला दोबारा धोती-जोड़े की मांग न करे।

आवास नीति की प्रशंसा किए बिना भी मैं नहीं रह सकती परन्तु मैं कहना चाहूंगी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर लगाये गये हैं उससे 903 करोड़ की जो आय है वह केवल उन्हीं लोगों पर है जो कि हवाई यात्रा करते हैं, 5-सितारा होटलों में रहते हैं या मारुति कार में घूमते हैं, पान मसाला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यह सब चीजें ऐसी है कि इन पर टैक्स से समृद्ध पर ही असर पड़ेगा और गरीब इससे वंचित होंगे। चीनी, चाय, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कपड़े पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु सरकार से हमें दो बातों की शिकायत है। एक तो सार्वजनिक उद्योग इस समय कुछ प्राफिट में चलने लगे हैं परन्तु अधिकांश यह घाटे में ही जा रहे हैं इस प्रकार से जो हमारा है—योजना व्यय जो 45347 करोड़ का बढ़ गया है, इसकी कमी किया जाना आवश्यक है।

दूसरे यह कि हमारा विदेशी कर्ज दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। आयात और निर्यात का संतुलन बिगड़ जाने से हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और हम अपनी योजना का 18 परसेंट उस पर व्यय करते हैं और 17090 करोड़ रुपये तक हम पहुंच गये। यदि यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में हमारी योजनाओं का व्यय विदेशी ब्याज देने के रेट के बराबर हो जायेगा और यह हमारे लिए बड़ी दुखद बात होगी। इसलिए इस ओर हमें निश्चित तौर से ध्यान देना चाहिए। इस बजट में 200 करोड़ रुपये डिफेंस के ऊपर आपने कम किये हैं, सही बात है कि पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे अच्छे सम्बन्ध होने की वजह से यह कम किया गया परन्तु ऐसा नहीं हो कि इस कारण अपने आधुनिक अस्त्र-शस्त्र की हम अपेक्षा कर दें, इस ओर हमें सही तौर पर विचार करना होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस देश के में, बीते 10 साल में, हमें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस सदी का सबसे बड़ा सूखा इसी दशक में ही था। इसी तरह से राजनैतिक संकट भी आया और साथ ही साथ आज हमें राजनैतिक विकृति को व्यूह रचना देखने को मिल रही है, इसका स्पष्ट प्रमाण आज हमारे विरोधी पक्ष का गायब होना है, यह राजनैतिक विकृति का ही सूचक है परन्तु फिर भी हमने इसका कठोरता और सख्ती से मुकाबला किया है। चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन इस बजट को चुनावी बजट कहना पूर्णतया गलत है क्योंकि हमने कर लगाते समय किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं की।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कुछ बातें हमारे लिए बहुत सोचने समझने की हैं। उदाहरण के लिए प्लान असिस्टेंस में गाडगिल फार्मूला हमारे अनुकूल नहीं है क्योंकि उसमें आय जनसंख्या का आधार मानते हैं और ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसा प्रान्त, जिसका क्षेत्रफल देश में दूसरा सबसे बड़ा है, 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जहां की जनसंख्या भी बिखरी हुई है। गाडगिल फार्मूले के अनुसार राजस्थान को बहुत अधिक अभाव का सामना करना पड़ता है इसलिए इसमें परिवर्तन होना

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

चाहिए। जो प्लान असिस्टेंस दी जाती है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से दी जानी चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सवाल है, राजस्थान में इसका कुल मिलाकर 2 प्रतिशत इंवेस्टमैंट होता है, यद्यपि आपने कुछ ही समय पहले सुपर जिंक स्मैलटर की आधारशिला रखी है परन्तु इस प्रान्त के लिए अभी बहुत कुछ करना आवश्यक है, यह इलाका पूरी तरह से लाइम स्टोन का है, खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से कोटा तक सी० सी० आई० ने अपना सर्वेक्षण भी किया है और सार्वजनिक क्षेत्र में एक सीमेंट उद्योग की बात उन्होंने कही है परन्तु अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में कई इकाइयां रुग्ण पड़ी हैं, उदाहरण के लिए सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी, इसी प्रकार कोटा में ओरिएण्टल पावर केबल फैक्टरी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की है, जहां पर बहुत सारे मजदूर बेचारे हताश होकर बेकार परेशान घूम रहे हैं परन्तु रुग्ण इकाइयां हजारों की तादाद में लोगों का शोषण कर रही हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी रुग्ण इकाइयों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस बार देश में सर्वत्र अच्छी वर्षा हुई है परन्तु राजस्थान का दुर्भाग्य है, खास तौर से दक्षिणी राजस्थान का, वहां पर इस समय पानी की गहन समस्या बनी हुई है। मैं खास तौर से चित्तौड़गढ़ का निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले वर्ष के मुकाबले भी इस वर्ष पीने के पानी का अभाव बना हुआ है और आपके क्राइटीरिया के अनुसार सारे के सारे गांव प्राब्लेमेटिक विलेज की कैटेगरी में आ गये हैं। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में भीषण पीने के पानी का अभाव उस इलाके में हो सकता है।

मैं कहना चाहूंगी कि विद्युत औद्योगिक विकास की धुरी है परन्तु राजस्थान में विद्युत की परेशानी बहुत ज्यादा है, उद्योग और कृषि दोनों के क्षेत्र में क्योंकि सिंगरौली स्टेशन से पहले 15 परसैंट विद्युत मिलती थी लेकिन उसकी जगह अब 9.5 प्रतिशत कर दी गई है इससे वहां पर काफी परेशानी हो गई है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए आपके यहां पर जो प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने भेजे थे उनका आपने रेजैक्ट कर दिया है। मैं कहना चाहूंगी तीन प्रोजेक्ट आपने रेजैक्ट किए हैं—चित्तौड़गढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, धौलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और माण्डलगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। खास तौर से चित्तौड़गढ़ प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि उसे आपने किस आधार पर रेजैक्ट कर दिया क्योंकि वहां पर तो 31 मार्च से डाडगेज लाइन निकल रही है इसलिए कोयला आने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उसको रेजैक्ट करने का क्या आधार है? (व्यवधान)

जहां तक एटामिक एनर्जी का सम्बन्ध है, आपने रावत भाटा में इसकी इकाई लगाने की घोषणा की है और उसको आप अणु नगर के रूप में विकसित कर रहे हैं परन्तु वहां के लोगों में एक तरह की दहशत फैल गई है, घबराहट फैल गई है कि जो एटामिक रेंज होगी उनका क्या कुप्रभाव लोगों पर पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वहां पर सेमिनार आयोजित किये जाने चाहिएं ताकि लोगों में जो दहशत फैली हुई है उसका निराकरण हो सके। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि सायरन बजने पर लोगों से कहा जाता है कि मकान खाली करें, उनको अभ्यास करवाया जा रहा

है मकान खाली करने का जिससे लोग बड़े घबराए हुए हैं कि इस प्रकार से सायरन बजाकर क्यों अभ्यास कराया जा रहा है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह नहीं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। यद्यपि देश का 10.4 परसेंट क्षेत्र राजस्थान में है और 5.3 परसेंट वहां की जनसंख्या है परन्तु भूमिगत जल वहां पर केवल एक परसेंट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां की जो भी योजनाएं आपके विचाराधीन हैं उनकी तुरन्त स्वीकृति होनी चाहिए। खास तौर से इन्दिरा कैनाल जिसको राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है, वह एक भागीरथी है उसका काम बहुत धीरे-धीरे चल रहा है इसलिए उसको केन्द्रीय योजना बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से पानी के बारे में अन्तरराज्यीय समझौता जो हुआ था उसके अनुसार भी राजस्थान को रावी-व्यास का पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह से चम्बल सी ए डी—फैज टू भी स्वीकृति के लिए आपके यहां पड़ी हुई है। वह भी आपने अभी तक फाइनेलाइज नहीं की है।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि प्राकृतिक गैस की दृष्टि से राजस्थान का पश्चिमी इलाका काफी अधिक घना है परन्तु अभी तक उसका दोहन नहीं हुआ है। वहां केवल तीन रिग्ज काम कर रहे हैं—दो ओ एन जी सी के और एक आयल इंडिया लिमिटेड का। अगर तेज गति से इसका दोहन हो तो यहां पर गैस आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं। (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राजस्थान के लिए आपको गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करना होगा और राजस्थान के लिए और अधिक पैसा देना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

श्री कमला प्रताप सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन हूं। इस बजट से निश्चित रूप से गरीबों, बेरोजगारों और निर्धनों को लाभ पहुंचा है और उनकी गरीबी दूर करने में काफी हद तक इस बजट से सहायता मिलेगी। आज जिस चीज की आवश्यकता देश की जनता को है उसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने निश्चित रूप से बहुत ही सोच-विचार कर और बहुत ही संतुलित तथा अच्छे ढंग से बजट पेश किया है जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी और माननीय वित्त मंत्री को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। अधिक समय न होने के कारण मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता और यह जो इतना लम्बा बजट भाषण है उसको मैं अगर देखता हूं तो उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो यहां बोलने के लायक न हो।

मैं जितना बोलने का प्रयास करूंगा, तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा। 120 जनपदों की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए और बेरोजगार युवक, जो आज परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर टहल रहे हैं, उनकी बेकारी की समस्या बनी हुई है; उनके लिए भी इस बजट में एक बहुत बड़ा कदम है। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार इस बात के लिए चिन्तित रही है कि वहां का पिछड़ापन किस प्रकार दूर किया जाए। जब हमारे पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर प्रधान मंत्री थे, उस समय भी उन्होंने एक आयोग गठित करके जौनपुर के विकास के लिए और जौनपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयास किया था। उसके पश्चात् वहां पर समस्यायें काफी हल हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह की बेरोजगारी वहां युवकों में है, वह निश्चित रूप से उनके

[श्री कमला प्रसाद सिंह]

परिवार और उन के स्वयं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर भारी उद्योग देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी की घोषणा है, वे कहते हैं कि हम निश्चित रूप से प्रत्येक जनपद में एक भारी उद्योग देंगे, जिस में पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मैं इस बात को आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से विवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर जनपद में एक भारी उद्योग देकर वहां की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करना चाहिये।

आज निश्चित रूप से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था की जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की जा रही है। चिकित्सालय बनाकर स्वास्थ्य में भी काफी विकास हो रहा है। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के भवन निश्चित रूप से कम है, जनसंख्या की बढ़ोत्तरी को देखते हुए। ऐसे बहुत से लड़के हैं, जिनको छत के नीचे न रहकर पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल भवनों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों के ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां पर बिजली व्यवस्था नहीं है, विद्युतीकरण नहीं हो सकता है। विद्युतीकरण का न होना निश्चित रूप से विकास में बाधक होता है। चाहे सिंचाई हो या छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाकर वे अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। अगर विद्युतीकरण की व्यवस्था सही नहीं रहती है तो निश्चित रूप से वे अपना रोजगार या कारोबार सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था प्रत्येक गांव में होनी चाहिये। उन गरीब की झोंपड़ियों में भी दीपक जलना चाहिए।

देश में सरकार ने नल कूपों का जाल बिछाया हुआ है और सरकार जानती है कि नलकूपों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं-न-कहीं टैक्नीकल प्राब्लम या किसी और बात से ट्यूबवैल नहीं चलते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 70-75 परसेंट नलकूप नहीं चलते हैं। रबी फसल की सिंचाई या जब भी इसकी आवश्यकता होती है, तो किसान परेशान हो जाता है। इसी प्रकार ट्यूबवैल के मैंटिनेंस के लिये जो राशि आवंटित की जाती। अधिकारी और इंजीनियर लोग बताते हैं, वह राशि कम होती है। उसकी आवश्यकता को देखते हुए हमें उस राशि को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो सही ढंग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है और उनका सारा कारोबार कृषि पर चलता है और उसमें निश्चित रूप से विद्युत व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिये सही ढंग से नहरों में पानी आना चाहिए और ट्यूबवैलों को भी पानी देना चाहिए और विद्युत व्यवस्था भी सही ढंग से होनी चाहिए।

मैं इस बात की अपने प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े सूखे के बावजूद भी रोजगार देकर और सूखे की समस्या से निपटने के लिये जो कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ जनपदन होने के कारण वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था बहुत कठिन और जटिल है। वहां पर हैंडिया मार्क-2 हैंड पाइप लगाकर पीने के पानी की देने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जितनी जनसंख्या है, उसको देखते हुए पाइपों की बहुत कमी है। जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पाइप देने की व्यवस्था की जाए।

स्थिति यह है कि गर्मियां आ रही हैं और इन दिनों कुएं बिल्कुल सूख जाते हैं और उनमें अगर बाल्टी डालते हैं, तो पानी न आकर कीचड़ आ जाती है। इस तरह से पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहां है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाये। पिछले वर्षों में टंकियां बनाकर और पाइपलाइन डालकर प्रत्येक गांव को पानी देने का प्रयास किया जा रहा था और काफी हद तक गांवों में पानी पहुंचाया भी गया था लेकिन सरकार ने इस समय उन टंकियों का बनाना बन्द कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से वहां की जनता के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए अगर आवश्यक हो, तो फिर से टंकियां बनानी चाहिए और पाइपलाइन डालकर प्रत्येक गांव को पानी देने का प्रयास करना चाहिए।

मेरा जो क्षेत्र है, उसमें देहात भी आता है और शहर भी आता है। जौनपुर शहर में इधर तो सूखा था लेकिन उसके साथ-साथ गोमती नदी जनपद के मध्य में बहती है और मध्य में बहने का नतीजा यह होता है कि दोनों तरफ, जब बाढ़ आती है, तो पानी भर जाता है और पूरा शहर जल-मग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों की समस्या बढ़ जाती है। जब मैं विधान सभा में था, तो वहां पर मैं बराबर इस बात का अनुरोध करता रहा कि शहर को बाढ़ से बचाने के लिए और पानी को रोकने के लिये कुछ प्रयास किया जाए। जब से मैं यहां हूं और जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने निश्चित रूप से वहां की बाढ़ की समस्या रखी हैं और बाढ़ नियन्त्रण के लिये कहा है। मैंने क्वेश्चन किया, तो मुझे जवाब दिया गया कि गंगा प्राजेक्ट को पटना भेज दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी जनपद के लड़के रोजगार पाने के लिए बड़े परेशान हैं और इसके लिए कभी वे कलकत्ता जाते हैं, कभी बम्बई जाते हैं और कभी दिल्ली आते हैं और इस तरह से टहलते रहते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता, जिससे उनके मां बाप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हमारे यहां पर काफी पढ़े-लिखे लड़के हैं और ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लड़के हैं लेकिन उनको रोजी-रोटी नहीं मिलती। यह एक बहुत गड़ी समस्या हो गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद के लिये, जौनपुर में एक भारी उद्योग की व्यवस्था की जाए। इसके साथ-साथ पढ़े-लिखे लड़के छोटे-छोटे उद्योगों को लगाकर अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए भी उनको मदद देनी चाहिए। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए वहां पर आप भारी उद्योग की व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे अच्छा बजट कभी पेश नहीं हुआ और इससे देश के करोड़ों गरीब लोगों को, हरिजनों को और अवाम को राहत मिली है। लोग इस बजट से कितने खुश हैं, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। इसके लिये मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद पेश करता हूं।

इस बजट में गरीबों के लिए और देश के पिछड़े इलाकों के लिए काफी पैसा रखा गया है लेकिन हमारे सामने यह सवाल पैदा होता है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा या नहीं। बजट में जो इतना ज्यादा रुपया इन बातों के लिए रखा गया है, उसको हम पास करेंगे। पास करने के बाद

[चौधरी राम प्रकाश]

जब इसका इम्पलीमेंटेशन होगा तो आपकी ब्यौरोक्रेसी इसका किस ढंग से इम्पलीमेंटेशन करेगी वह मैं नहीं कह सकता। अगर इस बजट का सही ढंग से इम्पलीमेंटेशन हुआ तो मैं समझता हूं कि देश की 50 परसेंट आबादी को इसका फायदा होगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा जीवन ऐसा है कि मैं 1952 से आज तक एम० एल० ए०, मिनिस्टर, मेम्बर आफ पार्लियामेंट लगातार रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट के महकमों में डेमोक्रेसी अच्छी है तो मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करेगा। अगर डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है तो मुल्क बिल्कुल तबाह हो जायेगा।

मैं प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि थोड़ा आप सख्ती करो। अगर आप सख्ती से काम लें तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। आप इतना रुपया खर्च करते हैं हर वर्ष इतना रुपया खर्च करने के बाद भी जिन इलाकों के लिए आप रुपया खर्च करते हैं, गरीब अवाम के लिए खर्च करते हैं, उन इलाकों को, गरीबों को उसका 25 परसेंट रुपया पहुंचता है, उन पर खर्च होता है। आप इस बात से अन्दाजा लगाइये।

अभी डवलपमेंट की बात कही गई, मंहगाई की बात कही गयी, रोटी, कपड़े और मकान की बात कही गयी। अब जितना रुपया होता है हमारे पास, हम तनख्वाह बढ़ाते हैं और सब कुछ बढ़ाते हैं लेकिन गरीब आदमी को क्या मिलता है। गरीब आदमी को तो इन्साफ भी नहीं मिलता। गरीब आदमी का तो गांव में रहना भी मुश्किल होता है। उसको कुछ नहीं मिलता। आप उसको रोजगार क्या देंगे। उसको रोजगार तो मिलता ही नहीं। जब हमारे यहां फ्लड आया, सूखा पड़ा तो हमारी सेन्ट्रल सरकार ने अपनी हरियाणा सरकार को 93 करोड़ रुपया फ्लड रिलीफ और ड्राऊट के लिए दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका 25 परसेंट रुपया उन इलाके के लोगों तक नहीं पहुंचा। फर्जी नाम लिख लेते हैं और उनको लिखने के बाद सारे के सारे कागज पूरे करते हैं। अगर आप इंक्वायरी कराएं तो आपको पता लगेगा कि कितना रुपया कहां गया। जहां पर नान-कांग्रेस आई० स्टेट गवर्नमेंट हैं वे किस तरह से रुपया बर्बाद करती हैं, लूटती हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी हरियाणा स्टेट में भी नान कांग्रेस आई गवर्नमेंट है। वह गवर्नमेंट गरीब आदमी को इंसाफ देना तो दर किनार है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अरे तुम प्रधान मन्त्री बनोगे, पहले कुछ अपने इलाके को तो संभालो। अपने इलाके को तो संभाल नहीं सकते। वहां पर गरीब आदमी पर अत्याचार होता है। वहां पर गरीब आदमी का बाहर निकलना दूभर हो जाता है, उसको खेत पर नहीं जाने दिया जाता। उनका रोजगार वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाता है। उनको बर्बाद कर दिया है। जब यहां कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि स्टेट सब्जेक्ट है। आप ही बताइये कोई जालिम गवर्नमेंट गरीब आदमी का कत्ल करती है, गरीब आदमी को मारती है तो क्या इलाज सेन्ट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उसमें दखल देना चाहिए। अगर आप दखल नहीं देंगे तो गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि जितने भी शेड्युल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं वे सब के सब कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन जहां नान-कांग्रेस आई गवर्नमेंट बनती हैं वहां सारा नुकसान गरीब आदमी को होता है। वहां गरीब आदमी मरता है। इसका क्या इलाज हो?

हरियाणा के मेरे जिला अम्बाला में तीन नदियां बहती हैं—टांगरी नदी, नारकंडा नदी और

घग्घर नदी। ये तीनों नदियां बरसात के मौसम में हरियाणा को तबाह कर देती हैं। खेत के खेत बह जाते हैं। मैंने निजी तौर पर चिट्ठी लिखी कि अगर आप हरियाणा को मुसीबत से बचाना चाहते हैं तो इन तीनों नदियों पर एक डेम बना दो। उस डेम के चारों तरफ जो जमीन होगी वह बच जाएगी और जो पानी जमा होगा वह सब का सब इरीगेशन में इस्तेमाल होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक मेरी रिक्वेस्ट पर अमल नहीं हो सका।

हरियाणा के ट्यूबवेल के बारे में मंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा के अन्दर 24 घंटे बिजली मिलती है।

ट्यूबवैल्स और दूसरे कामों के लिए बिजली 24 घंटे दी जाती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाती, इस तरह से कितना गलत बयान दिया जाता है। दूसरी बात वे कहते हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट राजीव गांधी हमको मदद दें, लेकिन राजीव जी जानते हैं कि यहां पर सारे आदमी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, इसके बावजूद वे पैसा देते हैं, ताकि कोई यह न कह सके कि पैसा नहीं दिया जाता। अगर रुपए का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं होता तो इसमें राजीव गांधी क्या कर सकते हैं। प्रधानमन्त्री जी तो यहां तक कहते हैं कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वे देश को ऊंचा उठाएंगे, देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, इसके बावजूद उन पर शक किया जाता है। मेरे 36 साल के सेवा काल में कल जो दृश्य मैंने देखा, जो नजारा देखा, जिस तरह से हरकतें लोग कर रहे थे, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है श्रीमती शीला दीक्षितजी इतनी अच्छी और समझदार हैं, सूझबूझ वाली हैं उनके साथ भी हाथा पाई करने की कोशिश की गई, ऐसे लोग कहते हैं कि वी० पी० सिंह को प्रधानमन्त्री बनाना है, लेकिन पहले यह देख लिया जाए कि प्रधानमन्त्री बनने लायक भी हैं या नहीं। मेरा तो शर्म से सिर झुक जाता है, आज सारी दुनिया में हमारी पार्लियामेंट की बदनामी हो गई है, इन **की वजह से जो अपने आपको देश का रखवाला कहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं अवाम से अपील करना चाहता हूं कि इस किस्म लोगों को कभी वोट न दें और पार्लियामेंट में न भेजें जो पार्लियामेंट को बदनाम करते हैं। आज अगर ये देश के अन्दर, महंगाई, बेरोजगारी, मुखमरी की बात करें तो हम सब इनके साथ हैं, लेकिन अगर इस तरह से सिद्धांतों के खिलाफ, हमारे खिलाफ काम करेंगे तो हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे हम भी इनके दुश्मन हैं।

मैं महंगाई के मुतल्लिक कुछ बात करना चाहता हूं, अगर हम अपने देश से महंगाई और बेकारी को खत्म कर दें तो हम गरीब आदमी को सारी सहूलियतें दे सकेंगे। जब तक मुल्क से महंगाई और बेकारी खत्म नहीं होती, तब तक लोग खुश नहीं हो सकेंगे। आबादी बढ़ रही है और ये समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। अगर हम लोगों को रोजगार देंगे और महंगाई खत्म होगी तो लोग सरकार को दुआएं देंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान दे। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो गई तो सारा मामला ठीक हो जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अवाम के सामने मुंह लेकर नहीं जा सकते। अगर गरीबी दूर नहीं हुई और गरीब आदमी को इन्साफ नहीं मिला तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज कहीं भी चोरी-डकैती होती है तो गरीब आदमी को पकड़ा जाता है और जो लाखों करोड़ों रुपए लूटते हैं, बैंक में डकैतिया डालते हैं, उनके चौकीदारों को पकड़ा जाता है उनको नहीं पकडा जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सख्ती से चलती है, नर्मी से नहीं चलती, इसलिए हमको सख्ती से काम करना चाहिए। कल जो वाकया हुआ, अगर मैं जिम्मेदार होता तो ***...** इनको यहां पर रखना नहीं चाहिए, इन्होंने देश का अपमान किया है।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

मैं एक बार फिर प्रधानमन्त्री जी को और वित्त मंत्री को मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं।

2.00 म० प०

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं समझ-बूझ कर इसका समर्थन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यह हमारी पार्टी द्वारा या हमारे नेता द्वारा समर्थित है, बल्कि इसके पीछे जन-समर्थन है जन भावना का प्रतिबिम्ब है, उनकी भावना इसमें दिखाई दे रही है, इसलिए इसका मैं समर्थन कर रहा हूं। इसकी विशेषता मैं थोड़े में रखना चाहता हूं। एक तो दुनिया शांति चाहती है और उस शांति के लिए जो आज का माहौल है इसमें बदलें आज के माहौल में चारों तरफ फौजी साजो-सामान और विनाशकारी हथियारों को बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है तो उसमें हमारा भारत श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दुनिया की शांति के लिए अपने फौजी सामान में या कह सकते हैं कि युद्ध के खर्चे में कमी ला रहा है। यह जो हमारी बुनियादी समझ है, वह इस बजट में अन्दर दिखाई दे रही है। देश मजबूत कब होगा। हम जब शांति की ताकत को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने को भी मजबूत करेंगे क्योंकि हम शान्ति के अलम्बरदार हैं। हमनेदेश की गरीबी दूर करने के लिए उसके साधनों को जुटाने का प्रयत्न किया है और बेरोजगारी को भी दूर करने का प्रयत्न किया है। मतलब यह है कि हरेक व्यक्ति के हाथ में काप देकर देश के निर्माण के लिए हमने एक रास्ता मजबूत किया है। जवाहर लाल जी की स्मृति में हमने हर परिवार को एक रोजगार देने का जो संकल्प किया है, यह हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए, दुनिया को शांति से आगे बढ़ाने के लिए दूसरा कदम है।

2.02 म० प०

[श्री शरद दिघे···पीठासीन हुए]

सबसे छोटी इकाई को, हर पंचायत को मजबूत करने का जो हमारा लक्ष्य है, यह भी हमारी विश्व शांति के लिए और देश की मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए है। यह अरमान किसका था। आप सब याद करेंगे, यह अरमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। दुनिया की शांति और आखिरी आदमी का उदय। इसकी ओर हमारा देश बढ़ रहा है और यही हमारे नेता के नेतृत्व में परिलक्षित हो रहा है और इस बजट में दिखाई दे रहा है।

इस बजट को देखने के बाद मैं आपके सामने उन्हीं की प्रशंसा में, उनके अभिनन्दन में दो लाइन बोलना चाहता हूं जो मेरे हृदय में बोल रही हैं।

"इस गांधी को देख, मुझे आती है उस गांधी की याद, इस गांधी के हाथों पहनेगी मेरी भारत माता उस गांधी के अरमानों की ताज।"

पूरे तरीके से यह भावना परिलक्षित हो रही है। इसी ओर दुनिया हमारे भारत की तरफ देख रही है। मैं उन विपक्ष के साथियों को जो आज अनुपस्थित हैं, उन्हें भी याद दिलाना चाहता हूं। दुनिया बदल रही है लेकिन ये नहीं बदल रहे हैं। सोवियत रूस का चिंतन है, वह हमसे प्रभावित है। बार-बार दुनिया की शांति के लिए भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी और अहिंसा को याद करते हैं। अमेरिका जो शक्तिशाली देश है वह भी शांति की बातें करता है। अगर उस ओर हम भारतवासी आगे बढ़ रहे हैं तो आपको साथ देना चाहिए। आप सही रास्ते में जाना चाहते है तो युग को और

अपने देश को समझिए। आज जो देश को नेतृत्व दे रहा है उस पर चिंतन कीजिए, समीक्षा कीजिए। आप जिस ओर समीक्षा करने जा रहे हैं उस पर अफसोस होता है। यह ऐतिहासिक बजट जो हमारे देश में परिवर्तन लाने जा रहा है, उसी के अनुकूल आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप जब चाहते हैं कि देश का वातावरण बदले तो आपको फिर गांधी के पास जाना होगा।

वे आपके विकास के खिलाफ नहीं थे। उस समय भी गांधीजी ने कहा था कि आप उद्योगों को बढ़ावा दें, जैसे खादी उद्योग है। जिससे देश की बेकारी दूर होगी। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन यंत्रों का इतना विकास न किया जाये कि वह मनुष्य पर हावी हो जायें। इसलिए आप यंत्रों का विकेन्द्रीकरण करें जिससे उद्योग में आखिरी आदमी को भी रोजगार मिलने का मौका मिले। इसलिए खादी उन्होंने एक प्रतीक के रूप में अपने देशवासियों को दी थी इसकी आज के वैज्ञानिक रूप में और भी आवश्यकता है। इसलिए हर आदमी को रोजगार देने के लिए आप इसको बढ़ावा दें। ऐसे समय के लिए आपको गांवों की ओर जाना होगा, और सारी व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करना होगा। दिल्ली का दरबार बढ़ता जा रहा है और राजधानी भी बढ़ती जा रही है, आप इसको भी सीमित करें, गांव उजड़ रहे हैं और वे शहरों में परिवर्तित हो रहे है, अगर ऐसा हो गया तो शहर नर्क बन जायेंगे। अगर शहरों को भी विकसित करना चाहते हैं तो आप गांव की ओर जायें। इसीलिए आपको कृषि के उत्पादन से जुड़ी चीजों की ओर ध्यान देना होगा। आपका जो लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार में से एक आदमी को रोजगार देने का तो आप बड़े उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय कृषि पर ध्यान केन्द्रित करें। इसके लिए कृषि में उत्पादन करने वालों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। आप यह कह सकते हैं कि भारत कृषि प्रदान देश है। इसके लिए आपको कृषकों और खेतिहर मजदूरों की स्थिति की ओर ध्यान देना होगा। ये लोग आज सबसे अधिक शोषित हैं ऐसे में आप कृषि प्रदान देश नहीं कह सकते। इसलिए सबसे पहले आपको इन लोगों को सुविधाएं देनी होंगी। इसी के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में बड़े उद्योग नहीं हैं, फिर भी वह आगे हैं तो इसलिए हैं कि वहां चप्पे-चप्पे में पानी है। छत्तीसगढ़ का हिस्सा उजड़ा पड़ा है, जहां पर नदियों का स्रोत है, उसके बावजूद भी वहां अकाल है और लोग मुखमरी से तड़प रहे हैं। आप वहां के जल स्रोतों का बुनियादी तरीके से और सही ढंग से उपयोग करें और उनको पानी दें तो वह क्षेत्र विकसिति हो जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह असंतुलन होता है चाहे क्षेत्रीय असंतुलन हो या जातीय असंतुलन के नाम से ही जैसा आप देख रहे है इसका भी समाधान अन्त्योदय के आधार पर होगा। मेरा निवेदन है आखिरी आदमी का उठाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित और ग्रामों पर आधारित होनी चाहिए। प्रधान मंत्रीजी की जो मंशा है कि हम गांवों को मजबूत करेंगे, पंचायतों को मजबूत करेंगे तो आप आज की स्थिति से यह नहीं कर पायेंगे। आप बैंकों के आधार पर लोगों को सुविधायें देना चाहते हैं तो उसका विकेन्द्रीकरण करें, ग्राम पंचायतों को बैंकों में परिवर्तित करें। आज बैंक वाले 18 से लेकर 20 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं इसके बजाये आप सीधे उन लोगों को सहायता दें। आप राशन की दुकानें खोलना चाहते हैं और सस्ते दामों पर खाद्यान्न देना चाहते हैं तो आपको पंचायत सक्षम है उसको स्वयं स्वतंत्रता से व्यवसाय करने का मौका दीजिए, उद्योग बढ़ाने का मौका दीजिए। इसी तरह से आप पूरे देश को मजबूत कर सकते हैं और विकेन्द्रीकरण के आधार पर देश आगे बढ़ेगा।

अन्त में, मैं आपसे यही निवेद करना चाहता हूं कि आप केवल कृषि को आधार मानकर सारा जोर उसी पर केन्द्रित मत करिये, बल्कि कृषि, गोपालन और वृक्षारोपण तीनों को महत्व दीजिये। यदि आप कृषि, गोपालन और वृक्षारोपण को आधार मानकर गांवों का विक स करेंगे तो गांवों में

उद्योग, ऊर्जा आदि सभी समस्याएं हल कर सकेंगे। आज जिस तरह से हम विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं, सही समझ के बाहर हमारे कदम उल्टी दिशा में उठ रहे हैं, वे भी रुकेंगे और सच्चे अर्थों में विकास की ओर हमारे कदम उठेंगे, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : सभापति महोदय, बजट में कश्मीर की घाटी जैसे पिछड़े क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विगत 40 वर्षों से कश्मीर घाटी के कोई औद्योगिकीकरण, परिवहन और दूरसंचार सुविधा कायम नहीं की गयी है तथा कोई रेल यातायात भी नहीं है। विगत 40 वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग का भी नुकसान हो रहा है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई विकल्प नहीं निकाला गया है। जिसके परिणामस्वरूप घाटी के विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, घाटी में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है परन्तु दुर्भाग्यवश उन संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप हमें पर्याप्त बिजली नहीं मिल सकी। इससे स्पष्ट है कि कश्मीर घाटी में 10-12 घंटे बिजली में खराबी क्यों हुई। सर्दी के दौरान वहां के लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी। इसका हमारे पर्यटन और जीवन पर भी प्रभाव पड़ा।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, उसके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार पर्याप्त सहायता दे रही है परन्तु दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार के कारण ···**··· प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है। हजारों नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार मांग रहे हैं। उन पर गोलियां चलायी जा रही है। इस वर्ष के दौरान दर्जनों नौजवानों की हत्यायें हुई हैं। उनका कोई अपराध नहीं था, वे समाज विरोधी नहीं थे, उन्होंने देश के विरुद्ध कुछ नहीं किया। उनका यह अपराध था कि वे नौकरी चाहते थे, रोजगार चाहते थे तथा जीवित रहने के लिए कोई कार्य चाहते थे। हमारी यह समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं इस तथ्य पर बल देना चाहता हूं कि केन्द्र से मिलने वाले धन का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप राज्य में भ्रष्टाचार ·····**·····

सभापति महोदय : आरोप न लगायें। उन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस समय हमें जो धन मिल रहा है उसका अनुत्पादक योजनाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरणार्थ गुलमार्ग में पर्यटकों के लिए चेयर लिफ्ट की योजना थी। जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं था। ऐसी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल ने श्रीनगर के निकट 'सिटी फोरेस्ट' कायम किया है। जहां हजारों वृक्ष नष्ट कर दिये गये सिर्फ ···**··· जनता को इसका कोई उपयोग नहीं था।

सभापति महोदय : अब फिर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कृपया आप जांच कीजिए।

सभापति महोदय : मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं। आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गयी है। हम ऐसी सभी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दंगे हुए

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

थे। यदि जनता उचित उद्देश्य के लिए आन्दोलन कर रही थी तो जनता का कोई अपराध नहीं था। अधिकांश प्रदर्शन जनता को कार्य न मिलने के कारण हुए क्योंकि वे बेरोजगार थे। उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो गयी है तथा घाटी के लोग गरीब हो गये हैं। यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। यदि जनता को उसके मौलिक, लोकतांत्रिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा जायेगा तो राज्य का क्या होगा ? देश की राष्ट्रीय एकता का क्या होगा ? यह हानिकारक घटना है, सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए तथा कश्मीर के साथ व्यवहार करते समय उन्हें सावधान रहना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के नुकसान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उन्हें कानूनी रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, कुछ लोगों को जनता के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को भलीभांति ढंग से कार्य करना चाहिए जिन्हें जनता ने महान बलिदानों के बाद ब्रिटिश शासन को इस देश से समाप्त करके प्राप्त किया है।

बम विस्फोट हुए हैं। विगत दो वर्षों से यह एक आदत बन गयी है। हम नहीं जानते कि यह कौन कर रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए तथा उन्हें इसके बारे में बहुत सजग रहना चाहिए। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं एक सांसद की हैसियत से श्रीनगर के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा हूं, सरकार ने इन घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे विश्वास में नहीं लिया है। न प्रेस और न ही जनता तथा कांग्रेस दल को भी विश्वास में लिया गया जो संयुक्त सरकार की साझेदार है।

सभापति महोदय : कृपया बजट से सम्बन्ध में बोलें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इन बम विस्फोटों के सम्बन्ध में उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। यदि हम इसे नहीं रोकेंगे तो इससे केवल देश का लोकतांत्रिक ढांचा ही नष्ट नहीं होगा बल्कि इसका विकास की गति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वह विनाशात्मक कार्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें हर जगह संदेह से देखा जाता है और उसे दूर करने की आवश्यकता है**********

इसलिए भारत सरकार को जांच करनी चाहिए क्योंकि इन बम विस्फोटों में सम्मिलित व्यक्तियों का पता नहीं चला है। न हमारे साथ समझौता किया गया है और न हमसे सलाह ली गयी है। हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। सत्तारूढ़ दल से मेरा निवेदन है कि उन्हें यह मामला गंभीरता से लेना चाहिए तथा उन्हें इस मामले की जांच करने के लिये सभी प्रबन्ध करने चाहिएं। विगत दो वर्षों से सरकार कह रही है कि अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है परन्तु हम नहीं जानते। उन्होंने व्यक्तियों का पता नहीं लगाया गया है***(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बजट के सम्बन्ध में क्यों नहीं बोलते ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसका विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका विकास की गति पर प्रभाव पड़ रहा है। शान्ति के बिना बजट का कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब राज्य में दंगे हो रहे हैं तो मंत्री, मुख्य मंत्री तथा किसी भी दल के किसी भी मन्त्री को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब राज्य में दंगे हो रहे हैं तो मुख्य मंत्री अथवा अन्य किसी मन्त्री को विदेशी यात्रा की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए ?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : आप फिर अप्रासंगिक बोल रहे हैं। आपका अप्रासंगिक भाषण कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा सकता है। आपको बजट के बारे में बोलना चाहिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या आपका मतलब है कि पूरा भाषण कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा। ये बातें विकास तथा राज्य की शांति और उन बातों से सम्बन्धित हैं जो देश की एकता से सम्बन्धित है तथा देश की एकता और शांति की सभी बातें शामिल हैं। आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह अप्रासंगिक है ? आप मुझे उद्धृत कर सकते हैं यदि मैंने कोई गलत कार्य किया है अथवा मैंने कोई ऐसी बात कही है जो अप्रासंगिक है।

सभापति महोदय : यह अप्रासंगिक है। इसे बजट के समक्ष रखने का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप मुझे यह बताइये कौन का हिस्सा अप्रासंगिक है।

सभापति महोदय : आपका समय भी समाप्त होता है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : पहले इसे स्पष्ट कीजिए ? क्या आप इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालेंगे···

सभापति महोदय : जो कुछ आपत्तिजनक है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कौन सा हिस्सा (व्यवधान)···**···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं। मैं जांच करूंगा और देखूंगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, लोक सभा सांसदों पर दबाव डालने का स्थान नहीं होना चाहिए। उनके बोलने का अधिकार को दबाया नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मेरे चेतावनी देने के बावजूद आप बार-बार अप्रासंगिक भाषण दे रहे हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपको मुझे बताना होगा कि मेरे भाषण का कौन-सा हिस्सा अप्रासंगिक है। क्या आप मेरे भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने से पहले मुझे विश्वास में लेंगे।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त होता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आखिरकार, आप पीठासीन अधिकारी हैं; आप कृपया मुझे यह बताइये उस वाक्य को उद्धृत कीजिए मैंने कौन से वाक्य अप्रासंगिक बोले हैं। मेरे से पहले अन्य माननीय सदस्य हरियाणा के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध बोले थे और आप मुझे जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ···**···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मेरे बैठने से पहले आपको मुझे विश्वास में लेना पड़ेगा और मुझे बताइये कि मेरे भाषण का कौन-सा हिस्सा या वाक्य अप्रासंगिक है। अन्यथा यह अन्याय होगा। कृपया मुझे बताइये कौन से हिस्से की आप अनुमति नहीं दे रहे हैं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मैं इसे आपके साथ चर्चित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है…**…

आपको हमें बताना होगा अगर मैंने कुछ गलत किया है। यह नियमों के अन्तर्गत कहां तक गलत है। कृपया मुझे बताइये।

सभापति महोदय : अप्रासंगिक भाषण की अनुमति नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कौन-सा हिस्सा ?

सभापति महोदय : आपके भाषण का अधिकतर हिस्सा अप्रासंगिक है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपको मुझे बताना होगा।

सभापति महोदय : आप पीठासीन अधिकारी से तर्क-वितर्क मत कीजिए। आपको पीठासीन अधिकारी से तर्क-वितर्क नहीं करना है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या आप मेरे पूरे भाषण को निकाल रहे हो ?

सभापति महोदय : मैं इसे पढ़ूंगा और देखूंगा मैं आपके भाषण की जांच करूंगा। आप अब बैठ जाइये। आपका समय समाप्त होता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपको मुझे बताना होगा आप मेरा भाषण सुन रहे हो। कृपया लोकतन्त्र के लिए, मेरे लिए आप मुझे बताइये। मेरे भाषण का कौन सा अप्रासंगिक है…

सभापति महोदय : वह तरीका नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपको मुझे बताना होगा।

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह उचित नहीं है। अगर मुझे देश के विकास के संदर्भ में कुछ कहना है, तो क्या यह गलत है ?

सभापति महोदय : हम इसकी जांच करेंगे, जो कुछ आपत्तिजनक होगा कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह आपकी इच्छा है।

[हिन्दी]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार का आम बजट देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का दर्पण होता है। इस बजट पर हम जो भी कहते हैं वे मुख्यत: विशेष समस्याएं होती हैं। आज हमारे देश के सामने मुख्यत: 5 बड़ी समस्याएं हैं। बेरोजगारी, गरीबी, तेजी से बढ़ती हुई आबादी, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और पांचवीं समस्या जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। वह है सरकार के धन के खर्च का सही व्यक्तियों तक पहुंचाना। सरकार जो खर्च करती है उसका कितना प्रतिशत आज सही व्यक्तियों को पहुंचता है और कितना भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाता है। आज इन 5 समस्याओं पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त निकाल दिया गया।

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

पहली बात बेरोजगारी की है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कदम उठाये हैं और साथ ही वित्त मन्त्री ने अपने बजट में इस पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से सरकार इस समस्या को हल करना चाहती है। हमारे देश में जो बेरोजगार हैं जिस परिवार के पढ़े-लिखे युवक-युवतियां हैं जिनकी आज योग्यता भी है जो दूसरों से कम नहीं हैं, और जिन परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिली है, अवश्य ही उस परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए जैसे 500 करोड़ रुपया जो इसमें व्यवस्था की गई है कि इस पर खर्च होगा तो ठीक ढंग से साल में कम-से-कम 11 महीने की नौकरी उनको दी जाए तभी हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो सकेगी। हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

देश की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत से उपाय निकाले हैं, बताए हैं और सुझाव दिए हैं। लेकिन मेरी हमेशा से यह शिकायत है, खासतौर से वित्त मंत्रालय से पिछले दस वर्ष से शिकायत करता आ रहा हूं कि जो हमारे देश में बजट 28 फरवरी को रखा जाता है, वह हमारे देश की आर्थिक स्थिति वर्षा की स्थिति को देखते हुए बिल्कुल गलत समय है। हमारे देश में जब वर्षा होती है तो उससे मालूम हो जाता है कि इस साल हमारे देश में कितनी फसल होगी और कितनी बिजली तैयार होगी। जिस तरह से हमारे देश में व्यापारी वर्ग दीवाली के समय अपना नया साल शुरू करते हैं, अपना बजट बनाते हैं उसी तरह नवम्बर-दिसम्बर में हमारे देश का बजट पेश किया जाना चाहिए। तभी हमारे बजट का पैसा गांव के विकास, क्षेत्र के विकास चाहे वह सड़क बनाना हो, नहर निकालना हो, वगैरह के काम में लग सकता है क्योंकि ये काम नवम्बर से जून तक हो सकते हैं। जो बजट आज फरवरी के आखिर में पेश करते हैं, उसका पैसा 15, 20 अप्रैल जिले गांव में पहुंचता है और वह एक-डेढ़ महीने मुश्किल से जून तक खर्च हो पाता है उसके बाद बाकी पैसे को अधिकारी लोग अनावश्यक काम में खर्च कर देते हैं। मेरा अन्दाजा है कि हमारे देश का जो खर्च होता है उसमें से कई हजार करोड़ रुपया हम बचा सकते हैं अगर हमारा बजट नवम्बर-दिसम्बर में पेश हो। उस पैसे का सही उपयोग हो सकता है, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

गरीबी दूर करने के सिलसिले में दूसरा प्रस्ताव यह है कि हमारी केन्द्रीय सरकार जो हर राज्यों को पैसा भेजती है, लेकिन वह राज्यों की राजधानी में पहुंच जाता है, चाहे वह हैदराबाद हो, चाहे कहीं हो, चाहे वह बम्बई हो, अहमदाबाद हो, पटना हो, लखनऊ हो। हर एक ब्लाक के लिए केन्द्रीय सरकार से कम से कम 10 लाख रुपया जाता है और कहीं-कहीं तो 30 लाख रुपये तक भी जाता है लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो 10 लाख रुपया जाता है वह मुश्किल से एक लाख ब्लाक तक पहुंचता है और उसका हमारे राज्यों की राजधानियों में तरह-तरह से दुरुपयोग होता है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार जितना पैसा राज्य सरकार को भेजती है वह हर ब्लाक को भेजे, मेरा दूसरा सुझाव है कि हमारे किसानों को बैंकों को आज जो ब्याज की दर कोआपरेटिव बैंक और बैंकों के कर्ज के लिए वह 15 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 18 परसेन्ट देनी पड़ती है जबकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया पैसा ऋण वितरण के लिए 7.5 परसेन्ट पर बम्बई से रवाना करता है और किसानों तक 17-18 प्रतिशत पर पहुंचता है। एक जमाना था जब बिचौलियों की जरूरत होती थी जब हर ब्लाक में बैंक की व्यवस्था नहीं थी लेकिन आज हर ब्लाक में बैंक की व्यवस्था है हर जिले में अच्छे-अच्छे बैंक हैं जो लीड बैंक भी हैं। रिजर्व बैंक को चाहिए कि जो पैसा किसानों को कर्ज देने के लिए भेजते हैं वह सीधे जिले में और ब्लाकों में भेजे, न कि सिर्फ राजधानियों के किसी खास बैंकों में। इसलिए

मेरा खास अनुरोध है कि अगर सरकार यह बिचौलियावाद बन्द न कर सके, न रोक सके तो तत्काल, हमारे राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय के यहां बैठे हुए हैं, मेरा उनसे यह अनुरोध है कि इसी अधिवेशन में, इसी बजट का रिप्लाई देते समय यह घोषित करें कि किसानों से 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लिया जायेगा, नहीं लिया जायेगा, नहीं लिया जायेगा, चाहे किसी मौके पर लिया जाय किसानों से 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लेना चाहिए इसी तरह से हमारे बजट में यह कहा गया है कि किसानों को जो कुल कर्ज दिया जाता है, हमारे देश में राष्ट्रीय बैंक जो कर्ज देते हैं, एक रुपया कर्ज दिया जाता है तो उसमें से 18 पैसे किसानों को दिया जाता है और 82 पैसे दूसरों को कर्ज दिया जाता है, उद्योगों को जबकि हमारे देश की दौलत बढ़ाने वाले गांव हैं, आज भी देश की दौलत बढ़ाने में 40 से 45 प्रतिशत योगदान किसान और खेती का है, उसको पैदा करने वाले 45 ये 50 प्रतिशत हैं और आप 18 परसेन्ट देते हैं। अभी इस बजट 17 से 18 प्रतिशत किया गया है, मेरा अनुरोध है कि इसको इसी साल कम से कम 30 या 33 प्रतिशत कर दें और एक दो साल के अन्दर 45 प्रतिशत कर दें तभी किसान दूसरे बिचौलियों से जो बहुत जबरदस्त ब्याज की दर उनसे वसूल करते हैं, उनसे छुटकारा पा सकता है।

तीसरी समस्या हमारे देश की तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। वैसे हमारे देश ने परिवार नियोजन में काफी अधिक काम किया है और लोकतांत्रिक ढंग से काम किया है लेकिन किसी कारण से बहुत सी बाधाएं हैं। हमारे वित्त मन्त्रालय को खास तौर से इस तरफ सोचना चाहिए कि जो दो बच्चे से अधिक पैदा करें, उनको किसी न किसी तरीके से रोकें और जो दो बच्चे तक पैदा करें उनको प्रोत्साहन दें, चाहे किसी तरह से करें लेकिन जो दो बच्चे पैदा करे उसको हर तरीके से प्रोत्साहन दीजिए और जो दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के बदले किसी तरह की सजा दीजिए, हालांकि 1977 में कांग्रेस पार्टी के साथ जो घटना हुई थी, हो सकता है कि आप उसके कारण डरें लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो दो बच्चे तक पैदा करते हैं उनको तो प्रोत्साहन दीजिए और दूसरों को प्रोत्साहन मत दीजिए जिससे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर कुछ रोक लगे।

चौथी समस्या मूल्यों में वृद्धि की है मेरा आपसे खास तौर से अनुरोध है वित्त मन्त्रालय से, सरकार से, केन्द्रीय सरकार से, हमारे राजीव गांधी जी से कि आप हर साल जो बजट पेश करते हैं मान लीजिए इस साल बजट में 850 करोड़ के कर लगाये गये हैं लेकिन आम जनता से लेने देने में उनसे चार गुने पैसे वसूल कर लिये हैं। वह हर चीज के दाम बढ़ा देते हैं, बजट में जिन चीजों का दाम नहीं बढ़ा उनके भी दाम बढ़ा देते हैं।

जब बजट आता है तब हर चीज की मंहगाई बढ़ जाती है। देश में तेजी और मंहगाई का एक मुख्य कारण हर साल बजट का पेश करना होता है। आप कहेंगे यह तो जरूरी है, बजट पेश करना ही होगा तो इस सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से आप पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं उसी प्रकार से जिस वर्ष लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव समाप्त हों उसी साल आप ऐसा बजट पेश कर दें जो कि पांच सालों के लिए वही बजट हो ताकि हर साल इस प्रकार से चीजों के मूल्य न बढ़ें।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो सार्वजनिक उद्योग हैं, जिनमें रेल भी शामिल है जिन पर हमारा 60-70 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है, उनकी आय से ही हम अपने बढ़े हुए खर्च को पूरा करें। जिस तरह से किसी घर में खर्चा बढ़ता है तो वह अपनी आमदनी को भी बढ़ाता है उसी तरह से आप भी भी अपनी आमदनी बढ़ाइये।

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आपको यह भी देखना चाहिए कि वेतनभोगी तथा उद्योगों व व्यापार से कौन व्यक्ति दस-पांच साल में कितनी आमदनी की और उनके पास कितनी सम्पत्ति हो गई या कितना उन्होंने धन कमा लिया। इस तरह का हिसाब विदेशों में होता है। आप देखेंगे कि विलायत में फोरन आपका आफिसर पहुंच जाता है और देखता है कि 15 साल में उसकी कितनी आमदनी हुई है और उसके पास कितने धन इकट्ठा है इस तरह से दूसरे देशों में होता है, लेकिन हमारे यहां नहीं होता है। इस कारण भी हमारे यहां भ्रष्टाचार बढ़ता है।

जहां तक सिंचाई की व्यवस्था का सवाल है, मेरा कहना है कि आजकल किसानों के विकास के लिए सिंचाई की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। सिंचाई की पूरी व्यवस्था करने के लिए आपके पास तो इतना धन है नहीं, इसीलिए मैं एक सुझाव देता हूं कि जिनके पास काला धन है, बहुत से पैसे वाले यहां पर हैं उनको सरकार बांध और नहरें बनाने के लिए योजनायें दे दें। निजी लोगों को बांध और नहरें बनाने का काम आप सौंप दें। लेकिन पानी का रेट क्या हो, उसका निर्धारण आप करें। किस जगह वह पानी जाएगा, यह भी सरकार निर्धारित करे। जो व्यक्ति उसमें धन लगायेगा उसे उनकी व्यवस्था करने दीजिये और पानी का लगान वसूल करने दीजिये।

मैं बहुत जल्दी में दो-तीन सुझाव सरकार को और देना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश से यहां पर आता हूं। वहां इस साल भी सात जिलों में काफी अकाल है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रीवा, सतना, सीधी और शहडोल—ये जो जिले हैं, वहां पर इस साल पीने के पानी की बहुत कमी है। केन्द्रीय सरकार से मेरा खास तौर से अनुरोध है कि इन सातों जिलों के लिए कम से कम 80-90 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे कि वहां पर पीने के पानी की समस्या हल हो सके साथ ही साथ दुर्ग, राजनाद गांव रायपुर में जो जिले हैं, वहां पर बहुत अच्छी-अच्छी नदियां हैं, लेकिन उन पर स्टाप डैम बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के पास पैसा नहीं है। आप कृपा करके वहां स्टाप डैम बनाने के लिए पैसा दीजिये।

तीसरी बात यह है, भिलाई का जो कारखाना बना है, वहां पर एक हमारी पुरानी सिंचाई योजना आदमावाद नामक बांध 1910 में बनी थी जिससे किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी जाता था, लेकिन आज वह पानी भिलाई स्टील कारखाने में जाता है। किसानों को निश्चित रूप से दुख होता है, यह देखकर कि पानी वहां जा रहा है। चूंकि यह राष्ट्रीय योजना है, लोहे का कारखाना है, इसलिए उसका पानी हम रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि शिवनाथ नदी जो है, वहां पर जुलाई-अगस्त सितम्बर-अक्टूबर-नवम्बर में पानी बहता है, बाढ़ भी आती है, तो पानी बह जाता है। इसलिए हमारे चव्हाण साहब इस्पात मन्त्रालय से कहें कि शिवनाथ नदी पर स्टाप-डैम बना कर के भिलाई कारखाने के लिए पानी ले जायें, जिससे कि जुलाई-अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर-नवम्बर में किसानों को वहां से अधिक पानी मिल सके।

एक बात और बहुत जरूरी है। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि यह चुनाव का बजट है, तो चुनाव तो आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन खासतौर से मैं समझता हूं कि इस साल हमारे देश में धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। सरकार जो गल्ला खरीदती है, इसमें जितना भी अधिक से अधिक हो सके वह खरीदे। पहले आप 2 करोड़ टन खरीदते थे, इस साल आप 3-4 करोड़ टन की खरीद करें और आप की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको मजबूत करें उसमें अभी

कुछ नहीं मिलता है। एक आदमी को एक महीने में एक किलो चावल या एक किलो गेहूं मिलता है, इसमें कैसे एक गरीब आदमी अपना पेट भर सकेगा। इसीलिए हमारे यहां मंहगाई बढ़ती है। मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि सस्ते अनाज की दुकानें डिस्ट्रिब्यूशन के जरिए अधिक से अधिक अनाज की सप्लाई करने के लिए चावल, गेहूं खरीद कर हर जगह पहुंचायें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री लोभनाथ रथ (आस्का) : मैं बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट कल्याणकारी और गरीबों के पक्ष में है। जैसा कि कुछ विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि यह लोकप्रिय बजट नहीं है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है, यह एक के बाद या अन्य ऐसे बजट प्रस्तुत कर रही है।

यह बजट गरीबी दूर करने रोजगार मुहैय्या कराने, किसानों, श्रमिकों युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं की स्थितियों में सुधार करने और संरक्षण देने के लिए है। इस प्रकार यह बजट सभी क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योग, निर्यात आदि के क्षेत्रों में विकासोन्मुखी बजट हैं। इस बजट में वित्त घाटे, मुद्रास्फीत, व्यर्थ के राजस्व खर्च और रक्षा खर्चों में कटौती की जांच की गई है।

हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति गोर्बाचोव के बीच की गई दिल्ली घोषणा केवल कागजी घोषणा नहीं है। यह गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने विश्व में तनाव को कम करने के लिए भी यही किया है। इस बजट में पहली बार, रक्षा खर्च में कटौती की गई है जिसमें इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी की इच्छा व्यक्त होती है। जैसाकि दिल्ली घोषणा में कहा गया है हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय समस्याओं को संधि-वार्ता और चर्चा से सुलझाया जाना चाहिए। अब हमारे पड़ौसी देशों चीन और पाकिस्तान पर हैं कि वह आगे आयें।

यह बजट ग्रामीण लोगों तथा अधिकांश अर्ध शहरी व शहरी लोगों के लिए लाभकारी है। यह एक विश्वसनीय बजट है। संक्षेप में, वित्त मन्त्री और उनके सचिवालय ने ऐसा बजट प्रस्तुत करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है और वे हमारी बधाइयों के पात्र हैं।

तीसरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र की भांति हमारे यहां भी घाटे की वित्त व्यवस्था है। वार्षिक ब्याज जिसका हम भुगतान करते है वह 15,000 करोड़ रुपये है जो समूचे रक्षा बजट से अधिक है। 1988-89 के बजट में घाटे को 7337 करोड़ रुपये तक सीमित रखना एक उपलब्धि कहा जायेगा। कीमतों में वृद्धि से साधारण नागरिक चिन्तत है। बजट में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके लिए वित्तमन्त्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सिलसिले में जो स्कीमें और कार्यक्रम बनाये गए हैं उन्हें निचले स्तर पर लागू किया जाये। सरकार की अच्छी भावनाओं के बावजूद अगर कीमतों पर नियन्त्रण नहीं किया जाता है तो इससे आम व्यक्ति को लाभ नहीं होगा और बजट में गरीबी को दूर करने, रोजगार देने आदि के बारे में जो कुछ कहा गया है वह केवल एक धारणा ही बन जायेगी। वित्त मन्त्री को इन योजनाओं और कार्यक्रमों को निचले स्तर से लागू किया जाना चाहिए। मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत हूं कि केन्द्र राज्यों को काफी धन दे रहा है लेकिन राज्य उस धन का अपनी इच्छा से इस्तेमाल करते हैं। यह धन कभी भी जिलों और खण्डों को नहीं दिया जाता है। जिनको इसकी जरूरत होती है जब हम किसी सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, जब

[श्री सोमनाथ रथ]

हम किसी विशेष जिले के लिए किसी विकास परियोजना सूखे या बाढ़ आदि की बात करते हैं तो केन्द्र पूरा राज्यों को यह निदेश दिये जाने चाहिएं कि उसके द्वारा जिस कार्य के लिए धन दिया जाये वह उसी कार्य पर खर्च किया जाये अन्य किसी पर नहीं। अगर यह पाबंदी न लगाई जाये तो राज्य अपनी इच्छानुसार धन खर्च करेंगे। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र गंजम जिले के दौरे में काफी अनुभव है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। प्रधानमन्त्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और इन चार जिलों के लिए काफी धन दिया गया था। लेकिन वित्त मन्त्री की जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि सभी तेरह जिलों में बांट दिया गया। इसी प्रकार मानव संसाधन विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार करोड़ों रुपये दे रही है लेकिन उड़ीसा के गंजम जिले में बेरहमपुर विश्वविद्यालय और राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए आगे नहीं आ रही है। यह राज्य शिक्षा नीति नहीं है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है और शिक्षा समवर्ती सूची में है। यह देखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि समूची नीति को सही मायनों में लागू किया जाये। जब हम इसे मानव संसाधन विकास मन्त्री के ध्यान में लाते हैं तो वह कहते हैं कि इसे राज्य सरकार करेगी। मैं सम्मान देते हुए यह कहता हूं यह ठीक नहीं है। यह देखना केन्द्र का काम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी स्तरों पर लागू किया जाये। जब सांसद इन क्षेत्रों में राज्य में या जिले में या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इस घाटे को ध्यान में लाते हैं तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए।

इस नेहरू शताब्दी वर्ष में, वित्त मन्त्री ने ग्रामीण रोजगार के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसे जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना कहा जाता है। यह भी अन्य गरीबी उन्मूलन योजना जैसी एक योजना है इसे हमने सदन में एक संकल्प के द्वारा जो मैंने प्रस्तुत किया था और जो 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में है, और इन खामियों को कैसे दूर किया जाये, इस पर चर्चा की थी। तीन सत्रों में इस पर लम्बी चर्चा की गई थी। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है कि अगर वे गांवों में गरीब लोगों का दर्जा बढ़ाना चाहते है तो इस कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सरकार को यह कहते हुए चेतावनी भी दी है कि इस धन का लाभ लाभभोगियों को नहीं मिलता है और इसका फायदा कुछ अधिकारियों या बिचौलियों को मिलता है जो इसे क्रियान्वित करते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि अगर हम एक रुपया लाभयोगी को देते है। तो छः रुपये प्रशासनिक खर्च होता है। उन्होंने ये शब्द भी कहे हैं; अगर कोई धोखेबाजी नहीं हो। अगर भ्रष्टाचार है तो एक रुपया भी आम व्यक्ति को नहीं मिलता। यह सरकार को चेतावनी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब व्यक्ति को दिया जाने वाला पूरा धन उसे मिलना चाहिए।

सदस्यों ने बजट की प्रशंसा में अनेक बातें कही हैं और प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की नीतियों के प्रति विश्वास प्रकट किया है। इस संदर्भ में मैं परामर्श दूंगा कि बजट द्वारा सिर्फ यह दर्शाया जाता है कि राजस्व आमदनी और राजस्व व्यय क्या होगा और लोगों के हित में इसे किस प्रकार खर्च किया जायेगा। मुझे अपनी बात दुहराने के लिए क्षमा करें—यदि इसे उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाये तो हमारा बजट आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से पथ-प्रदर्शक होगा।

अपने क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और महोदय आपके द्वारा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाये। उड़ीसा का गंजम जिला कृषि प्रधान जिला है और इस जिले के लोगों की जीविका का स्रोत कृषि है। महोदय, एक हरनभंगी और दूसरा बहुगा-दो परियोजनायें हैं जो विगत 29 वर्षों से

लम्बित पड़ी हुई हैं और अभी तक पूरी नहीं की गयी है। इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए। सिर्फ पर्याप्त धनराशी ही नहीं दी जानी चाहिए बल्कि सरकार को सावधान रहना चाहिए और देखना चाहिए कि इन परियोजनाओं को दी गयी धनराशि उचित रूप से व्यय हो और इन परियोजनाओं को जल्द समाप्त कर लिया जाये। महोदय उसी प्रकार पीपलपन का और नुआवली दो बड़ी सिंचाई परियोजनायें हैं जिन्हें भी जल्द पूरा किया जाना चाहिए। महोदय, बिलुआमारा नामक एक छोटी परियोजना के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। पिछले चार वर्षों से यह परियोजना लम्बित पड़ी हुई है और राज्य सरकार ने अभी तक इस परियोजना को शुरू नहीं किया है। महोदय, सरकार ने एक गलती की है कि उसने राज्य को बहुत से परियोजनाओं के 'कार्यान्वियन के लिए एक मुश्त रकम दे दी। केन्द्र द्वारा एक खास परियोजना की स्वीकृति दे दिये जाने पर राज्य सरकार को उस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन के पीछे नहीं रहना चाहिए।

महोदय, विपक्ष के सदस्यगण यहां उपस्थित नहीं है। मुझे यह जानकर दुःख है कि वे लोगों की पीड़ाओं का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। वे भूलते हैं कि देश में सूखे की स्थिति के बावजूद दूसरे क्षेत्रों में उद्योग में भी विकास हुआ था अनेक देशों को सन्देह था कि भारत सरकार इस सूखे की स्थिति का सामना नहीं कर पायेगी क्योंकि पिछले शताब्दी में सूखे की इतनी भयंकर स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन इस सरकार ने इसका सामना किया। सिर्फ इतना ही नहीं अनेक क्षेत्रों में इस सरकार ने विकास भी किया। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि गैर नियोजित व्यय में कमी की जाये और भुगतान स्थिति के संतुलन में सुधार लाया जाये। राजस्व व्यय के सन्दर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। घाटे की अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, जैसा कि मैंने कहा है, सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में बिल्कुल सही ढंग से पूरी तरह काम किया जाये।

महोदय, अब हमें देश में खाद्य तेलों और दालों के अधिक उत्पादन पर जोर देना चाहिए। खाद्य तेल और दालों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में एक बड़ी रकम व्यय की जाती है। यद्यपि खाद्यान के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं लेकिन खाद्य तेलों और दालों के मामले में हम अब तक आत्म निर्भर नहीं बन पाये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृषकों विशेषकर उड़ीसा के गंजम जिले के कृषकों के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए। मैं कमान एरिया के विकास पर जोर देने के लिये भी सरकार से अनुरोध करूंगा और हमारे प्रधान मंत्री भी कमान एरिया के विकास पर जोर दें और देश में सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिये भी जोर दिया जाये। उड़ीसा के गंजम जिले में रूशीकुलाया कमान एरिया विकास परियोजना अभी चल रही है। लेकिन केन्द्र में कुछ दुविधा है कि यह एक नई परियोजना है। अब यह एक नई परियोजना नहीं है। मैं यह परामर्श दूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कमान एरिया परियोजना की शुरूआत की जाये और इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि स्वीकृति की जाये।

अन्त में एक बार फिर मैं माननीय वित्त मंत्री और मन्त्रालय को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि देश में आम जनता की भलाई के लिए बजट में कही गयी सभी बातें कार्यान्वित की जायेंगी।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, चव्हाण साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया है। चव्हाण साहब बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ और

[श्री जैनुल बशर]

प्रशासक हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, एक प्रगतिशील राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तथा बहुत से पदों पर रहे हैं, मैं इनकी योग्यता का बहुत पहले से कायल हूं। पहली बार बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने अनुभव और दूरदर्शिता का जिस प्रकार से परिचय दिया है, वह सराहनीय है। यह बजट कई मायनों में बहुत ही सराहनीय है, महत्वपूर्ण है। गरीबी दूर करने और लोगों को रोजगार देने का जो टेंपो हमारी सरकार ने सन् 1980 से बनाए रखा है और जिस तरह से हर वर्ष इन कार्यक्रमों में वृद्धि हो रही है, वह बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इस वर्ष उन्होंने अब तक के सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं और गरीबी हटाए जाने के कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ाने के लिए इसको तैयार किया है। सबसे बढ़कर जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, जिसमें 120 जिलों में प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई है, यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। हमारी पार्टी ने इस बारे में फैसला किया है कि देश में जितने भी परिवार हैं, जो गरीब हैं, उनके घर में एक आदमी को अवश्य रोजगार दिया जाए। इस योजना की कैसे शुरूआत होगी, किस तरह से रोजगार देने की बात की जाएगी, अभी इसका विवरण हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन इस हिम्मत वाले फैसले की मैं सराहना करूंगा, जिसका लाभ हिन्दुस्तान के लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा और उनको राहत मिलेगी।

इस बजट में गरीबों को बहुत रियायत दी गई है, उनको बहुत राहत दी गई है वहीं पर मध्यम श्रेणी के लोगों को कुछ झटका लगा और अमीर आदमियों पर मेरी समझ से इस बजट का असर पड़ने वाला नहीं है।

पहले मैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इतना पैसा सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए रख रही है। केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस बात को देखे कि यह पैसा ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। यह बात आज नहीं बल्कि वर्षों से इस सदन में लगभग सभी सदस्यों द्वारा कही जा रही है कि जितना पैसा रखा जाता है, उतना पैसा लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है। सत्तर, पचास, पच्चीस या दस फीसदी मिलने पर मतभेद हो सकता है, लेकिन यह सर्वमान्य बात है और सरकार ने भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को माना है कि जितना पैसा यहां से जाता है, गरीबी हटाओ कार्यक्रम या लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, वह रुपया नहीं पहुंच पा रहा है। दुख इस बात का है कि हम मानते हैं, जानते हैं और करते भी हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया जिससे यह पूरा का पूरा रुपया पहुंच जाए। इसमें दो एजेंसियां ही लगी हुई हैं। एक तो केन्द्र सरकार जो पैसा देती है और दूसरी राज्य सरकार जो इन कार्यक्रमों को लागू करती है। केन्द्र सरकार जो गाइड लाइन्स इश्यू करती है और राज्य सरकारें कितनी हद तक मानती हैं और कितनी हद तक नहीं मानती हैं, यह तो केन्द्र सरकार ही जाने। एक बात जरूर है कि जब यह पैसा जिले और ब्लाक लेबल पर चला जाता है तो उसके बाद केन्द्र सरकार का कोई दखल नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मानिटरिंग होती है। लेकिन किस प्रकार से और कैसे मानिटरिंग होती है। आज तक मैंने यह नहीं देखा कि केन्द्र सरकार का कोई प्रतिनिधि ब्लाक स्तर पर देखने गया हो या जो काम बताए गए हैं वे हुए हैं या नहीं इस बारे में लोगों से पूछे और उनकी बात भी सुने। इस बारे में केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि छह रुपए में से एक रुपया लोगों तक पहुंचता है और छह रुपये प्रशासन में खर्च हो जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात बताना

चाहता हूं। वहां हर जिले में जिला विकास अधिकारी है और जिला विकास कार्यालय है जो विकास के कामों को देखते हैं। आज सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है। अफसरों के पास कोई काम नहीं है। डी० आर० डी० ए० जो समानान्तर एजेंसी बनी हुई है, उसका समानान्तर आफिस है और सामानान्तर ही कर्मचारी हैं। वह काम कर रही है और राज्य सरकार की एजेंसी बिल्कुल खामोश है। पता नहीं वह क्या कर रही है, सिवाय रूटिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के ज्यादातर प्रदेश सरकारें अपने साधनों से विकास का काम नहीं कर रही है। ग्रामीण अंचलों में सड़क बनाए जाने का काम प्रदेश सरकारों का मुख्य काम है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी प्रदेश सरकार अपने साधनों का उपयोग ग्रामीण स्तर पर सड़क बनवाने में नहीं कर रही है। आपका जो पैसा है, उससे कर रहे हैं। तनख्वाहें दी जा रही हैं और खर्चे दर्शाित किये जा रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार का जो विभाग है वह चुपचाप बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है। क्या यह नहीं हो सकता था कि प्रदेश सरकार का जो विभाग है, वही इस काम को कर दे। डी० आर० डी० ए० में उसी का परिवर्तन हो जाता। अलग-अलग विभाग, अलग-अलग ब्यूरोक्रेट्स और अलग-अलग कर्मचारियों की क्या जरुरत है। लेकिन सारा पैसा इसी चीज में खर्च हो रहा है। वित्त मंत्री जी आपको मालूम होगा कि आज प्रदेश सरकारें साधन नहीं जुटाना चाहतीं। वे कोई टैक्स नहीं लगा रही हैं। समाचार पत्रों, रेडियो और टी० वी० में यह आता है कि फलां प्रदेश का बजट टैक्स फ्री पास किया गया। आज कोई भी प्रदेश सरकार टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। वह सारा काम आपके पैसे से करना चाहती है। कांग्रेस सरकार हो या गैर-कांग्रेसी सरकार हो, सभी का यह कहना है कि केन्द्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। राज्य सरकारों की यह टेन्डेंसी बन गई है कि वह किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाना चाहती केवल केन्द्र के पैसे पर ही सारा काम करना चाहती है। कांग्रेस या गैर-कांग्रेसी सरकार हो, वे क्रेडीट लेना चाहती हैं।

3-00 म० प०

क्या राज्य सरकारें जो कि बच्चे के समान हैं उनको आप बिल्कुल निकम्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनका अपने साधनों पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इसी तरह की बात रही, किसी जमाने में यह कार्यक्रम आपके पूरे हो गये या किसी अन्य कारण से अपने कार्यक्रमों में आपको रुकावट डालनी पड़ी तो राज्य सरकारों की सारी गतिविधियां पंगु हो जाएंगी। इसलिए आपको देखना होगा कि जो पैसा आप देते हैं वह राज्य सरकारें अपने माध्यम से खर्च करती हैं या नहीं यह देखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी अलग से कोई एजेंसी बनाएं, लेकिन राज्य सरकार का ही कोई विभाग इसको खर्च करे। जब तक जन-प्रतिनिधियों का इन्वाल्वमेंट इन कार्यक्रमों में नहीं होगा तब तक जो पैसा दिया जाता है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लोगों में नहीं पहुंच सकता। हम कहते हैं कि हम पंचायतों को अधिकार देंगे, पता नहीं कब देंगे। अभी बिल आयेगा, पास होगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन अभी हालत यह है कि हर जिले के डी० आर० डी० ए० का चेयरमैन जिला कलेक्टर होता है। हम भी इसके सदस्य हैं। लेकिन जिला कलेक्टर कितना काम करेगा। आपने सारे का सारा काम जिला कलेक्टर के जिम्मे सौंप रखा है। डी० आर० डी० ए० की क्षमता सुझाव देने की कैपेसिटी तक है। अगर कलेक्टर को सुझाव मंजूर नहीं है तो वह राज्य सरकार को लिख सकता है और राज्य सरकार उनको रद्द कर देती है। इसलिए सबसे पहले काम यह होना चाहिए कि डी० आर० डी० ए० का चेयरमैन जन-प्रतिनिधि होना चाहिए, चाहे वे विधायक हो या सांसद हो। जहां जिला परिषदें बनी हैं वहां जिला परिषदों के अध्यक्ष इसके सभापति होने चाहिएं। कोई भी डी० आर० डी० ए० के चेयरमैन को आप जन-प्रतिनिधियों में से चुनें तो इससे ब्लाकों का, राज्यों का इन्वाल्वमेंट

[श्री जैनुल बशर]

होगा। अगर डी० आर० डी० ए० की मीटिंग में वोटिंग हो जाये तो जन-प्रतिनिधि अल्पमत में हो जाएंगे और नौकरशाह बहुमत में हो जाएंगे। हालांकि वोटिंग होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए।

आपने बहुत से अच्छे कार्यक्रम दिये हैं। गरीबी हटाओ, लोगों को रोजगार दिलाने के कार्यक्रम इसमें दो राय नहीं हैं। फिर भी बहुत लाभ हो रहा है। इतनी सारी कमियों के बावजूद गांव में लगता है कि कुछ हो रहा है। कितने लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर उठ गये हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनी सड़कें बनाई गई हैं, कितना काम हुआ है इसका अन्दाजा गांव में जाने पर हो सकता है। लेकिन सारे का सारा रुपया या 75 प्रतिशत रुपया भी ठीक प्रकार से पहुंच गया होता तो शायद आज हम जहां हैं वहां से दस साल आगे होते।

अब मैं वित्त मन्त्री जी का दूसरी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार को कई ऐसे तरीके अपनाने चाहिएं जिससे पिछड़े इलाकों का विकास हो। अपने देश में पिछड़े राज्य भी हैं और अगड़ी राज्य भी हैं। लेकिन एक राज्य के अन्दर भी पिछड़े और अगड़ी क्षेत्र हैं। क्षेत्रीय असतुलन जैसे देश में है वैसे ही प्रदेश में भी है और प्रदेश में ही क्या जिलों में भी है। एक जिले का कुल हिस्सा आगे हो गया है और दूसरा पीछे हो गया है। एक राज्य के कुछ हिस्से आगे हो गये हैं और कुछ पीछे हो गये हैं···

आप कहते हैं कि यह राज्य सरकारों का काम है लेकिन राज्य सरकारें बहुत से मामलों में राजनीति पर चलती हैं। विकसित और पिछड़े जिलों में फर्क करने में, पिछड़े जिलों को ज्यादा प्रावधान करने और विकसित जिलों के लिए कम पैसे का प्रावधान करने में, राज्य सरकारों को राजनीति नजर आती है और वे शायद ऐसा कर भी नहीं पायेंगी। आजादी के बाद इतने दिनों से हम कहते आ रहे हैं, हमारा प्लानिंग कमीशन लिख रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके विकास पर ध्यान देना चाहिये, लेकिन तजुर्बा यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। शायद पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी ऐसा नहीं कर पाते। मैं समझता हूं कि स्वयं हमारे वित्त मंत्री जी भी महाराष्ट्र के एक पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आते हैं और उन्हें अनुभव होगा कि जब वे अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे, या मंत्री रहे, वे चाहते हुए भी अपने पिछड़े क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाये होंगे, बहुत सी कठिनाइयां उनके सामने रही होंगी। इसलिए यह जरूरी है कि पूरे देश को कुछ श्रेणियों में हम बांट दें और कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़े हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कर लें, उनकी पहचान के बाद उन पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाएं। जब केन्द्र की ओर से राज्य सरकारों को पैसा दिया जाये तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिये अलग से पैसे की व्यवस्था करे, दूसरे क्षेत्रों के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था करे। यह काम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। आखिर आपने देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और कुछ दूसरे क्षेत्रों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान किया है, लेकिन सभापति जी, शायद माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम होगा कि बहुत से राज्यों में कई मैदानी क्षेत्र ऐसे हैं, जिनकी दशा रेगिस्तानी क्षेत्रों की दशा के बराबर या उससे भी ज्यादा खराब है, जिनकी दशा पहाड़ी क्षेत्रों के बराबर या उससे भी ज्यादा खराब है, उनकी ओर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिये, उन पर भी हमें विचार करना चाहिये।

अब मैं गाडगिल फार्मूले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। गाडगिल फार्मूले के

अन्तर्गत केन्द्र राज्यों को जितना फाइनेंस उपलब्ध कराता है, स्टेट सरकार सरकारों को भी उतनी मैचिंग ग्रांट देनी पड़ती है, जिसके लिए फार्मूला निश्चित है, मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत को अब बदलना चाहिए। हालांकि गाडगिल फार्मूले में पिछड़ेपन के हिसाब से 25 प्रतिशत पैसे की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है, लेकिन में इसे बहुत कम मानता हूं। इसे क्षेत्र की क्षमता के अनुसार आवंटित किया जाता है लेकिन क्षमता के साथ-साथ हमें उस क्षेत्र की आवश्यकता पर भी उतना ही बल देना चाहिए। इस वक्त 75 प्रतिशत क्षमता और 25 प्रतिशत आवश्यकता को देखते हुए गाडगिल फार्मूले में मौडिफिकेशन करने के बाद, पैसे की व्यवस्था करने का प्रावधान है। मैं समझता हूं कि आप 50 प्रतिशत क्षमता और 50 प्रतिशत आवश्यकता के मापदण्ड के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में धन का बंटवारा करें तभी जाकर हम उन क्षेत्रों का पिछड़ापन मिटा पायेंगे।

अब मैं आपका ध्यान 15 प्वाइंट प्रोग्राम की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए बनाया है। यद्यपि इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं, जिन पर अमल करने से निस्संदेह अल्पसंख्यकों को काफी लाभ हो सकता है, बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने यहां फाइनेंस कारपोरेशन भी बनाये हैं ताकि अल्पसंख्यकों को रोजगार दिया जा सके, उन्हें ऊपर उठाया जा सके, लेकिन देखने में यह आता है कि हमारे इस प्रोग्राम का उन्हें ठीक प्रकार से लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं यहां 15 प्वाइंट प्रोग्राम का सारी बातों का जिक्र करना उचित नहीं समझता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वित्तीय मामलों के लिए केन्द्रीय स्तर पर आप एक माइनौरिटीज फाइनेंस कारपोरेशन बनायें। इससे माइनौरिटीज को, अल्पसंख्यकों को अपना रोजगार शुरू करने में बहुत आसानी हो जायेगी। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाने के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं, आज उनसे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस देश के अल्पसंख्यक कमजोर हैं, गरीब है और पिछड़े हैं इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से विशेष निवेदन करूंगा कि आप मायनोरिटीज के डवलपमेंट के लिए एक फायनेंशियल कारपोरेशन बनाए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

सभापति जी, मैं भारत सरकार का आभार मानता हूं और भारत सरकार के सभी मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया में सबसे पहले सलमान रुश्दी की पुस्तक "सेटनिक वर्सेस" पर पाबन्दी लगाई है। इसके लिए मैं और सारे लोग शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ मैं इस देश के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी। भारत सरकार, ईरान की सरकार की तरह नहीं है। भारत सरकार कोई इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं है। भारत सरकार एक सैकुलर गवर्नमेंट है और अपने यहां रहने वाले मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसने दुनिया में सबसे पहले उस किताब को अपने यहां बन्द करने का फैसला किया है। बहुत से मुसलमान देश तो यह फैसला अब ले रहे है कि उस किताब को बन्द करें। इंडोनेशिया और बंगलादेश ने अब अपने यहां पाबन्दी लगाई है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले हमने अपने देश में इस पर पाबन्दी लगाई है और इसके लिए भारत सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए, उतनी कम है।

सभापति जी, मैं आशा करता हूं कि बजट पेश करने के बाद, वित्त मंत्री जी उस बात की तरफ विशेष ध्यान देंगे, खासकर गरीबी हटाओ और रोजगार दिलाने की योजनाओं के अन्तर्गत उन्होंने बहुत पैसा रखा है, उस पर ठीक से अमल हो सके और ठीक प्रकार से वे लागू हो सकें और लोगों तक वह जा सकें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मिडिल क्लास को इस बजट से बहुत धक्का लगा है।

[श्री जैनुल बशर]

आपने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत से इंडायरेक्ट टैक्सेशन में बेतहाशा वृद्धि की है। दूनी-दूरी और ढाई-ढाई गुनी वृद्धि की है आपकी कलम कहीं नहीं रुकी दो गुनी और ढाई गुनी वृद्धि पर ही जाकर रुकी। इससे मिडिल क्लास को धक्का लगा है। स्टील के दाम आपने बहुत बढ़ा दिए हैं। एक तरफ तो आप हाउसिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप स्टील के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा। हां, अगर किसी ने फूंस की झोंपड़ी बनानी हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसने पक्की छत डालनी है, उसको स्टील खरीदना ही पड़ेगा। मकान में सरिया तो लगेगा ही। बड़े लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दस लाख में मकान बने या बीस लाख में बने। लेकिन गरीब आदमी को अगर दस हजार के बजाय ग्यारह हजार रुपये भी देने पड़ें, तो इससे उसको बहुत फर्क पड़ने वाला है।

मुझे तो खासकर शिकायत है कि आपने सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया है। सिगरेट मिडिल क्लास के लोग ज्यादा पीते हैं। आपने शराब पर उतना नहीं बढ़ाया है। आपने मॉलेसिस पर बढ़ाया है जिससे ज्यादा फर्क शराब पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिगरेट पर आपने काफी पैसा बढ़ा दिया है। मिडिल क्लास के लोग तो सिगरेट पीकर पहले ही अपनी तंदुरुस्ती खराब करते हैं और दूसरे अब उनको पैसा भी अधिक देना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। कम से कम सिगरेट पर तो टैक्स कम करें। जो सिगरेट मैं पीता हूं पहले वह पांच रुपये में मिलती थी अब वह सात रुपये में मिलती है। आपकी बगल में जो मंत्री जी बैठे हैं वे भी सिगरेट पीते हैं।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा। आपने मिडिल क्लास के लिए इन्कम टैक्स की लिमिट जो 18 हजार रुपये रखी है, वह कम है। अब समय आ गया है जबकि उसको 25 हजार रुपये कर देना चाहिए। क्योंकि आज तो हॉकर भी, छोले और चने बेचने वाले भी, इस इन्कम टैक्स की लिमिट में आ जाते हैं। हालांकि उन पर अभी कोई टैक्स लगा नहीं हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाये, तो वे भी इस लिमिट में आ जाएंगे। डेढ़ हजार रुपया महीने की लिमिट में तो वे भी आ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको 25 हजार रुपये कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : सभापति महोदय, इस बजट परिचर्चा में मैं थोड़ा हस्तक्षेप करता हूं। बजट मात्र तुलनपत्र का प्रस्तुतीकरण ही नहीं है और न ही यह आय और व्यय का ब्यौरा देना है। बल्कि यह इस बात का सूचक है कि राष्ट्र ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक की है; राष्ट्र की आर्थिक स्थिति किस हद तक सबल है और उसमें कहां तक वृद्धि की गई है; और अवाम की दशा सुधारने और उनका विकास करने में देश की अर्थक्षमता कहां तक सहायक है। ये सारी विभिन्न बातें हैं जिन पर बजट प्रस्ताव में ध्यान देना है।

इस देश की जनता के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। समाजवादी सिद्धान्त को ध्यान में रखकर हमने राष्ट्र के समक्ष समानता और सम्पन्नता का लक्ष्य रखा है। हाल के संशोधन द्वारा हमने संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द जोड़ा है। अतः इस दृष्टिकोण से मैं यह कह सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का यह बजट सरकार द्वारा विकास की ओर, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की ओर, गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को

सहायता देने के लिए और देश से गरीबी हटाने के लिये किये गये कार्यों के दृढ़ प्रयास को प्रस्तुत करता है।

यदि आप बजट का विचारपूर्वक विश्लेषण करें और विश्लेषण के दौरान यदि आप 7वीं योजना में की गई उपलब्धियों की तुलना करें तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय तौर पर यह पाया जायेगा कि योजना की प्रक्रिया द्वारा जिन क्षेत्रों में हम विकास कर रहे है वहां वास्तविक उपलब्धि 115% से 120% के बीच है। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं है विशेषकर इस संदर्भ में जबकि बहुत से कारणों से जैसे सूखा जो कि आकस्मिक था और हमारे रक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में दूसरे दबावों के कारण, समाज के गरीब वर्ग और किसानों के बीच अन्न और उर्वरकों की सप्लाई के कारण, हमारी अर्थ-व्यवस्था को इन दबावों का सामना करना पड़ा। इन आर्थिक दबावों के बावजूद योजना में की गई उपलब्धि लक्ष्य को पार कर गई है और यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था का संचालन उचित दिशा में बहुत ही सावधानी से किया गया, जिससे कि राष्ट्र अपने सामने रखे लक्ष्य को पूरा कर सके।

मैं सम्पूर्ण क्षेत्र का वर्णन करने नहीं जा रहा हूं। आप लोगों की आलोचनाओं की प्रशंसा करेंगे। दुर्भाग्यवश विपक्ष के सदस्यगण इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इस कदर व्यवहार किया है कि वे सभा में लोगों की समस्याओं को बताने और अपने उत्तरदायित्व से वंचित हो गये हैं। लेकिन यह एक अलग विषय है। मैं कहूंगा कि मैं व्यय के बारे में चिन्तित हूं। इस क्षेत्र में की जाने वाली सबसे बड़ी आलोचना है कि हमने कृत्रिम रूप से घाटा बना रखा है।

मुख्य आलोचना यह है कि हमारा गैर-योजना खर्च और घाटा अनियंत्रित होता जा रहा है। हमारी कर्जे चिन्ता का विषय हैं और इस तरह अर्थव्यवस्था सुरक्षित हाथों में नहीं है। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में भी कहा था योजना की सही अर्थों में उपलब्धियां 115 प्रतिशत रही हैं और यदि इसकी तुलना में मैं यदि सकल घरेलू उत्पाद का कुल घाटा प्रतिशत में दूं तो वह चालू वर्ष में 2.11 से घट-कर 1.76 आ गया है। घाटे के क्षेत्र में मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई उल्लेखनीय सफलता मिली है लेकिन विश्वास और विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि सरकार ने और मेरे वरिष्ठ साथी वित्त मंत्री ने बढ़ते हुए घाटे को नियंत्रित रखने में कामयाबी हासिल की है। यह सब सिवाय खर्चों को वहां रोकते जहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और किसी प्रक्रिया से संभव नहीं हुआ है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जिन क्षेत्रों में खर्चे जरूरी हैं, वे परियोजनाएं या क्षेत्र धन की कमी कारण नुकसान न सहें।

जैसा कि वे कहते हैं गैर-विकास खर्चे और गैर-योजना खर्चे की आलोचना हुई है। वह क्या हैं? किसी भी विकासशील देश में जब योजना के अन्तर्गत कोई परिसम्पत्ति बनाई जाती है और जब परिसम्पत्तियां पूरी हो जातीं हैं तो वह गैर-योजना में आ जाती है क्योंकि आपको उस परिसम्पत्ति की देखभाल करनी होती है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि अस्पताल या स्कूल के रूप में एक परिसम्पति बनाई गई है। यदि उसको बनाने के बाद आप उसमें डाक्टर, दवाइयां और रख-रखाव की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। योजना की अवधि में बनाई गई उस परि-सम्पति से आप कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विकासशील देश में जब आप कोई परिसम्पति बनाते हैं और जब वह बनकर तैयार हो जाती है तब उसे आपको चलाना होता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी उपाय, हितकारी उपाय या शिक्षा उपाय आप अपनायेंगे तो रख-रखाव और सेवा आदि के क्षेत्र में आपके पास गैर-योजना खर्चे पर व्यय करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। एक

[श्री बी० के० गढ़वी]

गलत धारणा बना ली गई है कि यह बेकार का खर्च है। जबकि सच्चाई यह है कि यह वह खर्च है जो एक परिसम्पति से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए बेकार का खर्च नहीं कह सकते।

इसके अलावा गैर योजना खर्चे के मुख्य क्षेत्र और कौन से है ? जब कभी इस सभा में राष्ट्र की रक्षा तैयारियों की या राष्ट्र की रक्षा की बात उठती है तो हम सब एक आवाज में रक्षा सेनाओं को मजबूत किये जाने की बात कहते हैं। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना में कोई भी हो सकती हैं।

अतीत में हमारी सेनाओं ने बहुत ही बहादुरी के कारनामे दिखाये हैं और उन्हें अपनी इस बहादुरी को बनाये रखने की अपने आधुनिकतम हथियारों से लैस होने की आवश्यकता है यह सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वर्तमान समय और परिस्थितियों में क्या कोई हमारी रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी के बारे में सोच सकता है ? इसका उत्तर होगा "नहीं।" फिर भी इस बात का श्रेय मेरे वरिष्ठ मित्र श्री चव्हाण को जाता है कि हमारी रक्षा तैयारियों में बिना किसी कमी के या उन्हें प्रभावित किये बिना हम रक्षा व्यय को पिछले साल और इस वर्ष नियंत्रित रखने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में इस बात का भी आश्वासन दिया है कि यदि कोई ऐसा अवसर आता है जिसमें रक्षा व्यय की कोई आवश्यकता पड़ती है; यदि इस तरह की अचानक कोई जरूरत पड़ती है; भगवान न करे ऐसा हो, तो धन की कोई कमी नहीं होगी।

दूसरे क्षेत्र जैसा कि हम जानते हैं ये हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग; खाद्यान्न, कपड़े, खाने की वस्तुएं और खाद पर राज सहायता। क्या हमें यह नहीं देनी चाहिए ? यदि हमने खाद्यान्न और खाद पर राज सहायता दी होती ? तो पिछले साल जब इस देश में भयंकर सूखा पड़ा था, उस समय क्या हुआ होता ? यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि भूख के कारण एक भी व्यक्ति नहीं मरा। यही नहीं सूखे से प्रभावित इलाकों में या जो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित थे उनमें हमने पशुओं के रख-रखाव पर 4 रुपये प्रति व्यक्ति और 3 रुपये प्रति व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में दिये हैं, आज हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध सही है और यह सूखे जैसी आपदाओं से निकल गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस बात को मानती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने उतार-चढ़ाव सहने गजब की क्षमता दिखाई है। इसके लिए हमारे किसान बधाई के पात्र हैं। धीमी प्रगति, बारिश की कमी, अनिश्चित मौसम के बावजूद हमारे खाद्यान्न भण्डार में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि सूखे के वर्ष में भी हमारा खाद्यान्न उत्पादन ठीक था लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं। इस वर्ष हमें आशा है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन पिछले सभी रिकार्डों को पीछे छोड़ देगा।

खाद्य तेलों के क्षेत्र में, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा इस वर्ष हमने तेलों के आयात को कम किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लार्ड कर्जन ने एक बार कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसूनी जुआ है। हम अभी भी जानते हैं यह कहावत सही है। हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाते और छोटे और सीमान्त कृषकों की मदद के विचार से और कृषि विकास के एक बड़े दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने पहली बार कृषि जलवायु क्षेत्र बनाये हैं। इसके अलावा पहली बार नकदी फसल ऋण सीमा को बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया है। उन्नत बीज, खाद, किट आदि के माध्यम से हम आदिवासियों हरिजनों, छोटे और सीमांत किसानों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था यह भी वह क्षेत्र है जहां पर हमें

खर्च करना पड़ता है, जिन्हें गैर योजना खर्च कहा जाता है। क्या हम इन सबको छोड़ सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते।

फिर हमें निरक्षरता को देश से दूर करना है, शिक्षा और अन्य क्षेत्र भी हैं। जहां तक गैर-योजना खर्चे का संबंध है मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी मदें जैसे ब्याज प्रभार, रक्षा व्यय, राज सहायता पेंशन और राज्यों को दिया जाने वाला धन वित्त आयोग की सिफारिश पर बढ़ा दिया गया है। इन सबको शामिल करते हुए और केन्द्र शासित प्रदेशों के खर्चों को शामिल करते हुए कुल खर्च 80.6 प्रतिशत आता है। भारत सरकार के पास क्या रह जाता है? केवल 19.4 प्रतिशत है। इसमें योजना समय में बनाई गई परिसम्पत्तियां रखरखाव और साथ ही मूलभूत सेवाओं पर व्यय भी शामिल है। वे कहते हैं हम घाटे की नीति अपनाते हैं। यदि हम राज्यों को और अधिक सहायता न दें तो हमें घाटा होगा ही नहीं। विपक्ष के लोग हमेशा यह कहते हैं कि उनके राज्यों को और अधिक मदद दी जाये जो वाजिब मदद दी जा सकती है, हम दे रहे हैं। इससे हमारा घाटा बढ़ता है। लेकिन मैं यह कहूंगा और निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के आर्थिक हालात को देखते हुए न कृषि के बारे में और न ही औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कोई चिन्ता करने की बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है।

भारत एक ऋणग्रस्त देश बनता जा रहा है, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शायद भारत एकमात्र देश है या उन देशों में से एक है जो भुगतान के अपने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय वायदे पर दृढ़ है। इसीलिए विदेश में हमारी साख बहुत अच्छी है।

3.31 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

कई बार और भी प्रस्ताव आते हैं। हम जानते हैं कि महंगी ऋणों को भी ध्यान में रखना है। थोड़े समय के लिए ऊंची लागत पर लिया गया ऋण सही नीति नहीं है। इसलिए कई बार ऊंची लागत पर ऋण लेने से बचने के लिए अपने पर अंकुश लगाते हैं। वरना हम भी ऐसा कर सकते थे। मैंने शुरू में कहा था कि हमने कई क्षेत्रों में से एक में बनावटी घाटा दिखाया है। वे कहते हैं कि कोयला समन्वय समिति के खाते में से हमने 2300 करोड़ रुपये लिये हैं। मैं कहूंगा कि यह पिछले वर्ष भी किया गया था लेकिन भाग्यवश या दुर्भाग्यवश किसी ने इसे नहीं जांचा इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप खाद का आयात करते हैं, आपको घाटा होता है, आप राजस्व खर्चे में से चुकाते हैं। यदि आप किसी चीज का आयात करते हैं और आपको लाभ होता है तो आप उसे राजस्व सम्पतियों में क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह यह कोष है। इसे इसीलिए बनाया गया था कि अचानक भविष्य में कोई जरूरत आ जाती है उसे पूरा करने के लिए हम इस कोष का इस्तेमाल कर सकें। पैट्रोलियम और अन्य उत्पादों की लागत कम करने के दृष्टिकोण से हम इस कोष का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं आने वाली है। यह पहली बात है।

दूसरी बात, कुल कोष के 8900 में से राजस्व में कुल 2300 डाले हैं जो कि अन्यथा पूंजी खाते में आ जाते इसलिए घाटे पर, कुल मिलाकर न तो राजस्व पर और न ही पूंजी पर, कोई असर पड़ता। लेकिन जहां तक कुल घाटे का संबंध है इसे बराबर कर दिया गया है। इसलिए गलत सोच का सवाल ही नहीं उठता। मैं समझता हूं जिस क्षेत्र पर आलोचना की गई है उसे पूरी तरह नहीं समझा गया है।

पूंजीगत ऋण राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि यद्यपि

[श्री बी० के० गढ़वी]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गैर-प्राथमिक क्षेत्रों के सम्पूर्ण कार्यकलापों को बन्द नहीं किया जा सकता तथापि हमने जीरो-आधारित बजट व्यवस्था आरम्भ की है। संयुक्त राज्य अमरीका ने भी जीरो-आधारित बजट व्यवस्था लागू की थी परन्तु यह कारगर सिद्ध नहीं हुई। दूसरे देशों में यह कार्य कठिन था। परन्तु भारत सरकार ने जीरो-आधारित बजट की संकल्पना स्वीकार की है। अत: मैं आपके समक्ष योजनेत्तर व्यय सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1986-87 और 1987-88 के बीच इसमें 17.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1987-88 और 1988-89 के बीच विकास दर घटकर 16.2 प्रतिशत हो हो गई है और 1088-89 में 10 प्रतिशत से 12.1 प्रतिशत हो गईहै। क्या यह योजनेत्तर व्यय को कम करने की हमारी मंशा का द्योतक नहीं है जिसके लिए सभी शोर मचा रहे हैं? मेरा निवेदन है कि यह सरकार राजस्व घाटे की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही हैं और इसके लिए योजनेत्तर व्यय की आलोचना करना सही नहीं है। यद्यपि वे सभा में उपस्थित नहीं हैं तथापि मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने योजना तैयार करने का कार्य छोड़ दिया था। योजनाएं चलती नहीं और इसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था भी चलती रही। उनकी चल योजनाओं का ही यह परिणाम था। मैं नहीं जानता कि चल योजनाएं कैसे कारगर सिद्ध होती हैं। परन्तु घाटे को कम करने के लिए, हम सरकार के भण्डार से स्वर्ण की बिक्री नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि 1977-78 और 1978-79 में अर्थव्यवस्था किस प्रकार संभाली गई थी। मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि का क्या प्रतिशत था। उद्योग की विकास दर ऋणात्मक थी। उसके मुकाबले, सूखे के बावजूद, हमने बहुत अच्छी विकास दर बनाए रखी। वित्त मंत्री जी भी इस विषय में अपने बजट भाषण में आंकड़े दे चुके हैं और वह अपने अन्तिम उत्तर में भी इसे स्पष्ट करेंगे। इसलिए, इस विषय में मैं कुछ और नहीं कहना चाहता।

कुल राजस्व व्यय का 85 प्रतिशत भाग पांच या छह प्रमुख शीर्षों पर खर्च होता है। उदाहरण के तौर पर 1986 87 के आंकड़े लीजिए। बजट अनुमान 20995 करोड़ रु० था और संशोधित अनुमान 22932 करोड़ रु० था। इसी प्रकार 1987-88 में, योजनागत बजट अनुमान 23677 करोड़ रु० था और संशोधित अनुमान 24925 करोड़ रु० था। आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि योजनागत व्यय बजट अनुमान से बढ़ा परन्तु योजनेत्तर व्यय कम हुआ। वर्ष 1985-86 के लिए संशोधित अनुमान 30011 करोड़ रु० थे जबकि वास्तव में यह व्यय 29705 करोड़ रु० हुआ। वर्ष 1986-87 में, संशोधित अनुमान 37396 करोड़ रु० था और वास्तविक व्यय 37122 करोड़ रु०। 1987-88 में संशोधित अनुमान 41236 करोड़ रु० था और वास्तविक व्यय 40869 करोड़ रु० था। जबकि वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से कम था। दूसरी ओर, योजनागत व्यय में वृद्धि हुई और राजस्व व्यय कम हुआ। इससे पता चलता है कि हमें उस प्रवृत्ति को रोकने में सफल हुए। हम संतुष्ट नहीं हैं और हमारा प्रयास इसे कम करना है। इस वर्ष यदि पंजाब को विशेष सहायता न देनी पड़ती तो हमारा घाटा अधिक नहीं बढ़ता। परन्तु इस समय पंजाब की स्थिति कुछ ऐसी है कि हमें उन्हें सहायता देनी है। राष्ट्रीय प्रयोजनार्थ हम पंजाब की सहायता कर रहे हैं। पंजाब की जनता के शौर्य एवं दृढ़ता के कारण हम उनकी सहायता कर रहे हैं। अन्न के राष्ट्रीय पूल में उनका योगदान बहुत अधिक और प्रशंसनीय है तथा समूचा देश इसके लिए उनकी प्रशंसा करता है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम व्यय को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं इस बजट में, विभिन्न विभागों से ६180 करोड़ रु० योजनागत और 2980 करोड़ रु० योजनेत्तर व्यय की अतिरिक्त मांग की गई थी। कुल अतिरिक्त मांग 6160 करोड़ रु० थी। हमने इसे कम किया और इस प्रकार बजट

घाटे में केवल 456 करोड़ रु० की वृद्धि हुई। परन्तु यदि हम मांग कम न करते तो घाटा बहुत बढ़ जाता।

महोदय, लीक हो जाने और निगरानी प्रणाली के विषय में कई प्रकार की आलोचना की जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कई योजनाओं की जिम्मेदारी भारत सरकार ले रही है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। हम इस पर नजर रख रहे हैं। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर है। यह राष्ट्र की प्रगति में जनता और समाज के सभी वर्ग के योगदान पर भी निर्भर करती है। इसलिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ढांचे में मामूली वृद्धि की गई है जिससे केवल कुछ ही अमीर लोग प्रभावित होंगे। गरीब लोगों के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके विपरीत गरीब लोगों को प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि धन एकत्र करके हम उन्हें रोजगार दे पाएंगे।

हम इतिहास से अवगत हैं। हम जानते हैं कि गांधी जी को कुर्ता पहनना छोड़ना पड़ा था क्योंकि उन्होंने चम्पारन जिले में देखा कि एक महिला घर से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इसलिए यदि निर्धन महिलाओं को साड़ी न दी गई तो हम गांधी जी के आदर्शों का पालन करने के अपने प्रयास में असफल हो जाएंगे। इसलिए पहली बार इस बजट प्रस्ताव में निराश्रय महिलाओं को साड़ी दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

श्री० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : एक साड़ी नहीं, दो साड़ियां दी जानी चाहिए।

श्री वी० के० गड़वी : यह आपका सुझाव है।

श्री वेन्न प्रताप नारायण सिंह (पडरौना) : हमें भी चम्पारन के निराश्रितों को याद रखना चाहिए।

श्री वी० के० गड़वी : चम्पारन के निराश्रितों को क्यों बल्कि हमें कश्मीर से लेकर अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह तक पूरे देश के निराश्रितों का ध्यान रखना चाहिए। हमें उनसे पूरी हमदर्दी है। हमारे पास कोई सरल विकल्प नहीं है। हम केवल वर्तमान या मामूली लाभ की परवाह नहीं करते। हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों का ध्यान रखते हैं इसीलिए इस प्रकार दीर्घकालीन प्रयास किए जाते हैं।

महोदय, मैं योजनेत्तर व्यय के संबंध में की गई आलोचना को संक्षेप में स्पष्ट करना चाहता हूं। शेष मुद्दों को मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्पष्ट करेंगे। मैं चाहता हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि बजट की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना की जाए।

अन्त में, मैं कहूंगा कि आज जो जनता दल के अध्यक्ष हैं, वह मेरे सहयोगी थे। मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने से पूर्व, मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था। उस समय, उन्होंने बजट पेश किया था। मेरे मन में एक बात आई थी कि शायद बजट समाज के समृद्ध वर्ग के हित में है। जब उन्होंने पहली बार बजट पेश किया तब अमरीकी लॉबी से संबंधित उद्योगों के मंच ने और उच्च वर्ग एवं प्रतिष्ठित लोगों ने उस बजट की प्रशंसा की थी। आज, जेठ मी पालकीवाला और अन्य व्यक्ति बजट की आलोचना करते हैं तो इसका श्रेय माननीय वित्त मंत्री को जाता है। इससे पता चलता है कि उनका झुकाव सही दिशा में है अर्थात् देश से गरीबी हटाने की दिशा में।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री को यथार्थवादी तथा संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए मुबारकबाद देता हूं, संतुलित केवल राजस्व प्राप्ति एवं व्यय के संदर्भ में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं तथा समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने के संदर्भ में है।

महोदय, हमारे देश में कुछ ऐसे लोगों का वर्ग है जो अपने आपको बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं और सदा ही हमारे बजट में कमियां निकालते रहते हैं। ये सज्जन प्रतिवर्ष बजट के बारे में लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं और लिखते हैं और सदा उसकी आलोचना करते हैं। वे सदा हमारे बजट में खामियां ढूंढते हैं और यह भविष्यवाणी भी करते हैं कि यदि इस प्रकार बजट आता रहा तो हमारे राष्ट्र को संकट का सामना करना पड़ जाएगा। वे यह भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह असफल हो जाएगी। वे प्रति वर्ष यही लिखते रहे हैं। संकट की ये भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं। उनकी समस्या यह है कि वे हमारी राष्ट्रीय विचारधारा अथवा उस विचारधारा को, जो सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करती है, उसे ध्यान में रखते हुए बजट पर विचार करने में असमर्थ हैं। वे उस पर अपने दृष्टिकोण से तथा अपनी पुरानी तथा साखहीन विचारधारा से विचार करते हैं। वे यह नहीं समझते कि उनके लेखन एवं भाषण में वाकपटुता के बावजूद इस देश की अर्थव्यवस्था सभी संकटों तथा कठिनाइयों, रुकावटों पर विजय पाती हुई महान राष्ट्र के संजोए गए उद्देश्यों की तरफ निरन्तर प्रगति कर रही है। वास्तव में ये छोटे एवं पथभ्रष्ट दिमाग और एक महान राष्ट्र आपस में मेल नहीं खाते।

वित्त मंत्री जी ने रोजगार उत्पन्न करने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए एक नई पैकेज योजना की घोषणा की है। उन्होंने वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर में सीमान्त रूप से छूट दी है। उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर में कोई परिवर्तन नहीं किया तथा सीमेंट और एल्युमीनियम पर नियंत्रण समाप्त कर दिया है। फिर भी उन्होंने तुलनात्मक रूप से सम्पन्न वर्ग पर 1287 करोड़ रुपये का नया कर जुटा लिया है। मैं इसके लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यह सत्य है कि उनके प्रस्तावों का मतलब जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा है, सिगरेट जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ाना है। मारुती कार, दुपहिया स्कूटर, टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि महंगे होंगे। किन्तु यह बोझ उन व्यक्तियों पर पड़ता है जो दे सकते हैं और जो दे सकते हैं उन्हें इस देश की आम जनता के लाभ के लिए कुछ देना चाहिए।

50000 रुपये से अधिक आमदनी वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत प्रभार लगाया गया है ताकि जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना, जिसमें देश के 120 पिछड़े हुए जिलों को शामिल करने का इरादा है, जो गम्भीर बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की जा सके ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को लाभकारी रोजगार दिलाया जा सके। क्या कोई देशभक्त भारतीय इस पर आपत्ति कर सकता है? क्या कोई संविधान द्वारा निर्धारित फिलासफी को ध्यान में रखते हुए इस पर आपत्ति कर सकता है? वास्तव में यह प्रभार प्रभार स्वयं श्री वी० पी० सिंह द्वारा तय दीर्घावधि वित्त नीति के पैरा 5.5 में लगाया गया था। इसमें कुछ नया नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रभार

पर शोर मचाते हैं। वे ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो इतिहास में बहुत पुरानी और अप्रचलित हो चुकी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि आयकर बढ़ाने की अपेक्षा यह प्रभार इसलिए लगाया गया है ताकि राज्यों को उनका वैध अधिकार न मिले। यह और कुछ नहीं केवल उनका अत्यन्त संकीर्ण, संकुचित एवं अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। वास्तव में राज्यों को नये उत्पाद शुल्क से 384 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी तथा कृषि, सिंचाई तथा सामाजिक क्षेत्रों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त होगी। बजट में इन सभी बातों का प्रावधान किया गया है। इसलिए राज्यों की शिकायत होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना और नेहरू रोजगार योजना – सभी ग्रामीण लोगों हेतु रोजगार उत्पन्न करने के लिए हैं –इनके लिए 1711 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

मैं इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० को कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण हेतु मिलाया जा रहा है तथा नये कार्यक्रम में 75 प्रतिशत व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। किन्तु मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, जैसा कि कुछ समय पहले मेरे मित्र बशीर ने कहा था—कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अथवा एन० आर० ई० पी० अथवा आर० एल० ई० जी० पी० के लिए दी जाने वाली निधि उन साधारण व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती जिनके लिए वह दी जाती है। बीच में ही कुछ गायब हो जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रशासन का पूरा तंत्र ही सही नहीं है। यदि आप सारा काम अफसरशाहों के हाथों में सौंप देते हैं तो वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। अतः मैं श्री बशीर की इस बात का समर्थन करता हूं कि जन प्रतिनिधियों को भी बीच में लाया जाना चाहिए और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि वास्तव में सही व्यक्तियों तक पहुंचे।

अन्य स्वागत योग्य प्रस्ताव है निरक्षित महिलाओं को साड़ियां देना, जो कि एक नया कदम है तथा बहुत अच्छा है और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 500 रुपये से 750 रुपये तक करना। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है।

कृषि पर आधारित उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन, विधवाओं तथा मृत कर्मचारियों के बच्चों को सहायता पर भी निश्चित रूप से बल दिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विपिन पाल दास : मैं घबरा जाता हूं। मुझे बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बैठ जाना चाहिए। पेशे से अध्यापक होने के कारण मैं घंटी के अनुसार काम करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ऐसा केवल आपको यह अहसास कराने के लिए होता है कि आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री विपिन पाल दास : शीघ्र समाप्त करने के लिए अहसास कराना।

महोदय, फैमिली पेंशन पाने वाले व्यक्तियों से अधिकतम 12000 रुपये तक, शारीरिक रूप

[श्री विपिन पाल दास]

के विकलांग तथा मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के अधिकतम 15000 रुपये तक 33.33 प्रतिशत मानक कटौती का प्रावधान करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए अत्यन्त अर्थपूर्ण प्रस्ताव हैं।

रक्षा के लिए 13000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कमोबेश, इसे उसी स्तर तक रखा गया है। इसे चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 200 करोड़ रुपये कम किया गया है यद्यपि घाटे में रक्षा बजट का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं इसे मानता हूं। किन्तु मैं रक्षा बजट में गम्भीर कटौती के पक्ष में नहीं हूं। हमें अपने सशस्त्र बलों को सदा तैयार रखना चाहिए, सभी आधुनिक शस्त्रों तथा अन्य उपकरणों से सुसज्जित तैयार ताकि किसी भी समय, किसी ओर से भी किसी चुनौती का सामना कर सकें। किन्तु यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जल सेना के लिए परिव्यय में कमी अथवा कटौती नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि मेरे विचार में इस देश की सुरक्षा के लिए जल सेना आने वाले वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हमें अपनी लम्बी तट की सीमा को नहीं भूलना चाहिए। हिन्द महासागर में जो कुछ हो रहा है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें आसपास जो हो रहा है उसे नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मुझे जल सेना के बजट में कटौती करने पर प्रसन्नता नहीं हुई है।

यह सही है कि आवंटन में ऊर्जा का दूसरा स्थान आता है। इसके लिए आवंटन 11227 करोड़ रुपये है। यह बिल्कुल ठीक है। हमें याद रखना चाहिए कि सोवियत क्रांति के पूर्वज्ञाता लेनिन ने कहा था कि समाजवाद का अर्थ है सोवियत संघ और विद्युत। अतः रूस में क्रांति के पश्चात् विद्युत को यह महत्व दिया गया था और हमारे देश में भी इसका इतना ही महत्व है।

अन्तर्राज्य के निर्यात संवर्धन, उद्योगों के आधुनिकीकरण, आयात के कुशल प्रतिस्थापन तथा कृषि आधारित उद्योगों में पूंजी विनेश को बढ़ावा देने के लक्ष्य से सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में 318.54 करोड़ रुपये तक विभिन्न किस्म की रियायतें, छूट तथा करों में राहत दी है।

ये सभी विकासोन्मुखी प्रस्ताव हैं; और मैं इनका स्वागत करता हूं। कोई यह बात कैसे कह सकता है कि इस बजट में कोई विकासोन्मुखी कार्यक्रम नहीं है? शायद, केवल पालकीवाला जैसे लोग ही यह बात कह सकते हैं। मैं नहीं जानता।

इस बजट की दूसरी स्वागत योग्य विशेषता अल्प बचतों को दिया गया प्रोत्साहन है, जो संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। एक नई बचत पत्र श्रृंखला VIII पर 12 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। मेरे विचार से यह देश में किसी भी प्रकार के निवेश पर मिलने वाला सबसे अधिक लाभ है। और इस पर कर में छूट भी दिलाई है। दूसरा प्रस्ताव इक्विटी से जुड़ी, डाक योजना से संबंधित है जो आरंभिक, इक्विटी-टूट के माध्यम से काम करेगी। साधन जुटाने के उद्देश्य से यह बहुत अच्छे प्रस्ताव है।

प्रत्यक्ष करों से विवल अतिरिक्त राजस्व 530 करोड़ रुपये प्राप्त होगा तथा अप्रत्यक्ष करों से 757 करोड़ रुपये प्राप्त होगा जिसमें से केन्द्र का हिस्सा केवल 373.13 करोड़ रुपये होगा :

कर के इन दो स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान बहुत कम रखा गया है। किन्तु इसे और कम किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके।

बजट को दूसरे कोणों से देखते हुए, मैं पाता हूं कि कराधान तथा गैर-कराधान स्रोतों से राजस्व प्राप्ति में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। यह उत्साहवर्धक है किन्तु पूंजी प्राप्तियां पिछले कुछ वर्षों से स्थिर रही है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। यह अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक चिन्ह नहीं है। इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए अधिक प्रयत्न किए जाने की जरूरत है। पूंजी प्राप्तियां स्थिर क्यों रहे? राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु राजस्व प्राप्तियां स्थिर हैं। क्यों? मैं नहीं जानता। इस बात की छानबीन की जानी चाहिए।

यह भी देखा गया है कि 1989-90 के लिए अनुमानित गैर-योजना व्यय, अनुसाधित योजना व्यय से बहुगुना हुआ है। यह एक अस्वस्थ कर प्रवृत्ति है। सरकार को गैर-योजना व्यय में कटौती करने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए ताकि योजनाओं के लिए अधिक आवंटन किया जा सके, क्योंकि इसी से ही विकास और प्रगति हो सकती है।

कुल बजटीय घाटा, संसद और देश के लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। व्यक्तिगत रूप से मुझे चिन्ता नहीं है। हमारा सर्वाधिक घाटा 1986-87 में 8261 करोड़ रुपये था, जब श्री वी०पी० सिंह वित्त मंत्री थे और 1987-88 में यह 5816 करोड़ रुपये हो गया, और चालू वर्ष में घाटे का संशोधित अनुमान 7940 करोड़ रुपये है।

लगातार कई वर्षों से अधिक घाटे वाले बजटों के बावजूद, मैं नहीं समझता कि इस देश की अर्थव्यवस्था टूट गई है। इसके विपरीत यह अधिक मजबूत और लचीली हुई है। इसलिए, 7337 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के कारण चिन्ता की कोई बात नहीं है। यह जरूरी नहीं कि बड़ा घाटा अर्थव्यवस्था की कमजोरी का संकेत हो। यह मेरा मत है? इसका मूल्यांकन सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में करना होगा। अमरीका जैसे देश का बजट भी घाटे का होता है और यह घाटा प्रतिवर्ष हजारों मिलियन डालरों का होता है; और अमरीका विश्व के सुदृढ़तम अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में से है। हमारे देश में यह घाटा लगभग 5000 करोड़ रुपये के आसपास ही रहना चाहिए।

मुद्रा स्फीति एक दूसरा मुद्दा है (व्यवधान) महोदय, यदि आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपसभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केवल यह देखें कि आपकी पार्टी के दूसरे सदस्य प्रभावित न हों।

श्री विपिन पाल दास : ठीक है। मैं सहमत हूं :

मैं बहुत जल्द बैठ जाऊंगा।

4.00 म० प०

मैं केवल एक क्षण कहूंगा। मुद्रा स्फीति एक दूसरा मुद्दा है जो हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऐसा घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण ही नहीं, अन्य कई कारणों से भी होता है। फिर भी यह देखा गया है कि मुद्रा स्फीति निम्न स्तर में है। पिछले वर्ष यही आंकड़ा मुद्रा स्फीति की दर दो अंकों में पहुंच गई थी। किन्तु आज यह एक अंक में ही है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मुद्रा स्फीति आवश्यक है। अन्यथा स्थिरता आ जाती है। एक गाड़ी को खींचने या चलाने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ता है; आप सीधे खड़े रहकर गाड़ी नहीं खींच सकते। इसलिए एक विकासशील अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा स्फीति की थोड़ी मात्रा आवश्यक है।

[श्री बिपिन पाल दास]

ऐसे तीन बड़े कारण हैं जिनकी वजह से घाटे की अर्थव्यवस्था से नहीं बचा जा सकता। पहला कारण, रक्षा व्यय है। मैं इस मामले पर पहले ही कह चुका हूं और मैं दोहराना नहीं चाहता। राष्ट्र को इसे, देश की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए वहन करना होगा। दूसरा कारण आर्थिक सहायता है। यह हर वर्ष खतरनाक हद तक बढ़ रही है। यह आर्थिक प्रणाली में धीरे-धीरे पैठ रही है। यह आज कुल केन्द्रीय व्यय के 9 प्रतिशत से भी अधिक है। इसे एक वर्ष में ही समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे वर्ष-दर-वर्ष धीरे-धीरे कम करना होगा। मेरे पास इसका कोई तैयार हल नहीं है कि इसे कैसे समाप्त किया जाये, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें शामिल हैं जिन्हें सरकार को ही करना होगा। मैं तो केवल संकेत कर रहा हूं।

तीसरा कारण सार्वजनिक ऋण है जो गम्भीर रूप से बढ़ रहा है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप मुझे समय नहीं देंगे। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और आंतरिक और बाहरी ऋण को सीमित रखने के लिए कोई तरीका निकालना होगा, क्योंकि लोक ऋण, इस देश के बजट के लिए एक गम्भीर समस्या बन गया है।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है, उनकी ओर कुछ ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ऐसा करते हुए, मुझे महात्मा गांधी जी के वे शब्द याद आ रहे हैं, उन्होंने कभी कहा था कि यदि तुम अपने किये गए कामों को अन्तरात्मा की कसौटी पर जांच कर यह जानना चाहो कि तुम्हारे किये गये कामों से समाज के किसी वर्ग का, किसी व्यक्ति का भला हुआ है या नहीं तो उसका तरीका यह है कि तुम अपने दिन भर के काम समाप्त कर लेने के बाद, उस कमजोर, पीड़ित और परेशान व्यक्ति का चेहरा याद करो, जिससे दिन में तुम्हारी भेंट हुई थी: यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे काम उस पीड़ित, कमजोर और गरीब व्यक्ति की कोई सहायता कर पाये, उसे कुछ राहत मिली, तो तुम समझ लो कि तुमने अच्छा काम किया है और तुम्हारे कामों से मानवता की कुछ सहायता हो पायेगी।

सभापति जी, मेरा विचार है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह बजट बनाया था तो उनके सामने भारत के उसी पीड़ित, कमजोर गरीब, मुफलिस, भूखे और नंगे आदमी का चेहरा था, जो कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक अनेक भाषाओं में अनेक प्रान्तों में हमारे सामने होता है, हमें दिखायी देता है। वित्त मन्त्री जी ने बजट को प्रधानमंत्री जी की उन नीतियों को सक्रिया रूप से लागू करने के लिये, देश से गरीबी मिटाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए समर्पित किया है, इसलिए हम इस बजट को आसानी से गरीबी हटाने वाला बजट कह सकते हैं। इसके लिए वित्त मन्त्री जी, उनके मन्त्री और उनका मंत्रालय बधाई के पात्र हैं।

सभापति जी, जहां अभी मेरे साथियों ने, माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उन तमाम बातों को दोहराकर आपका और सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा। समय वैसे ही कम है। कुछ मोटे-मोटे मुद्दे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां एंटी पॉवरटी प्रोग्राम की बात कही गई है, मैं

वित्त मन्त्री जी को उसके लिए बधाई दूंगा, जो उन्होंने जवाहर लाल नेहरू योजना बनाकर और उसके लिए 500 करोड़ रुपए के फंड शुरू में रखे हैं। यह योजना 120 बैकवर्ड जिलों में लागू की जाएगी, लेकिन मेरा अनुरोध है वित्त मन्त्री जी और सरकार से कि जब आप उन 120 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करें, तो उसमें प्राथमिता उन जिलों को दी जाए, जहां पहले से केन्द्र सरकार के पब्लिक सैक्टर की कोई योजना नहीं है। जहां केन्द्र सरकार किसी योजना द्वारा वहां के लोगों को काम नहीं दे रही है। जहां रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे जिलों को प्रेफरेंस दिया जाए और वहां ये योजना लागू की जाए। इस सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले का नाम लेना चाहूंगा। जहां बार-बार कहने पर भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना चालू नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि सतना जिला इस सुविधा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाए।

सभापति जी, इसी प्रकार से जो आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० आई० पी० को एक करने का कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए भी वित्त मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं गरीबी दूर करने, खासकर ग्रामीण क्षेत्र से गरीबी हटाने का जो कदम हमारी नेता इन्दिरा जी ने उठाया था, जो भारत की नहीं सारी पीड़ित मानवता की नेता थीं, जो क्रांति की मशाल उन्होंने 1980-81 में जलाई थी और एक नई मंजिल की ओर अपने सफर का आगाज किया था, आज राजीव गांधी के मजबूत नेतृत्व में, हम उस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लाख आंधियां आएं, लोग कीचड़ उछालें, हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं, हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे और इन्दिरा जी के उन ख्वाबों को हम साकार करेंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं।

सभापति जी, इस सिलसिले में, हमारे मन्त्री जी उर्दू भाषा से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन्हीं के शहर के शायर मजरूह सुलतानपुरी का एक शेर उनकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा —

"सर पर हवाए जुल्म चले लाख जतन के साथ
अपनी गुनाह गुजरे उसी बांकपन के साथ।"

सभापति जी, इस सम्बन्ध में 1980-81 में जो राशि रखी गई थी उसको बढ़ाकर आपने 1988-89 में 8652 कर दिया है जिसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूं। लेकिन अभी जैसा हमारे साथियों ने कहा कि आपको देखना यह होगा कि इस बढ़ाई गई राशि का इस्तेमाल, उपयोग किस तरह से हो और इसका वास्तविक लाभ किस तरह से समाज के जिन कमजोर वर्ग के लोगों को पहुंचना चाहिए, वह पहुंचता रहे, इसके लिए आपको अपनी नौकरशाही के मजबूत ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। यह बात मैं कह रहा हूं मुझ से पहले लोगों ने कही और हर बार, हर समय, बजट के ऊपर और बिल के ऊपर यह बात कही जाती है, लेकिन जिसे कहते हैं, बात हुई, चर्चा हुई, खत्म हो गई। ऐसा हो रहा है। अमल कुछ नहीं हो पाता है। परिवर्तन कुछ नहीं हो पाता है। कार्यवाही कुछ नहीं हो पाती है और सब कुछ बेकार हो जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अमली तौर पर कदम उठाए। इसी प्रकार से आपने यह रकम जो दी है 8652 करोड़ की, इसमें वह रकम शामिल नहीं है की गई है जो फर्टिलाइजर पर और एग्रीकल्चर पर सबसिडी के रूप में आप देने वाले हैं। यह भी एक मुबारक कदम है। इसी तरह से प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडीचर में जो 5173 करोड़ रुपए आपने रखे हैं, उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

एक खास बात गरीबी हटाने की खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की जो आपने की है और बैंकों के कर्जे की 4 हजार करोड़ की जो आपने बढ़ोत्तरी की है खेती के क्षेत्र में, उसके लिए तारीख हमेशा

[श्री अजीज कुरैशी]

आपको याद रखेगी लेकिन मैं चाहूंगा कि बैंकों की यह रकम जब किसानों दी जाए तो आपके मंत्रालय का उन बैंकों पर जो कन्ट्रोल है उन बैंकों को खुरशमाली आप करें क्योंकि बैंकों की कार्य प्रणाली में कहीं कोई तबदीली नहीं आई है। खुले रूप से सारे एम० पीज और एम० एल० एज बेचते रहते हैं और हर बैंक ने बेहद राशि वितरित की है, उनके एजेन्ट्स हैं और किसान जब तक वह राशि नहीं देते उसको वह रकम नहीं मिल पाती है। मन्त्री महोदय, मैं पूरे सबूत के साथ यह बात कह सकता हूं जहां आप चाहें इसको सिद्ध कर सकता हूं। जब तक आप मजबूती से इस पर सख्त कदम नहीं उठाएंगे, आपके सारे कार्यक्रम बेकार होंगे, उनका वास्तविक लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाएगा।

इसी प्रकार से आपने जो 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक के खेती के कर्ज पर जो इंटरेस्ट की दर कम की है, 14 से 12 परसेंट की है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं लेकिन ये भारी बातें, जैसा मैंने आपसे कहा, उस वक्त तक बिल्कुल बेमायने और बेकार हैं और आपका उद्देश्य व मकसद उस वक्त तक पूरा होगा जब तक वास्तविक रूप में इन रकमात राशियों जिन कमजोर तबकों की सहायता आप करना चाहते है, उनकी सहायता न हो पाए। अभी हमारे एक आनरेबल साथी और उससे पहले श्री जैनुल बशर ने भी कहा, मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं कि इस राशि का उपयोग करने के लिए खर्च करने के लिए कोई मशीनरी आपको डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बनानी ही होगी चाहे सारे एम० पीज, एम० एल० एज हों, जनता के प्रतिनिधि हों, जिनके कन्ट्रोल में यह रकम खर्च हो सके। इस रकम के खर्च करने से चाहे उनका सम्बन्ध बिल्कुल न हो, यह रकम खर्च जारी सरकारी मशीनरी के द्वारा हो लेकिन उस पर कन्ट्रोल पब्लिक के नुमाइन्दों का हो, वह देखें कि रकम जिस मकसद के लिए निर्धारित की गई है, उसी पर खर्च की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे दावे बेकार साबित होंगे, और जिस मकसद के लिए और जिस मंजिल की ओर आपने शुरू किया है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे डैवलपमैंट के काम जो आप कराना चाहते हैं, उनको कराने के लिए आप कुछ भी करें लेकिन जो इम्पलीमैंटिंग एजैन्सी है वह सरकार की नौकर शाही है, कर्मचारी हैं वह उनके बूते ही कराना पड़ेगा। आज के जमाने में जहां आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह आशा करते हैं कि वह लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बनाएगा और सारे काम भी इम्पलीमैंट करेगा तो दोनों काम एक साथ होने में बड़ी कठिनाई होती है। कारण यह होता है कि न तो पूरी लॉ एंड आर्डर में टैन हो पाता है और न ही पूरी तरह से काम डैवलपमैंट के काम किये जाते हैं। मैं सजैस्ट करूंगा कि सरकार डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अपने प्रशासन में इस तरह विभाजन करे कि एक विंग केवल लॉ एंड आर्डर के काम की संभाले और दूसरा विंग डैवलपमैंट के काम को अपने हाथ में रखे। अगर यह नहीं होगा तो शायद बहुत बुरे परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बम्बई में जो फायरिंग अभी पिछले दिनों हुई एक माइनोरिटी कम्युनिटी के जुलूस पर, उसका जितना मातम हम करें वह कम है और अफसोस जाहिर करें वह कम है।

मैं चाहूंगा कि शासन उस ओर ध्यान दे कि जुलूस पर किस प्रकार शक्ति का, पॉवर का, ताकत का उपयोग किया गया वैसा आवश्यक था या नहीं था या जितनी आवश्यकता नहीं थी उतनी ताकत

व i इस्तेमाल की गई और कितने इन्नोसेंट लोग जो अपने घरों में थे, खिड़कियों में थे, उनको गोली से मार दिया गया मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर आपने यह नहीं किया तो सारे आपके दावे जो आप कर रहे हैं, कमजोरों को प्रोटेक्शन देने के, वह सब बिल्कुल बेकार साबित होंगे। बम्बई की फायरिंग एक बहुत बड़ा सवालिय निशान है जो देश के हर नागरिक के दिमाग में खड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा सरकार इस पर पूरा-पूरा ध्यान दे।

इन सब बातों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और शासन को यह चाहूंगा कि अगर इन बातों की ओर ध्यान न दिया और हमारे कमजोर वर्गों के लोगों तक पूरा फायदा नहीं पहुंचा पावे, जो आपका उद्देश्य है और नौकरशाही के हाथों खिलवा होता रहा तो अन्त में मैं मन्त्री महोदय को महात्मा गांधी की बात कहकर खत्म करूंगा, उन्होंने कहा था कि नंगी और भूखी जनता भगवान को भी किसी और रूप में स्वीकार करेगी जब तक कि वह रोटी के रूप में सामने नहीं आये तो रोटी के लिए, इस देश में क्रान्ति आयेगी और उस क्रान्ति को नहीं रोक पायेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं, वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट में हमारे विकास उद्देश्यों अर्थात विकास, आधुनिकीकरण आत्म निर्भरता और सामाजिक न्याय को स्पष्ट किया गया है। समय की कमी के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान हुई आर्थिक प्रगति को संक्षेप में दोहराना कठिन है।

बजट में कर सम्बन्धी प्रस्तावों और उनके उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह उत्पादक रोजगार, निर्धनों के खपत स्तर को बढ़ावा देने विशेषकर आयात की जाने वाली अनावश्यक विलासिता के लिए खपत को हतोत्साहित करने, मध्यमवर्गीय कर-दाताओं को कुछ राहत देने और वर्ष 1989-90 के बजट घाटे को समिति रखने के बारे में है। यदि हम इन सभी बजट प्रस्तावों को देखें, तो वह इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जो सरकार ने हमारे समक्ष रखे हैं।

सर्व प्रथम में वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की भविष्य वाणियों को गलत साबित किया है कि चुनाव वर्ष होने के नाते वह लोकप्रिय बजट प्रस्तुत करेंगे, और देश की अर्थव्यवस्था की परवाह किये बिना हर कहीं राहत देंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वह इस लालच में नहीं आए हैं और उन्होंने वित्तीय समझदारी दिखलाई है जिसकी कि इस देश में अब बड़ी जरूरत है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने, निःसन्देह बेरोजगारी की समस्या पर चोट की है और जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना आरम्भ की है। किन्तु ऐसा करते हुए उन्होंने उन लोगों पर 8 प्रतिशत अधिकार लगा कर जिनकी आय 50,000 रुपये से अधिक है, इस नई योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन भी जुटाए हैं; इसलिए यह एक स्वागत योग्य योजना है जो सरकार द्वारा इस सदन के समक्ष रहती जा रही है। इस मामले में जो बात मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि इस योजना पर धन खर्च करने से क्या रोजगार मिल जाएगा। रोजगार का अर्थ केवल धन नहीं हैं।

अतः मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी योजना के विस्तार के बारे में कुछ जानकारी दें, मेरे विचार से मात्र धन स्वीकृत कर देने से ही इससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। एक विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए जिससे निर्धारित समय में उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन ज्ञापन कर रहे हैं। उन्होंने अन्य बातों की ओर भी ध्यान नहीं दिया है, केवल विस्थापित महिलाओं को साड़ियां देने और बच्चों के विकास के लिए थोड़ा बहुत कार्य करने का आश्वासन

[श्री शरद दिघे]

रखा गया है। अत: इस मामले में भी उन्होंने प्रसिद्ध नारों का समर्थन करते हुए इस बजट को चुनाव वर्ष के लिए लोकप्रिय बनाया है।

महोदय, राज्य सरकारों के अनुरोधों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रतिक्रिया के रूप में वित्त मन्त्री ने औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क की विशिष्ट दरों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की है और इससे राज्यों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कर दाता द्वारा दिए जाने वाले व्यवसायिक कर को कम करके आयकर सीमा में भी छूट दी है। उससे भी एक तरह से राज्य सरकारों को राहत मिलेगी।

यद्यपि रोजगार अधिभार केवल केन्द्र को ही प्राप्त होगा किन्तु इसका उपयोग राज्यों के माध्यम से किया जाएगा और इस तरह जहां तक इसका सम्बन्ध है, राज्यों को सभी फायदे मिलेंगे।

उत्पाद शुल्क पर नए उपकर लगाए गए है, किन्तु सामाजिक सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बाह्य सहायता के रूप में मिलने वाली राशि अब शत-प्रतिशत राज्यों को मिलेगी। अत: इस तरह उन्होंने राज्यों के लिए भी कई संसाधन जुटाए हैं और राज्यों की सहायता की है।

अन्य जिस मुद्दे के सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं वह आवास की है। आवास के लिए कुछ विस्तृत प्रस्ताव रखे गए हैं। सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय आवास नीति भी बनाई है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने आवासीय ऋण सम्बन्धी नियमों और शर्तों को उदार बनाया है। जीवन बीमा निगम ने 'बीमा निवास योजना, शुरू की है ताकि नीति धारकों को फ्लैटों की खरीद और निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है 'गृह ऋण लेखा योजना' जिसके तहत प्रति माह न्यूनतम 30 रुपए जमा कराने होंगे, इस पर 10 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, और कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना घर नहीं है, इस योजना का सदस्य बन सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि वह अपनी बचत और ब्याज की कुल जमा राशि का कई गुणा ऋण पाने का भी अधिकारी होगा। यदि हम प्रतिमाह न्यूनतम 30 रुपया जमा की गई राशि के अनुसार हिसाब लगाए तो यह राशि किसी भी तरह मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि यह राशि बहुत कम बैठती है।

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : ऋण की राशि कई गुणा मिलेगी।

श्री शरद दिघे : मैं नहीं जानता कि क्या उसे अपनी जमा राशि से दो-तीन गुणा अधिक राशि मिलेगी। उस तरह गणना करने से भी यह मुश्किल से 3600 रुपए या अधिकतम 5400 रुपए होंगे, और पूरे देश में मकानों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस गृह ऋण लेखा योजना का लाभ उठाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस योजना के ब्यौरे पर विचार करें और इसमें इस प्रकार संशोधन करें कि इसका व्यवहारिक रूप से कुछ फायदा हो और यह उन ग्रामीणों के लिए भी आकर्षक होगी जिनकी इस गृह ऋण लेखा योजना का लाभ पाने में रुचि है।

महोदय, यद्यपि बहुत से लोगों ने यह सुझाव दिया है, बम्बई से सांसद होने के नाते, मेरा भी यह सुझाव है कि यद्यपि आयकर सीमा 18,000 रुपए से अधिक न बढ़ाने के कई कारण वित्त मंत्री के पास है, मेरा निवेदन है कि यह सीमा काफी समय पहले निर्धारित की गई थी और बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति और मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए, यह सीमा बहुत कम है और अधिकांश शहरी जनसंख्या उस सीमा के तहत आ जाएगी। यद्यपि वित्त मन्त्री कह सकते हैं कि उन्होंने कई बचत योजनाएं शुरू की हैं;

और उन योजनाओं का लाभ उठाने के बाद कई लोग 18000 रुपए की निर्धारित सीमा के अंतर्गत नहीं आएंगे, तथापि मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यह उचित समय है जब इस बजट में यह सीमा बढ़ा दी जानी चाहिए। महोदय, शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन पर उत्पाद-शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। टेलीविजन पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि की गई है। अत: वर्तमान परिस्थिति में टेलिविजन न केवल शहरों में अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हो गया है विशेषरूप से 'महाभारत' और 'रामायण' के प्रसारण के कारण हर व्यक्ति की कम से कम सप्ताह में दोबारा टेलिविजन देखने में रुचि बढ़ गई है। इसलिए महोदय, यहां जहां तक कि साधारण टेलिविजन का सम्बन्ध है, उत्पाद शुल्क लगाया ही नहीं जाना चाहिए तथा रंगीन टी० वी० सैटों पर भी शुल्क बहुत बढ़ गया है।

श्री एस० वी० चव्हाण : साधारण टेलिविजन अर्थात 36 इंच स्क्रीन वाले ब्लैक एंड व्हाइट टी० वी० सैट पर छूट हो गई है।

श्री शरद दिघे : लेकिन इसकी ट्यूब पर आपने उत्पाद शुल्क लगाया है, उससे भी टी० वी० के मूल्य पर असर पड़ेगा और इसलिए उसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, बजट एक ऐसा इन्स्ट्रूमेंट होता है, जिससे पूरे देश में पूरे समाज में आर्थिक विशेषतायें समाप्त की जाती हैं, यह केवल आमदनी और खर्च का एक हिसाब नहीं होता है। यह सरकार का रवैया दर्शाता है। मैं कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, केवल मैं दो-तीन सुझाव दूंगा।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसा आप जरूर कीजिए जिससे रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो। आज देश का कुछ ऐसा भाग है, जहां समृद्धि ही समृद्धि है और कुछ ऐसा भी भाग है, जहां गरीबी बढ़ रही है। इस पर बहुत गम्भीरता से आपको सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा। मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय में भी कहा था कि राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रहा है। आज मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं, अत्यन्त विनम्रता के साथ, कि आप शान्ति से सोचें कि क्यों बिहार में असंतोष उभर रहा है। उत्तर बिहार करीब-करीब रेगिस्तान बन चुका है नेपाल से आने वाली नदियां हर साल वहां बाढ़ लेकर आती है और वहां की उपजाऊ जमीन में रेत फैला देती है। पिछले पचास बरसों से ऐसा होता आ रहा है और पिछले दस बरसों से यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं न कहीं, कुछ न कुछ सोचना होगा। इसके लिए नेपाल से बात करनी होगी और नेपाल से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाने होंगे, जिससे कि वे उत्तर बिहार में कहर न ढाह सकें। उत्तर बिहार की बड़ी उपजाऊ जमीन है और वह रेगिस्तान बनती जा रही है। आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। इस पर आप बहुत गंभीरता से सोचिए। वहां से लाखों लोग उजड़ कर दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बल्लभ गढ़ आदि जगहों पर आ जाते हैं और मजदूरों की जिन्दगी बिताते हैं और अमानवीय स्थिति में रहते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए, जिससे वहीं पर उनको रोजी रोटी मिले। दक्षिण बिहार में नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रहा है, झारखण्ड मूवमेंट बढ़ रहा है और वहां के लोगों में जो असंतोष है, उसके लिए आप कुछ कीजिए। सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिहार में है। आप उत्तर बिहार में एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज बनवा सकते हैं और दक्षिण बिहार में भी इंडस्ट्रीज खोलिए। आप कुछ न कुछ तो कीजिए, जिससे बिहार के लोगों को ऐसा लगे कि केन्द्र की उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति है।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

मैं एक बात और कहूंगा। मैं पिछले साल चीन गया था। चीन ने फैमिली प्लानिंग के मामले में बहुत अधिक तरक्की की है। वहां पर पहले कम्पलसरी फैमिली प्लानिंग थी और एक बच्चे से अधिक कोई पैदा नहीं कर सकता था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने चीन यात्रा की है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, मैं पहले ही चीन की यात्रा कर चुका हूं।

[हिन्दी]

वहां पर पहले अगर किसी के एक से अधिक बच्चे पैदा होते थे, तो उन पर बड़ी सख्ती होती थी। अब पिछले तीन, चार साल से उन्होंने थोड़ा लिबरेलाइज किया है और जो अपने परिवार को एक बच्चे तक सीमित रखेगा, उसे काफी इंसेटिव दिया जाएगा और एक बच्चे से ज्यादा होने पर बहुत सख्त डिस्इंसेंटिव होगा। उदाहरण के लिए जो नागरिक किसी डाक्टर से या दूसरे लोगों से एक ऐसा सर्टीफिकेट लाकर देगा कि उसने स्टेरेलाइजेशन करा लिया है और एक बच्चे तक अपने परिवार को सीमित रखा है, तो उसको चार, पांच प्रोमोशन्स मिल जाएंगे, या चार-पांच इन्क्रीमेंटस मिल जाएंगे और यदि एक से ज्यादा बच्चा हुआ, तो उसके 10 इन्क्रीमेंटस कट जाएंगे या दो यूनीफार्म मिल जाएंगी, जिनके एक बच्चा है और उसको दूसरी बातों में तरजीह दी जाएगी। कुछ ऐसी बातें सोची जा सकती हैं। यह हंसने वाली बात नहीं है। इसके बारे में सोचा जा सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आवास सुविधाएं तथा बच्चों के लिए शिक्षण सुविधाएं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जी हां।

[हिन्दी]

तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि सोचकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है क्योंकि चाहे आप लाख इकोनोमिक डेवलपमेंट कर लें, कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से पापुलेशन बढ़ती जाती है, यदि उसको कन्ट्रोल नहीं किया गया, तो आपके लिए बड़ी सिरदर्दी होती जाएगी, जिसको आप रोक नहीं सकेंगे। इसलिए फैमिली प्लानिंग या पापुलेशन कन्ट्रोल पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी वगलर डिस्पले आफ वैल्थ बहुत होता है। लोगों के पास बेशुमार काला धन है। आप ज्यादा टैक्स लगाइए, डाइरेक्ट टैक्स लगाइए या इनडाइरेक्ट टैक्स लगाइए, जो इच्छा आपकी हो, वह करिये, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो वलगर डिस्पले आफ वैल्थ करता है, उसका मुंह काला किया जाए। आप उसके चेहरे में नकाब हटाइए और यह दिखाइए कि यह समाज का शोषण कर रहा है। जिन पर इन्कम टैक्स का रेड होता है, आप उनके नाम अखबारों में दीजिए और उनकी तस्वीर टी० वी० पर दिखाइए, जिससे समाज यह जान सके कि ये लोग समाज के खून के प्यासे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं, कुछ न कुछ करना ही चाहिए।

एक अन्तिम बात और कहूंगा। आप बहुत अच्छा बजट लाए हैं और इतना अच्छा बजट पिछले कई सालों में नहीं आया। इसमें डैफीसिट को कन्टेन किया गया है और डिफेन्स एक्सपेंडीचर पर भी रोक लगाई गई है। आपने जो आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० को मिलाकर एक कर दिया है, यह बहुत ही अच्छा कर दिया है। इसका सही लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। मैंने कई बार कहा है कि इसकी आप मोनीटरिंग कीजिए, जिससे उसका लाभ लोगों को मिल सके।

अन्त में एक बात यह कहूंगा कि 500 करोड़ रुपए की एक रोजगार योजना आपने बनाई है और उसमें 120 जिलों को ही रखा है। चाहे आप और ज्यादा टैक्स लगाइए या कोई और उपाय कीजिए जैसे इटेंसिव मशीन जो आ रही हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी लगाइए, उसके पैसे इसमें डालिये लेकिन यह सभी जिलों में कीजिए। आप बैकवर्ड जिलों के लिए जो क्राईटिरिया बनायेंगे उसको लेकर के कंफ्युजन होगा। आप ज्यादा पैसा लीजिये लेकिन इसको सभी जिलों में कीजिये। इसको लिमिटिड जिलों में नहीं करिये।

एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो रही है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन बेलेंस आफ पेमेंट ठीक नहीं है। कल प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इसकी बहुत जरूरत है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे जितने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउसिज हैं वे बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं देते। इस समस्या को हमें बड़ी गंभीरता से देखना होगा।

आप इकोनोमी को टोटेलिटी में देखिए जिससे कि गरीब आदमी और भी गरीब न हो सके और हमारी सही अर्थ में वेल्फेअर स्टेट बन सके।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सर, मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं फाईनेंस के इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं चव्हाण जी की ओर उनके कोलिग्स को बधाई देना चाहती हूं कि वे इकोनोमी को सरवाईव करने के लिए अच्छा काम कर रहे है। हाउस में जो बातें इस बजट के बारे में कही गयी हैं मैं वह बात नहीं कहना चाहती हूं लेकिन मैं दो-चार जरूरी बातों पर ध्यान देने के लिए चव्हाण जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं।

फाईनेंस मिनिस्टर ने बजट में फ्रीडम फाइअर की पेंसन रेज की है, आई० आर० डी०, एन० आर० ई० पी० को मर्ज किया है। उन्होंने आम जनता को टैक्स रिलीफ दिया है। जो दो-चार बातें बजट में नहीं है उन्हें मैं कहना चाहती हूं। पहली तो यह है कि हमारे देश में फ्रेट इक्विलाईजेशन पालिसी यूनीफार्म होनी चाहिए। यह अभी यूनीफार्म नहीं है। इसकी वजह से बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में यह पालिसी यूनीफार्म न होने की वजह से इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती हैं। मैंने पहले भी इसको दो-चार बार रेज किया था। आपने पांडे कमेटी को भी इसको रेफर किया था और पांडे कमेटी की रिपोर्ट में भी इसको रिकमंड किया गया है। लेकिन अभी तक आपने फ्रेट इक्विलाईजेशन की यूनीफार्म पालिसी को पार्लियामेंट में नहीं रखा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि इसको करना जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से रीजनल इम्बेलेंस है और इसको मिटाने के लिए यह जरूरी है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी स्टेट में कोई लार्ज इंडस्ट्री नहीं है। एक हल्दिया पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स है। आपको मालूम है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर ने खुद हाऊस में बताया था कि हल्दिया पेट्रो केमिकल तैयार हो गया है लेकिन अभी तक वह तैयार नहीं हुआ है। पहले साल हमने सुना था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है। मैं आपसे विनती करूंगी कि आप उसको जल्दी

[कुमारी ममता बनर्जी]

से जल्दी क्लीयर कर दीजिये। नहीं तो हमारी स्टेट में सी० पी० एम० ऐसा मामला पैदा कर रहा है और कह रहा है कि सेन्टर हमारे लिये कुछ नहीं कर रहा है। मैं जानती हूं यह ठीक नहीं है। लेकिन आपको इसके बारे में जल्दी कुछ करना चाहिए।

मैं एक इम्पार्टेंट प्वाएंट रेज करना चाहती हूं। आपको इस बजट में सिक इंडस्ट्रीज को सरवाईव करने के लिए कोई फंड रखना चाहिए। मगर यह तो सच नहीं है कि हमारी सरकार सभी सिक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर सकती है। मैं भी इसका समर्थन नहीं करती। लेकिन साथ साथ हमारी सरकार को यह भी देखना होगा उसने बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रीकंस्ट्रक्शन बनाया था। लेकिन क्या हुआ वह जो बोर्ड बनाया है उसमें जो इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है।

[अनुवाद]

पुनः चालू होने की बजाय यह उद्योग समाप्त हो रहा है।

वह लिक्वीडेशन में चला जाता है। अभी जो यह बोर्ड है वह बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन अब बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल लिक्विडेशन बन गया है।

[हिन्दी]

सर यह क्यों होता है यह हम आपको बताना चाहती हूं। हमारी स्टेट में एक एन० टी० सी० इंडस्ट्री के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी और हमने लिस्ट भी दी थी। आपने हमारी बात को ठीक से सुना और आप कोशिश भी कर रहे हैं। एम० एस० सी० को बी० आई० एफ० आर० में इन्कलूड किया था, 90 इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, बम्बई, हाईकोर्ट ने रिकमण्ड करके भेज दिया और इसका लिक्वीडिशन कर दिया, ऐसा क्यों होता है। बी० आई० एफ० आर० का कहना है कि इंडस्ट्री रिवाइव करने की उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई फाइनांशल पावर नहीं है, वह फाइनांशल इस्टीट्यूशंस को भी नहीं कह सकता, वह तो टूटे जगन्नाथ की तरह है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लिक्वीडिशन में रिकमण्ड कर देता है, अगर ऐसा है तो फिर बी० आई० एफ० आर० की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि एम० एम० सी० इंडस्ट्री के साथ बहुत अन्याय हुआ है, 4000 वर्कर्स मर जाएंगे, यह मेरे क्षेत्र का सवाल है, जल्दी से जल्दी केशव महेन्द्र को बुलाइए, आई० डी० बी० आई० चेयरमैन को बुलाइए, दोनों की मीटिंग करने से फैसला हो जाएगा और इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगा। लेकिन आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० आर० बी० आई० आदि फाइनांशल इस्टीट्यूशन में क्या होता है कि कोई केस मीटिंग में भेज देते हैं तो वह समझता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं इस पाइंट को रेज करना चाहती हूं जब कोई फाइनांशल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के लिए रुपया देता है, लेकिन प्रोपराइटर उधर से फाइनांस डाइवर्ट करके दूसरी जगह इंडस्ट्री बना लेता है और उस इंडस्ट्री को सिक कर देता है, पुराना इंडस्ट्री बंद हो जाता है, ऐसी हालत में आई० एफ० सी० आई०, आई० आर० बी० आई०, आई० डी० बी० आई० उसको रुपया क्यों देता हैं। पुरानी इंडस्ट्री बंद होने पर मैनेजमेंट को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता, वर्कर्स को पनिशमेंट दिया जाता है, वे भूखों मरते हैं, मैनेजमेंट के फाइनांशल इंस्टीट्यूशंस से बढ़िया रिलेशंस होते हैं, क्योंकि वह रुपया कमाता है, रुपया लाकर नई इंडस्ट्री बना देता है, उसको कोई प्राब्लम नहीं होती, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं। आप तो बहुत एफीशिएंट हैं, मिनिस्ट्री काम करना चाहती है, लेकिन ग्रास रूट में आपकी नजर नहीं जाती है, मैंने इसलिए यह बात कही है।

मैंटल बाक्स कम्पनी हमारे यहां सबसे अच्छा यूनिट इंडिया में है, डेढ़ वर्ष पहले इसको बी० आई० एफ० आर० में रजिस्टर्ड कराया गया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कब फैसला होगा। किसी इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है तो दो वर्ष बाद मीटिंग होती है, फैसला होने में 5 वर्ष लगते हैं, इस तरह से वर्कर्स का क्या होगा और फैसला भी क्या होता है। मैं इसलिए कहती हूं कि आप बी० आई० एफ० आर० के साथ मीटिंग करिए कि एक इंडस्ट्री सिक होने के बाद दो वर्ष बाद बी० आई० एफ० आर० डिसीजिन लेता है और डिसीजन भी लिक्वीडिशन का लेता है, कोई कांस्ट्रक्टिव डिसीजन नहीं लेता; यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको अवश्य देखना चाहिए।

हमारी स्टेट में इतनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी बंद हो गई, इसके बारे में मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं कि वालेंट्री रिटायरमेंट की सेंट्रलगवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके तहत जो पैसा मिलता है, उस पर इनकम टैक्स से छूट होनी चाहिए, क्योंकि वर्कर की नौकरी भी नहीं रहती और उसको सपोज एक लाख रुपया मिलता है तो उसका 20-30 हजार रुपया इनकम टैक्स में चला जाता है, इसलिए उसको इस पर छूट देनी चाहिए। हमारी और आपकी स्टेट के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल है।

एक बात और कहना चाहती हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब आदमियों को, अंडर पावर्टी लाइन के लोगों को काम करने के लिए कई योजनाएं हैं, अपोजीशन का तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, हमको गाली देना, उसको छोड़ दीजिए। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनलाइज बैंकों के जो आफीसर्स हैं, सब की मैं बात नहीं करती लेकिन आम जनता की यह धारणा है कि वे जब बैंक में पैसा लेने के लिए जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इन आफिसर्स को थोड़ा लिबरल होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह से आई० आर० डी० पी० एन० आर० पी०, आर० एल० जी० पी० के लिए जो रुपया केन्द्र सरकार से जाता है, उसके लिए राज्यवार मानेटरिंग कमेटी बनाकर बीस सूत्रीय कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करना चाहिए। उस मानिटरींग कमेटी में पब्लिक रिप्रेजन्टेटिव, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजन्टेटिव और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजन्टेटिव होना चाहिए। कम से कम यह मालूम हो सके कि जो रुपया दिया गया है वह ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं। एक्सपेंडीचर का अकाउन्ट सबमिट होना चाहिए। डी० आर० डी० ए० में एक आदमी को नौ हजार रुपया मिलता है, उसमें से तीन हजार रुपया सब सिडी होता है। छह हजार में तीन हजार ही देना पड़ता है। हमारे सी० पी० एम० के लोग क्या करते हैं यह आपको बताना चाहती हूं। तीन हजार रुपए देते हैं, तीन हजार रुपए पार्टी फंड में और तीन हजार रुपए बैंक में देते हैं। यह आपको मालूम नहीं होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब हर स्टेट की आडिट रिपोर्ट देखिए और फिर उसको पैसा दीजिए। वे लोग पार्टी के लिए इलैक्शन में खर्च कर रहे हैं।

नेहरू रोजगार योजना बहुत अच्छी है। सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपया उसके लिए दिया है, बहुत अच्छा है। तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पांच-छह करोड़ फैमिली को ही यह रुपया मिलेगा, हरेक फैमिली को नहीं मिलेगा। बेरोजगार यूथ के लिए ऐसा तरीका अपनाइए जिसमें रूरल और अरबन बैल्ट के लिए अलग-अलग प्रोग्राम हो। इससे बेरोजगारों की समस्या हल हो सकती है। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कहना चाहती हूं। सन् 83 से बैन आन रिक्रूटमेंट लगा हुआ है। अभी रेलवे, कोल इंडिया और बैंकिंग सैक्टर में बहुत मौका है। उन वैकेन्सीज को फिल-अप करने के लिए अनएम्पलायड यूथ को मौका दिया जाना चाहिए। कोई नौजवान नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसको पच्चीस से पचास रुपए तक पोस्टल आर्डर फीस देनी पड़ती है। एक गरीब नौजवान जिसके पास टेलेन्ट है, क्वालिटी है वह इतना रुपया पोस्टल आर्डर फीस के रूप में नहीं दे सकता। जिस प्रकार

[कुमारी ममता बनर्जी]

आपने एम० पी० कैन्डीडेट्स के लिए एबोलिश कर दिया है उसी प्रकार सभी यूथ के लिए पोस्टल आर्डर फीस एबोलिश कर दीजिए। इसमें डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत से नौजवानों ने हमें इस बारे में लिखकर भेजा है। मैंने पेटीशन कमेटी के पास भेज दिया है। लेकिन चिदम्बरम जी का वही सेम रिप्लाई आता है।

[अनुवाद]

मामले पर विचार किया जा रहा है।.....मामले की जांच की जा रही है.....

[हिन्दी]

ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। मैं आपकी आभारी हूं इसलिए आपको कहना चाहती हूं कि आप पोस्टल आर्डर फीस एबोलिश कर दीजिए। हमारे देश के सभी नौजवान आपके आभारी रहेंगे। हमारे यहां हुगली रीवर है। उसमें बहुत इरोजन हमारे मुर्शिदाबाद जिले में हुआ है: उलूबारिया हावड़ा जिले में बहुत सी जमीन बंगलादेश में चली गई है। इस तरह के इरोजन से बहुत तकलीफ होती है। एक सेन्ट्रल टीम भेजिए जिससे कुछ समस्या हल हो सके। उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। यह बहुत इम्पारटेंट बात है।

[अनुवाद]

महोदय, स्थिति बहुत चिंताजनक है। एक उद्योग पश्चिम बंगाल में है।

[हिन्दी]

सिक इंडस्ट्रीज के बारे में बोलते-बोलते हम भी सिक हो गए हैं। बंगाल पाटरीज को गवर्नमेंट बारह करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। पन्द्रह करोड़ रुपया देने से वह रिवाइव हो सकती है। मैटल बाक्स और एम० एम० सी० के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर, शीला जी और सरला ग्रेवाल जी को लिखकर दिया था। मैटल बाक्स प्लांट के लिए हमने कहा, प्रधान मन्त्री जी ने भी उसके लिए हां कहा, शीला जी ने भी निर्देश दिया और सरला ग्रेवाल जी ने भी निर्देश दिया, लेकिन उद्योग मन्त्री कुछ नहीं करते हैं। यह बेंगल राव नहीं है' **।

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी): यह शब्द विदड्रा करने का नहीं है। यह असंसदीय है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: हमारी हिन्दी में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इसको वापिस लेती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि उद्योग मन्त्री ने कुछ नहीं किया। आप कुछ कीजिए खाली बंगाल के लिए ही नहीं, तमिलनाडु आदि के लिए भी यह बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

1989-90 के लिए रखे गए बजट का तहे-दिल से समर्थन करता हूं। यह गरीबों का बजट है। कई विषमताओं के बावजूद वित्त मन्त्री जी ने निर्धन व्यक्ति के कंधों पर कर का बोझ नहीं डाला है और वह आवश्यक उन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क या अन्य कर नहीं लगाना चाहते हैं, जिनका उपयोग मुख्यतः निर्धनों द्वारा किया जाता है।

घाटे के संबंध में विपक्षी सदस्यों ने, जो इस समय सभा में उपस्थित नहीं है, इसे घाटे का बजट कहकर इसकी आलोचना की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1988-89 में घाटा 7940 करोड़ रुपए का था जबकि इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में मन्त्री जी ने 7337 करोड़ रुपए घाटे का प्रस्ताव रखा है। जब तक घाटे का बजट न हो, हम देश में अधिक विकास और अधिक प्रगति की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। यह आप और राजस्व पर निर्भर है। करीब दो-तिहाई आय अप्रत्यक्ष करों से और करीब एक-तिहाई आय प्रत्यक्ष करों से होने का अनुमान है। मुझे इसके लिए सचमुच वित्त मन्त्री जी को बधाई देनी चाहिए। जिन लोगों की आय 18000 से 25000 रुपए तक है, उनके लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि कर में 25% से 20% तक छूट दी जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप माइक से करीब क्यों नहीं आ जाते। कृपया माइक के करीब आ जाइए।

श्री चिंतामणि जेना : प्रत्यक्ष कर के अलावा, सूखे का कारण लगाए गए 5% अतिरिक्त शुल्क को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। वित्त मन्त्री द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत अच्छा और स्वागत योग्य है। उसके स्थान पर, उन्होंने 50,000 रुपए या इससे अधिक आय वालों पर केवल 8% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे 500 करोड़ रुपए आय होगी, जिसे जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना पर खर्च किया जाएगा। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, स्टील की वस्तुओं, सिगरेट, पिग आयरन, रंगीन टी० वी० कम्प्यूटर, रेडियो, टेप-रिकार्डर आदि, जिनका प्रयोग मुख्यत. धनी लोग करते हैं, पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। मन्त्री द्वारा प्रस्तावित कर वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं यही कहूंगा कि यह बजट गरीबों के हित में है।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने गरीबी को दूर करने के लिए राष्ट्र के सामने एक 20-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। हमारे वर्तमान प्रिय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने अब इसमें परिवर्तन किया है, और नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। जैसा वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है कि अभी तक 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जिससे 250 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। जिसका अर्थ यह है कि अभी तक प्रति वर्ष लगभग 30 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। यदि हम औसत व्यय लेते हैं यह लगभग 4000 रु० प्रति परिवार होगा जो मूल्य वृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति के कारण मेरे विचार के अनुसार उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अपर्याप्त है।

मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने सीमेंट और एल्युमिनियम से नियंत्रण हटाने की घोषणा की है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात, उसी रात को सरकारी भण्डार में जो भी सीमेंट या उसको किसी महत्व-पूर्ण व्यक्ति आदि के टेलीफोन करने के बाद वितरत कर दिया गया। सरकारी भण्डार का सारा सीमेंट कुछ दलालों को मिला है जिन्हें अब लाभ हुआ है और यथार्थ में गरीब लोगों को लाभ नहीं मिला। मुझे इसके लिए वित्त मन्त्री को दोष नहीं देना चाहिए किंतु राज्य सरकार को इसकी ओर उचित ध्यान

[श्री चिन्तामणि जेना]

देना चाहिए था ताकि जो सीमेंट सरकारी भण्डार में था वह उन लोगों को दिया जाता जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता थी।

मैं माननीय वित्त मन्त्री को भी बधाई देता हूं कि मूल्यों में वृद्धि तथा शस्त्र तथा गोला बारूद के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद उन्होंने रक्षा बजट को कम करने के प्रयास किए हैं और इस सभा और राष्ट्र को भी आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक है तो वह रक्षा के लिए अधिक राशि देने को तैयार है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

हम जानते हैं कि कृषि का हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में एक व्यापक योगदान है। मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने खाद तथा उर्वरक पर आर्थिक सहायता जारी रखने का प्रस्ताव किया है जो हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक सहायता होगी इस सम्बन्ध में, मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहूंगा कि कृषि में दो बड़े आवश्यक तत्व हैं -- जिनमें से एक थोड़े ब्याज पर अधिक बैंक ऋण है। निश्चय ही, मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव किया है कि 15हजार रुपये और 25 हजार रुपये के बीच कृषि ऋण पर ब्याज की दर 1 2% तक घटाई जाएगी; जबकि यह 12.5% से 14% तक था। यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है।

5.00 म०प०

1987-88 में कृषि उद्देश्यों के लिए बैंक ऋण दर 16% थी। 1988-89 में 17% थी और अब वित्त मन्त्री ने इसे 1989-90 में 18% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि कृषि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है फिर भी मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि अभी तक बैंकों की कुल पूंजी का 25% भी कृषि की ओर नहीं गया। यदि ऐसा होता तो हमारी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हो जाता। अत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पहलू की ओर भी ध्यान दें।

अब मैं बैंक कर्मचारियों द्वारा ऋण प्राप्त करने वालों को परेशान करने और विशेषकर जनता के गरीब वर्गों के उद्धार के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं जिसके प्रति हमारा दल वचनबद्ध है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है किन्तु इस संबंध में हम सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटी तथा उन्नत सिंचाई के संबंध में केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

मेरे राज्य के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार के पास वर्तमान लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए भी कोई राशि नहीं है। कृपया मंत्री महोदय राज्य सरकार की सहायता करें। बाढ़ नियन्त्रण तथा खारे पानी से होने वाले कटाव के कारण उड़ीसा की राज्य सरकार ने सुवर्णरेखा तथा अन्य परियोजनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, लगभग 640 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे और सातवीं योजना के अन्त तक लगभग 55 से 56% परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाएंगे। यदि हम इस दिशा में जाते हैं तो आठवीं योजना के अन्त तक हम 67% गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। अत: इस प्रकार आठवीं योजना के अन्त तक भी हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं।

हमारी योजना 90% परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना था किन्तु यह लक्ष्य 33% से आगे पूरा नहीं होगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस विषय की ओर भी ध्यान दें।

इन कुछ शब्दों के साथ ही मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1989-90 के बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट संतुलित मस्तिष्क की संतुलित उपज है। मैं इसे समाजवादी बजट कहता हूं। सन् 1956 में श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने जो बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया था वह सही अर्थों में समाजवादी बजट था। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है, वह भी समाजवादी बजट है और उन्होंने बहुत सोच-समझकर अमीरों पर कर लगाया है, और गरीबों के हित के लिए उस धन को व्यय करने का प्रावधान किया है और इस संबंध में मुझे एक शायर की ये पंक्तियां याद आती हैं—

"फूल इस तरह तोड़ ऐ बागवां शाख हिलने न पाए न आवाज हो
वरना गुलशन में रौनक फिर न आएगी, गर दिल हर कली का दहल जाएगा"

वित्त मंत्री जी ने भी किसी कली का दिल नहीं दहलने दिया। इसके साथ-साथ टैक्स भी इस ढंग से लगाया है जिसका प्रभाव गरीबों पर न पड़कर अमीरों पर ही पड़े।

इसके साथ-साथ मैं अवश्य कहूंगा और दोहराना चाहूंगा, कि जैसा अभी हमारी बहन ममता बनर्जी और हमारे माननीय सदस्य श्री राजहंस जी ने कहा है कि वित्त मन्त्री जी क्या करें, इस देश की जनसंख्या पर जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे, हम करोड़ों रुपए का बजट बनाएं और करोड़ों रुपए व्यय करने का प्रावधान करें लेकिन उससे कोई लाभ हमारे देश वासियों को नहीं मिल सकेगा। हम सभी तथा इस सदन के माननीय सदस्यों को मिलकर परिवार नियोजन योजना को बड़े प्रभावकारी ढंग से चलाना चाहिए जब हमारे परिवार सीमित होंगे, लोग सीमित होंगे तो वित्त मन्त्री को योजना बनाने में तथा धन को सुनियोजित ढंग से खर्च करने में आसानी होगी। यदि किसी परिवार में 30 आदमी खाने के लिए बुलाए जाएं और उसकी जगह 60 पहुंच जाते हैं तो वह गृहणी उन सब के खाने का इंतजाम नहीं कर सकती। इसी तरह वित्त मंत्री 30 का इंतजाम करते हैं और 60 वहां आ जाते हैं तो वह उसका इंतजाम ठीक से नहीं कर सकते हैं। परिवार नियोजन इस देश की विशेष आवश्यकता है जिस पर हमारे बुद्धिजीवियों, मनीषियों और चिन्तकों को ध्यान देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

विगत बजट में किसानों को विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की गई थीं और उनको देखते हुए इस बजट में वित्त मंत्री ने रोजगार योजना पर इस वर्ष अधिक ध्यान दिया है। सभी हमारे साथी रोजगार योजना के बारे में बोल चुके हैं लेकिन मैं डा० राजहंस की बात से सहमत हूं कि इसको केवल 120 जिलों में ही केन्द्रीभूत नहीं करना चाहिए बल्कि और इलाकों में भी इस योजना को फैलाना चाहिए ताकि बहुजन हित जो व्यक्ति हैं, उनको उससे लाभ मिल सके।

1711 करोड़ रुपये की परिव्यय का इन योजनाओं का आपका लक्ष्य है और हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने की आपने योजना बनाई है। आज रोजगार मुंह बाए खड़ा है इसलिए इस बजट में जो प्रयत्न किए गए हैं, वे सराहनीय हैं। मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। यह भी

[श्री गंगा राम]

हमारी पुरानी मांग थी, बजट में जो गलती चली आ रही थी जो रिपीटीशन हो रहा था, उसको हमारे वित्त मंत्री ने ठीक कर दिया। जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, एन० आर० ई० पी० आर० एस० ई० जी० पी० और रोजगार कार्यक्रम इनका उन्होंने एकीकरण कर दिया है यह बहुत अच्छा किया है। एक सूत्र में बंध जाने से इस कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

मेरा एक निवेदन है। मैं बार-बार इस सदन में भी कह चुका हूं कि अनुसूचित जाति तथा निर्बल वर्ग के लिए डी० आर० आई० (डिफेरैंशियल रेट आफ इंटेरेस्ट) का जो एक कार्यक्रम भारत सरकार ने चला रखा है उसमें लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है और उसमें 6 हजार रुपये की लिमिट अर्सा दराज हुए निर्धारित की गई थी। बढ़ते हुए भावों को देखते हुए इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए और 6 हजार रुपए कि इस लिमिट को बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे गरीब बेरोजगारों को वास्तविक लाभ हो सके। आप, पूरा सदन और देश इस बात को जानता है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम एक रुपया यहां दिल्ली से भेजते हैं तो वह गांव में जब गरीब के पास पहुंचता है तो 15 पैसे रह जाता है। बीच के बिचौलिए उसको ले लेते हैं और जिस तरह से मशीनरी आज उसका दोहन करती है, वह सबको विदित है। इस लिए इस 6 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपए, डी० आर० आई० के अन्तर्गत करना मैं आवश्यक समझता हूं।

पिछले बजट में एक प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक वित्तीय निगम का गठन किया जायेगा इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन आज सालभर हो गया, वह निगम अभी तक गठित ही नहीं हो सका है। यह बड़े अफसोस की बात है। बजट में तो हम प्रावधान करते हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं कर पाते हैं। इसका हमें बड़ा खेद है। मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री जी इस स्थिति को देखकर यह प्रयत्न करेंगे कि चालू वर्ष में जबकि अभी थोड़े दिन हो रह गए हैं जितना रुपया आप देंगे, वह खर्च नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर इस निगम का गठन हो जाता है, तो उससे लोगों को फायदा ही होगा। आपने गरीब औरतों को, डैस्टीट्यूट वीमेंस के लिए साड़ियां देने का प्रावधान किया है, बड़ी अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के इलाके में तथा पूर्वी इलाके देखें हैं, जहां कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां छह-छह साल तक एक ही धोती पहनती हैं, उनका नीला रंग होता है। हमने उनसे पूछा कि नीला रंग क्यों पसन्द करती हैं तो वह कहते हैं कि गंदी नहीं होती, बार-बार धोनी नहीं पड़तीं, बार-बार धोने से फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं यह स्थिति कितनी और भयावह है। आपने इस दिशा में सोचा, चिन्तन किया, आप प्रशंसा के पात्र हैं और आपका यह कदम सराहनीय है। मिर्जापुर के एक इलाके में मूसाहार लोग रहते हैं, जब मैं लेबिस में था तो हमने वहां के लिए एक स्कीम बनाई थी। इस जाति का नाम ही मूसाहार है, वे चूहे मारकर खाते हैं। मुझे याद है कि मेरे दो एक समाजवादी मित्र जब इलैक्शन में वहां गये थे तो वहां उनके लिए उन गरीब लोगों ने रात को पूरी और आलू बनाने की व्यवस्था की थी जबकि उनके पास आटा नहीं था। दाल नहीं थी। वे कहीं से कर्जा लाकर व्यवस्था कर पाए थे। रात को जब खाना बन रहा था, तो वहां एक बुढ़िया एक गली के किनारे खड़ी कर दी गई, जब वह लोग वहां से गुजरे तो खाना खाते वक्त उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया तब उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों तक बहुओं के

पास केवल एक धोती है, जो 6 साल से चल रही है, और इन्होंने सोचा कि आज मेहमान हमारे घर आये हुए हैं, हम तालाब में नहा धोकर खाना बनाएंगे उसमें उनकी धोतियां भीग गई तो उन्होंने नंगा होकर खाना बनाया और धोतियां सूखने के लिए टांग दीं। वह बुढ़िया इसलिए रखी गयी थी कि कोई मर्द उधर से होकर न गुजरे। यह भयंकर चित्रण है जिसको देखकर हृदय फटता है कि हमारे देश में गरीबी किस सीमा तक जा सकती है और अमीरी किस सीमा तक आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। आपने बड़ी कृपा की कि इन डैस्टीट्यूट वीमेंस को धोतियां देने का प्रावधान बजट में किया है।

मैं देखता हूं कि इन्कम टैक्स के मामले में मध्यम वर्ग और सरकारी कर्मचारियों को इस बजट में सुविधा नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारी बड़े-बड़े अफसर ही नहीं हैं, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी बहुत थोड़े से हैं। बाकी सब मध्यम वर्ग के हैं चाहे आप लोअर मिडिल क्लास कहिये या अपर मिडिल क्लास कहिये। हमारे माननीय सदस्यों ने भी यह सुझाव दिया है और मैं भी देना चाहता हूं कि इन्कम टैक्स की लिमिट 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम 20 हजार रुपये करने की कृपा कीजिए। दूसरे स्टैण्डर्ड डिडक्शन, जो इस समय 12 हजार रुपये है, को कम से कम बढ़ाकर 15 हजार कर दें तो थोड़ी सी राहत इन वर्गों को मिलेगी। मैंने पिछले साल भी कहा था कि 8900 रुपये पाने वाला भारत सरकार के सैक्रेटरी को सब काटकर 4000 रुपये मिलते हैं जो एक सैक्शन आफिसर के बराबर होता है इसलिए डिडक्शन और लिमिट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है।

मैं एक बात अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। इस बजट में पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की दिशा में अब नया दृष्टिकोण अपनाया गया है और 61 विकास केन्द्र आपने चुनने की बात कही है जिस पर 20 करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना का लाभ मेरे निर्वाचन के क्षेत्र खेरागढ़, बाह, फतेहाबाद, शिकोहाबाद और फिरोजाबाद ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलना चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। मेरी मांग है कि औद्योगिक दृष्टि से इन्हें पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर जीरो क्षेत्र की संज्ञा दी जाय।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ष 1989-90 के लिए एक उत्तम तथा गरीबों के हित का बजट प्रस्तुत किया है।

घाटा केवल 7337 करोड़ रुपये का है जो पिछले वर्ष से कम है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको नियंत्रण में रखें और इसको बढ़ने न दें।

उद्योग में 9% विकास हुआ है जो हमारे भावी औद्योगिक विकास का एक उज्ज्वल लक्षण है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि व्यापार के इस घाटे को नियंत्रण में रखें और इसे बढ़ने न दें। क्योंकि यह आयात को कम से कम करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं सरकार का ध्यान रुग्ण उद्योगों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन रुग्ण उद्योगों और लघु उद्योगों को केन्द्र से अधिकतम सहायता चाहिए।

* मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी० कृष्ण राव]

कृषि के संबंध में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। हमारी दिवंगत नेता इंदिरा जी ने हमें इस दिशा में रास्ता दिखाया। हमारे युवा नेता राजीव जी के कुशल प्रशासन में हम खाद्यान्नों के उत्पादन में 1700 लाख टन का लक्ष्य पार कर रहे हैं। वास्तव में यदि हमारे किसानों को उचित मार्ग-निर्देश तथा सहायता दी जाती है तो हम विश्व भर को खाद्यान्नों का निर्यात कर सकते हैं।

आयकर में छूट की सीमा 25 हजार रु० तक बढ़ा दी जानी चाहिए। इससे सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।

कुछ देशों में एक धारणा है कि भारत एक गरीब देश है। हमें कठिन परिश्रम करना है और देश को प्रगति तथा समृद्धि की ओर ले जाना है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य प्रगतिशील कार्यक्रमों को सख्ती से लागू करना है। जो धनराशि इन योजनाओं के लिए भेजी जाती है वह गरीब किसानों को नहीं मिल रही है। अतः यह देखना केन्द्र की जिम्मेदारी है कि यह आबंटन सीधे सम्बद्ध व्यक्तियों को मिल जाए। ग्रामों में जीवन इतना सरल नहीं है। इनकी अनेक समस्याएं हैं। खाना, पहनावा और आवास कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अब भी हमारे देश में सुदूर ग्रामों में विद्यमान हैं। यदि केन्द्र की राशि इन सुदूर भागों को मिलती है तब तो कोई समस्या नहीं होगी। अतः हमें तुरन्त मध्यस्थों को अलग करना चाहिए।

कर्नाटक में उपर्युक्त योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू नहीं किया जा रहा है। आबंटित राशि अन्य कार्यक्रमों में लगाई जाती है और गरीब किसानों को यह राशि नहीं मिलती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में गत वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ आ गई। मधुगिरि क्षेत्र में 1500 मकान ढह गये और गौरी बिदनूर क्षेत्र में भी बाढ़ का प्रभाव विध्वंसकारी था। कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ लोगों की मवेशी और सम्पत्ति नष्ट हो गई। केन्द्र के राहत कोष की सहायता पीड़ित लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें और मेरे चुनाव क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करें।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड आज संकट में है। केन्द्र और राज्य दोनों को विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को संकट से उबारने के लिए आगे आना चाहिए। विजय नगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के लोगों का एक सपना रहा है। इसे पहले आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के खनन श्रमिक भी संकट में हैं। केन्द्र को इन श्रमिकों को तत्काल सहायता देनी चाहिए। हम कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। परन्तु यह सब बेकार हो जायेगा यदि देश में कोई परिवार नियोजन नहीं हो। पूरे देश में परिवार नियोजन योजना को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यह देश के सभी लोगों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। परिवार नियोजन का कड़ाई से पालन करने से ही हमारा देश अच्छे भविष्य और समृद्ध 21वीं सदी में प्रवेश कर सकता है।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने प्रादेशिक असन्तुलन या शासन में विकेन्द्रीकरण लाने की कल्पना सामने रखी थी। उसी रास्ते पर इस साल का बजट भी पेश किया गया है। इसलिए शासन के वास्तववादी मंत्री, श्री शंकर राव जी चव्हाण ने, अभी कोई वक्ता कह रहे थे कि किसी को धक्का न पहुंचाते हुए, कर के माध्यम से समाज के कुछ क्षेत्र से पैसा पाने की कोशिश की है और समाज के दूसरे क्षेत्र की ओर, जो पिछड़ा हुआ है, उनको देने की कोशिश की है, जिसको परिणाम कारक और वस्तुनिष्ठ बजट कह सकेंगे। मुकाम तक पहुंचे नहीं, लेकिन पहुंचने की कोशिश जरूर इस बजट के माध्यम से की है। मैं मंत्री महोदय और शासन के सभी अन्य लोगों का हार्दिक अभिनन्दन करना चाहती हूं।

5.23 प्र० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे वित्त राज्य मंत्री जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी का उदाहरण दिया। उन्होंने किसी को बिना वस्त्र देखा या फटे हुए वस्त्रों में किसी एक नारी को देखा तो उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना छोड़ दिया। यही उदाहरण हम दोहराना चाहते हैं और मंत्री जी ने इस बजट के शुरू में पांच-छः बेसिक प्वाइंट्स यहां दिये हैं। जिन मूल्यों के आधार पर बजट का निर्धारण हुआ है, उसमें मेरी अर्ज यह है कि जब हम गांधी जी के रास्ते पर, चलना चाहते हैं और वैलेंस लाना चाहते हैं, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहते हैं, महिला विकास योजनाएं लाना चाहते हैं, ग्रामीण को रोजगार देना चाहते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके साथ-साथ बढ़ती हुई योजनाएं, बढ़ती हुई धनराशि, हम कहीं आसमान से लायेंगे। बजट के पहले ही पन्ने पर जो बेसिक मूल्य दिए हैं, उसमें क्यों न यह भी जोड़ा जाए···

जैसे गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों को आप ऊपर उठाना चाहते हैं, वैसे ही कुछ लोगों की बढ़ती हुई आमदनी को किस तरह से रोकें या शहरी सम्पत्ति को कुछ लोगों के पास बढ़ने से किस तरह से रोकें, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप अनएम्पलायड यूथ को रोजगार देना चाहते हैं, तो उसके लिए उपलब्धि कहां से करवाएंगे। कोई आसमान से तो पैसा नहीं आएगा और कोई आसमान से आप उनको सब्सिडेज नहीं देंगे। इसलिए लोगों को एम्पलायमेंट देने के लिए जो पैसा खर्च होगा, उसके लिए आपको दूसरे समृद्ध लोगों पर रेस्ट्रिक्शन्स लगानी जरूरी है। जिसके पास कुछ नहीं है, उसको अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो जिसके पास बहुत कुछ है और उसकी कोई सीमा नहीं है, एक-एक परिवार के दस, दस लोगों को नौकरी मिली हुई है और एक-एक बड़े घराने के लोगों को दस, दस इंडस्ट्रीज के लाइसेंस मिले हुए हैं, उनके लिए कुछ आपको करना होगा। गरीब लोगों को कुछ देने के लिए आपने ज्यादा राशि का प्रावधान किया है और उसके लिए खर्च में भी कुछ कमी की है, उसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि फालतू का जो भी खर्चा है चाहे वह राजनीतिक लोग करें और चाहे शासन के बड़े-बड़े अधिकारी करें, उसमें कटौती लानी चाहिए। उसमें कटौती करके आप गरीब लोगों को राहत दें।

दूसरी बात यह है कि ये उपलब्धियां आप कहां से करेंगे। जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं, उनमें आपने कई जगहों पर कर-मुक्ति की है और कई जगहों पर कर कम रखे हैं और जो लग्जरी की

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

चीजें हैं, जिनको अमीर लोग खरीदते हैं, उन पर आपने ज्यादा कर लगाए हैं। मैं इसका हृदय से स्वागत करती हूं।

बहुत से मुद्दे दूसरे लोगों ने उठाए हैं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मेरे लिए समय कम है। आपने नेहरू ग्रामीण रोजगार योजना का जिक्र किया है। मैं ग्रामों में गई हूं। उसका वहां पर बहुत स्वागत हुआ है। मैं देहाती कार्यकर्ता हूं और किसान परिवार से हूं। मैं यह बताना चाहती हूं कि देहातों को अगर किसी चीज ने ऊपर उठाया है, तो ये आपकी आई०आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० की योजनाएं स्व० इंदिरा जी ने गरीब और बेरोजगार युवकों को बैंकों से लोन देने की योजना बनाई थी और 25 हजार से 35 हजार रुपये का लोन जो उनको मिल सकता था, उससे उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है और इस तरह से रूरल एरियाज को उन्होंने ऊपर उठाया है। इन सब योजनाओं को इकट्ठा करके आपने जो एक योजना बनाई है और उसके लिए ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जो इसको लिया है, उसके लिए कुछ व्यक्ति यह बोल रहे हैं कि उनके जिले को भी इसमें शामिल किया जाए। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बड़े नेता का इलाका होता है, वहां पर विकास योजनाएं ज्यादा चलती हैं क्योंकि राजनीतिक दबाव होता है। मैं यह खुले तौर पर कहना चाहती हूं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं और जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर इसको करना चाहिए। मेरे अमरावती जिले में मेलघाट है जो आदिवासी इलाका है। अमरावती जिले में एक-तिहाई आदिवासी रहते हैं। ऐसे कई जिले हैं, जहां पर ब्लाक लेविल के एरिया को आप बैकवर्ड घोषित कर सकते हैं क्योंकि पूरा जिला बैकवर्ड घोषित नहीं हो सकता। आप हर जगह इन्डस्ट्री नहीं लगा सकते और जब तक शासन किसी जगह को बैकवर्ड घोषित नहीं करेगा, वहां पर इन्डस्ट्री नहीं लगेगी। इसलिए मंत्री महोदय और शासन से मेरी यह अर्ज है कि आप चाहे पूरे जिले को बैकवर्ड घोषित न करें, लेकिन जो तालुका है या जो आदिवासी क्षेत्र है, उसको बैकवर्ड घोषित करें और वहां पर इन्डस्ट्री लगाने की कोशिश करें।

मैं महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक की डाइरेक्टर हूं और यहां संसद सदस्य के रूप में आपके सामने खड़ी हुई हूं। आप हमारे माननीय अर्थ मंत्री हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और किसानों की हालत के बारे में आप जानते हैं। महाराष्ट्र में जिन हिस्सों को 6, 7 साल से सूखे का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे हिस्सों के लिए, जिलों के लिए आप कुछ कीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या पिछड़े इलाकों में इन्डस्ट्री खड़ी न हो सके, आपकी आई० आर० डी० की पालिसी ठीक नहीं रहे? आप इन्डस्ट्री में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। आप करोड़ों रुपये खर्च करके बच्चों को एजूकेशन दिलाना चाहते हैं, महिलाओं की योजनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, आदिवासियों और गरीबों को उठाना चाहते हैं। आप जब यह सब चाहते हैं तो क्या आप उन लोगों को सबको शहर में बसाना चाहते हैं? इसके लिए आपको रूरल एरियाज को उठाना बहुत आवश्यक है, ग्रामीण विकास करना बहुत जरूरी है।

महाराष्ट्र सरकार ने, स्टेट कोआपरेटिव बैंक और जिला बैंकों के जरिये बगैर सूद के आधार पर किसानों को कर्जा दिया है और सब्सीडी दी है। यह सब करने की महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की है। लेकिन मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि हालांकि रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के कान पकड़े हैं

और किसानों के लिए ज्यादा आवंटन किया है। लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। जब हम सबको उद्योग खिलाना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं तो हमको कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। बैंकों में जो उद्योग की सूची है उसमें कृषि सम्बन्धी उद्योगों को भी सम्मिलित करने के लिए निर्देश देने चाहिएं। कृषि बीमा योजना को लिया जाए।

आप रिजर्व बैंक को स्टेट कोआपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंकों या किसानों से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको ज्यादा फाइनेंस और ज्यादा सहुलियतें देने के लिए कहिये। इसलिए मैं आशा करती हूं कि आपने जो यह बजट रखा है इसमें आप इन बातों को साफ करने के लिए आदेश देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

श्री आई० रामा राय (कासरगोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस साहसी और संतुलित बजट का समर्थन करता हूं जिसमें निर्धनों, खेती क्षेत्र तथा शहरी मध्यम वर्ग को बड़ी धनराशि और रियायतें दी जा रही हैं। जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे वाले प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दिलाने की बात है और जिसके लिए प्रथम वर्ष में ही 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, सही दिशा में एक प्रमुख कदम है।

यह घाटे का बजट है, कुल घाटा 7307 करोड़ रुपये है। हमें अपने देश की स्थिति को समझना चाहिए विशेष रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या और प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में। हमारे देश में मुख्य समस्या ग्रामीण लोगों तथा युवाओं को रोजगार देने की है। चूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है अतः मैं कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में कुछ ही मुद्दों की बात करूंगा। मंत्री महोदय ने फार्म क्षेत्र के लिए प्रसंस्करित भोजन की किस्मों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण तन्त्र हेतु कर राहत की घोषणा की है। उर्वरकों पर सहायता भी दी जाती है। फसल ऋण पर ब्याज की दर को कम किया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात पर खिलाना चाहूंगा कि भारत के किसान हमेशा ही परेशानी में रहते हैं, प्रकृति की आपदायें जैसे सूखा और बाढ़ एक तरफ हैं तो दूसरी ओर कीमतों में उतार-चढ़ाव है। चाहे बहुत अधिक फसल ही क्यों नहीं हो जाये, कीमतें आशानुरूप नहीं रहती हैं। यह बहुत थोड़ी ही रहेंगी।

महोदय, मैं आपका ध्यान आपके अपने राज्य की ओर दिलाना चाहूंगा। हाल ही में मैं नीलगिरि गया था। ऊटी में, मैं कुछ किसानों से मिला। उन्होंने कहा कि वे काफी बंदगोभी उगाते हैं। जब वे बंदगोभी को गाड़ी द्वारा मेट्टूपालयम या कोयम्बटूर ले जाते हैं तो वे बंदगोभी की बिक्री से इन गाड़ियों का किराया भी नहीं चुका पाते हैं।

आप तो यह अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में गरीब किसानों की यह स्थिति है।

आज सुबह ही हम नारियल के बारे में चर्चा कर रहे थे। मंत्री महोदय नारियल की कीमत में इतनी अधिक गिरावट के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये हैं। यह सब इस वजह से है क्योंकि इस देश में कृषि उत्पाद की कीमत में उतार-चढ़ाव को दुरस्त करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान फसल बीमा योजना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कीमतों का यह उतार-चढ़ाव भी शामिल है। उस क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त आवंटन किया जाना

[श्री आई रामा राव]

चाहिए। यद्यपि हमने वित्तीय ऋणों आदि के लिए अधिक धन का प्रावधान किया है, लेकिन कृषि मंत्रालय के लिए इस वर्ष का ब्याज आबंटन काफी कम है।

मुझे सिसिरो के शब्द याद आ रहे हैं। मैं उद्धृत करता हूं :

"बजट संतुलित होना चाहिए, खजाना पुन: भरा जाना चाहिए, सरकारी ऋण कम किया जाना चाहिए, शासकीय अशिष्टता को कम तथा नियंत्रित करना चाहिए और लोगों को काम करने पर बाध्य किया जाना चाहिए और जीविका के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहने देना चाहिए।"

ये शब्द 2000 वर्ष पहले बोले गये थे। परन्तु वे अभी तक हमारे देश के लिए मान्य है क्योंकि हमारा देश गरीब है। जिसकी सरकार अमीर है, और यह ऐसे देश के लिए बहुत अमीर है जहां कि एक नागरिक की औसत आय लगभग 10 रुपये प्रतिदिन है। यही वे कहते हैं।

मुझे माननीय राज्य मंत्री के कुछ शब्द याद आते हैं जिन्होंने हस्तक्षेप किया था और गैर-योजना व्यय के बारे में बातें स्पष्ट की थीं। मैं उनके उत्तर से वाकई संतुष्ट था मैं चिन्तित था कि गैर-योजना व्यय कम क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्कूल भवनों, हस्पतालों और अन्य चीजों के बारे में बातें स्पष्ट की थीं। परन्तु जब हम सर्वोच्च पदों के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि कितने ही पुलिस महानिरीक्षक हैं, महाप्रबंधक हैं, अतिरिक्त महाप्रबंधक हैं आदि। हम जानते हैं कि हमारी राजनैतिक पार्टियों में कई नेता हैं और हम एक दूसरे से कैसे लड़ते ह तथा सब कुछ बरबाद कर देते हैं। यह हमारा अनुभव है कि अधिक रसोइये भोजन को बरबाद कर देते हैं। यही हो रहा है। बड़े पद अनावश्यक रूप से पैदा करके हम गैर-योजना व्यय बढ़ा देते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं। संभवत: वित्त मंत्री अपने उत्तर में इस मुद्दे को भी शामिल करेंगे।

इसी प्रकार जहां तक रुग्ण उद्योगों की बात है, बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। देश में लगभग 1,39346 गैर-लाभप्रद लघु उद्योग हैं। मैं भी एक पिछड़े जिले का रहने वाला हूं, जो जहां तक उद्योगों का संबंध है, पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग केवल राजसहायता और कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए इन जिलों में अधिक कीमतों में भूमि खरीद लेते हैं? और फिर वे इस धनराशि के साथ भाग जाते हैं और उस उद्योग को रुग्ण घोषित कर देते हैं। इन बातों का अध्ययन करने के लिए कुछ तरीके निकाले जाने चाहिएं। देश में इस प्रकार का रुग्ण उद्योग बाद में एक उद्योग के रूप में नहीं बना रहना चाहिए क्योंकि हमें इन सब चीजों के लिए काफी अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है।

जहां तक बजट में दिये गये अन्य लाभों की बात है मैं स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन में वृद्धि की प्रशंसा करता हूं जो अब 750 रुपये तक बढ़ा दी गई है। मुझे एक मुद्दा स्पष्ट नहीं है। वह स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के बारे में है। इसमें केवल शुद्ध स्वर्ण पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए संशोधन किया जाना है जिससे काफी संख्या में सुनारों तथा कारीगरों को फायदा हो सके। भारतीय गृहणियां और भारतीय परिवार अपनी बचत आभूषणों में लगाते हैं। हम यह जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी थोड़ी सी बचत को इसमें लगाता है क्योंकि कठिन समय में वह अपने आभूषण बैंक में बंधक रख सकता है और बगैर किसी व्यक्ति की प्रतिभूति आदि के पैसा प्राप्त कर सकता है।

हाल ही में जब मैं बम्बई गया था तो मैं एक कारखाने में गया जहां हीरे पर पालिश और

कांट-छांट होती है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस कारखाने में लगभग 60 गूंगे और बहरे व्यक्ति उचित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि अपने कुशल कारीगरों की बनाई चीजों को हम कहां निर्यात कर सकते हैं। हमारे आभूषणों की अन्य देशों में प्रशंसा की जाती है। हीरे अन्य देशों से लाये जाते हैं, और सूरत जैसे कई स्थानों में तथा राजस्थान में पालिश किये जाते हैं और उनकी कांट-छांट की जाती है। मुझे अन्य स्थानों के बारे में ठीक-ठीक पता नहीं है। मैंने केवल बम्बई में वह स्थान देखा है। हम इस क्षेत्र में काफी रोजगार पैदा कर सकते हैं, विशेषकर से विकलांग व्यक्तियों के लिए। इन क्षेत्रों का पता लगाकर इस दिशा में उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि देश में बहुत सी परियोजनाएं, जिनकी आयोजना की जाती है, निर्धारित समय में पूरा किये बगैर छोड़ दिया जाता है। इनकी लागत 200% से 300% तक बढ़ जाती है। जरा कल्पना कीजिए कि जब ऐसी बात हो तो हम अपने बजट को कैसे संतुलित रख सकेंगे? हम एक परियोजना का प्रावधान करते हैं और यदि लागत 200% या 300% बढ़ जाती है तो हमारा पूरा लेखा जोखा स्वाभाविक रूप से गलत हो जाता है।

इस देश में यही तो हो रहा है। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इन बातों से परेशान नहीं होंगे बल्कि उनमें इस बात के लिए उत्साह होगा कि गरीब लोगों के कष्ट दूर करने के उनके प्रयास को सफलता मिले।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ चौधरी (बलिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त ही आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विभाग पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए जिनकी संख्या 90 प्रतिशत है, बहुत ही संतुलित और कल्याणकारी बजट पेश किया है। प्रत्येक परिवार को नौकरी देने के लिए भी इस बजट में रखा गया है। कमजोर और हरिजन लोगों के लिए मकान बनाने की सुविधा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का जो कार्य आपने किया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन ढाई सौ रुपया बढ़ा दिया है। आप इन लोगों को रेलवे का पास देते हैं जो एक बरस के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद वह सोचने लगता है कि उसे सैकण्ड और थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा और दुबारा से लाईन में लगकर धक्के खाने पड़ेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब केवल मुट्ठी भर ही रह गए हैं। इसलिए आपने जिनको एक बार घोड़े पर चढ़ा दिया है अब फिर से गधे पर चढ़ाने की बात न सोचें। इनको जीवनभर के लिए पास दे दें। मैं समझता हूं आप गम्भीरता से इस पर विचार करेंगे। हमारा बलिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश की छोर पर पड़ता है। वहां सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं। आधे से अधिक जिले आज भी असिंचित हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश में सन् 75-76 में सिंचाई राज्य मंत्री था तो मैंने शारदा कैनाल से पानी लेने के लिए शिलान्यास किया था। वहां से हटने के बाद जो-जो मंत्रीगण वहां गए हैं, लगता है उनकी नजर उस ओर नहीं गई है और उन्होंने बलिया में सिंचाई के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाया। वहां जो शारदा कैनाल है उससे आधे से कम जिले की सिंचाई हो पाती है जबकि मैं बार-बार सिंचाई के लिए बुलाई गई मीटिंगों में इस बारे में अनुरोध कर चुका हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डालें कि शारदा कैनाल को पूरा

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

कर दें जिससे बलिया जिले की पूरी धरती की सिंचाई हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमती गांधी का आखिरी दौरा जब बलिया में था तो उस वक्त उन्होंने बलिया जिले के पड़वाल में शिक्षा संस्थान के नाम पर शिलान्यास किया जबकि वह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने गई थीं। वहां के लोगों ने जमीन भी दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह यूनिवर्सिटी जौनपुर चली गई। शिलान्यास ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जमीन आज भी मौजूद है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी तो वहां पर इंदिरा जी के नाम पर एक इंजीनियरिंग कालेज खुलवा दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे बलिया और पूर्वांचल के लड़के जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उनको महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्दिरा गांधी के नाम पर एक इंजीनियरिंग कालेज खुलवा दें ताकि वहां पर जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जहां इन्दिरा गांधी ने शिलान्यास किया था आज वह नहीं है और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। यह मेरे लिए और सरकार के लिए शर्म की बात है। उस जमीन पर आप इंजीनियरिंग कालेज खुलवा दें। वाराणसी और पटना के बीच में स्वास्थ्य के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। वाराणसी में एक मेडिकल कालेज यूनिवर्सिटी में है और फिर पटना तक बीच के इलाके में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा बलिया में जमीन पर्याप्त है अतः यदि वहां पर मेडिकल कालेज खुलवा दें तो आपकी असीम कृपा होगी। मुझे आशा है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। आपने जो बजट प्रस्तुत किया है अत्यन्त ही सन्तुलित है। मैंने बहुत से लोगों से इस बाबत चर्चा की तो हर तरफ से यही बात सामने आई कि यह बहुत अच्छा बजट है और वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच-समझकर इसे पेश किया है। मैं बहुत अधिक समय न लेकर आपके इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

प्री० एम० आर० हाल्दर (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सम्माननीय सदन में ऐसा बजट प्रस्तुत करने, जिसमें अधिकांशतः गरीबी हटाने के कार्यक्रम हैं, के लिए उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मैं वित्त मंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव देता हूं।

इस बजट के मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। आत्मनिर्भरता के संबंध में, मैं यह महसूस करता हूं, और जैसा कि इस वर्ष के लिए किए गए प्रावधानों से भी स्पष्ट है, कि रक्षा बजट में कमी की गई है। यह और कुछ नहीं बल्कि इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा की गई पहल के कारण हमारा देश आत्मनिर्भरता की दिशा में किस प्रकार बढ़ रहा है। अब हम पड़ौसी देशों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित करने की स्थिति में हैं। वस्तुतः इसी कारण से रक्षा बजट में कमी की गई है और गरीबी हटाने के कुछ कार्यक्रमों को लाकर ग्रामीण जनता पर विशेष बल दिया गया है।

जहां तक हमारे खाद्यान्न उत्पादन का संबंध है इसमें हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है क्योंकि यह सर्वमान्य सत्य है कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर अभूतपूर्व सूखे, बाढ़ और कुछ सीमा तक चक्रवातों के कारण, हमारा देश खाद्यान्नों के क्षेत्र में अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहा है तथापि सत्य यह है कि भारत सरकार के हस्तक्षेप और देश के भिन्न-भिन्न भागों से खाद्यान्न

उत्पादकों की उचित सहायता से हम खाद्यान्नों के 166 मिलीयन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचे हैं। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं किन्तु कृषि मंत्रालय की कुछ पुस्तिकाओं में दिए गए आंकड़ों की मुझे जानकारी है। यह सच है कि कृषि के लिए उपलब्ध कुल भूमि का अभी पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है मेरे विचार में किसानों द्वारा कुल उपलब्ध भूमि के साठ प्रतिशत भाग से अधिक भाग कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता और इस साठ प्रतिशत में से भी पचास प्रतिशत से अधिक भूमि को भी दो फसलों या तीन फसलों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। इस उपयोगिता से ही हम खाद्यान्नों का 166 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में हैं। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत करने की मांग करता हूं ताकि निकट भविष्य में, राज्य सरकारों के साथ सलाह करके, कृषि के लिए उपलब्ध कुल भूमि के उपयोग के लिए विशेष योजना बनाई जा सके और खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में हमारा देश अधिक आत्म-निर्भर बन सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर दिया गया था कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण है। इस संबंध में मैं देश के विभिन्न भागों, विशेषकर पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रकाश में लाऊंगा। मुझे बी० आई० एफ० आर० नाम की एक यूनिट के बारे में कहते हुए दुख हो रहा, जिसे उद्योगों की रुग्णता के कारणों का पता लगाने और यह देखने कि क्या उन्हें उचित वित्त प्रदान करके पुनःजीवित किया जा सकता है के लिए बनाया गया था। हमने बंगाल के सांसदों के साथ कई बार बी० आई० एफ० आर० के साथ मुलाकात की। हमने यह देखा कि बी० आई० एफ० आर० के क्रियाकलाप और उसकी भूमिका केवल यूनिटों को बंद करने के लिए है और मुझे नहीं पता कि बी० आई० एफ० आर० को प्रधानमंत्री के अनुदेश के अधीन किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है।

दूसरे, स्वतंत्रता सेनानियों को सामाजिक न्याय दिए जाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने पर मैं माननीय वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं।

आप जानते हैं कि आज निर्वाह व्यय बहुत अधिक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देना आरम्भ किया था। जब हम यहां वर्ष 1984-85 में सांसद के रूप में आए थे उस समय यह राशि 250/- रुपये थी। अब इस सरकार ने इसे बढ़ाकर 750/- रुपये कर दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह अच्छी उपलब्धि है। मृत पेंशन भोगी स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देने में क्या कठिनाइयां हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सरकार के पास सैकड़ों विधवाओं के पेंशन मामले लम्बित पड़े हैं। इस संबंध में हम गृह मंत्रालय को अनेक पत्र लिख चुके हैं। हम बार-बार लिखते रहे किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में हमें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से यह उत्तर प्राप्त हुआ कि मामला प्रक्रियाधीन है इसे कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है और परिणाम दो माह में आ जाएंगे। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले तीन वर्षों से भारत सरकार के विधान के अनुसार पात्र होने के बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं दी गई है। मुझे यह नहीं पता कि इस विधान को लागू करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह सरकार हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रही है और ए०आई०आर०डी० प्रादेशिक विकास कार्यक्रम, डी० आर० डी० ए० और आर० एम० ई० जी० पी० जैसे गरीबी विरोधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। अन्य राज्यों में किस

[प्रो० एम० आर० हाल्दर]

प्रकार कार्य चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे अपने राज्य पश्चिम बंगाल की चिन्ता है। वहां आई० आर० डी० पी० और डी० आर० डी० ए० के अंतर्गत गम्भीर प्रकृति का अन्याय और पक्षपात हो रहा है। भारत सरकार ने सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे। किन्तु मैं सदन के नोटिस में यह बात ला दूं कि जहां तक इन कार्यक्रमों का संबंध है पश्चिम बंगाल सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति को लागू नहीं कर रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि उस लाभभोगी को जिसकी आय गरीबी-रेखा से नीचे है अर्थात् 4800 रुपये प्रतिवर्ष है उसे ग्राम पंचायत प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समिति या विधान सभा सदस्य या सांसद द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है और इस आधार पर बैंक के पास लाभ-भोगियों के मामले भेजे जाते है। आप जानते हैं वहां क्या हो रहा है? मान लीजिए, उस कार्यक्रम के अन्तर्गत 9,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। उस राशि में से बैंक का हिस्सा 6000 रुपये है और 3000 रुपये आर्थिक सहायता है। यह सहायता राशि लाभ-भोगी को दी जाती है किन्तु बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि वितरण तारीख के बाद तत्काल बैंक में जमा कर दी जाती है। परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम मात्र कागजों पर ही रह जाता है और वहां इसका वास्तविक क्रियान्वयन कार्य भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इस आधार पर कुछ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाती है और उस धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसकी जांच कराने और इसके लिए कुछ कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू किया जा सके।

दिनांक 29-11-88 को पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में भयंकर चक्रवात आया था। वहां कुछ आई० आर० डी० पी०, डी० आर० डी० ए० और प्रत्यक्ष ऋण के मामले है। वस्तुतः उनके कृषि उत्पाद पूरी तरह नष्ट हो गये हैं और उनमें ऋण का भुगतान करने की क्षमता नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्री का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने अपने राज्य मंत्री श्री श्याम लाल यादव को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि प्रभावित कर्जदारों को छूट दी जाएगी। मैं सरकार से चक्रवात से प्रभावित लोगों को उनके द्वारा सीधे और आई० आर० डी० पी० तथा डी० आर० डी० ए० कार्यक्रमों के अंतर्गत बैंक से लिए गए ऋण में छूट देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हू कि उन्होंने जिस समझबूझ के साथ और समय की जरूरत को देखते हुए, इस किस्म का संतुलित और मजबूत बजट प्रस्तुत किया है। यह आज इस समय की मांग थी।

जब पिछले साल भयंकर सूखे की चपेट में देश आया और उसके बाद जैसा कि हमेशा देखा गया है कि जिस साल सूखा पड़ता है, उसका असर दूसरे साल तक जाता है और देश के बहुत से हिस्सों में अब भी बारिश नहीं हुई है। सूखा पड़ा हुआ है। इन सब हालात को देखते हुए, गरीबों की स्थिति को देखते हुए, किसानों की हालत को देखते हुए, जो बजट आया है, वह सचमुच में जनहित का

है। गरीबों के कल्याण का है। किसानों के लिए एक सम्बल है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी प्रशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं, हमने सुना है कि लोगों को सन्तोष है। मुझे याद आ रहा है हमारे जनपद में एक बहुत बड़े वैद्य थे, वे कहा करते थे—अगर आपको एक किलो गोश्त की जरूरत है, तो बगल में जो हाथी चर रहा है, उसके शरीर से ले लेंगे, तो उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उतना ही गोश्त चीटियों से लेंगे तो न मालूम आपको कितनी चीटियां मारनी पड़ेंगी।

6.00 म०प०

इस तरीके से बजट के घाटे को मजबूत लोगों से राशि लेकर पूरा किया गया है मांगें पूरी की गई हैं, और गरीबों को उससे राहत दी गई है। समाजवादी और प्रजातांत्रिक पद्धति पर चल रही सरकार की नीयत होती है कि जो देने की क्षमता रखता है, उससे लेकर जिनको मदद चाहिए, उनको दी जाए। यही सोशलिस्टिक पालिसी है, समाजवादी पद्धति है। हमारा बजट इन पद्धतियों का पोषक है और पूरक है। मैं इस सब के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।

चूंकि समय कम है, मैं इसकी और विवेचना न करके यह कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष 80 फीसदी गांव में रहता है और गांवों को जो राहत इस बजट से मिली है, वह प्रशंसा की बात है सन्तोष की बात है। यदि 80 प्रतिशत जनता को राहत मिलती है तो वह देश को ही राहत कहलाएगी, 20 प्रतिशत को राहत मिले तो वह राहत नहीं कहलाएगी।

हमारे देश के सामने कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसमें बढ़ती हुई आबादी एक समस्या है। अगर हमारी आबादी इस रफ्तार से नहीं बढ़ी होती तो जो हमारी सरकार ने पिछले 40 वर्षों में कार्य किया है उससे देश का नक्शा बदला हुआ होता लेकिन यह आबादी, जो कुछ किया है, उसको अपने आप में समेटे रहती है, जो प्रगति के लिए प्रयास किया जा रहा है उसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाएं और उसके लिए अगर कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ें तो उठाए जाने चाहिएं, यह जनहित में होगा। यह बात जरूर है कि 1977 के अनुभव ने डरा दिया है लेकिन मैं देख रहा हूं कि 1977 के बाद आज आबादी के बारे में लोगों के विचार बदल चुके हैं। अब लोग अपने आप नसबंदी के लिए अपने को औफर करते हैं। अब उनको इन्सैंटिव बहुत आकर्षित नहीं करता। अब लोगों में सामाजिक चेतना आई है। जब तक सामाजिक चेतना पैदा नहीं होगी तब तक लालच में आदमी इन चीजों को न अपनाएगा और इससे देश का हित नहीं होगा। यह आवश्यक है कि हम आबादी पर अंकुश लगाएं और लोगों में चेतना पैदा की जाए ताकि देश की इस जरूरत को लोग समझें।

दूसरी बात गांव से शहरों की तरफ पलायन की है। इसका सिर्फ एक कारण यह है कि लोग शहरों में इसलिए आते हैं कि जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं, वह उनको गांव में नहीं मिलती हैं। अगर गांव में हम उन सुविधाओं को उपलब्ध करा दें तो कोई कारण नहीं है कि गांव का आदमी शहर में आवे और शहर के पौल्यूटेड एटमास्फियर में अपने आपको रखे। रोजी-रोटी कमाने के लिए उसको शहर में आना पड़ता है। वहां बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है। इन सुविधाओं को अगर

[श्री भीष्म देव दुबे]

हम गांव तक पहुंचा दें तो शहर की तरफ उनका पलायन रोका जा सकता है और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हर शहर में जिन्दगी बद से बदतर होती चली जाएगी।

मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहे देना चाहता हूं और जब से मैं इस हाउस में आया हूं तब से इस बात को उठा रहा हूं और वह है सिंचाई की समस्या।

मैं उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के बांदा जनपद से चुनकर आया हूं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से बांदा जनपद की सिंचाई का परसेंटेज 17 प्रतिशत है लेकिन मेरे जो अपने आंकड़े हैं वह 13 परसेंट हैं। जिस जिले में 13 परसेंट सिंचाई के साधन हों, वह कहां तरक्की करेगा। इसके लिए एक योजना बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत और यू० एन० डी० पी० की गवर्निंग बॉडी ने उसको स्वीकृत कर दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकृति दी थी लेकिन वह यहां सिंचाई मंत्रालय में पड़ी हुई है। इसमें बुन्देलखण्ड के पांच जिले आ जाते हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर और इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर के पठारी इलाके। यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस योजना को अपना कर वहां पर गहरे बोरिंग करके अच्छी मशीनों द्वारा सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराने थे और रिमोट सेंसिंग से जो सर्वे हुआ है उसमें इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बुन्देलखण्ड के पूरे संभाग के नीचे अटूट पानी का भण्डार है, ओक्सबैस्स के रूप में आर्टीजन बैस्स के रूप में, अंडर ग्राउण्ड करेण्ट्स के रूप में लेकिन इसका दोहन करना जरूरी है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और यह योजना पड़ी की पड़ी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस योजना को ऊपर ले आएं तो म इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि बुन्देलखण्ड की जमीन इतनी अच्छी है कि पानी मिल जाए तो उत्तर प्रदेश भर को अनाज दे सकती है वरना आज की स्थिति को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस जनपद से मैं आता हूं वहां एक एकड़ में औसत उपज बस एक क्विंटल होती है, अब आप अन्दाज लगाइये, जिस क्षेत्र में एक एकड़ में सिर्फ एक क्विंटल पैदा हो वहां का आदमी क्या खाये, क्या पिये, क्या पहने, क्या पढ़ें, कैसे करें। अगर सिंचाई का साधन मिल जाता है तो उत्तर प्रदेश के खाने के लिए अकेला बुन्देलखण्ड अन्न उपजा सकता है, वहां की ऐसी भूमि है। मेरा अनुरोध है कि आप अपना प्रभाव डालकर इसको करावें। वहां पर क्षेत्रीय असमानता पैदा हो चुकी है, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हुए भी इस बात का जिक्र किया था कि मेरे क्षेत्र में असमानता पैदा होने के कारण, असन्तुलन पैदा होने के कारण लोगों के अन्दर असंतोष पैदा हुआ है और जब असंतोष पैदा होता है तो उसके अन्दर विघटनकारी प्रवृत्तियां प्रखर रूप ले लेती हैं। वहां एक अलग बुन्देलखण्ड प्रान्त की मांग की जा रही है, इस तरह से प्रदेश के एक और छोटे बंटवारे के लिए एक आन्दोलन शुरू हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस असंतुलन को, जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर की जाये, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस असंतुलन के लिए कुछ करें। मैंने बजट देखा है, मैंने एनुअल प्लान देखा है, उसमें बुन्देलखण्ड के विकास के लिए ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं एक शब्द विद्युतीकरण के संबंध में भी कहूंगा। हमारे यहां विद्युतीकरण का मतलब यह होता है कि गांव के बगल से अगर बिजली निकल जाए तो हम लोग उसको इलैक्ट्रीफाई कहते हैं, हमारे अधिकारी। पता नहीं किस तरह की परिभाषा विद्युतिकरण की है। जब तक गांव में बिजली न जले

तब तक उसको हम इलैक्ट्रीफाइड कैसे कह रहे हैं, विद्युतिकरण कैसे कह रहे हैं। खास तौर से हमारे जनपद में पिछले साल एक भी गांव विद्युतिकृत नहीं हुआ है और अगले साल भी नहीं होने जा रहा है, यह स्थिति है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इसको विशेष रूप से नोट कर लें और विद्युत मन्त्री जी से कहें कि वह स्वयं अपना प्रभाव डालकर देखें कि वहां क्या व्यवस्था है और वहां का विद्युतिकरण ठीक से चले।

समस्याएं तो बहुत हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मन्त्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वे क्षेत्रीय असंतुलन की ओर विशेष ध्यान दें और मैं उनके बजट रिप्लाई को सुनूंगा और देखना चाहूंगा कि आखिर मेरे क्षेत्र के बारे में, इस असंतुलन के बारे में वह क्या आश्वासन दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नान्देड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। महोदय, जैसाकि प्रधानमन्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह एक अच्छा बजट है जिससे देश में गरीब लोगों को सहायता मिलेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा और घाटे की समस्या का समाधान होगा। यह भी बता देना चाहिए कि घाटे को कम करने के लिए गहन प्रयास किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि घाटे के प्रवाह को बदलने के लिए प्रयास किया गया है। बजट में देश के गरीब लोगों, जनता, बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति प्रधानमन्त्री की गम्भीर चिन्ता को दर्शाया गया है और यही कारण है कि अधिक रोजगार पैदा करने के लिए प्रयास किया गया है, विशेष-तौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना शुरू करके यह प्रयास किया गया है। आवास क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। आज देश भर में आवास की विकट समस्या होने से एक आम आदमी के लिए अपना मकान बनाना बड़ा कठिन है। अतः, आम व्यक्ति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक साफ सुथरी वित्त व्यवस्था को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह देखने के प्रयास किये जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आवास बैंक गरीबों तथा दलितों के लिए कार्य करे। बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करके कृषकों का भी ध्यान रखा गया है। वर्ष 1989-90 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा फसल ऋण पर ब्याज की दर को 14% से कम करके 12% कर दिया गया है। मेरे विचार में ये सभी बजट की मुख्य-मुख्य बातें हैं जो निश्चित रूप से प्रधानमन्त्री की देश के गरीबों तथा दलितों की सहायता करने और उन्हें हर सम्भव सहायता देने के संकल्प की परिचायक है।

जहां तक रोजगार पैदा करने का सम्बन्ध है, देश में 120 पिछड़े जिलों का चुनाव किया जायेगा जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में प्रत्येक परिवार में हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा करते समय महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र का एक पिछड़ा क्षेत्र रहा है जहां कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, एक मीटर गेज रेल लाइन है जो निजाम के समय में बिछाई गई थी। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग के न होने से और उचित रेल व्यवस्था न होने से समस्त क्षेत्र का औद्योगिक विकास बहुत धीमा रहा है और इस कारण हम यह समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी क्यों है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि रोजगार पैदा करने के लिए जिलों का चयन करते समय मराठवाड़ा क्षेत्र पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। साथ ही मैं वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देना हूं क्योंकि मुझे रेल

[श्री अशोक शंकरराव चव्हाण]

मन्त्री, माधवराव सिंधिया जी से अभी एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए ऋण पत्र जारी करने के प्रस्ताव को वित्त मन्त्रालय ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे विश्वास है कि इस प्रमुख निर्णय लिये जाने से वहां रेल कार्य को तेज कर दिया जायेगा, जिसकी अन्ततः परिणति औद्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने में होगी। मैं वित्त मन्त्री जी का भी आभारी हूं जो सिद्धांत रूप में सहमत हो गये हैं और रेल मन्त्री जी का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्ताव को शीघ्र निपटा दिया है, साथ ही अब मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह वित्त मन्त्रालय तथा रेल मन्त्रालय को यह देखने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भेजें कि गेज परिवर्तन जो इस क्षेत्र के विकास में बहुत सहायक होगा, यथाशीघ्र किया जाये। साथ ही यहां मैं वित्त मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जहां तक इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का संबंध है, विशेष तौर पर मराठवाड़ा-विदर्भ-कोंकण क्षेत्र में, धनराशि के अभाव में वहां हमेशा समस्या बनी रहती है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा यह देखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है कि इस क्षेत्र का विकास राज्य के अन्य भागों के समान हो। मैं यह निवेदन करता हूं कि ऋण पत्र जारी करने अथवा बांड जारी करने के सिद्धान्त पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि क्षेत्रों के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया जाता है, सभी कार्यों की लागत में और अधिक वृद्धि होगी। यदि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यथा समय लोग बेचैन हो जायेंगे क्योंकि वे यह महसूस करेंगे कि उनके क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि जहां कहीं एक क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारें निवेदन कर रही हैं और जहां धनराशि मुख्य रुकावट है, वहां बांडों अथवा ऋण पत्र जारी करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि उन क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों के समान विकास हो।

जहां तक आवास ऋणों का सम्बन्ध है, आपने बैंकों को उचित निर्देश दिये हैं कि वे यह देखें कि आवास को, विशेष तौर पर कम लागत वाले आवास को प्राथमिकता दी जाये। परन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि जमीन खरीदना आसान नहीं है। भूमि की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि हम गरीबों को ऋण देकर घर बनाने में सहायता भी करते हैं, यह देखने के लिए कुछ किया जाना चाहिए कि भूमि की कीमत कम हो या कम से कम उचित कीमत कायम रखी जाये। भूमि के सौदों में काले धन में बहुत वृद्धि होती है और इससे गरीब लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं और उनके लिए अपना भूखण्ड खरीदना सम्भव नहीं है। वित्त मंत्रालय को यह देखने के लिए कुछ उपाय करने होंगे कि भूमि के अबैध लेन-देन पर रोक लगाई जाये और भूमि की कीमत, जिसमें आजकल भारी वृद्धि हो रही है, को यथा सम्भव कम रखा जाये, ताकि गरीब लोगों को उचित मूल्य पर उचित भूमि मिल सके। यह एक अतिरिक्त कदम होगा जिससे गरीब लोगों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी, उस सहायता के अतिरिक्त जो आप बैंकों के जरिये से प्रदान करने जा रहे हैं।

मैं 18,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच प्रारम्भिक स्लैब में आयकर दर के बारे में एक अन्य बात कहना चाहता हूं। इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए यह दर 25% से कम करके 20% कर दी गई है। परन्तु आज भी एक उच्च श्रेणी के लिपिक को आयकर देना पड़ता है और इस प्रकार वेतनभोगी वर्ग को इस प्रावधान से पूरा लाभ नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि आयकर छूट सीमा को 18,00 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाना चाहिए।

कई वर्षों से फिल्म उद्योग को कोई लाभ नहीं दिया गया है। परन्तु पहली बार इस बजट में प्रयास किया गया है और इस प्रकार पहले 30 प्रिन्टों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। साथ ही मैं मराठी फिल्म उद्योग की समस्या की ओर इंगित करना चाहता हूं जिस पर आपके द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। आप जानते हैं कि मराठी फिल्म उद्योग को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर आयकर लगाया जा रहा है। आपको याद होगा कि 1975 में जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री थे तो आपने मराठी फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना तैयार की थी जिसे भविष्य में फिल्म बनाने के लिए विनियोजित करना उनके लिए अनिवार्य था। इस प्रकार की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार ने मराठी फिल्म उद्योग को दी थी क्योंकि उसे हिन्दी, गुजराती तथा अन्य क्षेत्रीय फिल्मों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सहायता पर अब आयकर विभाग कर लगा रहा है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक अन्याय है जो मराठी फिल्म उद्योग के साथ किया जा रहा है जो अब पुनर्जीवित हो रहा है और कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद बहुत सी बेहतर फिल्में बना रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सहायता पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि सच्चे अर्थों में हमें यह संतुष्टि मिले कि हम उन्हें वास्तव में उचित सहायता देते हैं।

मैं एक अन्य बात पर बल देना चाहता हूं। वेतनभोगी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग को सीमेंट और एल्यूमीनियम पर नियन्त्रण हटाने और आपके द्वारा लागू की गई आवास ऋण योजनाओं से निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही, मैं यह महसूस करता हूं कि देश में लघु सीमेंट संयंत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें कुछ बजट प्रावधानों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

आपको याद होगा कि सम्पूर्ण देश में और विशेष रूप से उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां सुदूरता के कारण मूलभूत ढांचे का नितान्त अभाव है, छोटे और सीमान्त चूना पत्थर भण्डारों का उपयोग करने हेतु सीमेंट उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने लघु सीमेंट संयंत्रों को कुछ प्रोत्साहन दिया था यह बात उन संयंत्रों पर ही छोड़ दी गई थी कि वे सीमेंट उत्पादन के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। आजकल सीमेंट का निर्माण मुख्यत: दो तरीकों से किया जाता है। एक तरीका घूर्णनीय है और दूसरा तरीका ऊर्ध्वाधर है और किसी भी तरीके का चयन करने की बात उन पर छोड़ दी गई थी। हमें यह पता है कि ऊर्ध्वाधर किस्म की प्रौद्योगिकी के मध्यम और बड़े संयंत्रों को उत्पाद शुल्क से राहत दी गई है, परन्तु घूर्णनीय तरीके से सीमेंट का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को कोई राहत नहीं दी गई है और उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऊर्ध्वाधर तरीके का उपयोग करने वाले मध्यम श्रेणी के संयंत्रों को लाभ पहुंचा है जबकि घूर्णनीय तरीके का उपयोग करने वाले संयंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिससे उन्हें बहुत अधिक हानि होगी। 15 करोड़ रुपये से 16 करोड़ रुपये तक की लागत वाले प्रत्येक संयंत्र को इससे हानि होगी। यदि इस प्रावधान को ध्यान में न रखा गया तो अन्तत: 30 लघु सीमेंट संयंत्र बन्द हो जायेंगे। उन संयंत्रों को भी अन्य संयंत्रों की भांति लाभ दिया जाना चाहिए।

10 प्रतिशत अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर, जिसे आपने आरम्भ किया है, के बारे में नागरिक उड्डयन विभाग के लिए आंशिक आवंटन किया जाना चाहिए। हमें पता लगा है कि बहुत से नये हवाई अड्डे स्थापित किए जा रहे हैं और नये हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। देश के अधिक

[श्री अशोक शंकरराव चव्हाण]

जिलों को मुख्यधारा में लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को अधिक समर्थन दिया जाना चाहिए। इससे इन सभी हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का अधिक लाभ मिल सकेगा।

मेरी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में एक मुद्दे को उठाया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से डी० आई० सी० द्वारा बहुत सी योजनाओं को प्रायोजित किया जा रहा है। हम यह देखते हैं कि यद्यपि डी० आई० सी० द्वारा यह सिफारिश किये जाने पर भी कि योजना व्यवहार्य है उसे बहुत सी वित्तीय संस्थाओं द्वारा यह कहकर रद्द कर दिया जाता है कि योजना व्यवहार्य नहीं है। हम अपने उद्यमियों को अनुमति देने के लिए एक ही खिड़की से सम्पूर्ण कार्य को निपटाने की बात कर रहे हैं, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें अनुमति प्राप्त करने के लिए 10-15 बार न जाना पड़े। मैं यह आग्रह करूंगा कि योजना की व्यवहार्यता की सिफारिश करने के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए और उसके द्वारा एक बार यह सुझाव दिये जाने पर कि यह योजना व्यवहार्य है उसे आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० तथा अन्य संस्थाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि व्यवहार्यता के बारे में निर्णय करने में अनावश्यक रूप से विभिन्न एजेंसियां सम्मिलित होती हैं तो इससे परेशानी बढ़ती है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस बारे में एक संशोधन किया जाना चाहिए कि व्यवहार्यता का निर्णय कहां होगा।

हमने देखा है कि बहुत से बैंकों में सरकारी धनराशि जमा है। वे बैंक उस वर्ग को भुगतान नहीं कर रहे हैं जिन्हें धनराशि की आवश्यकता है। इस प्रकार का कोई नियम बना दिया जाना चाहिए जिससे सरकारी विभागों की जमाराशि केवल उन बैंकों में जमा की जाये जिनका कार्य-निष्पादन उन्हें दिये गये लक्ष्यों के अनुसार हो। उनमें सरकारी जमाराशि केवल इसलिए जमा नहीं की जानी चाहिए कि यह पूर्वोदाहरण रहा है कि किसी विभाग को केवल एक निश्चित बैंक में ही अपनी धनराशि जमा करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक बैंकों में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक समानता नहीं होगी।

मैं यह अनुरोध करूंगा कि इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री० के० जे० अल्वासी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत सी बातें यहां पर कही गयी हैं जिनके ब्यौरे में मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि फ्रीडम फाइटर की पेंशन को बढ़ाकर आपने 750 रुपये कर दिया है। बिचारे थोड़े से रह गये हैं, उनको आपने यह सहूलियत दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

साथ ही साथ किसानों को आपने जो राहत पहुंचायी है उससे भी जनता में बड़ा संतोष है। आपने इस बजट में डिफेंस पर पैसा घटाया है जिसके बारे में बहुत से मुल्कों ने स्वागत किया है। हमने डिफेंस पर पैसा घटाने की शुरुआत की है यह अच्छा है। लेकिन इसी तरह से हमारे इर्द-गिर्द बगल के मुल्क भी जिनसे हमें खतरा है वे भी घटाएं तब तो हमारा घटाना ठीक होगा नहीं तो हमें इस मामले

में सावधान रहना होगा। हम और किसी भी मद में पैसा घटा दें लेकिन डिफेंस के मामले में ऐसा न करें।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि नेहरू रोजगार योजना बनायी गयी है। जिसके लिए इस बजट में पांच सौ करोड़ रुपया रखा गया है। इसके द्वारा आप शुरू-शुरू में हरेक फैमिली के एक-एक सदस्य को रोजगार देंगे। इसका आमतौर पर स्वागत हुआ है। इस बजट में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमारे विरोधियों के अलावा सबने स्वागत किया है।

आमतौर पर इस बात का मतालबा किया गया है कि हर गांव बिजली, पानी और सड़क मांग रहा है। हर गांव यह चाहता है कि वह सड़क से जुड़ जाए, उसके गांव में बिजली पहुंच जाए जिससे कि वहां ट्यूबवेल चल जाए। इसके लिए हमारी सरकार काफी कोशिश कर रही है। लेकिन गांवों तक ये सहूलियतें पहुंचाने में हमारे अधिकारियों की भी गलती रहती है और पैसे की भी कमी पड़ती है जिसके कारण हम वहां पूरी मदद नहीं पहुंचा पाते।

श्रीमन् मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे यहां 62 बैड का एक अस्पताल '84 में बनना शुरू हुआ था। जिसकी बिल्डिंग बन कर खड़ी हो गयी है लेकिन अभी तक वह चालू नहीं हो सका है। इस साल इलैक्शन होने जा रहा है लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा है। उसके बारे में कहा जाता है कि पैसे की कमी पड़ गयी है क्योंकि चीजों के दाम बढ़ गये हैं। मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि जितनी भी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं उन योजनाओं के इलैक्शन होने से पहले खत्म करा दें। नहीं तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जायेगा।

यह बात बार-बार कही जा चुकी है कि बैंकों से जो पैसा लोगों को दिया जाए वह उनको बिना किसी जहमत के या परेशानी के मिल जाए। मंत्री जी इस बात को देखें।

यह बात भी बार-बार कही गयी है कि इनकम टैक्स से छूट की जो लिमिट 18 हजार रुपये है उसको 25 हजार रुपये किया जाए। क्योंकि आजकल एक चपरासी को भी एक हजार रुपया मिलता है। लोग कहते हैं कि इधर हमारी तंख्वाह बढ़ा दी गयी है लेकिन उधर टैक्स हम से ले लिया जाता है, मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसको 25 हजार रुपये करेंगे।

मेरे अपने क्षेत्र में एक नया जिला सिद्धार्थनगर बना है जिसमें 12-13 ब्लाक हैं। यह बस्ती जिले से काटककर बनाया गया है। वैसे तो बस्ती जिला ही बहुत बैकवर्ड माना जाता था लेकिन यह जिला उससे भी बैकवर्ड है। वहां सूखा और बाढ़ का हर साल का प्रोग्राम रहता है। कभी वहां बाढ़ आती है और कभी वहां सूखा रहता है।

इस सिद्धार्थ नगर जिले में कोई इंडस्ट्री नहीं है। 29 दिसम्बर को इस जिले का उदय हुआ है और पूरे जिले में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सुगर मिल नहीं है, गन्ना काफी पैदा होता है। हमारे यहां यहां से गन्ना गोरखपुर के पास एक मिल में ले जाना पड़ता है, किसानों को काफी कठिनाई होती है। इस जिले में एक छोटी लाइन है, बाकी हिस्से में रेल यातायात का कोई साधन नहीं है। रेल बजट के समय मैंने इन बातों को विस्तार से बताया था।

हमारे पास रा-मेटीरियल है, धान बहुत पैदा होता है, जिससे एक कागज मिल वहां पर लगाई जा सकती है। गन्ना बहुत होता है, एक सुगर मिल वहां पर लगाई जा सकती है। बहुत पहले वहां पर एक सुगर मिल थी, लेकिन 15 साल पहले उसको वहां से हटा लिया गया, तब से आज तक लोग आस

[श्री के० जे० अब्बासी]

लगाए बैठे हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। इस जिले के नौगढ़ इलाके में पहले बताया गया था कि यहां पर ट्यूबवैल नहीं लगाए जा सकते। इसके बाद बड़ी मशीनें मंगवाकर ट्यूबवैल लगाने का काम शुरू किया गया और कुछ लगाए भी गए, लेकिन अभी भी इनकी काफी कमी है, इनकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। काला नमक यहां पर बहुत होता है, वह क्षेत्र धनवान हो सकता है अगर पानी की समुचित व्यवस्था कर दी जाए। अच्छे किस्म का चावल यहां पर पैदा होता है अगर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी पैदावार बहुत बढ़ाई जा सकती है। यह वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उन्हीं के नाम पर सिद्धार्थ नगर इसका नाम रखा गया है। कपिल वस्तु की तहकीकात हुई, 8-10 साल पहले यह पता लगा कि गौतम बुद्ध हमारे यहां बस्ती जिले में पैदा हुए थे, वह जिला सिद्धार्थ नगर बना। इस तरह से अगर आप यहां पर पर्यटन में पैसा लगाएंगे तो जो लोग दूर-दूर से यहां पर आएंगे, उससे आपको काफी पैसा मिलेगा। इस तरह से जो धन आप लगाएंगे, सारा यहां वसूल हो जाएगा। इसलिए इस तरफ खास तवज्जह देने की जरूरत है।

मैं अन्त में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मुसलमान आज बेचैन है, उसकी बेचैनी का अहसास सरकार को है, नई सरकार से है, लेकिन हल नहीं निकाला जाता है। हल कौन निकालेगा, हल आपको निकालना है, सरकार को निकालना है। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुसलमान की जान-माल की हिफाजत सरकार करे, यह सरकार का फर्ज है। रोटी चाहे न दे, रोटी खुदा उसे खिला देगा, लेकिन जान-माल की हिफाजत अगर उसकी नहीं हो पाएगी तो हमारे पास कोई हक नहीं बनता, कांग्रेस मैन की हैसियत से, पार्टी मैन की हैसियत से, मैं मुसलमान की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, उसे नहीं समझा सकते कि नहीं हम मौजूद हैं। बम्बई में जो हुआ, बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन साथ-साथ मुसलमानों से भी कहूंगा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें तो मुबारकबाद का तार भेजना चाहिए था, हर जगह जलसे करने चाहिए थे, राजीव गांधी को मुबारकबाद देनी चाहिए थी जिन्होंने इस किताब पर बैन लगा दिया। उस वक्त जब दुनिया सो रही थी, हमारे यहां वह किताब छप नहीं पाई, पब्लिशर्स ने इन्कार कर दिया कि हम किताब नहीं छापेंगे और इस किताब को बैन कर दिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं।

अगर ईरान के शोरगुल के बाद तुम जानते हो तो करने के लिए बहुत से काम हैं। यह काम करने का नहीं है कि जुलूस निकालकर हंगामा मचाकर हुकूमत को बदनाम कराएं और अपनी जान से खेलें। मैं बहुत ही दर्द के साथ मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा रवैया तोड़-फोड़ का नहीं बल्कि मेल-मिलाप और जोड़ने का होना चाहिए। हुकूमत से यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह फर्ज होना चाहिए कि हम उनके जान-माल की पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी लें तभी कह सकते हैं कि जवाहरलाल जी का और गांधी जी का जो ख्वाब था वह हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद है हमारी सरकार सिद्धार्थ नगर के डवलपमेंट के लिए अवश्य ध्यान रखेगी। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती उमा ठक्कर (कच्छ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने 89-90 का जो बजट पेश किया है, उसके लिए धन्यवाद देती हूं। बजट में नेहरू स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गांव में रहने वाले युवाओं के लिए भी ध्यान रखा गया है। युवाओं को रोजगार अवश्य मिलना चाहिए। युवा लोग अपनी शक्ति का उपयोग अच्छी तरह से करें इसके लिए नेहरू शताब्दी के साल में जो रोजगार योजना आपने रखी है इसके लिए धन्यवाद देती हूं। युवाओं की शक्ति का उपयोग अच्छी

तरह से हो इसके लिए ध्यान देना चाहिए नहीं तो देश के लिए बड़ा नुकसान होगा। स्वरोजगार योजना जो 120 जिलों के लिए रखी गई है वह ठीक है क्योंकि सबको एक साथ नौकरी नहीं दे सकते हैं। धीरे-धीरे लोगों को रोजी-रोटी देने के लिए जो कदम आपने उठाया है उसके लिए धन्यवाद करती हूं। बजट में आपने गृह ऋण खाता योजना के अन्तर्गत मकान बनाने की सुविधा दी है। हमारी इन्दिरा जी ने रोटी, कपड़ा और मकान बनाने का एक सूत्र दिया था उसको हमारे प्रधान मंत्री राजीव जी यथार्थ रूप में पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं और लोगों को जीवन की जरूरतें ठीक से मिल पाएं इसके लिए नयी-नयी योजनाएं बनाते हैं। परिवार नियोजन के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके लिए सुझाव भी दिए हैं। मैं भी आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जिस दम्पत्ति की एक पुत्री या दो पुत्री हो और परिवार नियोजन को वह अपना ले तो उस दम्पत्ति को पुरस्कार देना चाहिए, धनराशि के रूप में या रेलवे अथवा एयर में कंसेशन या मेडीकल में भी कुछ सुविधा दी जा सकती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो तो उसको बढ़ोत्तरी तथा प्रायोरिटी देनी चाहिए। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार उनको कुछ स्पेशल कार्ड इश्यू करे। मैं लालच की बात नहीं कहती। अगर ऐसा कार्ड होगा तो वह गौरव समझेंगे और दूसरे लोगों को भी यह होगा कि उस दम्पत्ति ने एक या दो पुत्री के बाद परिवार नियोजन किया है। हमारे समाज में पुत्र का बड़ा असर होता है। मैं महिला हूं और मुझे मालूम है कि जब तीन-चार पुत्री हो जाती हैं और पुत्र नहीं होता है तो वे फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं।

मैं कहती हूं कि जो दम्पति एक पुत्र या दो पुत्री के बाद परिवार नियोजन को अपना ले तो उन्हें एक कार्ड सरकार की ओर से जारी किया जाना चाहिए। जिससे उन्हें रेल, हवाई जहाज में और स्वास्थ्य में छूट मिले और प्राथमिकता मिले। अगर सरकारी कर्मचारी हो तो उसको बढ़ोत्तरी देनी चाहिए। जिससे वह गौरव से कह सकें कि हमारे पास ऐसा कार्ड है। हमारा क्षेत्र कच्छ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहां से अधिकांश लोग विदेश गये हुए है और उनका अपने वतन के बैंकों में काफी रुपया जमा है करीब 500 करोड़ रुपये, लेकिन बैंक का 14.84 प्रतिशत है। देश में दूसरी जगह का तो मुझे मालूम नहीं है कि वहां क्या है। लेकिन गुजरात में तो 64-65 प्रतिशत तक भी ब्याज दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह धनराशि कच्छ के लोगों को मिले इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। माननीय मन्त्री जी यहां बैठें हैं मैं एक दो सुझाव उनको इस बारे में देना चाहती हूं। कि यह धनराशि मेरे क्षेत्र में कैसे उपयोग में लाई जा सकती है। मेरे क्षेत्र में पशुपालन और हैण्डक्राफ्ट्स दो मुख्य उद्योग हैं। मेरे क्षेत्र में बन्नी करके एक जगह है वहां पर बहुत बढ़िया घास होती है। गुजरात सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की है और उसकी सब कमेटी ने उस जगह का अध्ययन करके वहां पर विकास के लिए दो सौ करोड़ रुपये का अन्दाजा लगाया है। जो धनराशि कच्छ के बैंकों में पड़ी है उसको वहां उपयोग में लाया जा सकता है। हैण्डीक्राफ्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कच्छ का दौरा किया था तब वहां सूखा पड़ा था। उन्होंने हैण्डीक्राफ्ट्स के लिए कहा था कि पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, लेकिन बहनों को घर बैठे रोजी-रोटी मिले और उन्होंने सूखे के लिए काफी पैसा दिया। वह बोर्डर एरिया है, पिछड़ा हुआ जिला है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारे प्रधान मंत्री जी जैसा कहा था ऐसे ही हैण्डीक्राफ्ट्स के लिए आप इपया दीजिए ताकि बहनों को घर बैठकर रोजी-रोटी मिले। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए आप कुछ करेंगे। मेरा कच्छ जिला है पिछड़ा हुआ जिला है और कोस्टक एरिया है। जब पाकिस्तान नहीं बना था वह क्षेत्र सिन्ध से जुड़ा हुआ था। वहां पर बहुत से छोटे-छोटे ऐसे बन्दरगाह हैं जो मृतप्रायः पड़े हुए हैं। नेहरू जी ने और सरदार पटेल जी ने इस पर ध्यान दिया था और कांडला में तेखर पोर्ट बनाया। दूसरी जगह लखपत,

[श्रीमती ऊषा ठक्कर]

मुन्देरा, माण्डवी हैं और जक्खो भी है। वहां के लोगों को यह निराशा होती है कि हमें आजादी तो मिली लेकिन उसका फायदा नहीं मिला पहले तो उन्हें रोजी-रोटी उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन सिन्ध के अलग हो जाने पर लोगों को जो कि उस बन्दरगाह के आसपास हैं उनको रोजी-रोटी नहीं मिलती है। इसलिए इन बन्दरगाहों का भी विकास करना चाहिए। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जक्खो करके एक बन्दरगाह है वहां बहुत अच्छी मछलियां होती हैं। भारत सरकार की एक हाई-पावर कमेटी की रिपोर्ट है कि वहां डीप फिशिंग हार्बर के लिए बड़ी अच्छी जगह है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि मेरे क्षेत्र में जक्खो बंदरगाह के सम्बन्ध में हाई पावर कमेटी ने जो रिकमैण्डेशन्स की हैं, उन पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करके कोई निर्णय लें, उससे हमारे क्षेत्र का बहुत फायदा होगा। चूंकि टाइम कम है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा कच्छ का इलाका बहुत पिछड़ा है, मैं चाहती हूं कि वहां आप कुछ ग्रोथ सैंटर्स स्थापित करें, जिसकी वहां बड़ी आवश्यकता है। मैं एक-दो बार आपका पहले भी ध्यान दिला चुकी हूं। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं सामान्य बजट 1989-90 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा पिछले साल का दिल्ली का बजट 1227 करोड़ रुपये का था, जो इस साल बढ़कर 1325 करोड़ रुपये का हो गया है। पिछले बजट साल में दिल्ली प्रशासन ने भूमिहीनों में काफी प्लाट्स बांटे, फ्री प्लाट्स पंचायतों के जरिए दिये गए और खेती के लिए एक एकड़ जमीन दी गयी। पिछले साल यहां सूखा भी काफी पड़ा, जिसके चलते किसानों की सुविधा के लिए ट्यूबवैल लगाये गये और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये, जिसकी वजह से किसानों ने अच्छी पैदावार की। आज जैसा मेरे कुछ साथियों ने बताया, नेहरू योजना के तहत आपने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देहात वालों को भी फायदा पहुंचेगा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मिलाकर एक कर दिया है, मैं समझता हूं कि इससे भी गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और हमारे सारे देहातों की अच्छी तरक्की हो सकेगी देहात के लोग तरक्की कर सकेंगे।

अब मैं आपका ध्यान निर्धन औरतों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें साल में दो साड़ियां देने की व्यवस्था की गई है। वे गरीब औरतें हैं, उन्हें दो साड़ियां तो मिलनी ही चाहियें लेकिन साथ-साथ मेरा यह सुझाव है कि आप उन्हें 100 रुपया पेंशन और दे दें जिससे उनका गुजारा आसानी से हो सके। जब मैं अपने देहातों में घूमता हूं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि लोग इस बजट को किसानों का बजट कहते हैं, देहातों का बजट कहते हैं। पिछले साल सूखे के समय सरकार ने हर तरह से देहात के लोगों को सपोर्ट किया था, 5 एकड़ तक के किसानों की कई तरह से मदद की गयी थी, उनके लिए खाद, बीज और चारे की व्यवस्था की गयी थी। किसानों ने पूरी मेहनत करके अनाज पैदा किया था।

आज जिन परिवारों की आमदनी 750 रुपये है उन्हें आप दिल्ली में ग्रांट देते हैं, प्लाट भी देते हैं, एक एकड़ जमीन तक देते हैं और कई दूसरे तरह से मदद भी करते हैं। ढाई एकड़ या एक हैक्टेयर वाले किसान की भी मदद करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस आय सीमा को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दीजिए और एक हैक्टेयर के स्थान पर दो हैक्टेयर तक भूमि रखने वाले किसान की भी मदद कीजिये क्योंकि आज दिल्ली में एक पियन को भी 1250 रुपये तनख्वाह मिलती है, और वे लोग सरकार से

मिलने वाली सहायता से वंचित रह जाते हैं। दूसरी तरफ गांव के लोग झूठ बोलकर पंचायत या प्रधान को गलत विश्वास देकर सरकार से मिलने वाली सहायता का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सीमा को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दीजिये।

वैसे तो हजारों प्लाट सरकार बांट रही है, लोगों की दूसरी तरह से मदद कर रही है, लेकिन जैसा हमारे कई साथियों ने बताया, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं कि मंहगाई को देखते हुए आप आयकर की वर्तमान सीमा 18,000 रुपये को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दीजिये ताकि मध्यम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों पर कुछ बोझ कम हो सके। आज वे ऐसा महसूस करने लगे है कि सरकार ने उन्हें जो तनख्वाह बढ़ाकर दी थी, उतना पैसा सरकार टैक्स के रूप में वापिस ले रही है। इसलिए उस सीमा को बढ़ाकर आप 25 हजार रुपये कर दीजिये, वह मुनासिब है।

अब मैं आपका ध्यान किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिल्ली के हर गांव में लालडोरा बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि इसका निर्धारण कहीं 1880 में और कहीं 1908 में हुआ था जब कि आज देहातों की आबादी कई गुना बढ़ गयी है, आबादी के बाहर लोग अपना मकान बनाकर रहते हैं लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि हर साल दिल्ली के 50 गांवों में लालडोरा बढ़ाया जाये ताकि देहातों में जो परिवार बढ़े हैं वे अपना रिहायशी मकान बनाकर रह सकें।

आपको पता है कि हमारा किसान दिन-रात मेहनत करके अपनी पैदावार करता है, खेतों की सिंचाई करता है, लोन भी लेता है, अच्छी खाद भी डालता है, अच्छे बीज डालता है और बहुत मेहनत करके अनाज पैदा करता है।

तो मैं यह कहूंगा कि हर जगह जहां हम जाते हैं, हमारे कानों में यही बात आती है कि जितनी मेहनत खेती में हमने की है उतना रेट नहीं मिलता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर वे जरूर ध्यान दें। किसान रात-दिन मेहनत करता है। अपने अन्न को खलिहान में ले जाता है। कभी खेत में ओले पड़ जाते हैं, कभी खलिहान में आग लग जाती है या सूखा पड़ जाता है। इसलिए फसल का बीमा योजना जरूर कर दिया जाए। दिल्ली में रूरल एरिया में 5 ब्लॉक्स हैं। उन पांचों ब्लाकों में 60 गांव है। हम यह चाहते है कि एक ब्लाक में एक आग बुझाने वाली गाड़ी होनी चाहिए जिससे यदि कहीं अचानक आग लग जाती है, तो वहां जल्दी से जल्दी गाड़ियां पहुंच जाएं।

अब मैं आपका ध्यान अनऑथोराइज कालोनीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम 1981 तक की कालोनियों में बिजली दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनको पानी भी देना चाहिए और एक-एक सड़क भी बना देनी चाहिए। इन कालोनियों में 15 लाख आबादी है। हम चाहते हैं कि जो 1984 तक की कालोनीज हैं उनको पास कर दिया जाए जिससे उनके सिर से तलवार हट जाए।

आप जानते हैं कि शहर में काफी पुल बना दिए जाते हैं, लेकिन देहात में ट्रैफिक, पुल न होने के कारण रुक जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रेलवे लाइन के ऊपर जितने भी पुल बन सकते है, वे बनाए जाने चाहिए। सुल्तानपुरी, सीमापुरी आदि ऐसी कई जगहें हैं जहां रेलवे लाइन की वजह से काफी समय तक रास्ता रुका रहता है। सड़क के ऊपर भी काफी वाहनों की भीड़ होने से रास्ता रुक जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि देहात के एरिया में भी पुल बनने चाहिए ताकि ट्रैफिक ज्यादा होने से परेशानी न हो।

महोदय, नजफगढ़ ड्रेन जिसमें गन्दा पानी भरा रहता है उसको पिछले साल मंगलपुर ड्रेन में डाल दिया गया था जिससे ट्यूबवैलों का पानी का स्तर ऊंचा हो गया था जिससे किसानों को बड़ी

[श्री भरत सिंह]

सुविधा हुई थी। लेकिन इस साल यह नहीं डाला जा रहा है। पहले मंगलपुर ड्रेन में फ्लड वाले पानी डालते थे, लेकिन डेसू वाले कनैक्शन नहीं देते, जिससे उनको पानी नहीं मिलता है और उसके कारण फसल का नुकसान हो रहा है।

महोदय, पुनर्वास कालोनियां इन्दिरा जी ने बसाई थीं। काफी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ कालोनियों में सीवर की कुछ में स्कूल बिल्डिंगों की कमी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन चीजों के लिए इन कालोनियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की व्यवस्था करें। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि आज प्रशासन की देखरेख में किसानों की जमीन ले ली जाती है, लेकिन उनको मुआवजा समय पर नहीं मिलता है। उनको काफी कष्ट उठाना पड़ता है काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके बावजूद किसानों को अपनी जमीन का पैसा नहीं मिलता है। एक तो उनको जो मुआवजा दिया जाता है, वह ही काफी कम रेट पर दिया जाता है, दूसरे उनको वह मुआवजा समय पर भी नहीं दिया जाता है। हम दो-दो साल तक चक्कर काटते रहते हैं और काफी परेशानी होती है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को अपनी जमीनों का मुआवजा 15 दिन के अन्दर मिल जाना चाहिए। उनको पन्द्रह दिन के अन्दर मुआवजे का वाऊचर मिलना चाहिए जिससे किसान परेशान न हों। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह बजट अच्छा है और आगे भी अच्छा बजट बनेगा और दिल्ली के लिए पुलों और अन्य विकास के कार्यों के लिए जो पुनर्वास कालोनीज में हैं और पैसा मंजूर करने की कृपा करेंगे।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बजट बहुत सन्तुलित है और मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों के बाद पहली बार रूरल ओरिएंटेड बजट पेश किया गया है। बजट के पहले लोगों में बड़ी अटकलें थीं कि वित्त मंत्री जी बहुत ज्यादा डैफिसिट फायनेंस पर आधारित बजट पेश करेंगे, लेकिन ऐसी अटकलें सिर्फ अटकलें ही रह गईं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे गरीबों को तो राहत मिली ही और जो सम्पन्न लोगों को उम्मीद थी कि उनको भी राहत मिलेगी क्योंकि यह चुनाव वर्ष है, परन्तु ऐसा नहीं हुआ और वित्त मंत्री जी ने सम्पन्न लोगों से लेकर के गरीब लोगों को देने का प्रयास किया है। यह बहुत अच्छा कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इकनौमिक सर्वे को देखें, तो पता चलता है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो लक्ष्य था, उसको करीब-करीब प्राप्त किया है और इस साल भी जो लक्ष्य है, 1660 लाख मीट्रिक टन उसको भी प्राप्त करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार जो गत वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक इनफ्लेशन था, इस साल उसको कम करने का प्रयास किया गया है जो कि एक अच्छी बात है। सरकार ने इनफ्लेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छे उपाय किये हैं।

उद्योग, बिजली, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक के क्षेत्र में इन सभी चीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार ने अपनी नीति के अनुसार कार्यक्रम को लागू करने में सफलता प्राप्त की है। इस बजट से खासकर ग्रामीण लोगों को बहुत अधिक मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार की स्थिति के बारे में भी विशेष ध्यान दिया गया है और हर जो गरीब

परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे है, उसमें एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई है, यह अच्छी बात है। इससे ग्रामीण इलाकों का असंतोष दूर हो जाएगा। इसी प्रकार निराश्रित महिलाओं को भी मदद देने का प्रयास किया गया है।

आई० सी० डी० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत जो 500 ब्लाकों में बच्चों के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया है, इसका भी बहुत अच्छा लाभ ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। 120 जिलों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, यह भी बहुत अच्छी बात है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान प्लानिंग और पालिसीज के संबंध में दिलाना चाहता हूं। कृषि के क्षेत्र में अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं, वह उपजाऊ इलाके या जहां सिंचाई के साधन हैं, उन इलाकों के लिए हुआ है। इस देश में ऐसे भी इलाके हैं जो पहाड़ी हैं, जंगली है, आदिवासी हैं वहां की सोयल कंडीशन, लैंड स्केप और रेनफाल पर आधारित हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं रिसर्च होनी चाहिए।

आप ग्रामीण इलाकों से लोगों का पलायन रोकना चाहते हैं तो वहां के एग्रीकल्चर मैथड में कहीं न कहीं आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इन इलाकों में खासकर अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, वह ट्रैडीशनल ढाप पर है। मैं चाहता हूं कि कोर्सग्रेन पर भी अनुसंधान होने चाहिएं। ताकि जो बहुत से पिछड़े इलाके हैं, वहां के गरीब समाज के लोग कोर्स ग्रेन पर ही जीते हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी पैदावार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

आई० आर० डी० पी० के मामले में अभी तक आदिवासी इलाकों में व्यवसाय को अधिक महत्व दिया गया है। जो भी व्यवसाय के एवेन्यू थे जो भी वायेब्लिटी और फिजिब्लिटी थी वह करीब-करीब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सब समाप्त हो गये है। मैं चाहूंगा आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत मार्जिनल फार्मर्स को खेतीबाड़ी के संबंध में अधिक से अधिक काम मिलना चाहिए और जो आदिवासी इलाके हैं उसमें जो फारेस्ट्री है, हार्टिकल्चर, सीरीकल्चर, पोल्ट्री, डेरी डेवलपमेंट, पिगरी, मैडीसनल प्लान्ट्स वगैरह की पैदावार बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। इन कार्यक्रमों से जंगल में रहने वाले लोगों को मदद मिलती है वहां के एटमास्फियर के मुताबिक भी।

जहां तक औद्योगिक नीति है खासकर पिछड़े और आदिवासी इलाकों की, आम लोगों की यह धारणा है कि उन इलाकों का विकास बड़े उद्योगों से होगा लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आदिवासी इलाकों के लिए अलग से आपकी इंडस्ट्रियल पालिसी होनी चाहिए। आप दक्षिणी बिहार को देखें, वहां लोगों में जो असंतोष है, यह इंडस्ट्रियल पालिसी की वजह से है। मैं चाहूंगा कि अलग से ट्राइबल एकरया के लिए पालिसी हो क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह सब ट्राइबल एरिया में हैं और वहां बड़े-बड़े कारखाने होते जा रहे हैं जो कल तक जमीन के मालिक थे, आज बहुत से लोग वहां भूमिहीन हो गए हैं और बेज-अर्नर हो गए हैं।

7.00 म० प०

पंजाब और हरियाणा में 75 परसेंट जो एग्रीकल्चर लेबर है, वह बाहर से मोस्टली ट्राइबल एरिया से आती है। इससे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी नीति में खामी है। एक तरफ तो आप इंडस्ट्रीयलाजेशन के कारण लोगों को बेघर कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, डैंजर्टेड कर रहे हैं, तो इस पालिसी पर हमको कहीं न कहीं सोचना चाहिए। उसी ढंग से बड़े बांध बन रहे हैं।

[श्री अरविन्द नेताम]

वहां से लोग उजड़ रहे हैं परन्तु पुनर्वास की व्यवस्था कहीं ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है तो लोगों में असंतोष है । उसी प्रकार से फोरेस्ट प्रोड्यूस के मामले में भी जो नेशनलाइज्ड आइटम्स हैं उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट कारपोरेशंस के माध्यम से कुछ मदद कर रही है, लोगों को कीमत मिल रही है परन्तु नान नेशनलाइज्ड आइटमस में आज भी एक्सप्लायटेशन हो रहा है। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि ओवर हैड कास्ट में भारत सरकार को कहीं न कहीं मदद करनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। आज आप बहुत से कार्यक्रमों में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम में भी अगर आप कुछ दें, फोरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन और ओवर हैड कास्ट को थोड़ा बहुत सब्सिडाइज करें तो मैं समझता हूं कि इससे ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल इकोनोमी को बूस्ट मिलेगा । इससे लोगों को सही कीमत मिलने का अवसर मिलेगा, मैं चाहता हूं कि इसको आप बढ़ाने की कोशिश करिये ।

हरिजन, आदिवासियों के लिए स्कालरशिप के लिए आपने 12 हजार रुपये की आय सीमा का क्राइटीरिया फिक्स किया है, इस सीमा को बढ़ाया जाय । एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप के बारे में भी ट्राइबल एरिया के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए क्योंकि बहुत से इलाकों में नक्सलाइट प्राब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, उसमें भी भारत सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए, इसको केवल राज्य सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए । समय आ गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फिर से सोच-विचार कर कुछ किया जाय, इसके लिए कोई कमेटी बनाना चाहें तो बनाकर नक्सलाइट प्राब्लम को रोकने के लिए कहीं न कहीं भारत सरकार को सोचना होगा तब जाकर आदिवासी इलाकों की उन्नति हो सकेगी ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब 7 बज गये हैं । समय पहले ही समाप्त हो चुका है । मुझे ऐसे 12 सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिन्हें अभी अपना भाषण देना है और जो अब यहां उपस्थित हैं । हम कल उन्हें समय नहीं दे सकते । बहरहाल, अब वे सभी 12 सदस्य यहां उपस्थित हैं । यदि आप सभी लोग आज भाषण देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कल आपको भाषण देने का अवसर नहीं मिलेगा । यदि आप सभी लोग सहमत हैं तो हम सभी 12 सदस्यों का भाषण समाप्त होने तक चर्चा के लिए समय बढ़ा सकते हैं । यदि प्रत्येक सदस्य 5-6 मिनट का समय लेता है तो हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं । आप केवल कुछ मुद्दों को प्रस्तुत कीजिए । मैं यहां बैठे सभी सदस्यों को भाषण देने का अवसर देता हूं । हम समय को डेढ़ घन्टे के लिए 8.30 म० प० तक बढ़ा सकते हैं । मैं समझता हूं कि सदन इस बारे में सहमत है ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: समय को डेढ़ घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है ।

अब श्री मदन पांडे अपना भाषण दे सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है । मैं, हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित संतुलित, समाजवादी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं लेकिन मालूम पड़ता है कि यह बधाई नाम्याल जी के मार्फत ही उनको मिलेगी ।

मैं जिन बातों को बराबर कहता रहा, इस अवसर पर उनसे थोड़ा हटकर निवेदन करना चाहता हूं। अब 43 वर्ष आजादी के बीत चुके हैं और हमारा वर्तमान बजट शायद इस लोक सभा का सबसे बड़ा बजट माना जायेगा, इसमें हम लोगों को संतोष है कि जिस तरह से समाजवादी बजट होना चाहिए।

[अनुवाद]

"एक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार, एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार।"

[हिन्दी]

उस कहावत की चरितार्थ किया गया है। इसके लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं लेकिन जिस तरह से हम अपनी योजना और बजट बनाते हैं उसमें कुछ थोड़ा बदलाव इस प्रकार आ जाना चाहिए कि हम पैच वर्क करने के बजाय कुछ मेजर डिसीजन लें जिससे हम आगे बढ़े हुए देशों की कतार में पहुंच सकें। आज भी बड़ी गण्डक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां भीषण विनाशलीला हमारे देश में कर रही हैं, जिस तरह से अमेरिका ने वी० सी० सी० पी० और मसूरी को बांधकर विनाशकारी नदियों को एक कंस्ट्रक्टिव नदी बनाने का प्रयास किया है और इसमें वह सफल हुए हैं, चीन की ह्वांग-हू नदी को चीन बांध सकता है तो हम ब्रह्मपुत्र को विनाश करने से रोकने में क्यों असमर्थ हैं ?

तो यह बजट हमारी इस बात का प्रतिबिम्ब तो जरूर है कि हमने इस पर प्रयास किए हैं कुछ इस तरफ. लेकिन सही मायनों में इस दिशा में हमारे प्रयास होने चाहिए। हम अपने वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस पर भी सोचिए। हमारे पहले के सिंचाई मन्त्री या अन्य जो हमारी सरकारें रहीं हैं उन्होंने इस ओर सोचा था। उत्तर से दक्षिण तक नदियों का एक ग्रिड बनाने की बात सोची थी, उस कल्पना को क्या हम एकदम कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे। उसको हमें बाहर निकालना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनैस को दूर करने के लिए एक नयी एप्रोच इस बजट में अपनाई गई है। इस देश में 61 ग्रोथ सेन्टर्स बनाने की घोषणा की गई है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं और मैं समझता हूं प्रत्येक सदस्य स्वागत करेगा। इन ग्रोथ सेन्टर्स की संख्या जितनी तेजी से बढ़ सके इस देश के कोने-कोने में जहां अभी तक पिछड़ापन है, इण्डस्ट्रियल बैकवर्डनेश है उसको दूर करने के लिए इनका पूरी तरह से प्रसार होना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो पैच-वर्क की बात कही थी, मेरा स्वयं का क्षेत्र नमूना है, वहां राप्ती नदी ऐसी है जो अगर दो सौ तीन सौ किलोमीटर पर बारिश होगी तो बाढ़ हमारे यहां आयेगी। हमारे यहां तो सूखा रहता है लेकिन नदियों में बाढ़ आ जाती है। इसलिए पैच-वर्क, छोटे बांध बनाकर छोटे हिस्सों को बचाने की जगह पर आप समग्र योजनायें बनायें। आप नदियों को बांधकर उनका पानी जमा करें, उससे बिजली पैदा करें और सिंचाई की व्यवस्था करें। यह जब आप नदियों का ग्रिड बनाने का काम करेंगे, ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलायेंगे, गंगा को कावेरी से मिलायेंगे, नर्बदा को ताप्ती से मिलायेंगे तभी हमारा यह सपना पूरा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान है इसलिए इन बातों की ओर ध्यान देकर ही इसको सम्पन्न बना सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में मेरा निवेदन है कि हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी बहुत अच्छी है लेकिन उसको लागू करने का जो तरीका है वह इस तरह का है कि नये उद्यमी उससे हतोत्साहित होते हैं। मैं चाहूंगा कि एक ही विन्डो से उनको सारी क्लियरेंस मिलनी चाहिए। अभी

[श्री मदन पांडे]

6-6 महीने तक उनकी दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं 6-6 महीने इण्डस्ट्रियलिस्ट दौड़ते रहते हैं लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिलती है।

फूड प्रोसेसिंग की एक नयी मिनिस्ट्री गठित करके प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री ने बहुत बड़ा साहसपूर्ण कदम उठाया है। इसके माध्यम से उन्होंने इस कृषि प्रधान देश को एक नयी दिशा देने का प्रयास किया है। लेकिन इस संबंध में जो योजनायें लागू होनी हैं और जो यूनिट्स कायम करनी हैं उनकी क्लियरेंस जल्दी से जल्दी होनी चाहिए —यह मेरा आपसे अनुरोध है।

तीसरी बात यह है कि हमारा शिक्षा का जो क्षेत्र है वह ऐसा है कि जहां से हमारे देश के भावी नागरिक बनने हैं जिस प्रकार के नागरिक हम चाहते हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। आपने नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है लेकिन मेरा निवेदन है कि जब तक इस देश में पब्लिक स्कूल कायम रहेंगे और उनमें कलक्टर, कमिश्नर, मंत्रियों के लड़के अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पायेंगे तब तक टाम-डिक-हैरी के लड़कों को आप स्कूलों में उनके समान शिक्षा नहीं दिला पायेंगे। ऐसा सम्भव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए हमें पब्लिक स्कूलों के संबंध में फिर से विचार करना चाहिए और वहां की सुविधायें यहां पर देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सड़कों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां गोरखपुर और नेपाल के किनारे के जो हिस्से हैं वहां पर आपको डेफेन्स प्वाइन्ट आफ व्यू से रेलों और सड़कों का सर्वे कराना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक (जगत सिंह पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बजट ग्रामीण मध्यम वर्ग के लिए एक सरल बजट है। यह बजट विकास आधारित है। इस बजट को प्रस्तुत करके भारत सरकार विकास दर को ऊंचा करने जा रही है। और सरकार का यही लक्ष्य है।

वर्तमान बजट में बेकारी हटाओ कार्यक्रम को कार्यान्वित करके हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए गये कथनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है जिसने हाल ही में मद्रास में एक प्रस्ताव पारित किया है।

बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बेरोजगारी उन्मूलन पर उचित बल दिया गया है। इस बजट से नवयुवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

हमारी स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गरीबी हटाओं में विश्वास रखती थीं। उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। परन्तु जैसा कि वर्तमान बजट में उल्लेख किया गया है सरकार की इस नीति को देश में बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से बदला गया है। नवयुवकों में निराशा को दूर करने के लिए ऐसा कार्यक्रम आवश्यक है।

हम अपने महान स्वर्गीय नेता पंडित नेहरू जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी थी। जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न होगा और यह हमारे महान नेता पंडित जी के प्रति एक श्रद्धांजलि होगी। इस

योजना से अन्य रोजगार योजनाओं के अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को लाभ होगा।

महोदय, कृषि उत्पादन के लिए ऋण एक प्रमुख आगत है। कृषि कार्यों के लिए गरीब और सीमान्त किसानों को ऋण मिलेगा। प्राकृतिक विपदाओं के समय किसानों को सबसे अधिक कष्ट होता है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि आसान किश्तों के ऋण को मध्यम अवधि ऋण में बदलते हुए उन्हें आसान किश्तों पर ऋण की वापस अदायगी में छूट देनी चाहिए और उसे स्थगित कर देना चाहिए।

इस बजट में आवास योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आरम्भ की जाने वाली गृह-ऋण खाता योजना एक अच्छी कार्यवाही है और इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आदिवासियों के लिए लाभदायक होगी। मकान के निर्माण के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है।

आवास ऋण की बात पर जाने से पहले मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह सभी गरीब लोगों के आवास के लिए स्थान की व्यवस्था करे।

मैं नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में परिवार पेंशन में कुछ राहत देने के लिए सेवा निवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई बचत योजना को आरम्भ करने के लिए स्वतन्त्रता सैनानियों की पेंशन को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। विकास कार्यक्रमों पर होने वाले इस भारी व्यय को पूरा करने के लिए समाज के किसी भी वर्ग को प्रभावित किये बिना संसाधन जुटाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की गई है।

गरीबी हटाना हमारे प्रधान मंत्री का मुख्य उद्देश्य है। रोजगार निर्माण पर सरकार का विशेष बल रहा है। इस बजट से भी यह बात जाहिर होती है। यह प्रस्ताव किया गया है। कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० एक ही कार्यक्रम में विलीन हो जायेंगे और इसके कार्यान्वियन को विकेन्द्रित करने के बारे में सोचा गया है। यह विलीन कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में लागू होगा और केन्द्र इसके लिए 75 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था करेगा। मैं सरकार से किया गया अपना एक पूर्व अनुरोध याद कराता हूं जिसमें मैंने बेहतर देख-रेख और कार्यान्वियन के लिए एक ऐसे विलय का सुझाव दिया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सीमेंट के वितरण और मूल्य पर से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा करने पर मुझे खुशी हुई है। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में उचित मूल्य पर सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित राज सहायता योजना का स्वागत है।

सभी दृष्टिकोणों से विद्यमान बजट में सरकार का रवैया संतोषजनक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कार्यक्रमों का कार्यान्वियन और कारगर निगरानी सुनिश्चित करें।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान करने के लिए उड़ीसा जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए उदार व्यवस्था करे। आप जानते हैं कि उड़ीसा बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अक्सर शिकार होता रहता है। सिंचाई सुविधाओं और रेलवे के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अधिक धनराशि भी उपलब्ध कराई जाए।

[श्री लक्ष्मण मलिक]

उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। यद्यपि राज्य में खनिजों के स्रोत अधिक हैं फिर भी यह अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी 60% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा की अत्यधिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए वह इस पर विशेष ध्यान दे और उड़ीसा को विशेष श्रेणी का दर्जा दे।

अन्त में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मांगे प्रस्तुत करता हूं: आप जानते हैं कि पारादीप फास्फेट लिमिटेड का निगम कार्यालय अब दिल्ली में है। संयंत्र पारादीप में है। आप जानते हैं कि इसके कारण दोनों कार्यालयों के कार्यों में तालमेल बनाने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पारादीप फास्फेट लिमिटेड के निगम कार्यालय को बदलकर भुवनेश्वर ले आएं क्योंकि संयंत्र पारादीप में स्थित है। इस प्रकार समन्वय और सम्पर्क कार्य आसानी से हो सकेंगे।

आप जानते हैं कि पारादीप एक मुख्य बन्दरगाह है। आप यह भी जानते हैं कि दक्षिणी कोरिया की मैसर्स हिंडन कार्पोरेशन ने लौह अयस्क के निर्यात हेतु बड़े जहाजों को अन्दर लाने के लिए पारादीप बन्दरगाह को गहरा करने के लिए अपनी सहायता देने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अब स्वीकृति के लिए सरकार के पास लम्बित पड़ा है। मुझे आशा है कि उड़ीसा की भलाई के लिए और गरीब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और खान श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार मैसर्स हिंडन कार्पोरेशन के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे देगी।

एक मुद्दा और है : उड़ीसा में 48० किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। राज्य में समुद्री, अंत: स्थलीय तथा खारे पानी वाली मछलियों के काफी स्रोत हैं और इनका विकास राज्य के गरीब मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अत्यधिक योगदान कर सकता है। अत: उड़ीसा में पर्याप्त मात्रा में मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह सुविधाएं स्थापित की जाएं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही पारादीप बन्दरगाह, पारादीप मत्स्य बन्दरगाह और अस्तराना मत्स्य बन्दरगाह स्थापित करे।

*श्री आर० श्रीधरन्नम (आर्कोनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि आयकर की छूट सीमा 18,000/- रुपये से बढ़ाकर 25,000/- रुपये कर दी जाए। कर योग्य आय पर कर की दर को 25% से घटाकर 20% करना कुछ अस्पष्ट है। 18000/- रुपये अधिक आय नहीं है। यह प्रति माह 1,500/- रुपये बैठती है। मूल्य वृद्धि के इन कठिन दिनों में 18,000/- की सीमा को बढ़ाकर 25,000/- रुपये कर देने से लोगों के बड़े वर्ग को लाभ होगा।

मैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ मांगें रखना चाहता हूं। इस समय, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋण बैंकों के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। आवेदन पत्रों की जांच एक समिति अर्थात् जिला विकास परिषद द्वारा की जाती है। यह स्पष्ट नहीं है कि तमिलनाडु में हाल ही में आई सरकार ने संसद सदस्यों को जिला विकास परिषद (जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों के लिए आवेदनपत्रों की छंटनी करती है) का सदस्य बनाया है या नहीं। जब डा० एम० जी० रामचन्द्रन मुख्य मंत्री थे तब केन्द्र से यह निर्देश था कि संसद् सदस्यों को जिला विकास परिषदों का सदस्य बनाया जाए। लेकिन विधानसभा सरकार ने जिला विकास परिषदों को यह मौन संकेत

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दिया है कि वे संसद सदस्यों की स्वीकृति लिए बगैर ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाएं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनेक गलत तरीके अपनाए जाएंगे। माननीय मंत्री इन गलत तरीकों की जांच करें। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण संसद सदस्यों के निरीक्षण के अन्तर्गत ही बैंकों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को वितरित किए जाएं।

माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देगी। इस वायदे को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों की उचित रूप से निगरानी की जाए। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इस समय पंचायत युनियनों के पास इन कार्यक्रमों को चलाने के अधिकार हैं। पंचायतों के मुखियाओं के पास इन कार्यक्रमों के तहत काफी शक्तियां हैं। लेकिन वे इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पृथक बोर्ड स्थापित किया जाए।

अगला मुद्दा जीवन धारा कार्यक्रम से संबंधित है। इस कार्यक्रम के तहत हम 30 से 40 हजार रुपये दे रहे हैं। हम यह धनराशि उन लोगों को देते हैं जिनके पास $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि है। मुझे यह अच्छी तरह पता है कि एक विशेष पंचायत में पंचायत के मुखिया ने अपने नौकर के नाम $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि तब्दील करके कार्यक्रम के तहत उस नौकर के नाम से 40,000/- रुपये आबंटित कर दिये। मैंने उस नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि इस मामले में वास्तव में क्या हुआ। उसने पंचायत के मुखिया द्वारा गड़बड़ी को स्वीकार किया लेकिन अपनी असमर्थता जताई। इस कार्यक्रम को भी पूर्णतः संशोधित किया जाए।

अगला मुद्दा पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। एक पेड़ का पौधा 4 पैसे या 5 पैसे में बेचा जाता है और यह देखने की कोई व्यवस्था नहीं है कि ये पौधे वन में परिवर्तित होते हैं या नहीं। इस प्रकार सरकार का पैसा नष्ट हो रहा है। इस कार्यक्रम की भी निगरानी की आवश्यकता है।

तमिलनाडु एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है और राज्य में अनेक औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े इन जिलों में केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र, दोनों ओर से उद्योग लगाए जाएं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम में पल्लीपट्टू में कोई उद्योग नहीं है। यह औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। यहां कोई उद्योग स्थापित किया जाए। पिछले तीन दर्षों से बल्कि मेरे संसद में आने के बाद काफी समय से मैं यह मांग करता रहा हूं कि तमिलनाडु में सिक्के बनाने वाला टकसाल स्थापित किया जाए। मैंने अनुरोध किया था कि यह टकसाल पल्लीपट्टू में लगाया जाए। तमिलनाडु में एक टकसाल लगाने का प्रस्ताव था लेकिन भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री वी० पी० सिंह इस टकसाल को तमिलनाडु से बदल कर अपने राज्य उत्तर प्रदेश ले गए। इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। निकट भविष्य में तमिलनाडु में के द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र में एक उद्योग लगाया जाए।

सरकार उद्योग लगाने के लिए राजसहायता दिया करती थी। यह पिछले कुछ महीनों से रोक दी गयी है। यदि केन्द्र सरकार तमिलनाडु के औद्योगिक विकास से गंभीर रूप से चिंतित है तो उसे उद्योग लगाने के लिए यह सहायता देना पुनः शुरू करना चाहिए। इससे औद्योगिक रूप से पिछड़े तमिलनाडु राज्य में उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं श्रीलंका को वित्तीय सहायता के प्रावधान के बारे में एक तथ्य से संबंध में सरकार

[श्री आर० जीवरत्नम]

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर प्रान्तीय परिषद के मुख्य मन्त्री श्री वरदराजा पेरूमल ने अपनी हाल की भारत यात्रा में श्रीलंका में अपने प्रान्त में चंडीगढ़ की तरह एक शहर का निर्माण करने के लिए 150 करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया। जब हमारा बजट घाटा बढ़ रहा है और हम अपने देश में लाखों लोगों का पेट भरने में असमर्थ हैं तो मैं नहीं समझता कि इस अनुरोध को मानना उचित है। हमें मुख्य मन्त्री के अनुरोध के प्रति सहानुभूति दर्शाने में सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे अपने देश में अनेक शहर हैं जिनके विकास के लिए ध्यान देने की जरूरत है। गांवों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए श्रीलंका को यह वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। माननीय प्रधान मन्त्री कृपया इसे ध्यान में रखें। मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न दर वाले बिक्री कर का उल्लेख करना चाहूंगा। वित्त मन्त्री ऐसा फार्मूला बनाएं जिसके अन्तर्गत बिक्रीकर की संरचना इस प्रकार न्याय संगत बनाई जाए कि बिक्री कर की एक समान दर सारे देश में लगाई जाए।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु में विशेषत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम में पल्लीपट्टी में काफी अधिक चीनी और कताई मिलें लगाई जाएं। पल्लीपट्टी में चीनी और कताई मिलें सहकारी क्षेत्र में लगायी जा सकती हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

* श्री जी० एस० वासवराजू (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे समाज के सभी वर्ग माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस सम्मानित सभा में प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के सामान्य बजट की प्रशंसा कर रहे हैं।

यह सन्तोष की बात है कि घाटा पर्याप्त रूप से कम हुआ है। 7,337 करोड़ रुपये का घाटा विगत वर्षों से बहुत कम है। बजट से भी लोगों से विशेषत: गरीब और मध्यम वर्ग को खुशी हुई है।

बजट का दूसरा अच्छा पहलू यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई नये कर नहीं लगाये गये हैं। यह संतुलित बजट है और ऐसा संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं।

कॉफी पाउडर को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है। इसी प्रकार चिकोरी पाउडर को भी उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है। परन्तु कॉफी पाउडर और चिकोरी पाउडर के मिश्रण पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस मिश्रण को उत्पादन शुल्क से छूट दी जाए। यदि पूर्णत: छूट नहीं दी जा सकती तो कम से कम 1 करोड़ रुपये तक छूट दी जाए।

मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर किया है इसमें कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में विकास को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

कृषि क्षेत्र के लिये 4,000 करोड़ रुपये का आबंटन पर्याप्त नहीं है। हमारे लगभग 80 प्रतिशत लोग कृषक हैं इसलिए हमें कृषि को उच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी।

* मूलत: कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरे एक साथी ने कहा है कि गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ दिया जाए। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की तरफ ध्यान दें।

केन्द्र को दास्तूर की ग्रांड नहर योजना तथा के० एल० राव की योजना पर भी उचित ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक में अभी तक अनेक सिंचाई योजनाएं लंबित पड़ी हैं। नेत्रवती डाइनजन योजना और उच्च भद्र परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि ये परियोजनायें और कृष्णा परियोजना पूरी हो जायेंगी तो लगभग 60 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवायें दी जानी चाहिए। उन्हें पानी और बिजली मुक्त रूप से मिलनी चाहिए। कर्नाटक में बिजली बड़ी कमी है तथा बिजली की में कटौती 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक है। इसलिए केन्द्र को केरल और महाराष्ट्र जैसे पड़ौसी राज्यों से बिजली दिलाने में राज्य की सहायता करनी चाहिए। देश में कुछ नकली उद्योग हैं। इनकी स्थापना केवल केन्द्र से राजसहायता प्राप्त करने के लिए की जा रही है। वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और सम्बन्धित अधिकारियों से धन मंजूर करा लेते हैं। उदाहरणार्थ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसों पर उद्योग चामुंडी मोपेड नाम से है। उन्होंने मैसूर बैंक से 15 करोड़ रुपये ले लिये हैं। उन्होंने 4 करोड़ रुपये की धनराशि और ले ली है। उद्योग के क्षेत्र में ऐसी कुप्रथा को रोकना बहुत आवश्यक है। समूचे उद्योग को रियायतें न देकर कल पुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसलिये मेरा तर्क है कि राजसहायता की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० और अन्य कार्यक्रमों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। बिचौलियों को अलग रखा जाना चाहिए और केन्द्र को धनराशि सीधे गरीब लोगों को भेजनी चाहिए।

नेहरू रोजगार योजना एक व्यापक और प्रगति शीलकार्यक्रम है। केन्द्र और राज्यों को एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए।

दूध और रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि उचित सुविधाएं दी जायें तो तीन वर्ष में 1500 करोड़ रुपये का रेशम उत्पादन किया जा सकता है। यदि सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जायें तो एक किसान 10 गुटों में 1500 रुपये प्रति माह कमा सकता है।

कुछ राज्यों में साड़ियां देने जैसी कुछ छोटी योजनायें शुरू की गयी हैं। मैं ऐसी योजनाओं का समर्थन नहीं करता। ऐसी योजनाओं के बजाए यदि गरीब लोगों को रोजगार दिये जाएं और उन्हें कठिन परिश्रम के लिये प्रोत्साहित किया जाए तो अच्छा है। गांवों में गरीब किसानों का कठिन परिश्रम से हमारा देश आगे बढ़ सकता है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए यह अवसर प्रदान किया तथा शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बहुत अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। गरीबों को और आम जनता को उससे बड़ी राहत मिलेगी। हमारा सागर जिला सिंचाई के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन की ओर माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

[श्री नन्दलाल चौधरी]

माननीय दुबे जो कह रहे थे कि उनके यहां 13 प्रतिशत सिंचाई होती है लेकिन हमारे यहां तो तीन प्रतिशत ही सिंचाई है। बड़े दुख का विषय है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी सिंचाई इतनी कम होती है। बीना नदी परियोजना पर 15-20 वर्षों से सर्वे हो रहा है, लेकिन फाइनल स्वीकृति नहीं दी गई है। जल्दी ही इस परियोजना को स्वीकृति दी जाए ताकि सिंचाई हो सके और पैदावार बढ़ सके। हमारा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहां के लिए कृषि महाविद्यालय की मांग बहुत दिनों से चल रही है। वहां यह महाविद्यालय अवश्य खोला जाना चाहिए। कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के लिए भी बहुत दिनों से मांग हो रही है और आश्वासन भी मिला है। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि देरी क्यों हो रही है।

सागर जिले में कृषि महाविद्यालय केन्द्र खोलना जरूरी है। चार-पांच वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में विशेषकर सागर जिले में सूखे की भयावह स्थिति है। पानी न बरसने से और ठण्ड के दिनों में माहौर की वर्षा न होने से स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। किसानों को और सब लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, वहां पेयजल की भी असुविधा हो गई है। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे प्रदेश को इसके लिए अधिक से अधिक धन सहायता के रूप में दे ताकि मध्य प्रदेश में और खासकर सागर जिले में सिंचाई एवम् पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बहुत वर्षों से सागर जिले में डिफेंस की फैक्टरी के लिए भी मांग की जा रही है, उसका सर्वे हो चुका है किन्तु स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसी तरह से भारत अर्थ मूवर्स की इंजन फैक्टरी के लिए भी सर्वे हो चुका है, लेकिन वह फैक्टरी अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। सागर जिला देश के बीच में पड़ता है और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा उपयुक्त स्थान है। इसलिए वहां ऐसी फैक्टरीज लगाई जा सकती हैं। हमारे यहां डिफेंस की लैंड पर वहां के लोग खेती कर रहे हैं और करीब 100 वर्ष से कर रहे हैं। हर साल डिफेंस की ओर से वह जमीन वापिस लेने के नोटिस आते हैं। हजारों की तादाद में परिवार वहां खेती कर रहे हैं। कई बार लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन किया और उनके प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली तक आये। उन्होंने मांग की कि या तो उन्हें स्थाई पट्टे दे दिये जायें हम डिफेंस की जमीन पर जहां खेती कर रहे हैं उसके बदले किसी दूसरी जगह जमीन दी जाये, जिससे उनको परेशान न होना पड़े। इसके लिए माननीय वित्त मन्त्री जी भी प्रयास करें कि वह जमीन उन लोगों को दे दी जाये। क्योंकि 100 वर्षों से वे लोग वहां खेती कर रहे हैं और हर साल उनको पट्टे बदलने पड़ते हैं। हमारे सागर जिले में एक विश्वविद्यालय है। पूर्व सांसद डा० हरीसिंह गौर ने करोड़ों रुपया दान देकर यह विश्वविद्यालय बनाया था और आजादी के पहले मांग की थी कि वहां मेडिकल कालेज हो। इसके लिए केन्द्र शासन से भी मांग की गई, और इसका विश्वविद्यालय के बुलेटिन में भी उल्लेख है और उसके लिए आन्दोलन भी हुआ। क्योंकि सागर में दूर-दूर तक मेडिकल कालेज नहीं है। इसलिए वहां इसकी नितान्त आवश्यकता है। मैं बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है और वहां उनके लिए अस्पताल नहीं है। उनको मजदूरी रेट बढ़ाई जाये। वहां के खेतिहर मजदूरों की भी स्थिति सुधारी जाये। जैसे बीड़ी मजदूरों के लिए बीड़ी मजदूर कल्याण फण्ड बनाया गया है। उसी तरह से खेतिहर मजदूरों के लिए भी फण्ड बनाया जाये और अनाज के बोरों पर प्रति बोरा कुछ पैसा लेकर यह फण्ड बनाया जाये और शासन भी इसमें सहयोग दे। इससे इनको सहायता मिलेगी।

गरीबों के आवास के लिए सागर जिले में बड़ी कमी है क्योंकि शहर का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आप म० प्र० शासन को ऐसे निर्देश दीजिए कि वह अधिक भूमि एक्वायर करके गरीबों में बांटे

और उनको सस्ते मकान मुहैया कराये सन 1991 में डा० भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म शताब्दि है। उसके लिए अभी से हिन्दुस्तान में जोरशोर से एवम् धूमधाम से समारोह बनाया जाये और बजट में इसके लिए प्रावधान रखें। उनके जन्म दिन पर पूरे देश में अवकाश घोषित किया जाये। बीना में रिफाइनरी लगाई जाए।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने वर्ष 1989-90 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस बजट में मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने, 120 पिछड़े जिलों का चुनाव करने, नेहरू रोजगार योजना का शुभारम्भ और उसके लिये 500 करोड़ रुपये का आवंटन, किसानों को अधिक ऋण सुविधायें तथा कृषि क्षेत्र में मिलने वाली सबसिडी योजना का विस्तार की योजना शामिल की गई है, जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत, जिसमें आपने 500 करोड़ रुपया रखा है, आप उद्योग-शून्य घोषित जिलों का चुनाव करने वाले हैं, जिसमें हमारा कानपुर देहात का क्षेत्र भी आता है, उसे आप निश्चित रूप से शामिल करें ताकि वहां के बेरोजगार लोगों को कुछ काम मिल सके। हमारे गरीबों के सामने आवास की बड़ी जटिल समस्या है, वैसे तो आपने प्राथमिकता के आधार पर आवास की योजना बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप उसे सही रूप से इम्पलीमेंट करायें।

साथ ही साथ आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन 750 रुपये बढ़ा दी है, जिसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि आप गृह मन्त्रालय को यह संस्तुति दें कि उन्हें जो एक-दो साल का फ्री रेल पास दिया गया था, उसे आजन्म कर दिया जाये, क्योंकि अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। मैं समझता हूं कि इस सदन का हर व्यक्ति इस राय से सहमत होगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवनपर्यन्त फ्री रेल पास मिलना चाहिये।

हमारे देश में महंगाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि उसे रोकने के लिये सरकार प्रभावशाली कदम उठाती है, उसके बावजूद उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। महंगाई के कारण हमारी योजनाओं से उतना लाभ नहीं मिल रहा है, जितनी हमें अपेक्षा होती है। मैं समझता हूं कि महंगाई रोकने के लिए सबसे पहले हमें काला बाजारियों और काले धन पर अंकुश लगाना होगा, नियंत्रण करना होगा। जब तक आप काला बाजारियों और काले धन पर अंकुश नहीं लगायेंगे, महंगाई रुक नहीं सकती है। महंगाई रोकने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि जितनी दैनिक उपयोगिता की वस्तुएं हैं, सरकार उन सब के दाम बांध दे। इससे काम चलने वाला नहीं है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाये आप कुछ लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दें, यह चक्र चलता रहे। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक बार दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के दाम बांध दे, तभी हम महंगाई पर काबू पा सकेंगे।

हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट रूप धारण किये हुए है और लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो बेरोजगारी रोकने के लिये सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं लेकिन जितनी दवा की गई, मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि सरकार निश्चित रूप से कोई ऐसी योजना बनायें जिससे देश के तमाम बेरोजगारों को कुछ न कुछ काम मिल सके, पढ़-लिखकर हमारे नौजवान बेकार न घूमते रहें। गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बीस-सूत्री कार्यक्रम और दूसरे अन्य कार्यक्रम चलाये हैं, आप राज्य सरकारों की सहायता भी करते हैं, लेकिन उसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप बीस सूत्री कार्यक्रम सहित गरीबी उन्मूलन की जितनी स्कीमें हैं,

[श्री जगदीश अवस्थी]

उनका कितना लाभ मिल रहा है, उसकी मौनिटरिंग, सर्वेक्षण की व्यवस्था करें ताकि इस समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सके।

आज चारों ओर भ्रष्टाचार की बात की जाती है। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार रोकने के उपाय करती है दूसरी तरफ खास तौर से बैंकिंग के क्षेत्र में, जिनके माध्यम से ऋण वितरित किये जाते हैं, बिना कमीशन दिए किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं मिल पाता। यदि हम शिकायत भी करते हैं तो उसकी परवाह नहीं की जाती, इसलिए हमें भी सख्त करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आप जो ऋण वितरित कराते हैं ताकि बेरोजगार लोग अपना कामधंधा आरम्भ कर सकें, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप सख्त कदम उठायें तभी आप देश की जनता के दिल में स्थान बना पायेंगे, उनका विश्वास जीत पायेंगे।

हमारे देश में मुद्रास्फीति की समस्या भी बहुत जटिल बनती जा रही है, जिस पर सरकार को प्रभावशाली नियंत्रण करना पड़ेगा। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है, उनका आयात बिल्कुल न किया जाये। अन्यथा धीरे-धीरे हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार खाली हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। हमारे देश में अच्छे-अच्छे टैक्नीशियन पैदा हो रहे हैं। हम जो चीजें विदेशों से मंगावे हैं उनके अनुरूप हमें अपने देश में ही वस्तुएं बनाने पर जोर देना चाहिए, जिसमें हम अपने टैक्नीशियन्स की मदद ले सकते हैं तभी हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे।

भुगतान का जो असंतुलन है, उसको हम दूर ठीक कर सकें। इसके साथ-साथ सूखा और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी औद्योगिक और कृषि विकास की दर की जो गति बनाए रखी गई है और जिसके लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 प्रतिशत से भी अधिक रही है, उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मन्त्री जी को देते है। यह बजट इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गति को बनाये रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आय कर की जो 18 हजार रुपये प्रति वर्ष की सीमा रखी गई है उसको बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया जाये। इस बारे में पिछले वर्ष भी कहा गया था इस वर्ष भी कह रहे हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। इसको 25 हजार रुपये कर दिया जाये।

इसके साथ ही जो विभिन्न चीजों में सबसिडी देते हैं उसका ठीक-ठीक प्रयोग नहीं होता है और जिसको सबसिडी मिलनी चाहिए, उसको मिल नहीं पाती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इसकी मानिटरिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार से जोंक चिपक कर खून शरीर का चूसती है उसी प्रकार से आज यह सबसिडी हो गई। यह देश की अर्थव्यवस्था में जोंक की तरह लग गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए साधन जुटाने के लिए चीजों पर टैक्स लगाना पड़ता है और जो पैसा आता है उसको सबसिडी में देते हैं जबकि उसका दुरुपयोग होता है। आप ग्रामीण अंचल में आई० आर० ई० डी० पी० के अन्तर्गत सबसिडी देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसका कितना दुरुपयोग होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना पैसा सरकार देना चाहती है उसको ब्लॉक स्तर पर देकर उद्योग चला दे और उन उद्योगों में गरीब लोगों को रोजगार दे ताकि उनको काम मिल सके और उनकी बेरोजगारी दूर हो और सबसिडी का दुरुपयोग न हो सके।

अन्त में मैं चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी, ऐसी मुझे आशा है। एक बार फिर बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह निस्संदेह बहुत अच्छा बजट है। जैसा कि लोगों का कहना है कि यह चुनाव वर्ष है तथा 8वीं लोकसभा का अन्तिम वर्ष होने के कारण वित्त मंत्री ने विपक्ष को निराश करने के लिए अपना दृढ़ विश्वास, परिपक्वता तथा अनुभव प्रदर्शित किया है जो हमेशा कहते हैं कि बजट-चुनावी बजट होते हैं। वास्तव में यह बहुत व्यावहारिक और प्रगतिशील बजट है। मेरे साथियों ने अच्छे तथा प्रासंगिक मुद्दे उठाये हैं तथा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सभा का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित किया है जो इस बजट में उठाये जा रहे हैं। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू अर्थात क्षेत्रीय असंतुलन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो देश में अभी बना हुआ है। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाया जा रहा है। यह एक बहुत ही सफल कार्यक्रम है। परन्तु इन सब बातों के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े उद्योग, बीच के उद्योग तथा कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं लगाया गया है जो रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के बारे में मैं विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। अनेक बजटों के पेश होने तथा अनेक वर्षों के पश्चात् हम देखना चाहते हैं कि क्या गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना ही अच्छे और बुरे बजट का हमारा मानदंड है। उद्योगों के विकास की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। इसे मान्यता दी जाये और इसलिये पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। मुझे याद है कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने जीवन काल में जब राजधानी में पूर्वोत्तर सम्मेलन का उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा था कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के नौजवानों के असतोष को समझती हैं। उन्होंने कहा था, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं :

> "मैं नौजवानों के क्रोध को समझती हूं क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है वह उन्होंने देखा है। उसमें वे अपना भाग नहीं देखते, उनका भाग देश के दूसरे भागों की घटनाओं में है।"

इस प्रकार, इंदिरा जी ने उनकी प्रशंसा की थी। वह वहां के लोगों से नाराज नहीं थीं, बल्कि वह युवा लोग जो बेरोजगार थे, उनके विद्रोह, आन्दोलन और गुस्से की प्रशंसा कर रही थी। इस असंतुलन को दूर करने के लिए, इन पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों को रोजगार दिलाने पर बल दिया जाये। पूर्वोत्तर परिषद के कार्यकरण, जो देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के सात राज्यों का ध्यान रखती है, की समीक्षा की जानी चाहिए। अब यह समय उसके कार्यकरण की समीक्षा का है, चूंकि इन राज्यों में विकास का तरीका वह नहीं हो सकता जो बड़े राज्यों में देखा गयाहै उद्योग के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम क्या हैं ? सभी मदें अनुकूल नहीं होती हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने अपना कार्य शुरू किया है और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषतया मेरे राज्य में कुछ ऐसी मदें हैं जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुकूल हैं। वहां मौसम के कुछ फल प्रचुर मात्रा में होते हैं। और उनके प्रसंस्करण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार दिलाने और वहां की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हम केवल उद्योगों की संख्या बढ़ा सकते है चाहे छोटे पैमाने के उद्योग हो सकते हैं, लेकिन स्वदेशी बाजार में मौसमी फल उपलब्ध कराने और निर्यात के लिए उन फलों का प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। मौसमी फल वहां प्रचुर मात्रा में हैं। उदाहरण के लिए त्रिपुरा, मणिपुर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम में इतनी प्रचुर मात्रा में अन्ननास उपलब्ध होता है कि इन फलों को तोलकर या गिनकर नहीं बेचा जाता है, बल्कि

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

रुपये की ढेरियों के हिसाब से बेचा जाता है। वे इन्हें गिनते भी नहीं हैं। इन फलों को जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं का उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं एक और उदाहरण इलैक्ट्रोनिक्स का दूंगा। मैं हाल ही में एक दिन राज्य सरकार के एक उपक्रम 'मेनीट्रोन' जो टेलिविजन सेट और ट्रांससीटर का निर्माण करते हैं, देखने गया था। उन्होंने अच्छी प्रगति की है और स्थानीय लोग, युवा लड़के और लड़कियां वहां कुशलता और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं जिसे मैंने बहुत पसन्द किया। वहां मैं उस उपक्रम के अध्यक्ष से मिला और उसने मुझे आश्वासन दिया कि राज्य सरकार से कुछ वित्तीय सहायता मिलने पर वह वार्षिक उत्पादन में सौगुनी वृद्धि कर सकते हैं। निस्संदेह, उन्हें केन्द्र से सहायता प्राप्त करनी होगी क्योंकि ये सभी केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैं। यह उत्पादन जो अब है एक या दो करोड़ रु० वार्षिक है, बढ़कर सौगुना हो जायेगा क्योंकि यहां प्रतिभाशाली लोग हैं, यहां के लोग इस प्रकार के उद्योगों में बहुत दक्ष हैं। इस तरह से हम इन क्षेत्रों में रोजगार सुविधाएं बढ़ा सकते हैं और इससे हम क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर कर पायेंगे।

वित्त मंत्री जी ने ठीक ही बताया है कि सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन चिन्ता का विषय है। कुछ सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हुई हैं और कुछ परियोजनाएं पूरी होनी हैं। हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां जल्दी ही बाढ़ आती है फिर सूखा पड़ जाता है क्योंकि वहां का भूगोल ऐसा है कि पानी जल्दी से आता है और यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है लेकिन, मानसून के बाद पीने के लिए व सिंचाई के लिए पानी जल्दी ही उपलब्ध नहीं होता है। अब भी वहां बहुत गम्भीर सूखा है और वहां केवल सिंचाई के लिए ही जल की समस्या नहीं है बल्कि पीने के पानी की भी समस्या है। राज्य की राजधानी में भी उन्हें पानी की बाल्टी खरीदनी पड़ती है। शहर से भी विशेष व्यक्तियों और मन्त्रियों को जिन्हें पानी प्राथमिकता के आधार पर मिलता है, उन्हें भी एक रुपये में एक बाल्टी पानी की खरीदना पड़ता है।

ऐसा राजधानी इम्फाल में ही हो रहा है। इससे पता चलता है कि सिंचाई, जल-पूर्ति और बिजली की विचाराधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं कतिपय परियोजनाओं को जानता हूं जिनमें लागत में बार-बार वृद्धि होने के बावजूद प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि भुगतान और ठेकेदारों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच काफी अन्तर है।

अत: जो परियोजना 1979 में चालू की जानी थी उसे 2000 ई० सं० तक रोक दिया गया है क्योंकि जो कुछ दिया गया है वह कम है और उससे परियोजना पूरी नहीं होती है।

हम सरकार का ध्यान विशेषतया उद्योग, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनु) : जनाब मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बजट के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ए० आई० सी० सी० सेशन के अन्दर जो नारा दिया था, पुअरेस्टमैन के लिए, हमारे मुल्क के लिए कि इस मुल्क से अब बेकारी हटाई जायेगी, इस सम्बन्ध में उनकी सूझबूझ और सरपरस्ती की बिना पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री चव्हाण साहब और उनके साथी मिनिस्टर हजरात ने एक आला किस्म का जो बजट तैयार किया है, यह इतना अच्छा बजट है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, वह कम है। यह गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है, बेरोजगारी दूर करने वाला बजट है, रोजगार दिलाने वाला है, उद्योगों में तरक्की लाने वाला बजट है। इस बजट में एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० को मिलाकर भारत सरकार ने 75 प्रतिशत रुपया देने का वादा किया है, इससे भारत के 120 जिलों को फायदा होगा। मेरी मांग है कि उन 120 जिलों में झुंझुनूं जिला भी शामिल किया जाये क्योंकि वह पिछड़ा इलाका है और उसमें जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के तहत वह जिला जरूर आये, जिसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। मेरी मांग है कि यह जिले 120 के बजाय काफी अधिक बनाये जायें, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरा एक सुझाव है कि आप बुकानो से जितने भी टैक्सेज लेते हैं, आज जो टैक्स आप ले रहे हैं अगर उसको डबल कर दें और टैक्स लेने के लिए जितने अधिकारी आपने लगा रखे हैं उनकी ड्यूटी खत्म कर दें तो गवर्नमेंट को डबल फायदा होगा क्योंकि आज का शॉपकीपर इन लोगों के डर से परेशान हैं और इसी वजह से गलत काम हो रहे हैं। वह खुशी से डबल देने के लिए तैयार हैं, अगर यह चीज हट जाती है कि उनके ऊपर से चैकिंग का सिस्टम, जो हमेशा उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है, उसे हटाया जाये और साल में एक निश्चित टैक्स हो कि तुमको इतना टैक्स लगेगा तो वह ईमानदारी से काम करेगा और कोई भी फाल्स एकाउण्ट्स नहीं रखेगा।

दूसरा मेरा कहना है कि आपने डिफेंस के अन्दर जो कटौती की है, मैं चाहूंगा कि वह कटौती आप न करें क्योंकि डिफेंस एक ऐसी चीज है, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। अगर आप उसमें कटौती करेंगे तो जो सुविधाएं हमारे जवानों और अफसरों को मिलनी चाहिये, जो इक्विपमेंट्स हमारे मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए मिलने चाहियें, वह आप नहीं बना पायेंगे। साथ ही आपके पास एक्स-सर्विसमैन की समस्या है। एक आदमी फौज में भर्ती होता है तो 30, 35 और 40 साल के बाद उसको घर भेज दिया जाता है, बाकी तमाम सर्विसेज में ऐसा है जिसमें 58 साल तक सर्विस करता है और वह एक ऐसी सर्विस है जिसमें 40 साल के बाद वह घर जाता है। अगर आप उसको सर्विस नहीं देंगे तो किस तरह से वह अपना गुजारा कर पायेगा इसलिये उसके लिए कुछ पैरलल सर्विस का बन्दोबस्त हो, उसकी कोई योजना हो कि वह परेशान न हो सके तो मेरा सुझाव है कि आप यह पैसा न घटाकर एक्स सर्विसमैन के ऊपर, फौज की तरक्की के लिए, अच्छे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, माडर्नाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल करें।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मैं झुंझुनूं क्षेत्र से आता हूं, उसमें बहुत ही पिछड़ा इलाका है लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुद्दार हैं, मुल्क की खिदमत करना अपना फर्ज समझते हैं। किसान ऐसे हैं जो जितना हो सकता है, वह सब करते हैं। मैं अपने जिले के लिए एक इंडस्ट्री ग्रोथ सैन्टर की मांग करूंगा। साथ ही एक मिल्क डेयरी प्लान्ट बन्द है उसको चालू करने के लिए मैं आपसे कहूंगा। स्टेट के कर्मचारियों के वेतनमानों के लिए भी आपसे सिफारिश करूंगा कि उनके वेतनमान सेन्टर के वेतनमान के मुताबिक हों ताकि तमाम एजीटेशन खत्म हो सके। हमारे कृषि मंत्री साहब बैठे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा···कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हमारे

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

कृषि मंत्री जी, श्री हरिकृष्ण जी ने हमारे झुंझुनूं का ख्याल रखा, हमारे किसानों का ख्याल रखा और हमें कृषि विज्ञान केन्द्र दिया जिसके लिए हमारे झुंझुनूं के किसान उनके कृतज्ञ हैं और हमारी तरफ से वे बधाई के पात्र हैं। हमारे झुंझुनूं में विण्ड-प्लान्ट और सोलर-प्लान्ट की मांग है। मेरे क्षेत्र खेतडी और उदयपुर का जो पहाड़ी इलाका है, जहां पर कोई पानी का साधन नहीं है, सड़कों का साधन नहीं है, वहां पर अगर ये दो प्लान्ट उदयपुर और खेतड़ी में लग जायें तो वहां का विकास हो सकेगा।

8.00 म० प०

स्पोर्ट्स के लिए हमारा इलाका मशहूर है। अगर वहां पर स्पोर्ट्स के लिए एक संस्थान खोल दिया जाए तो वहां पर अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा हो सकते हैं। हमारे यहां एरोड्रोम स्टेट के जमाने का बना हुआ है। उसके लिए अगर थोड़ा सा पैसा दे दिया जाए तो वह एरोड्रोम तैयार हो सकता है। वहां एक बड़ी धार्मिक जगह भी है, पाण्डव के जमाने का स्थान है, जिसको डेली हजारों लोग आकर देखते हैं। वहां पर एक बड़ा एरोड्रोम बनने से यात्रियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। चूंकि वह बार्डर का इलाका है, वहां रेडियो स्टेशन की बहुत बड़ी मांग है। फौजी इलाका होने के नाते झुन्झुनू का जिला मुल्क में ऐसा जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा फौजी रहते हैं। इसलिए वहां पर एक मिलिटरी कैन्टोनमेंट होना चाहिए।

किसानों को जो आप सब्सिडी देते हैं, वह सब्सिडी बिजली के बिल में दे देवें। किसान का बिजली का जो बिल आता है, उसमें सब्सिडी एडजस्ट कर दें। ताकि सब्सिडी में भ्रष्टाचार न हो। किसानों को बिजली बहुत कम मात्रा में मिलती है। उसे ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए, ताकि वह अपनी उपज बढ़ा सके। उसे खाद और उपकरणों में भी सहायता मिलनी चाहिए। इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के लिए बहुत बड़ी देन है, उसे राज्य सरकार कभी भी पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी मांग है, केन्द्र अपने हाथ में इस योजना को लेकर पूरा करे और साथ ही झुन्झुनू को, जो जवाहर लाल कैनाल है, उसका पानी मुहैया करें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया।

चौधरी अख्तर हुसैन (केराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे वित्त मंत्री जी ने 1989-90 का जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह इतना अच्छा बजट है, कि उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह बजट गरीब आदमियों के हक में बनाया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद पेश करता हूं, जिनके नेतृत्व में इतना अच्छा बजट बना है। इस बजट में जनता की भलाई की कितनी ही योजनायें हैं। इन्कम टैक्स में रियायत दी गई है, गरीबों को लिये घर बनाने की योजना है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम रोजगार योजना, किसानों के लिए सराहनीय कदम है। इसी तरह से बुनकरों व दैनिक मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना, बेवाओं और बूढ़ों के लिए पेंशन योजना ये गरीबों के लिए बहुत अच्छे कदम हैं। नये कार्यक्रमों में नेहरू रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारों के लिए मुफिद है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जूनियर हाई स्कूल में आठवीं क्लास तक गरीब बच्चों के लिए जो फीस माफ की गई है, फी तालीम सदी गई है, मैं चाहता हूं कि दसवीं क्लास तक आप इसको बढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उससे गरीब आदमियों के बच्चों को बहुत लाभ होगा। बूढ़ों और बेवाओं की पेंशन 60 रु० बहुत कम है, अगर इसको कम से कम 100 रुपये कर दिया जो उससे भी गरीब आदमियों को ही लाभ होगा।

किसानों के लिए भी कुछ ऐसी योजनायें चलाई जायें, जिससे किसानों को पैदावार का सही लाभ मिल सके। जैसे जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है, वहां गन्ना मिल बढ़ाई जायें और इसी प्रकार जहां कपास ज्यादा होता है, वह कपास मिल बढ़ाई जायें। मेरे क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा गन्ना होता है और वहां मिलें बहुत कम हैं। गन्ना पूरा सप्लाई नहीं होता। अगर मुजफ्फरनगर में एक-दो मिलें बढ़ा दी जावें तो बहुत अच्छा होगा। किसानों को नई तकनीकी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिविर लगाये जायें। किसानों को तालीम दी जाये, वे देखें, पढ़ें और सीखें, तो बहुत लाभ होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां जो जिला योजना होता है, उसमें एम० पी० को कुछ लाभ नहीं होता है। केन्द्र से प्रदेशों को पैसा जाता है। ऐसे बहुत से आदमी हैं, जो एम पी को वोट देते हैं और एम एल ए को वोट नहीं देते हैं। एम. पी. के जो वोटर होते हैं, उनकी सुविधा के लिए कोई सड़क, कोई अस्पताल, कोई स्कूल और कोई कुछ नहीं हो सकता और और एम० पी० को बड़ी शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है। लोग तो यह समझते हैं कि इनकी पांच एम एल ए की कांस्टीचूयेंसी होती है और एम पी बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन वहां देहात में जाने के बाद और जिले में जाने के बाद एम० एल० ए० के बराबर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे मामला बहुत खराब होता है और इसमें एम० पी० का भी हर एम० एल० ए० में आधा हिस्सा होना चाहिए। मेरी राय है, यदि आप ऐसा कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मेरे से पूर्व साथियों ने कहा है कि यह जनरल बजट मिला-जुला बजट है, क्योंकि चुनाव के वर्ष में जितने अच्छे बजट की लोग अपेक्षा करते थे, उस चुनाव के वर्ष के होते हुए यह उतना अच्छा बजट नहीं है। इस बजट में गरीब और किसान लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं रखी हैं, जैसे कि जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना, ग्रामीण निर्धन और रोजगार पैदा करने वाले जो कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना और रोजगार भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि। इसी तरह से जो गरीब हथकरघा का काम करते हैं, उनके लिए जूट और यार्न को उपलब्ध कराने के लिए इसमें गारन्टी दी गई है। उसी तरह से किसानों को 15 हजार से 25 हजार रुपये तक फसल लोन के लिए सुविधा दी गई है। मुर्गी पालन के लिए भी इसमें सुविधा दी गई है। जो गरीब असहाय लोग हैं, उनको मकान बनाने के लिए भी सुविधा दी गई है। यह बात सही है कि हमारी योजनायें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम यह देखें कि हमारी योजनाओं का असर क्या हो रहा है, जिनको हमारे प्रधान-मंत्री जी और हमारी सरकार ऊपर उठाना चाहती है, तो वे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। जब योजनायें जिला स्तर पर पहुंचती हैं, तो उनको जितनी सुविधायें मिलनी चाहिएं, उतनी नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो योजनायें चलाने की बात कही गई है, इसमें हमारे गरीब मजदूरों और किसानों तथा असहाय लोगों के लिए यदि आप देखें, तो उनको सुविधायें नहीं मिल रही हैं। जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, बैंकों में जब वे जाते हैं लोन लेने लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। यह चर्चा काफी दिनों से संसद में रही है कि इसकी देखभाल करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।

[श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक]

जिस तरह से लिखा गया है कि ऐसी विधवाओं को, जो निराश्रित हैं, उनको हम साड़ी उपलब्ध कराएंगे, तो यह बहुत खुशी की बात है लेकिन सही बात यह है कि उसका क्राइटीरिया क्या होगा। किसे साड़ी मिलेगी। अच्छी बात तो यह होती कि ऐसी विधवाएं, जो हमारे पूरे देश में हैं, उनको कोई रोजगार देने या पेंशन देने की बात होती, जिससे उनको हमेशा फायदा पहुंचता और वे अच्छे ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा सकतीं।

विदेश यात्रा पर जाने वालों पर जो टैक्स लगाने की बात कही गई है, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि जो लोग हज को जाते हैं, उन पर यह टैक्स न लगाया जाए। इसी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाई गई है, यह बहुत खुशी की बात है और माननीय मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन इसके साथ-साथ उन विधवाओं को, जिनके पति मर चुके हैं और जिनको पास नहीं मिलता है, जो इस वक्त जीवित हैं, और उनको पेंशन मिल रही है, उनको भी रेल का पास दिया जाये।

इसी तरह से आप देखें कि उद्योगों के मामले में बहुत असंतुलन है और हम यह देख रहे हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं, वे जो हमारी उद्योग की स्कीमें हैं और जो हमारी योजना है, उसमें उद्योग जो लगाये जाते हैं, अपने यहां उद्योग बराबर ले रहे हैं और जहां पर प्रभावशाली लोग नहीं हैं, उनके यहां पर उद्योग की बात नहीं हो रही है। इस तरह का जो असंतुलन है, उसको खत्म होना चाहिए।

मैं मुरादाबाद से आता हूं और वहां पर बर्तन का काम काफी होता है और विदेशों को भी जाते हैं। पहले उनको डिफेंस मिनिस्ट्री से रा-मैटीरियल मिलता था लेकिन अब वह मिलना बन्द हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ब्रास कारपोरेशन बनाया है, वह इसलिए बनाया है कि जो गरीब मजदूर हैं, उनको रा-मैटीरियल सस्ता मिल सके, जिससे उनको फायदा पहुंच सके। आज जो रा-मैटीरियल है, वह 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है और इसमें जो व्यापारियों की मोनोपली है, इससे रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है।

इसी तरह से शुगर मिल हमारे मुरादाबाद में लगाने की बात है। मैं चाहूंगा कि एक शुगर मिल मेरे स्थानीय क्षेत्र में लगाया जाए।

आज आबादी बढ़ रही है और उसी हिसाब से बीमारी भी बढ़ रही है। हम यह देखते हैं कि दिल्ली में सारे हिन्दुस्तान के लोग, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं और बीमारी में मुबतला हैं, जब दिल्ली पहुंचते हैं, तो उनको यहां पर काफी कठिनाई होती है। बीमारी को देखते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आल इण्डिया इंस्टीट्यूट की तरह का एक चिकित्सालय क्या जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में हैं, उस तरह की सुविधाएं जिले के हैडक्वार्टर पर या डिवीजन के हैडक्वार्टर पर होनी चाहिए। इस तरह की एक इंस्टीट्यूट वहां पर भी बननी चाहिए ताकि बीमारियों का निराकरण हो सके।

हमारे यहां जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए यह रखा गया है कि 600 ब्लाकों में उन बच्चों को सुविधा दी जायेगी। इसलिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो ब्लाक आते हैं, उनमें उस स्कीम को लागू किया जाए और जो 120 जिले जवाहर लाल नेहरू ग्रामीण रोजगार योजना में लिए जायेंगे, उनमें हमारा जिला भी शामिल किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

चौधरी लच्छी राम (जालौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1989-90 का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह एक सराहनीय बजट है। बजट के सम्बन्ध में चारों ओर चर्चा है और इससे 80 प्रतिशत लोगों को खासतौर से रिलीफ मिला है और मध्यम वर्गों के लोगों को भी इससे राहत मिलेगी परन्तु जो कराधान हुआ है, उसमें हमारे जैनुल बशर साहब ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि गांवों में भी और जहां-जहां किसान और कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं, वे जो मकान बनाते हैं, तो उन मकानों की ईंटें वे खुद अपने हाथ से बना लेते हैं।

दीवारों को भी अपने हाथ से बना लेते है। उनको छत डालने के लिए लिंटर्न की आवश्यकता होती है और सरिये और गार्डर की आवश्यकता होती है। आपने जो इस पर कर बढ़ाया है इससे उसका बोझ उन पर पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरिये और गार्डर जैसी चीजों पर से जो कि छोटे-छोटे लोग भी खरीदना पसन्द करते हैं जो आपने कराधान किया है उसको आप हटा दें। कराधान से उनको मुक्त कर दें।

महोदय, कृषि में बढ़ोतरी की बात कही गई। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे देश में जब 32-33 करोड़ की आबादी थी तो उस समय लोग भूखे मरते थे लेकिन इन 40 वर्षों में खेती के मामले में हमने इतनी तरक्की की है कि वह किसी से छिपी नहीं है। आज हमारे देश में 80 करोड़ की आबादी है और हमारे देश पे पिछले वर्ष सूखा भी पड़ा उसके बावजूद देश में कोई आदमी भूख से नहीं मरने दिया गया।

हमारे देश में अभी भी बहुत सी ऐसी भूमि पड़ी है जिस पर अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो एक-एक या दो-दो बीघे जमीन वाले भी अपने गुजारे लायक अन्न की पैदावार कर सकते हैं। मैं जिस जनपद से आता हूं वहां केवल 23 प्रतिशत सिंचित भूमि है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब पहले वहां के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे यहां पानी की व्यवस्था की थी। उन्होंने हमें पंचनद बांध दिया था क्योंकि हमारे यहां पांच नदियां हैं। उन्होंने हमें बांध बनाने के लिए स्वीकृति दी थी और धन भी दिया था। लेकिन उनके वहां से जाने के बाद उस बांध का काम रोक दिया गया और वह योजना ज्यों की त्यों रह गई। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस योजना के लिए धन प्रदान करें। जब हमने वहां के सिंचाई मंत्री से इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि धनाभाव है। जब केन्द्र सरकार राजघाट योजना के लिए धन दे सकती है तो वह इस पंचनद बांध के लिए भी धन दे। इससे हमारे यहां 10 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा बढ़ सकती है और इससे हमारे पड़ोसी जिले इटावा को भी राहत मिलेगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने हमारे यहां कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता की है। उन्हें शिक्षित बनाया है और उनमें से भारी संख्या में शिक्षित लोग हमारे सामने हैं लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए नहीं मिल पाती कि जो नौकरी देने वाले लोग हैं वे इतने संकीर्ण विचारों के लोग हैं कि वे कोई-न-कोई आरोप लगाकर उनको नौकरी नहीं पाने देते। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जिन छोटे-छोटे जिलों में सरकारी कारखाने खोलने सम्भव हों वहां सरकारी कारखाने जरूर खोले जायें।

हमारे यहां से बीजापुर-हजीरा-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन निकलती है। उसमें दो आउट लेट छोड़े गये हैं। हमारे गैस मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी हमारे यहां किसान रैली को सम्बोधित करने के लिए गये थे। उन्होंने यह वायदा किया था कि हमारे यहां गैस पर आधारित कोई-न-कोई उपक्रम लगाया

[चौधरी लच्छी राम]

जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसके लिए मदद दें जिससे कि वहां पर गैस पर आधारित उपक्रम लग सके और वहां के गरीब लोगों को खासतौर पर राहत मिल सके। वहां के किसान लोगों के और खेतिहर मजदूरों के लड़के बेकार हैं। वे लड़के शिक्षित भी हो गये हैं। शिक्षित होकर बेकार होने पर उसमें रोष है। हमारे माननीय विरोध पक्ष के लोग उनको बरगलाते हैं, तरह-तरह की राष्ट्र विरोधी भावनाएं उसमें पैदा करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जनपद में गैस पर आधारित कारखाना जरूर लगवायें ताकि वहां के बेकारों को राहत मिल सके।

जमींदारी के समय में कमजोर वर्ग के तबके से बेगार ली जाती थी, आजादी के बाद वह प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन आज वही काम पुलिस विभाग कर रहा है। पुलिस को जब पता लग जाता है कि यह कमजोर वर्ग का है, अछूत है तो उसको मां-बहन की गालियां दी जाती है, मार-पीट की जाती है और उसका शोषण किया जाता है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश सरकार को आदेश देने चाहिए कि वह कमजोर वर्ग को राहत दे, उसको ऊपर उठाए तथा उस पर अमानुषिक व्यवहार को बंद करवाए।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री बीरबल (गंगा नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, नेहरू रोजगार योजना में गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है, इसके लिए प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं अपने जिले और क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी कैनाल में फर्स्ट स्टेज में वे पक्के वाटरकोर्स बनाए गए और किसानों से उसका पैसा अलग से लिया जा रहा है। अरबों-खरबों के इस प्रोजेक्ट में अलग से पैसा किस बात का लिया जाता है, जब कि पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा में इस चीज की सुविधा निःशुल्क है। इसी तरह से सेकेण्ड स्टेज में भी किसानों से वाटरकोर्स का पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि फर्स्ट स्टेज में भी वाटरकोर्स का पैसा किसानों से नहीं लिया जाना चाहिए। वहां के किसान भूख हड़ताल पर हैं, इस बात को वित्त मंत्री महोदय गंभीरता से लें।

मेरे क्षेत्र में दो तहसीलें बारानी हैं बहादरा और नोहरा, सिंधुमुख कैनाल और नोहर कैनाल योजनाओं का सर्वे हो गया है, लेकिन अभी तक इनको स्वीकृत नहीं मिली है। इस योजना के सर्वे के लिए एक डिवीजन आज से लगभग चार वर्ष पूर्व खोला गया था जिसका मुख्यालय परियोजना स्थल से हटाकर जयपुर कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए कार्यरत सिंधुमुख खंड जयपुर में कार्यरत हैं, उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाये गए आक्षेप/स्पष्टीकरणों के निराकरण के लिए नोहर परियोजना व सिंधुमुख परियोजनाओं हेतु क्रमशः माह जून 87 व जुलाई 87 में मांगे गए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक प्रत्युत्तर नहीं भिजवाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अनुसार नोहर 27 करोड़ की योजना है और जिसका सिंचित क्षेत्र 72 हजार एकड़ है तथा सिंधुमुख योजना 80 करोड़ की है, जिसका सिंचित क्षेत्र 175 हजार एकड़ है।

इस प्रकार गंगा नगर जिले की महत्वाकांक्षी परियोजनायें जिनसे 2 लाख 48 हजार एकड़ भूभाग पर सिंचाई हो सकेगी तथा इस जिले व चूरू को मिलाकर लगभग 400 गांव लाभान्वित होंगे। अकाल की विभीषिका का भी स्थायी हल निकल सकेगा। इन परियोजनाओं में अकाल राहत मद में काफी बड़ी

धनराशि राज्य सरकार खर्च कर चुकी है जो कि परियोजना शुरू न होने पर व्यर्थ जाएगी और हरियाणा सरकार ने उक्त कामों के लिए अपने तकमीने केन्द्रीय जल आयोग को माह जनवरी 88 में दिए हैं।

अतः इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए और शीघ्र इस कार्य को शुरू करवाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के सामान्य बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अवसर देने पर चाहे अंत में ही धन्यवाद देता हूं मेरे विचार से मैं अन्तिम वक्ता हूं लेकिन जरूरी नहीं कि मैं कम बोलूं।

प्रारम्भ में मैं, जबकि वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है, अर्थव्यवस्था को भली प्रकार बनाये रखने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। देश के कई भागों में अच्छी वर्षा न होने और पिछले वर्ष भीषण सूखा पड़ने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बनी हुई है।

यह बजट सही दिशा में एक अच्छा बजट है। दिशा क्या है? यह दिशा निश्चिय ही गरीबी दूर करने और देश को प्रगति व समृद्धि के पथ पर लाने वाली है। यह बजट समाजवाद के पथ में आगे लाने वाला कदम है। इस बजट को बेरोजगारी से निपटने वाला जनता का बजट कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं; मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। समय भी नहीं है। पूर्व वक्ताओं ने इस पर विस्तार से बात की है। अधिक नौकरियां उत्पन्न की जानी हैं। इस बजट की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गरीबी से नीची रेखा वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम व्यक्ति को नौकरी उपलब्ध कराई जायेगी। यह बजट देश के गरीब वर्ग के लिए एक आशा की किरण है। यह बजट किसानों और गरीब लोगों की सहायता करने वाला बजट है। इस बजट में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए कुछ राहत है। इसमें अमीर व्यक्तियों पर कर का भी प्रावधान है। इस तरह से यह एक समाजवादी बजट है। इससे औद्योगिक विकास रुक जायेगा और आगे प्रगति भी होगी।

जैसा कि आप जानते हैं, हमने समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार किया है। वास्तव में समाजवाद का लक्ष्य सभी वर्गों के बीच, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच समानता लाना है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के पिछड़ेपन और असंतुलन को दूर रखना है। स्वतंत्रता के समय से हमने विभिन्न दिशाओं कृषि के क्षेत्र में, उद्योग और ऐसे कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हासिल की है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। उद्योग के क्षेत्र में हमारा देश विश्व के दस प्रगतिशील देशों में से एक है। हमारे देश ने अन्तर्राष्ट्रीय दरबार के बहुत से क्षेत्रों में ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। अभी भी काफी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं।

उदाहरण के लिए, उड़ीसा ऐसा राज्य है जो सरकार के पूर्ण प्रयासों के बावजूद आशानुकूल प्रगति नहीं कर रहा है। इसके लिए कई ऐतिहासिक कारण हैं। निष्कर्ष यह है कि जब तक इन राज्यों के साथ जैसे बिहार, उड़ीसा आदि राज्य, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा। उन राज्यों को अन्य राज्यों के बराबर नहीं लाया जा सकता है। स्वीकृत संशोधित गाडगिल फार्मूले से यह स्थिति नहीं सुधरेगी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

वर्तमान वित्त आयोग ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट में इस पर ध्यान नहीं दिया है और पिछड़े राज्यों के साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उड़ीसा आदि राज्यों के विशेष दर्जे के राज्यों की सूची में रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिक अनुदान और कम ऋण दिया जाना चाहिए। वे राज्य जो हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, जो बाढ़, सूखा और तूफान जैसी दैविक आपदाओं का सामना करते हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसे राज्यों को दैविक आपदाओं से निपटने के लिए जो धन दिया जाए वह अनुदान के रूप में दिया जाए, उनके लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए।

हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कतिपय रियायतें दिये जाने के लिए मापदण्ड केवल सामाजिक मापदण्ड नहीं होना चाहिए।

सामाजिक स्थिति के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ रियायतें दी जाती हैं लेकिन इन सामाजिक स्थिति के अलावा इसके लिये आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी जातियों के अनेक लोग हैं; वे बहुत गरीब हैं, अपने बच्चों को वे शिक्षा भी नहीं दे सकते। उनके लिये अनेक प्रकार की कठिनाइयां है। सामाजिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति मिलाकर आधार बनाना चाहिए।

हम लोग बड़े दुःख के साथ देख रहे हैं कि जहां तक आर्थिक स्थिति का संबंध है, विभिन्न वर्गों के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में असमानता हैं; विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों में असमानता है और राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वायत्त शासन के कर्मचारियों के बीच असमानता है। देश में एक व्यापक वेतन नीति होनी चाहिए।

देश ने बहुत प्रगति की है लेकिन अभी भी बहुत अधिक गरीबी है इसका कारण है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और बड़े पैमाने पर इसे कम करना है। हमें बड़े पैमाने पर परिवार-कल्याण और परिवार-नियोजन कार्यक्रम चलाना है। मैं परामर्श देता हूं कि सरकार को विश्व के धार्मिक नेताओं के एक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। क्यों ? कुछ समुदाय परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए। उनमें कुछ अंधविश्वास है। कुछ समय पहले इंडोनेशिया से एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल आया था। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुत देश है। महोदय मैं समझता हूं कि जब हमारी उनके साथ बैठक हुई थी तो आप भी वहां उपस्थित थे। वहां आर्थिक नेतागण खुलकर परिवार नियोजन का समर्थन कर रहे हैं। मैं सुझाव देता हूं कि ऐसे नेताओं को यहां आना चाहिए और भारत में अपने प्रतिरूप सहयोगियों से मिलना चाहिए। भारत में अति आवश्यक इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले वर्गों के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार में स्वाभाविक रूप से इससे सहायता मिलेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यही समय है जब वह सम्बद्ध सम्प्रदायों से अपने स्वीय-कानूनों इत्यादि का पुनर्वलोकन करने लिये कहे।

अब मैं सिंचाई और विद्युत की बात करता हूं। यह हमारे उन्नति और सम्पन्नता की कुंजी है। अतः सिंचाई और विद्युत पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

अब मैं उड़ीसा की समस्या को लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : एक मिनट महोदय। कृपया आप धैर्य न खोयें। आपने इतना धैर्य बनाये रखा है। आपका धीरज प्रशंसनीय है। दिन के अन्त में सिर्फ पांच मिनट के लिये आप क्यों अपना धीरज खो रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जल्द समाप्त करें। मेरी प्रशंसा कर समय बरबाद न करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सिंचाई के संबंध में मैं कहूंगा कि बांधों का निर्माण किया गया है करोड़ों रुपये की पूंजी लगायी जा चुकी है। लेकिन कोई भी नहर नहीं बनी है। अनेक बांधों में पानी जमा है। उदाहरणतौर पर आप उड़ीसा के संगाली और स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना को लें। अत: यह एक राष्ट्रीय क्षति है। दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये विशेष स्थिति में उड़ीसा को अधिक धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

तालपेर सुपर ताप बिजली घर और इब ताप बिजली घर का काम अति मन्द गति को चल रहा है। इन्हें आर्थिक और दूसरी कठिनाइयां भी हैं। किसी प्रकार उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उड़ीसा में कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा नियंत्रित एक कोयला कम्पनी होनी चाहिए। उड़ीसा में कोयले का अपार भंडार है। पारादीप बन्दरगाह का विकास किया जाना चाहिए। हुन्डाई निगम ने कुछ योजनाएं रखी हैं। उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए।

रेलवे के क्षेत्र में भी उड़ीसा पीछे है। रेलमार्ग के सन्दर्भ में यह राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है।

पर्यावरण के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि पर्यावरण स्वीकृति नहीं देने के कारण बहुत-सी परियोजनाएं मंजूरी दिये जाने के बाद भी लागू नहीं की गयी हैं। मैं वित्त मंत्रालय से इस मामले में देखने का और पर्यावरण मंत्री के साथ मिलकर इस समस्या को निपटाने का अनुरोध करूंगा।

तालपेर पर राउरकेला के बीच हाईवे पर कुछ प्लाट हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि फसल बीमा नीति को अधिक यथार्थ बनाने के लिए उनका पुनर्वलोकन किया जाना चाहिए ताकि गरीब किसान लाभ उठा पायें।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कृषि मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा होगी तब आप इस विषय पर बात कर सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप किसानों के शुभचिंतक हैं। सरकार ने यह निर्देश दिया था कि ब्याज और मूलधन की राशि मूलधन की राशि से दुगनी नहीं हो सकती है। लेकिन बैंकों और सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर यह लागू नहीं होता है। इस तरह का भेद-भाव क्यों है। यह सिद्धान्त समान रूप से सभी वर्गों पर लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, फिर बैंकों का परस्परव्यापी नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। हम पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। हमारे पास नेहरू रोजगार योजना है। यह बहुत ही प्रशंसनीय योजना है। हम लोग उनके पवित्र नाम इसे चला रहे हैं। यह सिर्फ 120 जिलों

तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस वर्ष इसे अधिक जिलों में लागू किया जाना चाहिए। विशेषकर उड़ीसा में सभी जिलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें। यह क्या है?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इसे तुरन्त समाप्त कर दूंगा। महोदय, उन सभी लोगों को घर के लिये प्लाट दिया जाना चाहिए जिनके पास कोई घर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मांगों पर जब चर्चा होगी, तब आप इस विषय को उठाना।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : लोक धन और वाहनों का गलत इस्तेमाल प्रत्येक जगह बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों में हम लोगों ने एक नये कार्य संस्कृति की मांग की है। यह एक प्रकार का प्रशासनिक सुधार है। वित्त मन्त्री और सरकार के समक्ष मूल्य नियंत्रण और घाटे की पूर्ति से सम्बद्ध और भी अनेक चुनौतियां हैं। इन्हें अच्छी तरह पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि विदेशी मुद्रा रिजर्व की स्थिति में सुधार हो सके।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं बजट के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं और अपने सुझावों पर विचार करने के लिये सरकार से अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

8.39 **ब० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 मार्च, 1989/26 फाल्गुन, 1910 (शक)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, 2265 दा० सेन मार्ग, दिल्ली-6